लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र
Ninth Session]

5th Lok Sabha

Preservation Unit
Fumigated
On 24-8-92
Parliament Library

[खंड 33 म अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXXIII contains Nos. 11 to 20]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 16, सोमवार, 3 दिसम्बर, 1973/12 अग्रहायण, 1895 (शक)

No. 16, Monday, December 3, 1973/Agrahayana 12, 1895 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
निधन-सम्बन्धी उल्लेख	Obituary Reference. . . .	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० सं० S. Q. No.		
302 तेल के मूल्यों में वृद्धि का नौवहन उद्योग पर प्रभाव	Effect of hike on oil price on Shipping Industry	2
303 'जयदेव पार्क' (दिल्ली) में दूध का केन्द्र	Milk Booth in Jaidev Park (Delhi)	2
306 समाप्त होते जा रहे वन्य प्राणियों की सुरक्षा	Protection of Vanishing Wild Life	4
307 राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशें	Recommendations of National Commission on Agriculture	8
308 विश्व बैंक के दल द्वारा वन परियोजनाओं का अध्ययन	World Bank Team to Study Forest Projects	10
310 सांस्कृतिक समझौते के अन्तर्गत विदेशों में अध्ययन कर रहे भारतीय नागरिक	Indian Residents Studying Abroad under Cultural Agreement . . .	12
311 कोचीन पत्तन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की पदोन्नति	Promotion of SC/ST Candidates in Cochin Port	15
313 पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होने के कारण दिल्ली में टैक्सियों और स्कूटरों के किरायों की नयी दर	New rates for Taxis and Scooters in Delhi due to rise in petrol price	17

किसी नाम पर अंकित यह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० सं०
S. Q. No.

304	भारतीय खाद्य निगम में बोरी गोलमाल (गन्नी बैग स्केण्डल)	Gunny Bag scandal in FCI . .	18
305	भारतीय जहाजों के लिए श्रीलंका का अनुरोध	Request from Sri Lanka for Indian Ships.	18
309	खजुराहो से चुराई गई मूर्तियां	Idols stolen from Khajuraho .	19
312	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नियुक्तियों के संबंध में कथित अनियमितताएं	Alleged irregularities in making appointments in AMU	19
314	श्रद्धानंद बाजार, दिल्ली की परिवहन कम्पनियों को अन्यत्र ले जाना	Shifting of Transport Companies of Shradhanand Bazar, Delhi . .	19
315	उड़ीसा के मंदिरों के संरक्षण के उपाय	Steps to Preserve Temples in Orissa	20
316	सघन पशु विकास परियोजनाएं	Intensive Cattle Development Projects .	20
317	गांधी स्मृति, नई दिल्ली का विकास करने की योजना	Plan to Develop Gandhi Smriti, New Delhi	21
318	गेहूं के ऊंचे मूल्य पर असंतोष	Resentment over high price of wheat	22
319	दिल्ली में विषाक्त भोजन के मामले	Cases of Food poisioning in Delhi	23
320	केरल में समुद्र से होने वाले कटाव को रोकने हेतु कार्य	Anti-sea erosion works in Kerala	23
321	कालेज और विश्वविद्यालय अध्यापकों द्वारा संपूर्ण देश में हड़ताल करने का नोटिस देना	Notice for All India Strike by College and University Teachers	24

अता० प्र० सं०
U. S. Q. No.

2992	विकासशील देशों से मानव रक्त की खरीद	Purchase of Human Blood from the Developing countries .	24
2993	नल के पेयजल संबंधी योजना	Piped Drinking Water Scheme	25
2994	राष्ट्रीय स्तर पर पटेल जयंती मनाया जाना	Celebration of Patel Jayanti at National Level	25

अता० प्र० सं० U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2995	इंजीनियरी स्नातक	Engineering Graduates .	26
2996	भगवान महावीर की जयंती मनाना	Celebration of Lord Mahavira's Birth Anniversary	26
2997	दिल्ली की झुग्गी-झोपड़ियों में गंदगी	Insanitation in Jhuggi-Jhompri areas in Delhi	27
2998	जंतर-मंतर रोड, नई दिल्ली पर मंदिर से पैदल चलने वालों को रुकावट	Temple on Jantar-Mantar Road, New Delhi as an obstacle for Pedestrians .	27
2999	केरल में गावों में बड़ी संख्या में औषधालय स्थापित करना	Net work of Rural Dispensaries in Kerala	28
3000	अपरिष्कृत काजुओं का उत्पादन	Production of raw Cashew Nuts	28
3001	दिल्ली में सरकारी कालोनियों में ऊपरी टंकियों का निर्माण	Construction of overhead Tanks in Government Colonies in Delhi . .	30
3002	सरकारी परिवहन व्यवस्था में सुधार करने हेतु कार्यवाही	Steps to improve Public Transport System	31
3003	दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिशासी अधिकारी द्वारा पत्रों का निपटान	Disposal of Communications by Executive Officer of DDA	31
3004	'साइंस टेलेंट सर्च' परीक्षाओं में बैठे छात्र .	Students Appeared in Science Talent Search Examination	32
3005	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा संपत्ति के कब्जाधारियों को संपत्ति अलाट करना	Allotment of DDA Property to the occupants	32
3006	मध्य प्रदेश में समाज कल्याण केन्द्र	Social Welfare Centers in Madhya Pradesh	32
3007	बेटमचेरला गुफाओं, आंध्र प्रदेश में खुदाई कार्य	Excavation work at Betamcherla Caves, Andhra Pradesh	33
3008	तुंगभद्रा परियोजना की 'कमांड' क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश के लिए मंजूरी	Sanction to Andhra Pradesh under 'command' Area Development Scheme of Tungabhadra Project . .	33
3009	भूमि सुधार की योजना	Scheme for Soil Improvement	34
3010	अधिक उपज देने वाले बीज बोने में कमी	Set back in the cultivation of High yielding Variety of Seeds	35

अता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3011	मध्य प्रदेश में वनस्पति घी बनाने वाली मिलों को लाइसेंस-प्राप्त उत्पादन क्षमता और वास्तविक उत्पादन	Licenced Capacity and Actual Production of Vanaspati by Mills in M.P. . .	35
3012	गत तीन वर्षों में सरसों के तेल के मूल्यों में हुई वृद्धि	Rise in Price of Mustard Oil during Last Three years	36
3013	वारंगल, आंध्र प्रदेश में सामूहिक कृषि समितियां	Collective Farming Societies in Warangal, Andhra Pradesh . . .	36
3014	औषध निर्माता फर्मों द्वारा ब्रांड नामों के अंतर्गत औषध-सूत्रों का विक्रय	Sale of Drugs Formulations, under Branch Names by Drug Firms . .	37
3015	आदर्श सुपारी बागों तथा नमूनों प्लाटों (डिमान्स्ट्रेशन प्लाट) का बनाया जाना	Setting up of Model Arecanut Gardens and Demonstration Plots . . .	37
3016	राशन पर मिलने वाली वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि का अनुपात सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के अनुसार न होना	Increases in Salary of Government Employees not in proportion to rise in price of Rationed Articles . . .	38
3017	ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में परिवार नियोजन की उपलब्धियां	Achievement of Family Planning in Rural and Urban Areas . . .	38
3018	उर्वरकों की बिक्री पर व्यापारियों का कमीशन बढ़ाने का प्रस्ताव	Proposal to increase dealers margin on sale of fertilizers	39
3019	उड़ीसा भूमि सुधार विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति	President's assent to Orissa Land Reforms Bill	39
3020	पूर्वी उत्तर प्रदेश में सूखे से हुई हानि	Loss due to Droughts in Eastern U.P.	40
3021	राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत आने वाले राज्यों में प्रादेशिक भाषाओं को प्रोत्साहन देना	Incentives to Regional Languages in States under President's Rule . . .	40
3022	जहाजों और जलयानों में आत्मनिर्भरता	Self-Reliance in Ship and Vessels . .	41
3023	सुपारी के मूल्यों में अस्थिरता	Instability in prices of Areca-nuts .	41
3024	केरल में सुपारी बागानों के लिए उचित संरक्षण और सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था	Provision of proper protection and Irrigation facilities to Areca-nut gardens in Kerala	42

अता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3025	टैट्रा-पाक के निर्माण के लिए मशीनरी का आयात	Import of Machinery to manufacture Tetra Pak	43
3026	गंडक परियोजना की सिंचाई क्षमता का उपयोग	Utilisation of Irrigation Potential of Gandak Scheme	43
3027	फासफेटिक उर्वरक	Phosphatic Fertilizers	44
3028	गाय-गोबर गैस-संयंत्र चालू करना	Commissioning of Cow Dung Gas Plants	44
3029	मध्य प्रदेश के लिए सिंचाई परियोजना	Irrigation Project for Madhya Pradesh	45
3030	उर्वरकों की चोर बाजारी के बारे में शिकायतें	Complaints regarding blackmarketing of Fertilizer	45
3031	किसानों द्वारा जिप्सम की मांग	Demand for Gypsum from farmers . .	46
3032	कंटाई, पश्चिम बंगाल में नल कूपों को बिजली देना	Energising tube wells in Contai, West Bengal.	47
3033	स्वतंत्रता सेनानियों की परिचय पुस्तिका	Who's Who of Freedom Fighters .	47
3034	चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा रिहायशी प्लाटों की नीलामी	Auction of residential plots by Chandigarh Administration	48
3035	गोआ उर्वरक संयंत्र से आर्सेनिक अम्ल को छोड़ने के कारण मछलियों का मरना	Fish mortality due to release of Arsenic acid from the Goa Manure Plant . .	48
3036	शीघ्र जल सप्लाई करने का कार्यक्रम	Programme for accelerated water supply .	48
3038	नेत्रहीन छात्रों को हो रही कठिनाइयां	Hardships experienced by Blind Students .	49
3039	राज्यों के लिए चीनी का आवंटन और आवश्यकता	Allotment to and Requirement of Sugar in States	50
3040	दिल्ली में महात्मा गांधी तथा अन्य राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियों को लगाना	Installation of Statues of Mahatma Gandhi and other National Leaders in Delhi	50
3041	बिहार में बेकार पम्प सेट खरीद कर करोड़ों की हानि	Crores wasted on Junk Pump Sets in Bihar	51
3042	दिल्ली के राशन इंस्पैक्टरों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Rationing Inspectors of Delhi	51
3043	भारत में 'रेगिस्तानी टिड्डियों के होने और आने के बारे में रिपोर्ट	Report on the Incidence and Migration of Desert Locusts in India . .	52
3044	करनाल के क्षारीय क्षेत्रों को कृषि योग्य बनाना	Reclamation of Saline and Alkali affected areas in Karnal	52

अता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3045	दिल्ली क्लाथ मिल द्वारा रथ के एक किलोग्राम के डिब्बों को अधिक संख्या में बाजार में देने के कारण	Reasons for Marketing more Tins of One Kg. Container of Rath by DCM .	52
3046	सड़क परिवहन पर लगाई गई पूंजी और इससे आय	Capital invested in and Income from Road Transport	53
3047	केदार बाग कालोनी, दिल्ली-35	Kedar Bagh Colony, Delhi-35	55
3048	दिल्ली नगर निगम के स्कूलों से दिल्ली प्रशासन के स्कूलों में स्थानान्तरित अध्यापकों को सेलेक्शन ग्रेड	Selection Grade to Teachers Transferred from Schools of Municipal Corporation of Delhi to Delhi Administration Schools . .	55
3049	कृषि मूल्य आयोग का प्रतिवेदन	Report of Agricultural Prices Commission	56
3050	अन्न बचत अभियान संबंधी द्रुत कार्यक्रम	Crash programme on Save Grain Campaign	56
3051	पांचवीं योजना के दौरान उर्वरक की खपत में वृद्धि	Increase in Consumption of Fertiliser during Fifth Plan	57
3052	बीजों के आरक्षित भंडार की राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा देखरेख	Maintain of Buffer Stock of Seeds by NSC	57
3053	भारत में कैंसर से पीड़ित व्यक्ति	Persons Suffering from Cancer in India	57
3054	दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की कीमत में वृद्धि का आम जनता पर प्रभाव	Affect of increase in price of Milk by Delhi Milk Scheme on General Public.	57 58
3055	डी० डी० ए० आदि के बने बनाये मकानों के लिए आवेदन करने वाले सरकारी कर्मचारियों को ऋण की अदायगी होने तक ग्राह्यता प्रमाण पत्र जारी करना	Admissibility Certificates Pending Payment of Loans to Government Employees Applied for DDA for Ready Built Houses	58
3056	नारायणा कालोनी के लिए अधिक संख्या में दिल्ली परिवहन की बसें	More DTC buses for Naraina Colony	59
3057	चालकों द्वारा किराये मीटरों से छेड़छाड़	Drivers Temper with Fare Meters	60
3058	3000 व्यक्तियों का भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा सहायता बंद करने के कारण बेकार होना	3,000 Persons rendered jobless as ICMR Stops Aid	60
3059	मंत्री की विदेश यात्रा	Visit by the Minister to Foreign countries	61

अता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3060	आपात रबी उत्पादन कार्यक्रम (वर्ष 1972-73) पर व्यय	Expenditure on Emergency Rabi Production Programme (1972-73).	61
3061	विभिन्न भारतीय भाषाओं के साहित्य का अनुवाद	Translation of Literature from Indian Languages	62
3062	संस्कृत के विकास के बारे में उप-शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	Statement of Deputy Education Minister on Development of Sanskrit . .	63
3063	दिल्ली विश्वविद्यालय के विदेशी भाषा विभाग में प्रवेश समिति	Admission Committee in Department of Foreign Languages, University of Delhi	63
3064	सातवें एशियायी क्षेत्रीय मैडिकल विद्यार्थी एसोसिएशन की दिल्ली में हुई बैठक	Meeting of Seventh Asian Regional Medical Students Association held at Delhi	64
3065	बर्लिन समारोह में भाग लेने वाले व्यक्ति	Participants in Berlin Function	64
3066	बिड़ला इंस्टीच्यूट ग्राफ टैक्नोलोजी एंड साइन्सेज, पिलानी के मामले में हस्तक्षेप का अनुरोध	Intervention Sought into Birla Institute of Technology and Sciences Pilani .	65
3067	आटो रिक्शा तथा टैक्सी ड्राइवरों द्वारा धोखाधड़ी	Cheating by Drivers of Auto Rickshaws and Taxis	65
3069	कृषि वैज्ञानिकों के लिए विशेष भर्ती बोर्ड	Special Recruitment Board for Agricultural Scientists	66
3070	मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ और अन्य जिलों में सूखे के कारण फसल को क्षति	Damage to Crops in Tikamgarh and other Districts of Madhya Pradesh due to Drought	66
3071	कोठारी आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन करना	Radical Changes in Education system in the light of recommendations of Kothari Commission . . .	67
3073	गत तीन वर्षों के दौरान वनस्पति के मूल्यों में वृद्धि/कमी	Increase/reduction on vanaspati prices during the last three years .	67
3074	कपास उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पौधों को बौना करने की व्यवस्था	Dwarfing system of plants to meet target of cotton production	68
3075	उर्वरकों की प्रति किसान खपत	Per Capita Consumption of Fertilisers	69
3076	विश्व भारतीय विश्वविद्यालय को वित्तीय अनुदान	Financial Grants to Viswa Bharti University	70

अता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3077	जनजाति भाषाओं का विकास	Development of Tribal Languages	70
3078	पश्चिम बंगाल में जनजाति मुस्लिम तथा ईसाई शिक्षण और समाज कल्याण संस्थाओं को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Tribal Muslim and Christian Educational and Social Welfare Institutions in West Bengal	71
3079	सूर्यमुखी फूल उगाने के लिए पश्चिम बंगाल को केन्द्रीय सहायता	Central Aid to West Bengal for Growing of Sun Flowers	71
3080	पश्चिम बंगाल के सूखाग्रस्त जिले तथा विश्व बैंक की सहायता के लिए चुने गये जिले	Drought prone West Bengal Districts and Districts selected for World Bank Aid	72
3081	महाराष्ट्र में सहकारी समितियों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Development of Co-operative Societies in Maharashtra	72
3082	बागान श्रमिक आवास योजना	Plantation Labour Housing Scheme	73
3083	शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री के निजी सचिव द्वारा रखा गया नगद धन	Cash Money kept by a Private Secretary to the Deputy Minister of Education	74
3084	ट्रैक्टरों की आवश्यकता और इनके उत्पादन के लिए समान पद्धति	Requirement of Tractors and uniform pattern for its production . .	74
3085	अनुसंधान वेधशालाएं तथा खारी मिट्टी और गैर खारी मिट्टी में धान की प्रति एकड़ उपज	Research Laboratory and per Acre yield of Paddy in Saline and non Saline Soil	75
3086	जन्म दर तथा मृत्यु दरें	Birth Rate and Death Rate . .	75
3087	भारतीय बंदरगाहों में खाद्यान्न उतारने के लिए मशीन	Machines for unloading Foodgrains at Indian Ports	76
3088	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यालय चौकीदारों के कार्य घंटे	Duty Hours of Office Chowkidars in C.P.W.D.	77
3089	चालू मौसम में उत्तर प्रदेश और बिहार में गन्ने के मूल्य में वृद्धि	Increase in Sugarcane Price in U.P. and Bihar during Current Season . .	77
3090	वेतन आयोग द्वारा विभिन्न सरकारी मुद्रणालयों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को बेहतर वेतन मानों से वंचित रखा जाना	Press Workers deprived of better Pay Scales by the Pay Commission . .	78
3091	भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of FCI Employees	78

अता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3092	राजस्थान के रेगिस्तान को कृषि योग्य बनाने के कार्य आरंभ न कर पाना	Failure to launch Reclamation of the Rajasthan desert	79
3093	खाद्यान्न की खेती के लिए प्रयुक्त भूमि को तिलहनों की खेती के लिए प्रयोग करना	Diversion of land under Cereal cultivation for oil seed cultivation . .	79
3094	कुरनूल, आंध्र प्रदेश में कपास पैदा करने की सघन योजना के लिए धन की मंजूरी	Sanction for intensive Cotton Growing Scheme in Kurnool, Andhra Pradesh	80
3095	परीक्षा में बड़े पैमाने पर नकल करने की प्रथा को रोकने के लिए तथा परीक्षाओं के परिणामों को शीघ्र प्रकाशित करना	Stopping Mass copying and expeditious publication of Results of Examinations	81
3096	छोटे किसानों द्वारा कुंओं का संयुक्त स्वामित्व	Joint ownership of Wells by Small Farmers	81
3097	नेत्रहीन के कल्याण के लिए विश्व परिषद	World Council for the Welfare of the Blind	82
3098	बड़े शहरों में गैर-सरकारी क्षेत्रों में मकानों के निर्माण पर रोक लगाना	Ban on Construction of Houses in Private Sector in Big Cities	82
3099	मेडिकल कालेजों में दाखिले के लिए जनजाति आदिवासी तथा हरिजनों को छूट देना	Relaxation in Admission of Tribal Adivasis and Harijans in the Medical Colleges	83
3100	सामान्य से कम वर्षा न होने के कारण फसल की बरबादी को रोकने के लिए अनुसंधान	Research on Averting Crop Failure due to Subnormal Rain	83
3101	हिमाचल प्रदेश में सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण	Survey of drought prone areas in Himachal Pradesh	84
3102	पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में भारत-डेनमार्क पशु फार्म	Indo-Danish Cattle Farm at Palampur, Himachal Pradesh . . .	84
3103	अपेक्षाकृत बड़े नगरों में गंदी बस्ती सफाई योजनायें	Slum Clearance Schemes in Bigger Cities	84
3104	वर्ष 1973 के दौरान मिट्टी का तेल, वनस्पति, सरसों के तेल, चीनी तथा बाल-आहार के खुले बाजार के मूल्य	Open market price of Kerosene, Vanaspati, Mustard Oil, Sugar and Baby Food during 1973	85

अता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3105	श्री प्रताप सिंह संग्रहालय श्रीनगर से चोरी गई मूर्तियां	Idols stolen from Sri Pratap Singh Museum, Srinagar	85
3106	उपभोक्ता सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाना	Strengthening of Consumer Co-opera tives	85
3107	अनाज की फसल के लिए विश्व बीज बैंक	World Seed Bank for Food Crop	86
3108	भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन तथा इसका गेहूं के वितरण पर प्रभाव	Agitation by the FCI employees and its affect on distribution of wheat	87
3109	विभिन्न विश्वविद्यालयों से स्नातक बनने वाले विद्यार्थी	Students graduated from different Universities	87
3110	दिल्ली में वनस्पति वितरण केन्द्र स्थापित करने की मांग	Demand for setting up of Vanaspati Distribution Centres in Delhi .	88
3111	राजधानी क्षेत्र का विस्तार तथा विकास	Expansion and Development of Capital Region	88
3112	घोषित राष्ट्रीय नीतियों के अनुरूप पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन	Bringing out text books in tune with National Policies	88
3113	भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ द्वारा प्रयोजित परिवार नियोजन पर 1973 का राष्ट्रीय पुरस्कार	National Award for 1972 on Family Planning sponsored by FICCI . .	89
3114	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में मका, सोरगम और मिलेट के उत्पादन के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम	Training programme on production on Maize, Sorghum and Millet at IARI	89
3115	वैस्ट कोस्ट राष्ट्रीय राजपथ संख्या 17 का सुधार	Improvements to the West Coast National Highway No. 17	90
3116	राष्ट्रीय पत्तन बोर्ड द्वारा मछली पकड़ने के लिए पत्तन	Decision of National Harbour Board fishing ports on Western Coast. .	91
3117	खाद्य जोन	Zones for Foodgrains	91
3118	भारत-रूस गेहूं ऋण करार पर अमरीकी कृषि मंत्री का वक्तव्य	Statement of U.S. Secretary of State for Agriculture on Indo-USSR Wheat Loan Agreement	93
3119	भाण्डागारों में अधिक उपज देने वाले बीजों का जमा होना	Accumulation of Hybrid Seeds in Warehouses	93
3120	चिन्ताजनक खाद्य स्थिति	Food situation causing Concern	93

अ० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3121	दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दिल्ली परिवहन निगम की बसें	DTC Buses for Rural Areas of Delhi	94
3122	भारतीय खाद्य निगम द्वारा पंजाब में धान की वसूली में ढील	Slackening procurement of Paddy in Punjab by Food Corporation of India	94
3123	पैट्रोल मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप दिल्ली परिवहन निगम के किरायों में वृद्धि	Rise in DTC Fare due to Hike in Petrol Price	94
3124	संयुक्त राष्ट्रीय क्षेत्रीय विकास केन्द्र द्वारा 'केस स्टडी' के लिए मेरठ को चुना जाना	Choice of Meerut for a case Study by U.N. Centre for Regional Development	95
3125	गेहूं के बिक्री मूल्य में वृद्धि	Increase in Sale Price of Wheat	95
3126	सस्ती तथा पौष्टिक रोटियां उपलब्ध कराने के लिए माडर्न बेकरीज का विस्तार	Expansion of Modern Bakeries to make available cheap Nutritive Loaves of Bread	95
3127	अलीगढ़ स्थित सरकारी मुद्रणालय में काम करने वाले मजदूर	Labourers working in the Government Press, Aligarh	96
3128	दिल्ली में आठवी कक्षा की बोर्ड की परीक्षा	Board Examination for Middle Classes in Delhi	97
3129	भारतीय संस्कृति का सामांगीकरण	Homogenisation of Indian Culture	97
3130	शिपयार्डों के बारे में विशेषज्ञ समिति के निष्कर्ष	Findings of Expert Committee for Shipyard	98
3131	6 नवम्बर, 1973 को क्षतिग्रस्त हुई दिल्ली परिवहन निगम की बसें	DTC Buses damaged on 6th November, 1973	98
3132	मुद्रणालयों में कर्मचारियों के वर्गीकरण करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन	Report of Categorisation Committee of Employees in Presses . . .	98
3133	फरीदाबाद स्थित भारत सरकार के मुद्रणालय में कार्य कर रहे कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची	Seniority list of the employees of Government of India Press, Faridabad	99
3134	गत तीन वर्षों में दूध के मूल्यों में वृद्धि	Increase in price of Milk during last three years	99
3136	सुपर बाजार, दिल्ली में चीनी और दालों की बिक्री पर प्रतिबंध	Restriction on sale of sugar and pulses imposed by Super Bazar, Delhi . .	100

अता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3137	कृषि वैज्ञानिकों के वेतन सरकारी वैज्ञानिकों के समान करना	Salary of Agricultural Scientists at par with Government Scientists . .	100
3138	देश में अनाज परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना	Setting up of Food Testing Laboratories in the country	101
3139	आपात स्थिति के लिए खाद्यान्नों का बफर भंडार	Buffer stock of Foodgrains for emergency	102
3140	विद्यार्थियों द्वारा अक्तूबर, 1973 में अपहरण की गई दिल्ली परिवहन निगम की बसें	DTC buses hijacked by students during October, 1973	102
3141	नई शिक्षा प्रणाली संबंधी राष्ट्रीय समिति	National Committee on new education system	102
3142	स्वतंत्रता सेनानी अध्यापकों के सेवा काल में वृद्धि करना	Extension of services to freedom fighter teachers	103
3143	मुख्य मंत्री सम्मेलन में बनाई गई चावल वसूली नीति का असफल होना	Failure in rice procurement as devised at Chief Ministers Conference . .	103
3144	परिवहन विभाग द्वारा चुंगी वसूल न किये जाने का निर्णय	Decision by Transport Department to abandon realisation of Octroi .	104
3145	दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लेटो की खरीद	Purchase of DDA Flats	104
3146	स्वायत्तशासी कालेजों संबंधी नीति की प्रतिकूल आलोचना	Adverse criticism of policy re: Autonomous colleges	105
3147	रायलसीमा, आन्ध्र प्रदेश में दुग्ध पाउडर की फैक्टरी	Milk Powder Factory in Rayalaseema, Andhra Pradesh . . –	106
3148	आन्ध्र प्रदेश में चीनी के नये कारखाने स्थापित करना	Establishment of New Sugar Factories in Andhra Pradesh . . . –	107
3149	सौन्दर्य प्रसाधनों और साबुन-तेल आदि में 'हैक्सा क्लोरोफीन' के उपयोग पर प्रतिबंध	Ban on use of Hexachlorophene in Cosmetics and Toilet Goods . . .	107
3150	खाद्य तेल तथा तिलहन निगम	Edible oil and oil seeds Corporation	107
3151	परिवार नियोजन के लिए बजट व्यवस्था	Budgetary Allocation for Family Planning	108
3152	दिल्ली फ्लोर मिल्स द्वारा आटे की सप्लाई	Supply of Atta by Delhi Flour Mills	109

अता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ट PAGES
3153	गणेश फ्लोर मिल और मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर्ज को दी गई आयातित तेल की मात्रा	Quantity of Imported Oil issued to Ganesh Flour Mills and M/s Hindustan Levers.	109
3154	मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर्स द्वारा वनस्पति का कृत्रिम अभाव का पैदा किया जाना	Artificial Scarcity of Vanaspati created by Messrs Hindustan Levers . –	110
3155	डी० सी० एम० कैमिकल्स को लाइसेंस प्राप्त क्षमता और वनस्पति घी का उत्पादन	Licensed Capacity and Vanaspati Ghee produced by DCM Chemicals, Delhi.	110
3156	प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों के अनुसार कारखानों को लेवी चीनी की बढ़ी हुई रूपान्तरण लागत (कनवर्जन कोस्ट)	Increased Conversion Costs to Factories for Levy Sugar as Recommended by Tariff Commission	111
3157	"कैटल स्कीमज लांचड विदाउट प्रापर सर्वे" शीर्षक से प्रकाशित समाचार	Cattle Scheme launched without proper survey	111
3158	खाद्य पदार्थों और औषधियों में अपमिश्रण की प्रतिशतता का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण	Survey to find out percentage of Adulteration in Food Stuff and Medicines	112
3159	दिल्ली परिवहन निगम की बसों पर गन्तव्य स्थान इंगित करने वाले बोर्ड	Board of Destination on DTC Buses	112
3160	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के नाम से एक नये विभाग का गठन	Setting up a New Department of Agricultural Research and Education . .	113
3161	बंगलौर में यूनानी कालेज खोलना	Opening of Unani College in Bangalore	113
3162	लारेंस रोड वैलफेयर फैडरेशन द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण से संबंधित मांगों के बारे में ज्ञापन	Memorandum containing demand concerning DDA by the Lawrence Road Welfare Federation . . . –	114
3163	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लारेंस रोड आवासीय योजना के अंतर्गत पाकेट सी-7 और सी-8 के औद्योगिक मकान	Pocket c-7 and c-8 of Industrial Tenements under Lawrance Road Residential Scheme by DDA . . .	114
3164	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लारेंस रोड आवासीय योजना के अंतर्गत बनाये गये औद्योगिक मकान	Industrial Tenements constructed under Lawrence Road Residential Scheme by DDA . . . . . . –	114

अता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3165	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न आय वर्ग को लारेंस रोड के औद्योगिक मकानों का आवंटन	Allotment of Industrial Tenements at Lawrence Road to Low Income Group by DDA	115
3167	कलकत्ता का विकास	Development of Calcutta	116
3168	ट्राली बस सेवा लागू करना	Introduction of Trolley Bus Service	116
3169	भारतीय इतिहास-संस्कृति और सभ्यता में अनुसंधान कार्य	Research work in Indian History, Culture and Civilization	117
3170	प्रधानमंत्री का बिना पूर्व सूचना दिये विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली में जाना	Prime Minister's Surprise visit to Willingdon Hospital, New Delhi . .	118
3171	दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों में तकनीकी सहायकों के पदों का बनाया जाना	Creation of Technical Assistants in Colleges affiliated to Delhi University	119
3172	अनाज की प्रमुख फसलों के प्राकृतिक जनन संसाधनों का संकलन	Collection of Natural Genetic Resources of Major Food Crops . . .	120
3173	'गेहूं की एच० डी० 2009' किस्म किसानों की पहली पसंद (एच० डी० 2009 व्हीट वेराइटी टाप फेवरिट आफ फार्मर्स)	HD-2009 Wheat variety top favourite of Farmers . . .	120
3174	राष्ट्रीय सेवा योजना	National Service Scheme	121
3175	सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के माध्यम से बेचे जाने वाले गेहूं और चावल के निर्गम मूल्यों (इश्यू प्राइसेस) में वृद्धि की प्रतिशतता	Percentage of Increase in issue Prices of Wheat and Rice sold through Public Distribution system	121
3176	पश्चिमी तट (वेस्टर्न कोस्ट) के लिये परिवहन नीति	Transport Policy for Western Coast	122
3177	आसाम में चावलों के थोक व्यापार के सरकारीकरण की योजना	Scheme for Take over of Wholesale Trade in Rice in Assam . . .	122
3178	तकनीकी शिक्षा संबंधी भारतीय सोसाइटी के सम्मेलन में की गई सिफारिशों की जांच	Examination of Recommendation made at Convention of Indian Society for Technical Education	123
3179	इण्डियन नेशनल साइंस अकादमी द्वारा राजस्थान में सूखा जोन के पहलू के बारे में अध्ययन	Study of Indian National Science Academy of aspect of Arid Zone in Rajasthan	123

अता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3181	भूमि सुधार क्रियान्वयन कार्यक्रम संबंधी पूर्व क्षेत्रीय संगोष्ठी	Eastern Regional Seminar on Land Reform Implementation Programmes	124
3182	नये विश्वविद्यालय और विश्व-विद्यालय केन्द्र स्थापित करने हेतु सिद्धान्त निर्धारित करने के लिये कार्यकारी दल का प्रतिवेदन	Report of Working Group for laying Down Criteria for Establishment of New Universities and University Centres	124
3183	विदेशी विश्वविद्यालयों में भारतीय अध्यापक	Indians on Teaching Staff of Foreign Universities	125
3184	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में विदेशी अध्यापक	Foreigners Teaching in Jawaharlal Nehru University, New Delhi . .	125
3185	विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा होना	Indian Language as Medium of Instruction in Universities	125
3186	दिल्ली परिवहन की निगम की बसों में भीड़-भाड़	Congestion in DTC Buses	126
3187	दूसरे देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भारतीय जहाज निर्माताओं की क्षमता	Capacity of Indian Shipbuilders to Cater to the needs of Foreign countries	127
3188	गेंहू के थोक व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेने पर लाभ/हानि तथा आवर्तक व्यय	Gain/Loss and Recurring Expenditure on Wheat Trade Take over . .	127
3189	बुन्देलखंड क्षेत्र में बंजर भूमि	Barren Land in Bundelkhand Region	128
3191	इंदिरा गोदी की सीमित क्षमता	Indira Dock's limited Capacity Drain on Exchange	128
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	128
	राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	130
	राज्य सभा द्वारा पारित किये गये विधेयक—	Bills as passed by Rajya Sabha— .	
	(1) लोक वक्फ (सीमा विस्तारण) (दिल्ली संशोधन) विधेयक	Public Wakfs (Extension of Limitation) (Delhi Amendment) Bill . . .	130
	(2) भारतीय रक्षा विनिर्माण (संशोधन) विधेयक	Indian Works of Defence (Amendment) Bill	130
	नये खरीदे गये जहाजों की मरम्मत पर खर्च के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 90 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to S.Q. No. 90 re: Expenditure on Repairs of newly purchased ships	130

45 LSS/73—2

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
समितियों के लिये निर्वाचन——	Election to Committees——	
(एक) राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड	National Shipping Board	132
(दो) केन्द्रीय रेशम बोर्ड	Central Silk Board	132
केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक (दूसरा संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित	Central Excises and Salt (Second Amendment) Bill—Introduced . . .	133
केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक (दूसरा संशोधन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य	Statement re: Central Excise and Salt Second (Amendment) Ordinance—	
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Yashwantrao Chawan .	134
नियम 377 के अन्तर्गत मामले	Matters Under Rule 377—	
(एक) संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों के संबंध में समाचार	Press Reports about Salary & Allowances of Members of Parliament . .	134
(दो) सिएट टायर फैक्टरी, बम्बई में हड़ताल	Strike in CEAT tyre Factory, Bombay .	135
प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक	Maternity Benefit (Amendment) Bill .	135
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	135
श्री बाल गोविन्द वर्मा	Shri Balgovind Verma . .	135
श्रीमती विभा घोष गोस्वामी	Shrimati Bibha Ghosh Goswami .	137
श्री रामसिंह भाई	Shri Ram Singh Bhai . .	138
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन	Shrimati Bhargavi Thankappan	139
श्री दामोदर पांडे	Shri Damodar Pandey . .	140
श्री हुकुम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai.	140
श्री रुद्र प्रताप सिंह	Shri Rudra Pratap Singh	140
श्री जे० माता गौडर	Shri J. Matha Gowder	140
श्रीमती सहोदराबाई राय	Shrimati Sahodrabai Rai	141
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe	141
खंड 2 से 5 और 1 पारित करने का प्रस्ताव——	Clauses 2 to 5 and 1 Motion to pass	143-145
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri .	143
श्री बालगोविन्द वर्मा	Shri Balgovind Verma . . .	143
उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक	Industries (Development and Regulation) Amendment Bill . . .	146

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	146
श्री सी० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam . . .	147
श्री दशरथ देव	Shri Dasaratha Deb .	148
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe .	150
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee . .	152
श्री बी० वी० नायक	Shri B.V. Naik . . .	154
आधे घंटे की चर्चा—	Half-an-hour discussion—	
स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन के लिए पात्रता	Eligibility for pensions to Freedom Fighters	155
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C.K. Chandrappan . . .	155
श्री उमाशंकर दीक्षित	Shri Uma Shankar Dikshit .	158

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)
LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक सभा
LOK SABHA

सोमवार, 3 दिसम्बर, 1973/12 अग्रहायण 1895 (शक)
Monday, December 3, 1973/Agrahayana 12, 1895 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Speaker in the Chair]

निधन सम्बन्धी उल्लेख
Obituary Reference

श्री समर गुह (कन्टाई) : खान अब्दुस समद अचकजाई की, जिन्होंने देश की आजादी के लिये बड़ा योगदान दिया, हत्या का दुखद समाचार हमें मिला है। क्या मैं अनुरोध कर सकता हूं कि अविभाजित भारत के एक महान् सपूत जिन्हें बलूची गांधी कहा जाता था, के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करें ।

अध्यक्ष महोदय : खान अब्दुस समद अचकजाई, जो हमारे स्वतन्त्रता आन्दोलन से संबद्ध रहे और जो स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान हमारे नेताओं के समर्थन के लिये एक सुदृढ़ स्तम्भ के रूप में रहे, की दुखद मृत्यु के प्रति मैं आप सब की ओर से हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं । हम उन्हें स्नेह से बलूची गांधी कहते थे । यह बात बहुत ही दुखदायी है कि अनेक महान् व्यक्तियों को अपने ही देशवासियों के हाथों शहीद बनना पड़ता है और खान अब्दुस समद लिंकन जैसे व्यक्तियों की तरह ही एक हैं। उनकी जान भी उनके अपने देशवासियों के क्रूर हाथों ने ली। हम सब उनकी मृत्यु पर संवेदना प्रकट करते हैं।

सदस्यगण अब उनके सम्मान में कुछ देर मौन खड़े होगें।

तत्पश्चात सदस्यगण कुछ देर मौन खड़े रहे

The Members than stood in silence for a short while

Shri Madhu Limaye (Banka) : I had written to you both about Baluchi Gandhi and Smt. Naili Sengupta.

Mr. Speaker Reference has been made about Khan Abdus Samad Khan.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

तेल के मूल्यों में वृद्धि का नौवहन उद्योग पर प्रभाव

*302. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल के मूल्यों में वृद्धि के फलस्वरूप भारतीय नौवहन उद्योग को बहुत हानि होगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) और (ख) बंकरों की अनुपलब्धता तथा अनिश्चित उपलब्धि तथा उनकी कीमतों के उतार चढ़ाव के कारण भारतीय नौवहन उद्योग में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है । समुद्रपारीय क्षेत्र में नौवहन सम्मेलन अधिभार लगा रहा है अथवा उसके लगाने का प्रस्ताव है । विशेष कम्पनियों द्वारा विदेशी पत्तनों पर बंकरों की अनुपलब्धि की शिकायतों और उनको प्राप्त करने के प्रश्न दूतावासों द्वारा उठाये जा रहे हैं ।

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : हमारे जहाजों की तेल की दैनिक खपत क्या है और तेल की कीमतों में वृद्धि होने के फलस्वरूप हमें प्रतिदिन कितनी राशि अधिक व्यय करनी पड़ती है ?

Shri Kamla Pati Tripathi : The hon. member may give a notice regarding quantity of daily consumption but the 13 per cent of the quantity used by us daily is supplied by the Indian oil and we take the rest of quantity from the foreign countries. Surcharge is being taken from the company. The information regarding its impact and losses can be given later on.

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या तल के मूल्य वृद्धि का हमारी किसी नौवहन सेवा के बन्द होने पर कोई स्पंध्य प्रभाव पड़ेगा

Shri Kamlapati Tripathi : The bunkers are necessary. After all it is a fuel oil. It will be difficult to operate the ships without bunkers but we hope that the negotiations of our Embassies with the foreign countries will bring about some negotiations.

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : ईंधन के मूल्यों में वृद्धि के कारण प्रति वर्ष कुल कितना व्यय होगा ?

Shri Kamlapati Tripathi : No information about the rate of surcharge has so far been received. The levied Surcharged is not yet standardised and the position will be clear when it is standardised.

जयदेव पार्क (दिल्ली) में दूध का केन्द्र

*303. **श्री हरी सिह]** : क्या **कृषि** मंत्री दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा जयदेव पार्क, दिल्ली में दूध का केन्द्र खोले जाने के बारे में 9 अप्रैल, 1973 के अतारांकित **प्रश्न संख्या** 6454 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस क्षेत्र के कितने लोगों ने दिल्ली दुग्ध योजना के पास अब तक अपने नाम रजिस्टर कराये हैं और उनकी मांग कितनी बोतल की है ?

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं और सरकार का विचार इस डिपो को कब तक खोलने का है; और

(ग) इस क्षेत्र के दिल्ली दुग्ध योजना के पास अब तक रजिस्टर्ड आवेदकों तथा उनके द्वारा मांगे गये दूध की बोतलों की सूची दी जाये ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) तथा (ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने जयदेव पार्क में दूध के बूथ बनाने का कार्य अभी तक पूरा नहीं किया है, जिसके फलस्वरूप वहां बूथ को चालू करना दिल्ली दुग्ध योजना के लिए अभी संभव नहीं हुआ है । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा इस बूथ के दिल्ली दुग्ध योजना को दिए जाने पर यथाशीघ्र यह चालू कर दिया जाएगा और इस डिपों के लिए कम से कम 300 बोतलों के टोकन उपलब्ध हैं ।

(ग) जयदेव पार्क के मकान मालिकों की कल्याण समिति के अनुरोध पर दिल्ली दुग्ध योजना ने कुल 509 बोतलों के नये टोकन जारी करने के लिए अगस्त, 1972 में 113 आवेदन पत्र दर्ज किए थे । आवेदकों तथा उनकी आवश्यकताओं की एक सूची संलग्न है जिसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है । [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 5882/73]।

अध्यक्ष महोदय: इससे पहले कि आप अनुपूरक प्रश्न पूछें, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाता हूं । आपने इस मिल्क बूथ के बारे में प्रश्न पूछा है जिसका इतना लम्बा उत्तर आया है । फिर आपने व्यक्तियों के नाम तथा बोतलों के बारे में पूछा है जिसका उत्तर इतने पृष्ठों में आया है । अधिक अच्छा होता यदि इस बारे में मंत्री महोदय से ही बात की होती । श्री साठे ने एक प्रश्न पूछा है और कुछ प्रश्नों का उत्तर 49 पृष्ठों में आया था । मंत्रालय को एक संक्षिप्त उत्तर देना चाहिये था । यह सूचना कहीं से ली जा सकती थी और वहां दी जा सकती थी लेकिन इसे वाद-विवाद में प्रकाशित करना होगा । आप नहीं जानते कि लोक सभा सचिवालय पर इसका कितना भार पड़ेगा । लेकिन फिर भी ये छोटी मोटी बातें हैं जिन्हें मंत्री महोदय से बातचीत करके निपटाया जा सकता था । आपने इस विषय को इतने बड़े प्रश्न के रूप में उठाया है जिसका उत्तर भी इतना बड़ा आया है आपने हर व्यक्ति के बारे में पूछा है कि वहां कितनी बोतलें हैं, उसका नाम क्या है और उसके बाप का नाम क्या है आदि आदि । यदि आप चाहें तो आप प्रश्न पूछें। आप ऐसा प्रश्न राष्ट्र की संसद में पूछ रहे हैं।

Shri Hari Singh : I agree to the direction given by you about the question but the difficulty is that those who apply much earlier are dropped and applications of those who apply at a later date are entertained. I asked this question with a view to introduce a system of 'first come first serve.'

The hon. minister has stated that the CPWD has not so far constructed the milk booth but my information is that milk booth in Jaidev Park has been constructed 4 months ago but the Agriculture Department has not so far started the milk supply to that milk booth. I want to know the reasons for that ?

My second question is that when did the Agriculture Department approve the construction of milk booth ? Was it approved long ago ?

Mr. Speaker : You should ask only question. You are making a speech.

Shri Hari Singh : I have only asked the questions.

Prof. Sher Singh : It is incorrect to say that it was constructed 4 months ago. I have just collecced the information. They will hand over it after a week. We have also worked out the date regarding consumers who will be supplied the milk. It is hoped that it will be started after a week.

Shri Hari Singh : When was the approval for the construction of milk booth accorded. Why did not Agriculture Department ask the CPWD about the time of completing the construction of the said booth ?

Prof. Sher Singh : Last year CPWD was asked to construct 65 milk booths. 22 booths including this one will be ready by this weak and the rest are under construction.

समाप्त होते जा रहे वन्य प्राणियों की सुरक्षा

*306. **श्रीमती सावित्री† श्याम :**

श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वनों में वन्य प्राणी तेजी से समाप्त होते जा रहे हैं ; **और**

(ख) यदि हां, तो वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा किये जाने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) वन्य प्राणियों का तेजी से लोप होता जा रहा है।

(ख) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(ख) वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिये मुख्यतः निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं :-

(1) राष्ट्रीय पार्कों और आश्रम -स्थलों की स्थापना और उनकी प्रभावी ढंग से सुरक्षा करना।

(2) जीवित या मृत जंगली पशु और पक्षियों या उनसे बने पदार्थों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना।

(3) वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को अब तक 20 राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्रों में लागू किया जा चुका है।

(4) राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्रों में वन्य प्राणि संरक्षण विंगों की स्थापना करना।

(5) राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्रों के कर्मचारियों को वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून में वन्य प्राणि प्रबंध के संबंध में विशेष प्रशिक्षण देना।

(6) 'प्रोजेक्ट टाइगर' की शुरुआत जिसके अन्तर्गत चीतों और उनके आश्रय स्थलों की सुरक्षा के लिये 9 राष्ट्रीय पार्कों तथा आश्रय स्थलों को विशेष सहायता दी गई है।

(7) देश में कुछ महत्वपूर्ण आश्रय-स्थलों और राष्ट्रीय पार्कों को आर्थिक सहायता देने के लिये एक केन्द्रीय योजना की तैयारी जिसके अन्तर्गत इन चुने हुये पार्कों/आश्रय-स्थलों में अनावर्ती किस्म के निर्माण कार्यों के लिये धन राशि आवंटित की जा सकती है बशर्ते कि संबंधित राज्य सरकारें आवर्तक खर्च वहन करने को तैयार हों।

(8) एक ऐसी योजना भी है जिसके अन्तर्गत भारत सरकार संबन्धित राज्यों की अनुमति से कुछ आश्रय-स्थलों को कुछ समय तक केन्द्रीय देख रेख में ले सकती है।

(9) वन्य प्राणियों के प्रति प्रेम भावना जाग्रत करने के लिये जनता को प्रशिक्षित करना।

Shrimati Savitri Shyam : The beauty of forests lies in the wild life which is gradually vanishing. May I know whether this is due to the decline of female or male population or shooting or any disease or family planning ?

Prof. Sher Singh : There is no question of male or female population in so far as vanishing wild life is concerned. I have already stated the reasons in my reply for which we are taking necessary steps.

Shrimati Savitri Shyam : My second question pertains to the National Corbett Park of Uttar Pradesh. A few years ago, when Shri Kamlapati Tripathi was Chief Minister of Uttar Pradesh a special request was made to the Central Government for providing special grant for the National Corbett Park. Deers, which are the beauty of the forests are being killed there. May I know whether special grant sought by the U.P. Government is being given if so, the amount thereof ?

Prof. Sher Singh : National Corbett Park has been included in the 'Tiger Project' Scheme which aims at the protection of all type of wild life so that deers and other wild animals could be protected.

Shrimati Savitri Shyam : What is the estimate of funds ?

Prof. Sher Singh : Rs. 4 crores have been provided out of which about Rs. 40 lakhs have been earmarked for this purpose. Necessary plans are being formulated.

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : वन्य प्राणियों की रक्षा हेतु निजी वनों चारागाहों तथा सार्वजनिक भूमि के महत्व को ध्यान में रखते हुये, क्या सरकार ने राज्य सरकारों को इस प्रकार के निदेश देने के लिये कदम उठाये हैं जिनके अन्तर्गत इस प्रकार की भूमि सीमाबन्दी से बच सके। यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो० शेर सिंह : मुझे ऐसे गैर-सरकारी वनों या गैर-सरकारी भूमि के बारे में कोई जानकारी नहीं है जहां वन्य पशुओं को संरक्षण दिया जाता है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या उनका कोई योगदान नहीं है।

एक माननीय सदस्य : उन्हें इसकी जानकारी नहीं है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : सरकार ने कई बार सरकारी तौर पर यह स्वीकार किया है कि गैर-सरकारी वनों तथा चारागाहों और सांझी भूमि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ज्ञात नहीं मंत्री महोदय किस प्रकार किसी जानकारी से इन्कार कर रहे हैं।

प्रो० शेर सिंह : मुझे इस संबंध में निश्चित जानकारी नहीं है कि गैर-सरकारी भूमि अथवा वनों को वन्य पशुओं के संरक्षण के लिये उपयोग किया जाता है।

श्री एन० रोम्बी सिंह : क्या सरकार को पता है कि मणीपुर में एक स्टेट वन्य पशु शरणास्थल में—मैं इसे [1]'एपेटेन्ट' इस लिये कहता हूं क्योंकि इसकी उपयुक्त रूप से देखरेख नहीं की जाती—एक दुर्लभ

किस्म का भालू पाया जाता है और यदि हां, तो क्या सरकार इस दुर्लभ जाति के भालू के संरक्षण के लिये कोई बिशेष कदम उठायेगी।

प्रो० शेर सिंह : इन वन्य पशु शरणास्थलियों को चलाने के लिये राज्यों में एक कार्यक्रम बनाया गया है। पशुओं की जातियों के विनाश के बारे में गत वर्ष हमने एक अधिनियम बनाया है तथा वह मणीपुर में भी लागू होता है। इस अधिनियम की क्रियान्वित के पश्चात हम दुर्लभ वन्य पशुओं को संरक्षण देने में समर्थ होंगें। वन्य पशु शरणास्थलियों की उपयुक्त देखभाल के लिये हम राज्य सरकारों को सहायता देने के लिये तैयार हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस मामले में वन्य विभाग के दायित्वों तथा कानूनी व्यवस्था होने के बाद भी क्या यह सच नहीं है कि वन्य पशुओं का भारी सख्या में अवैध रूप से मारा जाना जारी है क्योंकि कुछ पशुओं की खालों तथा सींगों का निर्यात करना बहुत लाभप्रद व्यापार हो गया है। अतः मैं माननीय मंत्री से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि वन्य प्राणियों का गैर-कानूनी ढंग से शिकार करने को समाप्त करने अथवा अधिक से अधिक कम करने की दिशा में तथा ऐसा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर दण्ड देने के बारे में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

प्रो० शेर सिंह : गत वर्ष इस सदन ने वन्य पशुओं सुरक्षा विधेयक पारित किया था जो अब अधिनियम बन गया है तथा 20 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में लागू है। तीन या चार राज्यों ने अर्थात् आसाम, जम्मू और काश्मीर, मेघालय तथा नागालैन्ड ने अभी तक इस संकल्प को स्वीकार नहीं किया। अन्य सभी राज्यों ने संकल्प पारित कर दिया है तथा यह अधिनियम इन राज्यों पर लागू हो गया है। इस अधिनियम में यह व्यवस्था है कि खालों, सींगों आदि का भी निर्यात नहीं किया जा सकता। इस अधिनियम में चार या पांच अनुसूची हैं। अनुसूची एक तथा अनुसूची दो के दूसरे भाग में यह व्यवस्था की गई है कि पशुओं अथवा उनकी खालों अथवा उनके उत्पादों का निर्यात नहीं किया जा सकता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने गैर-कानूनी गतिविधियों का उल्लेख किया था। मुझे ज्ञात है कि अधिनियम है। प्रश्न यह है कि अधिनियम होने के बावजूद वन्य प्राणियों को अवैध रूप से चुराना और उन्हें मारना जारी है। क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कोई विशेष उपाय किये जा रहे हैं कि वन प्रशासन के साथ सांठ-गांठ करक किये जाने वाले इन अवैध गतिविधियों को रोका जा सके ?

प्रो० शेर सिंह : राज्य सरकारों से कई बार यह अनुरोध किया गया है कि राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों से पशुओं के अवैध हरण की ओर विशेष ध्यान दिया जाए तथा इस अधिनियम को लागू किया जाए।

Shri Hukam Chand Kachwai : Is it a fact that there are so many persons in this country who take the foreign visitors with them to the forests for hunting to entertain them? Have the Government received such complaints, and if so, how many persons have been dealt with in this matter ? The hon. Minister has stated that Rs. 4 crores are to be spent. May I know the time by which the proposed amount would be spent ? May I also know whether they are going to take strong action against such persons in future or not ?

Prof. Sher Singh : The amount of Rs. 4 crores would be spent on Tiger Project during the next five years. A certain amount would be spent in this year but most of the amount would be spent during next five years. So far as the foreign visitors are concerned, we

have got a legislation in application here under which a person can go for hunting only when he has got a licence. There are certain projects where people are not permitted to enter but for certain other projects they are permitted to take licences.

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली : एक ओर तो वन्य पशुओं की कुछ दुर्लभ जातियां नष्ट होती जा रही हैं और दूसरी ओर प्रत्येक योजना में वन्य पशु शरणास्थलों में वृद्धि की जा रही है किन्तु दुर्लभ जातियां उपलब्ध नहीं हैं । इस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि क्या वन विभाग ऐसे दुर्लभ पशुओं को पकड़ने तथा उन्हें शरणास्थलों में भेजने और उनकी विशेष देखरेख करने के लिये कोई ठोस उपाय करेगा ?

प्रो० शेर सिंह . वन्य पशु शरणास्थलों की सख्या में वृद्धि हो रही है । राज्य सरकारें ऐसे दुर्लभ किस्म के पशुओं की सुरक्षा के लिये उपाय कर रही हैं जिनके समाप्त होने की आशंका है । गत वर्ष पारित किये गये अधिनियम के अन्तर्गत वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली : नष्ट होने वाली किस्मों के प्राणियों को पकड़ने तथा उन्ह शरणास्थलों में भेजने के बारे में मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया ।

श्री समर गुह : हमारे देश में तथा विश्व भर में रोयल बेंगाल टाइगर अपनी सुन्दरता, शक्ति तथा शान के लिये प्रसिद्ध है । क्या यह सच है कि यह जाति भी नष्ट होती जा रही है ? क्या यह सच है कि अब उनकी संख्या केवल कुछ दर्जन ही रह गई है ? यदि हां, तो इस जाति के संरक्षण के लिये सरकार विशेषकर सुन्दरबन क्षेत्र में क्या कार्यवाही कर रही है ?

प्रो० शेर सिंह : जैसा कि मैंने उल्लेख किया है 'प्रोजक्ट टाइगर' हाल ही में आरम्भ किया गया है तथा इसके लिये आगामी 5 या 10 वर्ष के लिये 4 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है। इस परियोजना के लिये 9 क्षेत्र चुने गये हैं तथा इनमें से सुन्दरबन भी एक है । उसके लिये भी लगभग 40 लाख रूपये की व्यवस्था है ।

श्री डी० बसुमतारी : काजीरांगा में गैंडे की एक दुर्लभ जाति पाई जाती है । समय समय पर समाचारपत्रों में यह समाचार प्रकाशित होता रहता है कि अवैध रूप से शिकार करने वाले इस मूल्यवान पशु का, जिससे विदेशी मुद्रा अर्जित्त की जाती है, शिकार करते हैं । सरकार ने काजीरांगा में इस वन्य पशु के संरक्षण के लिये क्या कार्यवाही की है ?

प्रो० शेर सिंह : मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि काजीरांगा में गैंडों की संख्या में कमी नहीं हुई है वरन–उसमें 400 से 650 की वृद्धि हुई है । आसाम में नहीं वरन जलदपारा में अवैधरूप से कुछ पशुओं का शिकार किया गया है । गत वर्ष 29 या 30 गैंडों के शिकार की सूचना मिलीं थी कांजीरांगा के बारे में मुझे कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है । किन्तु जैसा कि मैंने बताया है कि कुछ वर्षों में गैंडों की संख्या वहां 400 से बढ़ कर 650 हो गई है ।

Shri Madhu Limaye : So far as the protection to wild life is concerned, I have got no objection. I have received some letters from South Bihar. It has been complained therein that while setting up sanctuaries large number of *adivasis* and *vanbasis* are dislocated from those areas. May I know whether Government are considering over the point that such persons are not disturbed ?

Prof. Sher Singh : I visited Betala in Bihar recently. Some of the adivasis and tribes there complained to me of certain attrocties comitted to them. They are not allowed to enter into the forests and to bring firewood. If their crops are destroyed they would get compensation. Besides out of the 90 per cent of the amount to be spent on Tiger Project people residing besides these sanctuaries would get employment opportunities. We are thinking in this term. Therefore it is not correct to think that we would not take care of those tribals while giving protection to wild life. We take special care of them and if they suffer any loss they would be fully compensated. We will also provide them with alternative jobs.

श्री के० चिक्कलिंगैया : क्या यह सच नहीं है कि कुछ राज्यों में विशेषकर मैसूर में भूमिहीनों को भूमि देने के उत्साह में वनों की भूमि पर कब्जा किया जा रहा है तथा वहां पेड़ों को काटा जा रहा है, यदि हां, तो क्या यह सच नहीं है कि इस कार्य के वन्य पशुओं के लिये रहने के क्षेत्र पर अनधिकार कब्ज किया जा रहा है ?

प्रो० शेर सिंह : कुछ राज्यों ने यह मांग की है कि उन्हें वन्य क्षेत्रों से भूमि दी जाये । मुझे इस बारे में निश्चित जानकारी नहीं है कि मैसूर में कितनी भूमि से पेड़ आदि काटे गये हैं किन्तु हम राज्य सरकारों को यह सुझाव देते रहे हैं कि वनों की भूमि पर कब्जा न किया जाए तथा यदि वन संबंधी नीति के बारे में संकल्प में निर्धारित वन क्षेत्रों की प्रतिशतता में वृद्धि न की जा सके तो वहां उतने क्षेत्र में अवश्य वन रहने दिये जायें जितने में इस समय हैं ।

उक्त नीति के अनुसार 30 प्रतिशत भूमि में वन होने चाहियें। यदि राज्य सरकारें इस नीति का पालन नहीं कर सकतीं तो हम उनसे यह अनुरोध करते रहे हैं कि वन्य क्षेत्र से भूमि न ली जाए ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न

राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशें

*307. **श्री बसंत साठे,** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि आयोग की (एक) अधिक उपज देने वाली फसलों और अनाज की संकर किस्मों के उत्तम बीजों का उत्पादन और (दो) ग्रामीण विकास के समेकित कार्यक्रम में व विशेषकर कृषि, पशुपालन, दुग्धशाला और मुर्गीपालन में छोटे तथा सीमान्त किसानों और भूमिहीन मजदूरों को सक्रिय रूप से शामिल किये जाने के संबंध में मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ख) इस समय सिफारिशों पर कहां तक विचार किया जा चुका है, और इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) : एक विवरण पत्र सभा-पटल पर रख दिया गया है । [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 5883/73]

श्री बसंत साठे : महोदय ! 49 पृष्ठों वाले विवरण को देखते हुये जिसे सभा-पटल पर रखा गया है मैं यह अनुरोध करता हूं कि इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा किये जाने की अनुमति दी जाए क्योंकि उत्तर के रूप में जो विवरण हमें दिया गया है उसे पढ़कर कोई उपयुक्त अनुपूरक प्रश्न नहीं दिया जा सकता ।

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार में आपका प्रश्न तो बहुत छोटा सा था और उसकी जानकारी भी संक्षेप में दे दी जानी चाहिये थी। तथापि आप को एक ब्रोचर तो सप्लाई किया गया है। आप को यह कब मिला ?

श्री बसंत साठे : अभी-अभी यहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय : आप अनुपूरक प्रश्न पूछिये। यदि आपको संतोषजनक उत्तर न मिले तो बाद में मैं उस पर विचार करूंगा।

श्री बसंत साठे : ईमानदारी की बात यह है कि मैंने बहुत से अनुपूरक प्रश्न करने हैं किन्तु इस प्रश्न से उत्पन्न होने वाले विषयों के बारे में कोई भी उपयुक्त प्रश्न नहीं किया जा सकता। कृपया आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दी जाए। मैं सीधे-सीधे आप से यही अनुरोध करता हूं कि उसमें अधिक लाभ होगा। छोटे किसानों, भूमिहीन श्रमिकों, मुर्गीपालन, डेरी आदि व्यापक योजनाओं से संबंधित यह मामला अत्यन्त अविलंबनीय लोक-महत्व का है। इसके वर्णन करने के लिये भी काफी समय चाहिये। मेरे विचार से आप भी इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं। संभवतः आप इस विवरण को पूरा पढ़ भी नहीं पाये होंगे। यह संभव ही नहीं है। अतः आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। विवरण काफी बड़ा है तथा मन्त्री महोदय यह कैसे आशा कर सकते हैं कि सदस्य इसे 10-15 मिनट में पढ़ सकेंगे। उन्हें इसका संक्षिप्त सारांश देना चाहिये था।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : प्रश्न राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के बारे में था। सिफारिशें तो सैंकड़ों पृष्ठों में आती हैं किन्तु हमने उनको संक्षेप में प्रस्तुत किया है।

अध्यक्ष महोदय: यह सारांश है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: मैं कुछ बातों का उल्लेख करूंगा।

श्री दीनेन भट्टाचार्य: महोदय, इस लम्बे विवरण में एक बात नहीं है। क्या मैं प्रश्न कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय: जी हां।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : इस लम्बे विवरण में ऐसी किसी व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया गया जिससे विभिन्न क्षेत्रों के किसानों को आसानी से संकार बीज उपलब्ध हो सके। इस बात का भी उल्लेख नहीं है कि किसान अपनी आवश्यकताएं कहां और किस अधिकारी को बताएं तथा उनके बाद फिर किस-किस के पास जाएं आदि आदि। कम से कम यह तो उल्लेख किया जाता कि बिक्री अधिकारियों को घूस दिये बिना बीज उपलब्ध नहीं किये जा सकते। इसका मंत्री महोदय के पास क्या उत्तर है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : स्वभावतः ही बीजों के वितरण का दायित्व राज्यों पर होगा, राष्ट्रीय कृषि आयोग की एक सिफारिश यह है कि किसानों को बीज उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों के पास पर्याप्त एजेंसियां होनी चाहिएं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : पश्चिम बंगाल के किसानों को पटसन और आलू के बीज उपलब्ध नहीं हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : उनका उत्तर यह है कि इसका कार्य राज्य की एजेंसियों द्वारा किया जाता है, यह सिफारिशें 49 पृष्टों के प्रतिवेदन में है, मेरे विचार में ऐसे मामले में इसे ग्रंन्थालय में रखा जाना चाहिये ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : ये वृहद प्रतिवेदन है, इन्हें पहिले ही संसद के ग्रन्थालय में रखा गया है ।

अध्यक्ष महोदय : तब इस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी, आपको केवल इतना कहना चाहिये था कि यह प्रतिवेदन संसद के ग्रंथालय में रखा गया है . . . (व्यवधान) निश्चय ही आप आधे घंटे की चर्चा कर सकते हैं ।

श्री वसंत साठे : मेरा यह अनुरोध है कि इसे यथा शीघ्र आरम्भ किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : यह सब बैलेट पर निर्भर है कि इसमें आपका नाम आता है कि नहीं ।

विश्व बैंक के दल द्वारा वन परियोजनाओं का अध्ययन

***308. श्री पी० जी० मावलंकर :**
श्री वीरभद्र सिंह :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह संभावना है कि विश्व बैंक का एक दल वन परियोजनाओं का अध्ययन करने के लिये भारत की यात्रा करेगा; और

(ख) यदि हां, तो जिन विशेष परियोजनाओं पर विचार विमर्श होना है उन की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां । (ख) संबंधित परियोजनाएं अभी तैयार की जानी हैं ।

श्री पी० जी० मावलंकर : यह ठीक ही कहा गया है कि मानव जाति का स्वास्थ्य वनों के रख रखाव पर निर्भर रहता है । भारतीय वन एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसका अभी विकास किया जाना है, हमारा वनों का क्षेत्र 250-300 लाख हैक्टर है और इस नाते हमें विश्व के एक सबसे बड़े वन प्रधान देश हैं । क्या हाल ही में खाद्य तथा कृषि संगठन के किसी विशेषज्ञ ने भारत का दौरा किया था तथा खाद्य तथा कृषि संगठन ने स्वीडन के एक अन्य विशेषज्ञ को भी भारत भेजा था ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह विश्व बैंक के ऋण से संबंधित है। खाद्य तथा कृषि संगठन के प्रतिनिधि आते रहते हैं, जहां तक विश्व बैंक का संबंध है, हाल ही में श्री जोन क्राफोर्ड की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरिय मिशन भारत आया था तथा समस्या के कुछ ब्यौरों पर बातचीत की थी ।

श्री पी० जी० मावलंकर : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार के साथ खाद्य तथा कृषि संगटग तथा विश्व बैंक विशेषज्ञों से हुई बातचीत में –संयोग से वन की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है तथा इसका कोई आर्थिक उपयोग नहीं किया जा रहा है –सरकार ने तीन प्राकृतिक वन क्षेत्रों, जिनका विकास हो सकता है, का पता लगाया है जो यह प्राकृतिक वन क्षेत्र शिमला के पूर्व में हिमालय पहाड़ के वन, केरल में पश्चिम घाट के वन और गोदावरी तथा इन्द्रवती के बीच वस्तर के वन हैं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे विश्व बैंकों को भेजने के लिये प्रस्ताव तैयार करें और हमें अभी तक आन्ध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल, जम्मू तथा काश्मीर, महाराष्ट्र, मैसूर और उड़ीसा से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, मध्य प्रदेश से भी प्रस्ताव आने की संभावना है । उत्तर प्रदेश से भी प्रस्ताव प्राप्त होगा । जब ये राज्य सरकारें अपने प्रस्ताव भेज देंगी, तो माननीय सदस्य द्वारा उठाई गई बातों का उत्तर मिल जायेगा ।

श्री पी० जी० मावलंकर : मैं एक विशेष प्रश्न पूछ रहा हूं कि खाद्य तथा कृषि संगठन और विश्व बैंक के साथ हुई बातचीत में क्या सरकार ने उन तीन क्षेत्रों के बारे में बातचीत की है ? बसार एक महत्वपूर्ण स्थान है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है । दूसरा भाग आपका सुझाव है ।

श्री पी० जी० मावलंकर : क्या सरकारी अधिकारियों ने वन के विकास के लिये तीन विशेष क्षेत्रों को चुना है ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जब विश्व बैंक का मिशन दो अथवा तीन महीनों बाद फरवरी में विशेषकर इस उद्देश्य के लिए भारत आयेगा तब उसके प्रस्तावों पर बातचीत होगी, तब वे विभिन्न क्षेत्रों को विशेष तौर पर चुनने के लिए जायेंगे ।

Shri Narendra Singh Bisht : May I know whether the attention of the Government have gone to the hilly areas of Uttar Pradesh where there were intensive forests and now they are denuded ? Similarly desert is advancing between the area of Mathura and Agra as was stated by Shri Munshi. I want to know whether the Government have paid attention to it or not to stop the advancement of desert and implement the scheme of afforestation in large scale.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं आपका संरक्षण चाहता हूं क्योंकि मैं विश्व बैंक के मामलों को देखता हूं और मेरे सहयोगी वन संबंधी मामलों को देखते हैं ।

श्री बी० वी० नायक : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या राज्य सरकारों द्वारा ऋण के लिये बनाये गए प्रस्तावों में, जिसे विश्व बैंक वित्तीय सहायता देगा, केवल वनों के उपयोग की व्यवस्था होगी अथवा वनरोपण की भी व्यवस्था होगी यथा और अधिक वनों को उगाया जायेगा तथा वनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना भी की जायेगी ? क्या मंत्री महोदय को उत्तर कनारा जिले में कर्नाटक सरकार द्वारा बनाई गई 5.5 करोड़ रुपये की लागत वाली वनों पर आधारित उद्योगों की योजना के बारे में पता है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जैसा कि मैंने कहा है कि मैसूर सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं । इन परियोजनाओं का उद्देश्य है वनों का वाणिज्यिक उपयोग तथा पुनः वनारोपण । विश्व बैंक के प्रस्तावों के यह मुख्य पहलू हैं ।

Shri Hukum Chand Kachwai : I want to know on which aspect of development of forests the experts team which is comming in the month of February, will give you cooperation and on which aspects of development you want take help from them.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हमारे देश में कुछ भाग हैं और मेरे सहयोगी ने बस्तर क्षेत्र का नाम लिया है । यह स्थान दुर्गम है तथा वनों का उपयोग करने के लिए सड़क मार्ग भी उपलब्ध नहीं

है । कभी-कभी वनों के उपयोग में अपव्यय भी होता है । तीसरी बात यह है कि कभी-कभी वन काटे जाते हैं परन्तु पुनः वनारोपण का कार्यक्रम सही ढंग से आरम्भ नहीं किया जाता है ।

सांस्कृतिक समझौते के अन्तर्गत विदेशों में अध्ययन कर रहे भारतीय नागरिक

***310. श्री बीरेन्द्र सिंह राव† :**

श्री एस० एन० मिश्र :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों के साथ हुए सांस्कृतिक समझौतों के अन्तर्गत कितने भारतीय नागरिक उनमें से प्रत्येक देश में अध्ययन कर रहे हैं ; और

(ख) चालू वर्ष में कितने विद्यार्थियों का चयन किया गया तथा वास्तव में किस किस देश को कितने कितने विद्यार्थी गए ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

प्रश्न का (क) भाग

देश का नाम	सांस्कृतिक करारों के अधीन विदेशों में इस समय अध्ययन कर रहे भारतीयों की संख्या
रूस	136
फ्रांस . .	117
जापान . . .	17
जर्मन जनवादी गणतंत्र .	15
बैल्जियम .	5
पोलेंड . .	10
चैकोस्लोवाकिया .	7
यूगोस्लाविया .	7
तुर्की . . .	1
मिश्र अरब गणराज्य .	4
यूनान .	4
हंगरी .	4
बलगारिया . . .	1
जर्मन संघीय गणराज्य	32
नार्वे .	50
कुल	410

प्रश्न का (ख) भाग

देश का नाम	चालू वर्ष के दौरान चुने गए छात्रों की संख्या	विदेश गए भारतीयों की संख्या
जापान	11	6
पोलेंड .	3	(अभी जाने हैं)
चैकोस्लोवाकिया .	3	3
रूस .	40	30
फ्रांस . .	24	19
जर्मन जनवादी गणराज्य .	7	7
जर्मन संघीय गणराज्य	20	9
इंग्लैंड	81	80
कनाडा	18	18
आस्ट्रेलिया	1	1
न्यूजीलैंड . . .	1	1
नार्वे	8	7
डेनमार्क	6	5

श्री विरेन्द्र सिह राव : विवरण में यह नहीं बताया गया है कि किसी भी सांस्कृतिक समझौते के अन्तर्गत एक भी विद्यार्थी ब्रिटेन तथा अमरीका में अध्ययन कर रहा है, मंत्री महोदय बताएंगे कि क्या इन दो देशों के साथ हमारा समझौता है और यदि हां, तो इन दो देशों में हमारा कोई विद्यार्थी क्यों नहीं अध्ययन के लिये गया हुआ है ?

विवरण के भाग (ख) में बताया गया है कि जापान में अध्ययन के लिए 11 विद्यार्थी चुने गए थे परन्तु उन में से केवल आधे विद्यार्थी ही वहां गए थे, रूस में अध्ययन के लिए 40 विद्यार्थी चुने गए थे परन्तु उनमें से केवल 30 विद्यार्थी ही वहां गए, क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि चुने गए पूरे विद्यार्थी क्यों नहीं बाहर अध्ययन के लिये गये तथा क्या रिक्त स्थानों को भरने के लिये प्रतीक्षा सूची तैयार रखी गयी है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : अमरीका तथा ब्रिटेन के साथ कोई सांस्कृतिक समझौता नहीं है। जहां तक अमरीका का संबंध है, उनके साथ राष्ट्रमंडलीय विद्यार्थी आदान-प्रदान करने की योजना है। यदि माननीय सदस्य प्रश्न के भाग (ख) को देखें तो उन्हें यह पता चलेगा तो इसमें ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलेंड का उल्लेख है, यह राष्ट्रमण्डलीय आदान-प्रदान के अन्तर्गत आता है, चूंकि ऐसा कोई सांस्कृतिक समझौता नहीं है और प्रश्न सांस्कृतिक समझौते के बारे में है इसलिए प्रश्न के भाग (क) में यह सम्मिलित नहीं किया गया है। प्रश्न के दूसरे भाग के संबंध में जहां तक जापान का प्रश्न है, अभी हाल ही में उनके साथ समझौता हुआ है और विद्यार्थियों को भेजने का कार्यक्रम चल रहा है। जहां तक रूस का संबंध है, पैट्रिस लुबुंबा विश्वविद्यालय के लिए 20 विद्यार्थी चुने गए थे, ये सभी विद्यार्थी वहां चले गए हैं और उन्होंने विश्वविद्यालय में वेश ले लिया

है । स्नातकोत्तर शिक्षावृत्ति का जहां तक प्रश्न है, अनेक विद्यार्थियों ने इसे अस्वीकार कर दिया है । जहां तक कुछ विद्यार्थियों का प्रश्न है उनको भेजने के कार्यक्रम को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । मुझे भय है कि उन छात्रवृत्तियों की संख्या में कमी होने की संभावना है जिनका वस्तुतः उपयोग किया जाना था । मैं इस प्रक्रिया को नया रूप देने पर विचार कर रहा हूं ताकि देश को दी जाने वाली छात्रवृत्तियाँ निरर्थक न जायें ।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि क्या अमरीका के साथ विद्यार्थियों के आदान-प्रदान का कोई सांस्कृतिक समझौता नहीं है और क्या यह सच नहीं है कि भारत से बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी अमरीका में उच्च अध्ययन के लिए जाते हैं ? दूसरा, क्या व इन विद्यार्थियों के चयन का मापदंड बतायेंगे, क्या इन्हें राज्य-वार अथवा विश्वविद्यालय-वार चुना जाता है और तदनुसार कोटा दिया जाता है ?

प्रो० एस० नुरूल हसन : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का संबंध है सांस्कृतिक समझौते के लिये दोनों देशों की सहमति आवश्यक है, यह सच है कि बड़ी संख्या में विद्यार्थी अमरीका अध्ययन के लिये जाते हैं । परन्तु वे प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में जाते हैं ।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, राज्य-वार अथवा विश्वविद्यालय-वार कोटे का आवंटन नहीं होता है, प्रक्रिया यह है कि विशेषज्ञों की सहायता से हम अध्ययन की उन मुख्य शाखाओं का पता लगाते हैं जिसमें उस देश में विशेषज्ञ प्रशिक्षण का लाभ उठाया जा सकता है जो हमें छात्रवृत्ति दे रहा है । तब ये विज्ञापित की जाती है । इसके पश्चात एक उच्च अधिकार प्राप्त चयन समिति आवेदनपत्रों की जांच करके तब फिर चयन करती है । किसी विश्वविद्यालय अथवा राज्य के लिए कोटे का कोई आरक्षण नहीं है । यह राष्ट्रीय आधार पर किया जाता है ।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : मैं जान सकता हूं कि क्या प्रत्याशियों के चयन में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति के लिये कोई आरक्षण है ?

प्रो० **एस० नुरुल हसन** : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति के विद्यार्थियों को विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए भेजने की एक अलग योजना है, यह कार्य अब गृह मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है ।

प्रो० मधु दंडवते : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि अमरीका और ब्रिटेन के साथ सांस्कृतिक समझौता नहीं हो सका है क्योंकि यह समझौता दोनों ओर से होना चाहिए। क्या इस विवरण से पता चलता है कि इसमें दिए गए सभी देश यथा रूस, फ्रांस, जापान आदि देश हमारे साथ सांस्कृतिक समझौता करना चाहते हैं तथा जहां तक अमरीका और ब्रिटेन का संबंध है, हम उनसे सांस्कृतिक समझौता करने को उत्सुक हैं परन्तु वे ऐसा सांस्कृतिक समझौता नहीं करना चाहते ?

प्रो० एस० नुरूल हसन : हम अमरीका सहित सभी देशों के साथ सांस्कृतिक समझौता करने को उत्सुक हैं ।

श्री समर गुह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि रूस, जर्मन जनवादी गणतंत्र, पोलैण्ड आदि देश में, मेरा तात्पर्य साम्यवादी देशों से, जिस विजय का अध्ययन करने के लिए वे चुने गए हैं, उनके अतिरिक्त वहां साम्यवाद का अध्ययन अनिवार्य कर दिया गया है । यह एक प्रकार से राजनैतिक सिद्धांत शिक्षण है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि सांस्कृतिक समझौते के अन्तर्गत ऐसा राजनीतिक विषय के अनिवार्य अध्ययन पर भी सहमति हो गई थी और यदि नहीं, तो क्या सरकार ने उन रिपोर्टों की जांच की है, जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं. . . .

अध्यक्ष महोदय : मुझे संदेह है कि क्या यह प्रश्न के अन्तर्गत आता है यह संबंधित देश द्वारा सांस्कृतिक समझौते के अंतर्गत छात्रवृत्तियां देने हेतु विद्यार्थियों के चयन में बारे में है।

श्री समर गुह : उन देशों से आने वाले विद्यार्थियों से इस संबंध में अनेकों रिपोर्टें मिली हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न उन देशों द्वारा सांस्कृतिक समझौते के अंतर्गत छात्रवृत्तियां देने के बारे में है न कि वहां पढ़ाये जाने वाले विषय के बारे में है। आप इसके लिए एक अलग से प्रश्न भेज सकते थे ।

श्री समर गुह : ऐसा आम तौर पर होता है। संभवतः उन्होंने समाचारपत्रों में प्रकाशित ऐसी कई रिपोर्टें देखी हैं। क्या यह सच है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे अफसोस है कि यह इस प्रश्न के अंतर्गत नहीं आता है।

प्रो० मधु दंडवते : इस बात की संभावना है कि इस शर्त के कारण विद्यार्थियों की संख्या में असर पड़े। इसलिए यह प्रश्न सुसंगत है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह अपना अनुमान लगाकर प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इसका प्रश्न के साथ सीधा संबंध होना चाहिए। यह दूसरे संदर्भ में सुसंगत हो सकता है परन्तु इस प्रश्न के अंतर्गत नहीं आता है।

श्री समर गुह : श्री दंडवते ने इसे समझाकर कह दिया है। इसका प्रभाव ऐसे विद्यार्थियों की संख्या पर पड़ सकता है जो उन देशों के लिए चुने गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे उदाहरण मंत्री महोदय की जानकारी में आए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी उत्सुकता की कद्र करता हूं परन्तु यह इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता है। श्री प्रबोध चन्द्र।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार विदेशों में उच्च अध्ययन के लिए जाने वाले विद्यार्थियों से ऐसा कोई वचन अथवा बांड लेती है कि वे अपना उच्च अध्ययन समाप्त करने के उपरान्त वापिस आकर अपने देश की सेवा करेंगे ?

श्री डी० पी० यादव : जी हां।

प्रो० नारायणचन्द पराशर : एक माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया कि क्या एक प्रतीक्षा सूची बनायी जाती है अथवा नहीं यदि कुछ छात्र जाने से इंकार कर देते हैं, तो फिर क्या किया जाता है।

प्रो० नुरूल हसन : हर समय प्रतीक्षा सूची तैयार रहती है।

कोचीन पत्तन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की पदोन्नति

*311. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी विभागों को यह निदेश दिये हैं कि पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को आरक्षण दिया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि कोचीन पत्तन के अधिकारियों ने इस आदेश को क्रियान्वित नहीं किया है ; और

(ग) सरकारी आदेशों की उपेक्षा करने के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) और (ख) सभी पत्तन न्यासियों को इस विषय पर सरकारी आदेश अनुपालनार्थ भेज दिए गए हैं परन्तु इस प्रकार के कोई निदेश जारी नहीं किए गए हैं ? पत्तन न्यास सरकार के विभाग नहीं है, परन्तु वे संबंधित पत्तन न्यास अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित सांविधिक संस्थाएं हैं। वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर पदोन्नति में आरक्षण सरकारी आदेशों को अपनाने और बड़े पत्तन न्यासी अधिनियम, 1963 के अंतर्गत निर्मित कोचीन कर्मचारी पत्तन न्यास (भर्ती वरिष्ठता और पदोन्नति) में सुधार करने के लिए कोचीन पत्तन न्यास ने 19 जुलाई, 1973 को पहले ही एक प्रस्ताव पारित किया है। यह प्रश्न कि क्या विनियमों में पूर्व व्याप्ति सहित संशोधन हो सकता है या नहीं उनके विचाराधीन है। इस बारे में उन्होंने कार्यवाही की है और वे विनियमों में संशोधन के अनुमोदनार्थ केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करेंगे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : इस तथ्य को देखते हुए कि सरकार ने कहा है कि उसने निदेशों के स्थान पर कुछ आदेश जारी किये हैं मैं यह जानना चाहता हूं कि सभी विभागों को भेजे गये आदेशों में पदोन्नति के बारे में संबद्ध बातें क्या हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी : केन्द्रीय सरकार द्वारा 1972 में एक आदेश जारी किया गया था कि जहां तक पदोन्नति का संबंध है, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के बारे में वरिष्ठता एवं योग्यता को स्वीकार किया जाना चाहिए और अनुसूचित जातियों के लिए $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण किया जाना चाहिए।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : यदि ऐसा कोई आदेश जारी किया गया है यद्यपि कोचीन पत्तन न्यास सरकारी विभाग नहीं है, किन्तु फिर भी मैंने उत्तर से यही समझा है कि वह इस आदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। मेरा अब प्रश्न यह है कि क्या सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि इसका पालन नहीं किया जा रहा है।

Shri Kamlapati Tripathi : No such complaint has been received.

श्री डी० बसुमतारी : अभी अभी माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की पदोन्नति के मामले में वरिष्ठता एवं योग्यता को भी ध्यान में रखा जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि चूंकि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए इस सिद्धांत को लागू कर दिया गया है, इसलिए क्षमता सिफारिश के अभाव में किसी अधिकारी की पदोन्नति नहीं की गयी है। मैं विशेषकर यह भी जानना चाहता हूं कि चूंकि इस सिद्धांत को मंत्रालय द्वारा स्वीकार किया गया है, तो उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभागों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कितने अधिकारियों को पदोन्नति दी गयी है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप ने उनके प्रश्न को समझ लिया है ?

Shri Kamlapati Tripathi : But this is absolutely another question that how many scheduled castes have been taken ?

His question was regarding the extent to which order regarding the reservations of Scheduled Caste and Seheduled Tribes has been followed in the Shipping and Transport Department.

यह एक प्रथक प्रश्न है । मैं चाहता हूं कि इसकी प्रथक सूचना दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : श्री अटल बिहारी वाजपेयी--नहीं है।

पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होने के कारण दिल्ली में टैक्सियों और स्कूटरों के किरायों की नयी दरें

*313. **श्री मोहम्मद शरीफ†**

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **नौवाहन और परिवाहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में टैक्सियों और स्कूटरों के किरायों की नई दरों की घोषणा कर दी गई है ;

(ख) क्या पैट्रोल की कीमत में वृद्धि की तुलना में किरायों की दरों में भारी वृद्धि की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) जी, हां। नई दरें निम्न प्रकार हैं :

		रु० पै०
टैक्सी—	पहले 1.6 कि०मी० के लिए . . .	1.50
	बाद के प्रत्येक कि०मी० अथवा भाग के लिए . .	0.90
आटोरिक्शा—	पहले 1.6 कि०मी० के लिए . . .	0.70
	बाद के प्रत्येक कि०मी० अथवा भाग के लिए . . .	0.40

(ख) जी, नहीं ; पिछली बार जब 1971 में टैक्सी तथा स्कूटरों के किरायों में संशोधन किये गये कीमतों की तुलना में पैट्रोल की कीमतों में अब 94 प्रतिशत वृद्धि हुई है । इस समय टैक्सी तथा आटो-रिक्शाओं के किरायों में वृद्धि 33.33 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मोहम्द शरीफ : वित्तीय अनुमान के आधार पर तेल की दर को शामिल कर लेने के पश्चात भी, पैट्रोल के एक लिटर में 16 किलो मीटर चलने वाले एक आटो रिक्शा का नयी दरों पर किराया केवल 8 पैसे प्रति किलो मीटर बैठता है। पैट्रोल की बढ़ी हुई कीमत के आधार पर दर को बढ़ाने की बजाय एस०टी०ए० ने ये दर 33 से 100 प्रतिशत बढ़ा दिये हैं। इसका कारण क्या है ?

श्री कमलापति त्रिताठी : मुझे यह मालूम नहीं है कि इसका क्या कारण है।

The new rates have been fixed recently on the basis of increase in the cost of petrol and thus the rates have been increased by 33.33 per cent in the case of Auto rickshaws and by 50 per cent in the case of Taxis.

श्री मोहम्मद शरीफ : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या पैट्रोल कच्चे तेल तथा मिट्टी के तेल में और मूल्य वृद्धि होने की कोई संभावना है और यदि हां, तो उसके विवरण क्या हैं ? क्या यह सच नहीं है कि गत कुछ सप्ताहों के दौरान मद्रास और दिल्ली के पैट्रोल पम्पों में पैट्रोल उपलब्ध नहीं था ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री नौवहन और परिवहन मंत्रालय की ओर से उत्तर दे रहे हैं। जहां तक कच्चे तेल का संबंध है, आप [illegible]।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भारतीय खाद्य निगम में बोरी गोलमाल (गन्नी बैग स्केण्डल)

*304. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री के० लकप्पा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या भारतीय खाद्य निगम** आटा मिलों से उन बोरों का मूल्य वसूल करने में असफल रहा है जिनमें उन्हें खाद्यान्न भेजा गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय खाद्य निगम केन्द्रीय सरकार को भारी हानि होने के लिए उत्तरदायी हैं; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) राज्य सरकारों और रोलर फ्लोर मिलों को दी जाने वाली गेहूं का केन्द्रीय निर्गम मूल्य भारतीय खाद्य निगम के डिपों पर/गंतव्य स्थानों तक बोरी में बन्द गेहूं के लिए होता है। इसमें बोरी की कीमत शामिल होती है। गेहूं की लागत कीमत में विभिन्न प्रकार के अन्य प्रासंगिक प्रभारों के अलावा, जोकि भारतीय खाद्य निगम उठाता है, बोरी की लागत भी एक मद होती है। गेहूं के तैयार माल के लागत ढांचे में बोरी की कीमत दर्शायी जाती है। इस समय नीति के तौर पर भारतीय खाद्य निगम को गेहूं की लागत और केन्द्रीय निर्गम मूल्य के बीच अन्तर की प्रतिपूर्ति की जा रही है और इसलिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य सरकारों और रोलर फ्लोर मिलों से निर्गम मूल्य के अलावा अलग से बोरी की कीमत वसूल करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय जहाजों के लिये श्रीलंका का अनुरोध

*305. **श्री आर० एन० बर्मन :**

श्री वी० मायावन :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका ने जहाजों की सप्लाई के लिए भारत से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो श्रीलंका और भारत सरकार के बीच क्या करार हुआ है ;

(ग) क्या श्रीलंका और भारत सरकार द्वारा एक संयुक्त जहाज सेवा शुरू किए जाने की संभावना है ; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) और (ख) नवम्बर, 1973 में श्रीलंका का एक नौवहन प्रतिनिधिमंडल जो भारत आया ने 2000 से 20,000 डी० डब्ल्यू० डी० तक के जहाजों के लिए भारतीय शिपयार्डों को क्रयादेश देने के लिए रुचि दिखायी। यह निर्णय किया गया कि उनके विचारार्थ उनको जहाजों की विशिष्टियां दी जाएं।

(ग) और (घ) जी, हां। इस पर सहमति हुई कि भारत और श्रीलंका के पत्तनों के बीच संयुक्त नौवहन सेवायें चलाई जायें। यह एक छोटे से जहाज से शुरू किया जा सकता है जिसकी व्यवस्था प्रत्येक शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया और श्रीलंका शिपिंग कारपोरेशन द्वारा की जाए। इस पर भी सहमति हुई कि यह सेवा तीन महीनों के अन्दर शुरू कर दी जायेगी।

Idols Stolen from Khajuraho

***309. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether many rare idols have been stolen from the famous tourist spot, Khajuraho (M.P.), and

(b) if so, the relevant information thereof ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

[Placed in Library, *See*, No. L.T. 5884/73]

Alleged irregularities in making appointments in A.M.U.

***312. Shri Atal Bihari Vajpayee :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether irregularities have been committed in making appointments in the Aligarh Muslim University; and

(b) if so the facts in this regard and the action taken in the matter ?.

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) and (b) According to the information received from the University, there have been no irregularities in appointments, which are made by the Executive Council on the recommendation of duly constituted Selection Committees. However, a few complaints, received by the visitor regarding such irregularities have been examined. There has been no occasion so far for the Visitor to set aside the decisions of the Executive Council.

श्रद्धानन्द बाजार दिल्ली की परिवहन कम्पनियों को अन्यत्र ले जाना

*314. **श्री प्रबोध चन्द्र : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि श्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली की कुछ परिवहन कम्पनियों ने सड़कों पर माल जमा करके उन्हें गोदाम बना रखा है, जिसकी वजह से सड़क पर घंटों यातायात रुका रहता है; और

(ख) यदि हां, तो इन परिवहन कम्पनियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है, और उन्हें कब तक अन्यत्र स्थानान्तरित करने का विचार है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : (क) कुछ परिवहन कम्पनियां श्रद्धानन्द बाजार तथा इसकी गलियों में परिवहन कार्य कर रही हैं। वे माल के लादने तथा उतारने के समय सड़क पर तथा पटरी पर सामान का चट्टा लगा देते हैं। यातायात के रुकने का मुख्य कारण वे वाहन हैं जो माल उतारने और लादने के लिए वहां खड़े रहते हैं।

(ख) दिल्ली नगर निगम द्वारा प्रायः छापे मारे जाते हैं और मार्ग आदि को अवरुद्ध करने वाली परिवहन कम्पनियों के माल को हटाया जाता है। इसके अतिरिक्त उन पर मुकदमे भी चलाये जाते हैं ?

शहर में भीड़भाड़ दूर करने में सहायता देने के लिए, दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिल्ली की बृहत योजना के अन्तर्गत परिवहन केन्द्रों के विकास करने की एक योजना है। ऐसे दो केन्द्रों का विकास किया जा चुका है तथा दिल्ली के विभिन्न भागों में चार और केन्द्रों का विकास करने का प्रस्ताव है।

उड़ीसा के मन्दिरों के संरक्षण के उपाय

*315. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि उड़ीसा के ध्वस्त हो रहे अनुपम मन्दिरों के सरक्षण के लिये उपाय किये जायें ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) जी हां, निम्नलिखित मन्दिरों के परिरक्षण के लिये उड़ीसा सरकार से अनुरोध प्राप्त हुए हैं :—

(1) गंधारडी, जिला बौद्ध खण्डमलस स्थित नीलामाधव और सिद्धेश्वर मन्दिर,

(2) बौद्ध, जिला बौद्ध खण्डमलस स्थित रामेश्वर मंदिरों का समूह,

(3) बानपुर जिला पुरी स्थित दक्ष प्रजापति का मन्दिर, और

(4) पुरी स्थित जगन्नाथ का मन्दिर।

(ख) पुरी स्थित जगन्नाथ मन्दिर के अलावा, उपरोक्त सभी अन्य मन्दिर केन्द्र द्वारा संरक्षित हैं। बौद्ध स्थित मन्दिरों में 1967-68 वर्ष में मरम्मतें की जा रही थीं और इन मन्दिरों सहित गंधारडी स्थित मन्दिरों में और अधिक मरम्मतें चालू वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू की जाएंगी। दक्ष प्रजापति मन्दिर में 1969–70 के दौरान रासायनिक परिरक्षण किया जा रहा था। तथापि, मन्दिर की इमारती मरम्मतें शुरू करने के लिए प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं और अगले वर्ष के आरम्भ में कार्य शुरू किया जाएगा। पुरी स्थित जगन्नाथ मन्दिर के परिरक्षण के लिए, सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने इसकी मरम्मतों के लिए विस्तृत सिफारिशें की हैं। मरम्मतें शुरू करने के लिए और अधिक कार्यवाई की जा रही है।

सघन पशु विकास परियोजनाएं

*316. **श्री पी० ए० सामिनाथन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने यह पाया है कि 68 क्षेत्रों में चल रही सघन पशु विकास परियोजनाओं की प्रगित में काफी विभिन्नताएं है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में योजना आयोग ने क्या अन्य बातें बतायी हैं ; और

(ग) क्या इस धीमी प्रगति के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) (क) तथा (ख) : जी हां, वर्ष 1970–71 के दौरान 16 चुनी हुई परियोजनाओं में योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा किए गए

मूल्यांकन से पता चलता है कि कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं की प्रगति सभी परियोजनाओं क्षेत्रों में समान रूप से नहीं हुई है। अध्ययन दल ने इस बात पर भी ज़ोर दिया है कि विशेषतः प्रजनन सम्बन्धी पशु विकास कार्यक्रम के परिणाम काफी समय पश्चात् उपलब्ध होते हैं। अतः केवल पांच वर्ष की अवधि में ही परिणामों की सफलता का अनुमान लगाना बड़ा कठिन है। उपयुक्त कार्यवाही करने के लिये समस्याओं का पता लगाने हेतु बार बार अध्ययन किए जाने चाहियें। योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के अध्ययन में बताई गई अन्य मुख्य बातों के संबंध में एक विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है। [**ग्रंथालय म रखा गया देखिए संख्या एल०टी० 5885/73**]

(ग) वास्तव में सघन पशु विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। परियोजना अधिकारियों की विभिन्न पुनरीक्षण बैठकों/सम्मेलनों में राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे इस महत्वपूर्ण योजना के लिए काफी धन की व्यवस्था करें ताकि इस परियोजना को प्रभावशाली ढंग से तथा कार्यान्विति करने के लिये सभी आवश्यक आदानों की पर्याप्त व्यवस्था की जा सके। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की रिपोर्ट मंत्रालय को हाल ही में प्राप्त हुई है। योजना आयोग इस विषय में विभिन्न राज्यों सरकारों और परियोजना अधिकारियों को रिपोर्ट भेज रहा है। राज्य सरकारों को पुनः सलाह दी जाएगी कि वे उस रिपोर्ट में लिए गए विभिन्न सुझाओं पर आवश्यक कार्यवाही करें।

गांधी स्मृति नई दिल्ली का विकास करने की योजना

***317. श्री बैकारिया :**
श्री अरविन्द एम० पटेल

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में तीस जनवरी मार्ग पर गांधी स्मृति का विकास करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर अब तक कितना धन व्यय किया गया है तथा आगे और कितनी धनराशि की स्वीकृति दी गई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा है।

(ग) अब तक किये गए विकास कार्यों पर कुल 1.06 लाख रुपये व्यय किये गए हैं।

विभिन्न विकास योजनाओं और अन्य खर्चों के लिये बजट में 10 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है, जिनके ब्यौरों का हिसाब लगाया जा रहा है।

विवरण

(क) तथा (ख) विकास कार्य के केवल प्रथम चरण की योजना बनाई गई है तथा उस पर किये जा रहे कार्य का ब्यौरा इस प्रकार है :--

(i) जिस कक्ष में गांधी जी ठहरा करते थे उसका पुनर्निर्माण किया गया है तथा गांधी जी के अन्तिम दिनों में जो घटनाएं गांधी स्मृति में घटी थीं उनकी चित्रावली समीपवर्ती स्थान में रख दी गई है।

(ii) जिस मार्ग से गांधी जी हत्या होने के दिन चले थे, उसे पद चिन्हों के रूप में दिखाया गया है।

(iii) गांधी स्मृति में एक स्तम्भ की स्थापना की जानी है।

यह भी निर्णय किया गया कि गांधी स्मृति के विकासार्थ निम्नलिखित रूप से आगे और योजनाएं बनाई जाएं :—

(i) स्मृति के परिसर में एक पुस्तकालय की स्थापना करना, जिसमें गांधी जी तथा उनकी कृतियों पर पुस्तकें, फोटोग्राफ, फिल्में, कागजात और स्रोत सामग्री तथा समकालीन साहित्य शामिल हैं।

(ii) महात्मा गांधी के जीवन तथा कृतियों से सम्बन्धित संस्मरणों को चिरस्थाई रखने के लिये एक उपयुक्त संग्राहलय स्थापित करना।

(iii) गांधी जी के विचारों को, जो विशेषतः राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय, आर्थिक कार्यक्रमों, तथा शोषित वर्ग के लोगों के कल्याण तथा समुत्थान से सम्बन्धित हैं, के सम्वर्द्धन के लिये विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को बनाना तथा उन्हें कार्य रूप देना। और

(iv) युवा पीढ़ी को गांधी जी की शिक्षाओं के निकट सम्पर्क में लाने के लिये विभिन्न प्रकार के सावधिक कार्यक्रम बनाना जिसमें फिल्में दिखाना, भाषण, विचार-गोष्ठियां तथा सम्मेलनों आदि का आयोजन करना शामिल हैं।

योजनाएं तैयार हो जाने पर गांधी स्मृति समिति की कार्यकारिणी के विचारार्थ प्रस्तुत की जाएंगी।

Resentment Over High Price of Wheat

*318. **Shri Nathu Ram Ahirwar:**

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether there is a great resentment among the small farmers and consumers over the purchase and sale of wheat at high price by the grain traders and big farmers; and

(b) the action being taken by the Government to remove this resentment among the small farmers?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (b) Within the frame-work of the existing food policy abolishing the private wholesale trade in wheat, the interests of the consumers, including small farmers, are being protected by undertaking maximum procurement of the marketed surplus through public agencies and distributing the stocks of foodgrains to the consumers through public distribution system at reasonable prices. In addition, steps have also been taken to regulate the prices of wheat in the open market by imposing restrictions on the retail dealers.

दिल्ली में विषाक्त भोजन के मामले

*319. **श्री एच० एम० पटेल :**

श्री आर० के० सिन्हा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर के शुरू में दिल्ली शहर से विषाक्त भोजन के अनेक मामलों की जानकारी मिली थी; और

(ख) क्या सरकार को ऐसे मामलों के कारणों के बारे में कोई जानकारी मिली है और अगर इस बारे में भारत सरकार ने कोई कार्यवाही की है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस वर्ष सितम्बर-अक्तूबर में सिंघाड़ा के आटे तथा मिठाइयों के खाने से कुछ लोग खाद्य-विषाक्तता से पीड़ित हुए बतलाए गए हैं। सिंघाड़े के आटे तथा मिठाइयों के नमूने लिये गए थे और उनका विश्लेषण किया गया था किन्तु उनमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं पाई गई जिससे खाद्य विषाक्तता हो सकती हो।

आर्गेमन तेल की मिलावट वाले सरसों के तेल को खाने से भी 21 सितम्बर 1973 से 77 व्यक्तियों को जलोदर (ड्राप्सी) महामारी हुई बतलाई गई है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन मिलावटी सरसों के तेल को बेचने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमें चलाए गए हैं/चलाए जा रहे हैं।

केरल में समुद्र से होने वाले कटाव को रोकने हेतु कार्य

*320. **श्री वयालर रवि** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य को समुद्र से होने वाले कटाव को रोकने हेतु कार्यों के लिये वर्ष 1973-74 के लिये कुल कितनी धनराशि की स्वीकृति दी गई है; और

(ख) क्या इस कार्य के लिये केरल सरकार ने और अधिक धनराशि देने का अनुरोध किया है; और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) समुद्र तट के कटाव को रोकने का कार्य बाढ़ नियंत्रण के क्षेत्र का ही एक भाग है, जिसे राज्य योजना में शामिल किया गया है। प्लान स्कीमों के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता, किसी विशेष क्षेत्र या विकास शीर्षक के आधार पर नहीं अपितु एकमुश्त ऋणों या अनुदानों के रूप में दी जाती है। केरल सरकार ने वर्ष 1973-74 के दौरान समुद्र के कटाव को रोकने के उपायों के लिये अपनी योजना में 1.5 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की है। वर्ष के दौरान 4 करोड़ रुपये की लागत से समुद्री कटाव रोकने के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये, केन्द्र ने योजना से बाहर 2.5 करोड़ रुपये की विशेष वित्तीय सहायता देना स्वीकार कर लिया है। यह राज्य सरकार द्वारा मंजूर किये गए कार्यक्रम के अनुरूप है।

कालेज और विश्वविद्यालय अध्यापकों द्वारा संपूर्ण देश में हड़ताल करने का नोटिस देना

*321. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालेज और विश्वविद्यालय के अध्यापकों ने जनवरी, 1974 में संपूर्ण देश में हड़ताल करने का नोटिस दिया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या मांगे हैं ; और

(ग) इन मांगों पर विचार करने तथा हड़ताल को टालने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, नहीं। तथापि, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय और कालेज अध्यापक संघ के महामंत्री द्वारा सभी राज्य विश्वविद्यालय अध्यापक संघों के अध्यक्षों और सचिवों के नाम लिखे परिपत्र दिनांक 30 अक्तूबर, 1973 की एक मुद्रित प्रति प्राप्त हुई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उनसे 15 जनवरी, 1974 को "एक दिन काम रोको दिवस" के रूप में मनाने के लिये कहा गया है।

(ख) मुख्य मांगें इस प्रकार हैं :--

(1) विश्वविद्यालय तथा कालेज अध्यापकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण पर विश्विद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों को प्रतिष्ठान द्वारा सुझाए गए संशोधनों सहित तत्काल लागू किया जाए; और

(2) अध्यापकों की सेवा की सांविधिक रूप से सुरक्षा की गारंटी प्रदान करने के लिये संसद् और राज्य विधान-सभाओं में समुचित विधानों को प्रस्तुत करने के लिये संघ तथा राज्य सरकारों द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाए।

(ग) अध्यापकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण से सम्बन्धित प्रश्न की जांच की जा रही है। जहां तक सेवाओं की सुरक्षा का सम्बन्ध है, अपेक्षित विधान बनाने कार्यवाही शुरू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

Purchase of Human Blood from the Developing Countries

2992. **Shri Shiv Kumar Shastri:** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether a doctor of Argentina has revealed that human blood is purchased at cheap rates from the developing countries and plasma is prepared from it and sold at very high prices; and

(b) if so, whether some such blood is purchased from India also and whether Government would take measures to ensure that the blood obtained from our country is utilised in meeting the needs of our country?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A.K. Kisku): (a) Government have seen a Press Report on the subject published in the 'Hindustan' (a Hindi Daily) on the 8th September, 1973.

(b) No. The export of whole blood and blood plasma is already banned under the Export Control Orders.

नल के पेयजल सम्बन्धी योजना

2993. **श्री मधु लिमये** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़े गांवों और छोटे कस्बों में राज्यों द्वारा आरम्भ की जाने वाली नल के साफ पेय जल की सप्लाई की योजनाओं के लिये विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में सहायता कार्यक्रम बनाया था;

(ख) यदि हां, तो पहली चार योजनाओं में कुल कितनी राशि मंजूर की गई; और

(ग) भिन्न-भिन्न राज्यों द्वारा सहायता के प्रभावी उपयोग का विवरण क्या है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत छोटे कस्बों सहित नगरीय क्षेत्रों में नल के पेयजल तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित जल की सप्लाई सम्बन्धी योजनाओं को राज्य क्षेत्र कार्यक्रमों के अधीन शामिल किया गया है। पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में तथा 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 की वार्षिक योजनाओं में नगरीय जल पूर्ति तथा सफाई योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता ऋण के रूप में दी गई थी तथा 50 प्रतिशत सहायक अनुदान ग्रामीण जल पूर्ति योजनाओं के लिये दिया गया था। वर्ष 1967-68 से 20,000 तक की जन संख्या वाले छोटे कस्बों को भी ग्रामीण जल सप्लाई क्षेत्र का एक भाग माना गया था जो 50 प्रतिशत सहायक अनुदान के पात्र थे।

चौथी पंचवर्षीय योजना में जल सप्लाई तथा सफाई सहित सभी विकास शीर्षों के लिये केन्द्रीय सहायता समेकित ऋणों तथा समेकित अनुदानों में क्रमशः 70 प्र० श० तथा 30 प्र० श० के पैटर्न पर दी जा रही है।

चौथी योजना के अन्तिम दो वर्षों के लिए ग्रामीण जल पूर्ति के लिये केन्द्रीय त्वरित कार्यक्रम को भी 1972-73 से प्रारम्भ किया गया है जिसमें इस कार्यक्रम के अधीन स्वीकृत ग्रामीण जल पूर्ति की योजनाओं के लिये शत प्रतिशत सहायक अनुदान की व्यवस्था है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से नगरीय जलपूर्ति तथा सफाई और ग्रामीण जल पूर्ति से सम्बन्धित योजनागत नियतन, दी गई धन राशि तथा उन पर किये गये खर्चें के सम्बन्ध में सूचना (संलग्न) विवरण पत्र में है।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल०टी० 5886/73

Celebration of Patel Jayanti at national level

2994. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) Whether Government have taken a decision to celebrate Sardar Patel Jayanti at national level;

(b) If so, the facts thereof; and

(c) the reasons for delay in taking the decision in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) : (a) to (c) Government do not normally celebrate birth anniversaries at the national level. Initiative in this matter is left to

non-official agencies. Sardar Patel Jayanti is being celebrated each year at Delhi and other places in a fitting manner. In 1973 the celebration at Delhi was held on an appropriate scale.

इंजीनियरी स्नातक

2995. **श्री एस० टी० सोमसुन्दरम** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण** और **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक वर्ष कालिजों से कितने छात्र इंजीनियरिंग स्नातक की डिग्री प्राप्त करते हैं;

(ख) सरकारी क्षेत्र की उन सेवाओं में कितने इंजीनियरिंग स्नातक कार्य कर रहे हैं जिनके लिये इंजीनियरिंग में डिग्री न्यूनतम अर्हता निर्धारित है;

(ग) इस समय कुल कितने इंजीनियरिंग स्नातक बेरोजगार हैं; कितने वजीफे वाली योजना के अन्तर्गत काम कर रहे हैं और कितने अपूर्ण रोज़गार पर हैं; और

(घ) इंजीनियरिंग कालिजों में प्रत्येक इंजीनियरिंग स्नातक के प्रशिक्षण पर कितना व्यय आता है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) 1970, 1971 और 1972 में उत्तीर्ण इंजीनियरिंग स्नातकों की संख्या क्रमश: 17,768, 18,223 और 16,505 थी।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) देश में रोज़गार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों के अनुसार 1972 के अन्त तक नौकरी लेने वाले पंजीकृत इंजीनियरी स्नातकों की संख्या 22832 थी। मंत्रालय की वजीफे वाली योजना के अन्तर्गत 1970-71, 1971-72 और 1972-73 वर्षों के दौरान क्रमश: 5679, 4517 और 5508 इंजीनीयरी स्नातकों को व्यवसायिक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की गई। देश में इंजीनियरी स्नातकों में से कितने अपूर्ण रोज़गार पर हैं, इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) इंजीनियरी स्नातक पर प्रति व्यक्ति खर्चा संस्थानों में भिन्न भिन्न है। तथापि, उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रतिवर्ष सामान्य 2,000 रुपये से 3,500 रुपये तक खर्चा आता है।

भगवान महावीर की जयन्ती मनाना

2996. **श्री कुशोक बाकुला** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण** और **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भगवान महावीर की 2500वीं जयन्ती मनाने के बारे में राष्ट्रीय समिति ने क्या निर्णय किये हैं; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अवसर पर क्या वित्तीय तथा अन्य सहायता दी जाएगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों की सिफारिश की थी:—

(1) दिल्ली में एक राष्ट्रीय उद्यान का विकास,

(2) जैन कला तथा साहित्य के एक संग्रहालय तथा पुस्तकालय की स्थापना,

(3) विभिन्न राज्यों में बाल मनोरंजन केन्द्रों तथा ग्रामीण पुस्तकालय केन्द्रों की स्थापना,

(4) वैशाली में पीने के पानी की सप्लाई में सुधार की व्यवस्था,

(5) एक स्वायत्त निकाय के रूप में जैन-विज्ञान सम्बन्धी अध्ययनों तथा अनुसंधान की एक राष्ट्रीय परिषद् की स्थापना,

(6) समारोह के अवसर पर उपयुक्त साहित्य का प्रकाशन।

कुल 50 लाख रुपये का विनिधान किये जाने का विचार है। परन्तु विस्तृत कार्यक्रमों तथा उनके अलग अलग आर्थिक फलितार्थों का अलग से अध्ययन किया जा रहा है।

Insanitation in Jhuggi-Jhonpri Areas in Delhi

2997. **Shri Chandulal Chandrakar:** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether the Jhuggi-Jhonpri (Slums) areas in Delhi have been victims of insanitation, bad management and neglect from the very beginning to date;

(b) whether these colonies badly lack the facilities of sanitation, light and water;

(c) the reasons for which they have been neglected; and

(d) the measures being taken to improve the conditions?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) and (b) Facilities of sanitation, light and water are available in the resettlement colonies set up by the D.D.A. The Municipal Corporation of Delhi and the New Delhi Municipal Committee have also provided basic amenities in many jhuggi-jhonpri clusters under their jurisdiction. However, the problem is gigantic and conditions in many clusters require improvement.

(c) The question of neglect does not arise in view of (b) above.

(d) Funds are provided under the Jhuggi-Jhonpri Removal Scheme for the re-settlement of the affected persons. Funds under the Central Scheme for Environmental Improvement in Slum Areas are also utilised for provision of basic amenities in certain slum areas.

जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली पर मन्दिर से पैदल चलने वालों को रुकावट

2998. **श्री भोला मांझी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में जन्तर-मन्तर रोड पर एक मन्दिर बनाया जा रहा है और निरीह लोगों के साथ ढोंग किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसे हटाने तथा पैदल चलने वालों के निर्बाध घूमने हेतु सड़क साफ़ कराने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचना दी है कि जन्तर-मन्तर रोड पर कोई मन्दिर नहीं है लेकिन एक वृक्ष की गांठ जो बाहर को उभरी हुई है, लोगों को पूजा हेतु आकर्षित कर रही है और पुजारी समय-समय पर उस स्थान पर पूजा करते हैं।

नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा, किसी संरचना के निर्माण की अनुमति नहीं दी जा रही है और सड़क को लोगों के उपयोग हेतु खुला रखा जा रहा है। जब कभी पुजारी का सामान वहां देखा जाता है, उसे हटा दिया जाता है।

केरल में गांवों में बड़ी संख्या में औषधालय स्थापित करना

2999. **श्री वयालार रवि :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में गांवों में बहुत बड़ी संख्या में औषधालय स्थापित करने सम्बन्धी कोई योजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है और इसके लिये केन्द्रीय सरकार से क्या सहायता मांगी गई है और सरकार का इस सम्बन्ध में क्या सहायता देने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अपरिष्कृत काजुओं का उत्पादन

3000. **श्री वयालार रवि :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अपरिष्कृत काजुओं का कुल उत्पादन कितना है और इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) देश में अपरिष्कृत काजुओं की कुल आवश्यकता की तुलना में यह उत्पादन कितना है और देश में काजुओं की खेती विकसित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा इस दिशा में सरकार का आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) राज्य सरकारों से विश्वस्त अनुमान उपलब्ध न होने के कारण काजू के विषय में नियमित रूप से अखिल भारतीय अनुमान तैयार नहीं किये गए हैं। किन्तु गत समय में काजू उत्पादन के अनुमान तदर्थ आधार पर जारी किये गए हैं। वर्ष 1969-70 के लिये उपलब्ध नवीनतम अखिल भारतीय अनुमान के अनुसार विभिन्न राज्यों में काजू उत्पादन के तदर्थ अनुमान नीचे दिये गए हैं :—

राज्य/संघ क्षेत्र	उत्पादन हजार मीटरी टन में
1. आन्ध्र प्रदेश	12.8
2. कर्नाटक	16.5
3. केरल	111.0
4. महाराष्ट्र	24.1
5. उड़ीसा	1.2
6. तामिल नाडु	27.4
7. गोआ, दमन और दीव	3.4
8. पाण्डिचेरी	0.2
समस्त भारत	196.6

(ख) देश में अपरिष्कृत काजू का उत्पादन कुल मांग से कम होता है और इस कमी को पूरा करने के लिए विदेशों से निम्न मात्रा में आयात होता रहा है :

वर्ष	अपरिष्कृत काजू का आयात (मीटरी टन)
1969-70	1,63,424
1970-71	1,69,359
1971-72	1,69,985
1972-73	1,97,938

जहां तक काजू के विकास से सम्बन्धित उपायों का संम्बन्ध है, चौथी योजना में मौजूदा काजू की खेती के लिए सघन उपाय अपना कर अपरिष्कृत काजू का उत्पादन बढ़ाने की नीति अपनाई गई है । 75 लाख रुपये के योजना परिव्यय से बढ़िया पौधे-सामग्री के उत्पादन, वितरण, रोग-निरोधक वनस्पति रक्षण उपाय अपनाने और प्रदर्शन प्लाटों का आयोजन करने से सम्बन्धित योजनाओं को केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया है । योजना के अन्तिम दो वर्षों की अवधि में 100 लाख रुपए के परिव्यय से काजू के विशेष पैकेज कार्यक्रम की योजना की क्रियान्विति और विभागीय पौध-रोपण के क्षेत्र का विस्तार करके इन कदमों को और तेज किया गया था । इन कार्यक्रमों की क्रियान्विति की दिशा में की गई प्रगित को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है ।

पांचवी पंजवर्षीय योजना की अवधि में अपरिष्कृत काजू का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी सरकार ने योजनाएं तैयार की हैं । कार्यक्रम अभी ये तैयार किए जा रहे हैं ।

विवरण

कार्यक्रमों का नाम	लक्ष्य (चौथी पंजवर्षीय योयना)		चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में सम्भाव्य उपलब्धि	
	भौतक	वित्तीय (लाख रुपए)	भौतक	वित्तीय (लाख रुपए)
1	2	3	4	5
1. काजू की गुटियों का उत्पादन	3.095 लाख नं०	3.71	2.74 लाख नं०	3.94
2. काजू की खेती की उन्नति पद्धतियों के लिए प्रदर्शन प्लाटों का आयोजन	1500 प्लाट	13.50	4,606 प्लाट	12.624

1	2	3	4	5
3. काजू के लिए रोग-निरोधक वनस्पति रक्षण उपाय करना				
(क) गैर-विभागीय क्षेत्र	27,490 हैक्टर	39.51	29,408 हैक्टर	27.68
(ख) विभागीय क्षेत्र	12,527 हैक्टर	13.65	50,305 हैक्टर	39.37
4. निम्न से सम्बन्धित विशेष योजनायें :–				
(क) विभागीय क्षेत्रों में पैकेज कार्यक्रम	5,000 हैक्टर	65.00	5,000 हैक्टर	56.39
(ख) विभागीय क्षेत्रों में क्षेत्र विस्तार	5,000 हैक्टर	35.00	5,000 हैक्टर	31.56

दिल्ली में सरकारी कालोनियों में ऊपरी टंकियों का निर्माण

3001. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में पानी की निरन्तर कमी को देखते हुए सरकार ने सभी कालोनियों में ऊपरी टंकियां बनाने की वांछनीयता पर विचार किया है ताकि पानी लोगों को नियमित रूप से मिल सके;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने सभी सरकारी क्वार्टरों में पानी जमा करने के लिए टंकियां लगाने की वांछनीयता पर भी विचार किया है ताकि जो थोड़ा-बहुत पानी मिलता है आवश्यकता के लिए उसे जमा करके रखा जा सके ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम् मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) ऊपरी टकियों के निर्माण से जल सप्लाई की कमी की समस्या हल नहीं हो सकती। ये केवल बहु-मंजिले भवनों के लिये अपेक्षित हैं जहां इनकी व्यवस्था पहले ही की जा रही है। यदि पानी की सप्लाई अपर्याप्त है तो एक तथा दो मंजिले भवनों के लिये ऊपरी टंकियों से कोई उपयोगी कार्य सिद्ध नहीं हो सकेगा।

सरकारी परिवहन व्यवस्था में सुधार करने हेतु कार्यवाही

3002. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि होने तथा निजी उपभोक्ताओं द्वारा पेट्रोल की खपत में कमी आ जाने के परिणामस्वरूप सरकारी परिवहन व्यवस्था में व्यापक सुधार करना आवश्यक हो गया है;

(ख) क्या उक्त बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस मामले को हल करने हेतु अखिल भारतीय स्तर पर कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो इस संबंध में बनाई गई योजना की रूपरेखा क्या है; और

(ग) क्या दिल्ली परिवहन के संबंध में कार्यरूप देने के लिये कोई तुरन्त योजना बनाई गई और यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है और दैनिक यात्रियों को पर्याप्त राहत पहुंचाने के लिये कितनी नई बसें चलाई जायेंगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) पैट्रोल के मूल्य में वृद्धि के कारण, "व्यक्तिगत" परिवहन से सार्वजनिक परिवहन की ओर झुकाव दिखाई दे रहा है, इसके फलस्वरूप विशेषकर महानगरों में सार्वजनिक परिवहन पद्धति पर दबाव बढ़ गया है।

(ख) चूंकि सड़क परिवहन की कार्यकारी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, अतः स्थिति से निबटने के लिए कार्यक्रम तैयार करना उन के लिए आवश्यक है। इस बारे में यदि संबंधित राज्य सरकारों ने कोई परियोजनाएं तैयार की हो तो उनका ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी, हां। दिल्ली परिवहन निगम द्वारा तैयार किये गये कार्यक्रम में, 1974-75 के दौरान 400 बसों की खरीद, नये डिपुओं के निर्माण, मौजूदा डिपुओं के नवीकरण और केन्द्रीय वर्कशाप को सशक्त कर मरम्मत तथा सेवाई संबंधी सुविधाओं में सुधार करने का विचार है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिशासी अधिकारी द्वारा पत्रों का निपटान

3003. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का अधिशासी अधिकारी (नगरीय सतर्कता सैल) नीति के रूप में जनता से प्राप्त किसी पत्र का उत्तर नहीं देता है;

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर नहीं में है, तो गत छः महीनों के दौरान इस सैल को कितने पत्र मिले और इस सैल ने कितने पत्रों का उत्तर दिया;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिशासी अधिकारी (नगरीय सतर्कता सैल) के पास काफी लम्बे समय से लगभग 1500 मामले निपटाने हेतु पड़े हुये हैं;

(घ) क्या लोगों को परेशान करने की दृष्टि से ये मामले विचाराधीन रखे जाते हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो मामलों के निपटान में विलम्ब के क्या कारण हैं और सभी मामले कब तक निपटा दिय जायेंगे ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण में कोई अधिशासी अधिकारी (नगरीय सतर्कता सैल) नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सांइस टेलेंट सर्च, परीक्षाओं में बैठे छात्र

3004. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान ली गई साइंस टेलेन्ट सर्च परीक्षाओं में प्रत्येक वर्ष राज्यवार कितने छात्र बैठे ; और

(ख) राज्यवार कितने छात्रों ने प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्तियां जीती ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 5887/73]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सम्पत्ति के कब्जाधारियों को सम्पत्ति अलाट करना

3005. **श्री वेकारिया :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निर्णय किया है कि सम्पत्ति के गत 15 से 20 वर्ष तक कब्जाधारियों को जो पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापित हैं; वह सम्पत्ति अलाट कर दी जाए; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Social Welfare Centres in Madhya Pradesh

3006. **Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) the number of Social Welfare Centres working in Madhya Pradesh, region-wise, at present;

(b) Whether Government propose to set up more such centres there; and

(c) if so, when and the names of places where they are proposed to be set up?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : (a) to (c) Social Welfare Centres are run by various authorities—the Central Government, State Governments and Voluntary Organisations aided and unaided by Government and, therefore, no precise information is available. More Centres are likely to come up when new programmes are started in the Fifth Five Year Plan. The details will be determined by the concerned authorities after the Plan is finalised.

However, information regarding Special Nutrition Programme and Balwadi Programme centres already working in Madhya Pradesh is given in the attached statements. [Place in Library. *See* No. L.T. 5888/73.] Due to financial constraints no further expansion of these programmes is envisaged during the year 1973-74.

बेटमचेरला गुफाओं, आन्ध्र प्रदेश में खुदाई कार्य

3007. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में बेटमचेरला गुफाओं में पक्का कालेज में स्नातकोत्तर और अनुसंधान संस्थान द्वारा आरंभ किया गया खुदाई कार्य अब भी चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो कार्य की प्रगति क्या है और क्या गत वर्ष के बाद से किन्हीं नई खोजों का पता चला है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) जी नहीं, दक्कन कालेज उत्तर-स्नातक और अनुसंधान संस्थान, पूना ने जिसने पिछले वर्ष इस कार्य को शुरू किया था इस वर्ष के कार्यक्रम में इसे शामिल नहीं किया है। तथापि, वे उस स्थल से प्राप्त प्राणिजात अवशेषों के विश्लेषण के काम में लगे हुये हैं।

तुंगभद्रा परियोजना की 'कमांड' क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश के लिये मंजूरी

3008. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तुंगभद्रा परियोजना की कमांड क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश के लिये कुल कितनी राशि मंजूर की गई है;

(ख) कुल राशि में से 'लो लेवल कैनाल' (गहरी नहर) के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई है;

(ग) क्या यह राशि किस्तों में दी जाती है और यदि हां, तो कितनी किस्तों में और अब तक कितनी राशि दी गई है; और

(घ) क्या इस समय 'लो लेवल कैनाल' और 'हाई लेवल कैनाल' क्षेत्रों में कोई कार्य हो रहा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) आंध्र प्रदेश के तुंगभद्रा कमांड क्षेत्र में 1.5 करोड़ रुपये (25 लाख रुपये मण्डी तथा 125 लाख रुपये सड़कों के लिये) की लागत की योजनाओं के लिये प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी थी। राज्य सरकार को 31 मार्च, 1974 तक 75.00 लाख रुपये तक की रकम व्यय करने का अधिकार दे दिया गया है।

(ख) इस कमांड क्षेत्र में 'लो लेवल कैनाल' के लिये 77.00 लाख रुपये (63.5 लाख रुपय सड़कों तथा 13.5 लाख रुपये मण्डी के लिये) की राशि निर्धारित की गई है।

(ग) व्यय की प्रगति का पुनरीक्षण करने के पश्चात् यह रकम राज्य सरकार को किश्तों के रूप में वापिस की जाती है। अब तक आंध्र प्रदेश सरकार को इस कमांड क्षेत्र के लिये क्रमशः 10.00 लाख तथा 15.00 लाख रुपये की दो किश्तों में 25 लाख रुपये दिये जा चुके हैं।

(घ) 'लो लेवल कैनाल' तथा हाई लेवल कैनाल' क्षेत्रों में सड़क तथा मण्डी संबंधी कार्य जारी हैं।

भूमि सुधार की योजना

3009. **श्री मार्तण्ड सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में भूमि सुधारने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और इसके फलस्वरूप विभिन्न फसलों की उपज में कितनी वृद्धि होने की आशा है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। मृदा सुधार के उपयोग के माध्यम से अम्लीय तथा क्षारीय भूमि का सुधार की एक योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

(ख) इस योजना के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं। मृदा सुधार के प्रयोग से उर्वरकों के कुशल प्रयोग में वृद्धि हुई है, जिसके फलस्वरूप फसल की पैदावार अच्छी होती है।

अधिक उपज देने वाले बीज बोने में कमी

3010. **श्री मार्तण्ड सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहां एक और सरकार अधिक उपज देने वाली फसलों का क्षेत्र बढ़ाती रही है, वहां बीज तैयार करने का कार्यक्रम आवश्यकतानुसार पर्याप्त नहीं रहा है, जिसके परिणामस्वरूप बीजों में मिलावट बड़े पैमाने पर होने लगी है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1972-73 में अधिक उपज देने वाले बीजों संबंधी कार्यक्रम में कितनी कमी हुई और क्यों, और इस संबंध में सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) बढ़िया किस्म के बीजों का उत्पादन तथा वितरण करना मुख्यतः राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। फिर भी भारत सरकार उन्नत बीजों के लिए कार्यक्रम तैयार करने और उनके क्रियान्वयन के विषय में राज्यों का मार्गदर्शन करती रही है। राष्ट्रीय बीज निगम, तराई विकास निगम तथा भारतीय राज्य फार्म निगम आदि अखिल भारतीय बीज उत्पादन संगठन स्थापित किए गए हैं और ये संगठन राज्य सरकारों के उन्नत बीज उत्पादन कार्यक्रम में सहायता प्रदान करते हैं। भारत सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सहयोग से मूल बीजों के उत्पादन के लिए कार्यक्रम तैयार करती है। इनके अतिरिक्त, राज्यों के कृषि विभाग, सहकारी समितियां तथा प्राइवेट उत्पादक आदि अनेक एजेंसियां बीजों के उत्पादन तथा वितरण का कार्य करती है। सामान्य वर्ष में ये एजेंसियां प्रायः फसलों की अधिक उत्पादनशील किस्म उगाने वाले क्षेत्रों के लिए किसानों की बढ़िया बीजों की मांग को पूरा करती रहती है। सूखा तथा बाढ़ आदि के प्राकृतिक संकट उत्पन्न होने पर बीजों की किसी भी प्रकार की अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए भारत सरकार राज्य सरकारों के परामर्श से बीजों के रूप में प्रयोग करने के लिए अंकुरण और शुद्धता की दृष्टि से उपयुक्त परीक्षण करने के बाद अच्छी किस्म का अन्न देने की व्यवस्था करती है। भारत सरकार और राज्य सरकारों ने राज्य में बीज उत्पादन एजेंसियों की स्थापना को प्रोत्साहित करके और बीज अधिनियम को कठोरता से लागू करके उन्नत बीज कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

मध्य प्रदेश में वनस्पति घी बनाने वाली मिलों की लाइसेंस-प्राप्त उत्पादन क्षमता और वास्तविक उत्पादन

3011. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य में वनस्पति घी बनाने वाली मिलों की संख्या और नाम क्या हैं;

(ख) उनकी लाइसेंस प्राप्त उत्पादन क्षमता कितनी है और उनमें गत वर्ष प्रति मास वास्तव में कितना उत्पादन हुआ है;

(ग) मध्य प्रदेश राज्य में वनस्पति की मासिक आवश्यकता कितनी है; और

(घ) सरकार ने यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की है कि बाजार में वनस्पति उपलब्ध हो ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) दो—(1) मालवा वनस्पति एण्ड कैमिकल लि०, इन्दौर, तथा (2) मानसिंधका आयल मिल्स, खंडवा।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) लगभग 2500 मीटरी टन।

(घ) अन्य राज्यों की तरह उद्योग ने उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरित करने के लिए अपनी सारी पैदावार राज्य सरकार को पेश की है।

विवरण

(मीटरी टन)

	मैं० मालवा वनस्पति एंड कैमिकल कं० लि०, इन्दौर	मैं० मानसिंघका आयल मिल्स, खंडवा
लाइसेंस शुदा क्षमता (प्रतिमास)	2,500	1,250
उत्पादन		
नवम्बर, 1972	880	810
दिसम्बर, 1972	1,170	750
जनवरी, 1973	540	705
फरवरी, 1973	285	750
मार्च, 1973	921	700
अप्रैल, 1973	1,085	450
मई, 1973	1,055	645
जून, 1973	680	660
जुलाई, 1973	901	530
अगस्त, 1973	911	665
सितम्बर, 1973	831	510
अक्तूबर, 1973	978	450

गत तीन वर्षों में सरसों के तेल के मूल्यों में हुई वृद्धि

3012. **श्री मार्तण्ड सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 से 1973 तक सरसों के तेल के मूल्यों में कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई है;

(ख) इसके क्या कारण है; और

(ग) इस वृद्धि को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) निम्नलिखित सारणी में वर्ष 1970 से सरसों के तेल के थोक मूल्यों के अखिल-भारतीय सूचकांकों में होने वाली प्रतिशत विभिन्नता दी गई है :—

वर्ष	पिछले वर्ष की तुलना में मूल्य सूचकांकों में होने वाली प्रतिशत विभिन्नता
1970	(+) 19.4
1971	(—) 2.1
1972	(+) 7.7
1973 (जनवरी-अक्तूबर)	(+) 23.1*

*वर्ष 1972 की तदनुरुपी अवधि की तुलना में हुई प्रतिशत वृद्धि।

(ख) देशी उपलब्धि तथा मांग के मध्य होने वाले अन्तर के कारण देश में खाद्य तिलहनों तथा तेल के मूल्यों का रुख ऊपर की ओर आ रहा है। जनसंख्या तथा आय में होने वाली वृद्धि के फलस्वरूप मांग धीरे-धीरे बढ़ रही है। इससे सरसों के तेल के मूल्यों पर भी प्रभाव पड़ा है।

(ग) देश में सरसों के तेल वानस्पति तिलहनों तथा तेलों की उपलब्धि को बढ़ाने के लिये अनेक कदम उठाये गये हैं। इन कदमों में तोरिया तथा सरसों, सोयाबीन तथा सूरजमुखी के बीजों जैसे अन्य परम्परागत तथा गैर-परम्परागत तिलहनों का उत्पादन बढ़ाना, तोरिया तथा तोरिया के बीजों का तेल एवं अन्य खाद्य तेलों तथा चर्बी के आयात के माध्यम से यथा संभव सीमा तक सप्लाई बढ़ाना, वनस्पति के निर्माण में अन्य पूरक तेलों का उपयोग करके सरसों के तेल तथा मूंगफली के तेल के उपयोग को नियंत्रित करना, बिनौले तथा चावल की भूसी की अधिक पिराई करना तथा उनके तेलों के उपयोग को प्रोत्साहन देना और वृक्षमूलक लघु तिलहनों के अधिक उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है।

वारांगल, आंध्र प्रदेश में सामूहिक कृषि समितियां

3013. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के वारांगल जिले में 6,000 एकड़ क्षेत्र में और 1,000 सदस्यों वाली ग्यारह सामूहिक कृषि समितियां कार्य कर रही हैं; और

(ख) क्या इन कृषि समितियों ने बेरोजगारी दूर करने में सहायता की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और राज्य सरकार से प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

औषध निर्माता फर्मों द्वारा ब्रांड नामों के अंतर्गत औषध सूत्रों का विक्रय

3014. **श्री के० एस० चावड़ा : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस देश में औषध सूत्रों का विक्रय ब्रांड नामों के अंतर्गत होता है;

(ख) क्या भारतीय औषध उद्योग के लिए इस देश में कार्य कर रही बहु-राष्ट्रीय औषध फर्मों से स्पर्धा करना कठिन है क्योंकि उनके विज्ञापन का बजट भारी होता है और उनके सूत्र विश्व विख्यात ब्रांड नामों के होते हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार औषध सूत्रों के ब्रांड नामों को समाप्त करने की वांछनीयता पर विचार करने अथवा इसके विकल्प के रूप में बहु राष्ट्रीय फर्मों को अपने सूत्रों को नये ब्रांड नामों के अंतर्गत बेचने के लिए कहने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी हां। फिर भी, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली के अनुसार बिक्री और वितरण के प्रयोजन की सभी औषधियों पर जिनमें एकायत्त औषधियां भी सम्मिलित हैं अन्य बातों के साथ-साथ उस पदार्थ के सही सही नाम का लेबल लगा होना चाहिए जो लेबल पर तथा किसी भी अन्य कवरिंग पर जिसमें वह पात्र पैक किया हुआ हो उतने ही साफ अक्षरों में लिखा हुआ हो जितने में उसका एकायत्त नाम, यदि कोई हो, छपा या लिखा हुआ हो।

(ख) इस संबंध में अभ्यावेदन मिले हैं।

(ग) पेट्रोलियम और रसायन, विधि एवं न्याय और औद्योगिक विकास मंत्रालयों के परामर्श से इस विषय पर विचार किया जा रहा है।

आदर्श सुपारी बागों तथा नमूनों प्लाटों (डिमान्स्ट्रेशन प्लाट) का बनाया जाना

3015. **श्री के० मालन्ना :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आदर्श सुपारी बांगों, नमूना प्लाटों के बनाये जाने तथा उद्योग के विकास के लिये केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत संस्थागत अभिकरणों के माध्यम से ऋण की व्यवस्था करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत सुपारी के विकास के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) गोवा में सुपारी के लिए डिमान्सट्रेशन प्लाटों की स्थापना :

प्रदर्शन केन्द्र के रूप में काम करने के लिए चौथी योजना में गोवा में 0.25 लाख रुपये की लागत से लगभग 2 हैक्टर के एक आदर्श बाग की स्थापना की गई है।

(2) असम में सुपारी के लिए डिमान्स्ट्रेशन प्लाटों की स्थापना :

असम में सिफारिश किए गए खेती, खाद तथा पौध संरक्षण संबंधी कार्यों के बारे में सुपारी उत्पादकों को शिक्षित करने के लिए 40 डिमान्स्ट्रेशन प्लाटों की स्थापना की गई है। यह योजना 1970-71 से 0.63 लाख के परिव्यय से चलाई जा रही है।

(3) करनाटक में पैकेज कार्यक्रम (स्टाकिंग) :

यह योजना करनाटक के सघन खेती पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिए 1972-73 से शुरु की गई है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार संख्यात्मक एजेंसियों के माध्यम से विभिन्न आदानों के लिए किसानों को ऋण देती है और भारत सरकार तकनीकी पर्यवेक्षी कर्मचारियों का खर्च वहन करती हैं।

Increase in Salary of Government Employees not in Proportion to Rise in Price of Rationed Articles.

3016. **Shri Chandulal Chandrakar:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state;

(a) whether Delhi Administration has increased prices of the rationed articles;

(b) whether besides price-hike in non-rationed commodities, increase in the prices of rationed articles is much more than increase in the salaries of the Government employees; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) to (c) There is no satutory rationing in Delhi. Consequent upon the upward revision in the procurement prices, the issue prices of foodgrains released to the State Governments from the Central stocks for the public distribution system have been increased on a uniform basis all over the country, including the Union Territory of Delhi. With the increase in the issue prices, the burden of subsidy and deficit financing is expected to be partially reduced. The revision may not, therefore, have any significant impact on the general price level.

ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में परिवार नियोजन की उपलब्धियां

3017. **श्री विश्व नाथ झुनझुनवाला:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह पता लगाने के लिये कोई अध्ययन किया गया है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में परिवार नियोजन उपायों के लिए सरकार द्वारा अब उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के प्रति विभिन्न आयुवर्ग और वेतनवर्ग के लोगों में कैसी प्रतिक्रिया रही है;

(ख) यदि हां, तो किये गये अध्ययन के निष्कर्ष क्या है और क्या इसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) इस अध्ययन के अनुसार विरोध वाले क्षेत्र कौन-कौन से हैं और इस स्थिति को सुलझाने के लिये और वास्तविक सफलता प्राप्त करने के लिये अब क्या कार्यवाही की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) ऐसे कई अध्ययन किये गये हैं जिनसे अन्य बातों के साथ साथ विभिन्न आयुवर्ग और वेतनवर्ग के लोगों द्वारा सापेक्षित दृष्टि से परिवार नियोजन अपनाये जाने के संबंध में सामग्री उपलब्ध होती है।

(ख) हाल ही में राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर किये गये कुल अध्ययनों के सुसंगत निष्कर्ष संलग्न हैं। [ग्रंथालय में रखे गये/देखिये संख्या एल० टी० 5889/73]

(ग) परिवार नियोजन को अपनाने के संबंध में कोई संगठित विरोध नहीं है। तथापि और अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिये कार्यक्रम को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और सामान्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों के साथ सभी स्तरों पर एकीकृत करके सुदृढ़ बनाया जा रहा है।

उर्वरकों की बिक्री पर व्यापारी का कमीशन बढ़ाने का प्रस्ताव

3018. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की बिक्री पर व्यापारियों का कमीशन बढ़ाने के सम्बन्ध में सरकार को कोई प्रस्ताव मिला है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का स्वरूप क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने उस पर कोई निर्णय किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) सहकारी संस्थायें तथा अन्य संस्थागत एजेन्सियां कुछ समय से अनुरोध कर रही थीं कि सम्बन्धित राज्यों के कुछ विनिर्माता उन्हें वितरण के लिए उचित कमीशन नहीं दे रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने उर्वरक वितरण सम्बन्धी अपनी अंतरिम रिपोर्ट में भी विरतरण कमीशन के विषय में संशोधन करने की सिफारिश की थी।

(ग) अन्य बातों के साथ-साथ वितरण सम्बन्धी कमीशन में संशोधन करने का मामला श्री एम० ए० कुरेशी की अध्यक्षता में नियुक्त की गई समिति को सौंपा गया था। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार इसकी सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात आवश्यक कार्यवाही करेगी।

उड़ीसा भूमि सुधार विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति

3019. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रपति ने हाल ही में उड़ीसा भूमि सुधार विधेयक पर अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस कानून को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिये क्या विशेष कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के कानून की क्रियान्विति के लिये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नियम बनाए जा चुके हैं। भरी गई विवरणियों की जांच-पड़ताल की जा रही है और विभिन्न गांवों, तालूकों और जिलों में फैली हुई जोतों के मामले में कुल क्षेत्र का पता लगाने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। राजस्व के अनिर्णित मामलों को निपटाने और अधिकार सम्बन्धी अभिलेखों को अद्यतन बनाने के लिये भी निर्देश दिए गए हैं। भूमि सुधारों की प्रगति की संवीक्षा करने और तहसील स्तर पर अधिशेष भूमि के वितरण के लिये तहसील सलाहकार समितियां स्थापित की जा रही हैं।

विवरण

संशोधित कानून के अन्तर्गत परिवार को एक यूनिट मानते हुए भूमि की अधिकतम सीमा 10 से 45 एकड़ तक निर्धारित की गई है। राष्ट्रीय मार्गदर्शन के अनुरूप इसमें वनरोपण, वाणिज्यिक या औद्योगिक उपक्रमों, कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि कालेजों और स्कूलों कृषि अनुसन्धान करने वाली संस्थाओं और विशेषाधिकार प्राप्त रैयतों (जिसमें सहकारी समितियां, पूरी के 'लार्ड जगन्नाथ' और उनका मन्दिर सरकारी ट्रस्ट और अन्य संस्थाओं तथा सरकारी वित्तीय संस्थायें शामिल हैं) को छूट दी गई है। अधिशेष भूमि का वितरण करने में भूमिहीन कृषि श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाती है और कम से कम 70 प्रतिशत अधिशेष भूमि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों को गांव में उनकी आबादी के अनुपात से अलाट की जाएगी।

पट्टेदारों को रैयत के दर्जे के लिये अभ्यावेदन देने के लिये संशोधित अधिनियम, 1973 के लागू होने की तारीख से दो वर्ष का समय दिया गया है और उस तारीख से किसी पट्टेदार को बेदखल नहीं किया जा सकता। किराया धारा 13 में निर्धारित दर से अर्थात कुल उपज या उसके मूल्य की चौथाई अथवा अनुमानित उपज की चौथाई की दर से देय होगा। वैधता के लिये यह आवश्यक है कि पट्टेदारी का अभ्यार्पण तथा त्याग लिखित में होना चाहिए और उसे राजस्व अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। ऐसी भूमि सरकार को सौंप दी जानी चाहिए ताकि वह उस भूमि पर योग्य व्यक्ति बसा सके। अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों द्वारा अभ्यर्पित या छोड़ी गई भूमि पर अनुसूचित जन-जातियों के सदस्य बसाए जाने चाहियें और ऐसे व्यक्ति उपलब्ध न होने पर अधिनियम की धारा 51 में विहित प्राथमिकता के अधार पर व्यक्ति बसाए जाने चाहियें।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में सूखे से हुई हानि

3020. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में विशेष रूप से बलिया में बाढ़ से पूर्व भारी सूखा पड़ा था; और

(ख) इन जिलों में भारी सूखे के परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी॰ शिन्दे) : (क) इस वर्ष बलिया सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछेक जिले सूखाग्रस्त हुए थे।

(ख) मुख्यतः धान, मक्का, सांवां और कोदों की फसलें प्रभावित हुई थीं। तथापि, जुलाई, 1973 के अन्त में वर्षा होने से बाजरा, मघई, धान आदि की फसलों को फायदा पहुंचा था। अगस्त और सितम्बर, 1973 में उत्तर प्रदेश में वर्षा हुई थी जिससे खड़ी फसलों को लाभ पहुंचा था।

Incentives to Regional Languages in States under President's Rule

3021. **Shri Rana Bahadur Singh:**
Shri Shiv Kumar Shastri:

Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state;

(a) whether Government have received reports to the effect that regional languages in the States under President's Rule are not being afforded incentives; and

(b) If so, the reaction of Government thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) The Ministry of Education and Social Welfare and Department of Culture have not received any such complaints.

(b) Does not arise.

जहाजों और जलयानों में आत्म-निर्भरता

3022. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश को जहाजों (शिप) और जलयानों (वैसल) की आवश्यकताओं के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के हेतु पोत निर्माण के लिये एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो योजनाओं की रूपरेखा क्या है और प्रत्येक पोत-प्रांगण की स्थापना या विस्तार का परिव्यय क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) उद्देश्य छटी योजना के अन्त तक जहाजों की आवश्यकताओं में बड़े पैमाने में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। पांचवीं योजना में जहाज निर्माण के अस्थायी कार्यक्रम को मौजूदा शिपयार्डों का विस्तार करना है जिसमें निर्माणाधीन कोचीन शिपयार्ड शामिल है इसके अलावा, दो नये शिपयार्डों को शुरू करने का प्रस्ताव है। योजना आयोग पांचवीं योजना में जहाज निर्माण क्षेत्र के लिये अस्थायी रूप से 160 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने की सोच रहा है।

सुपारी के मूल्यों में अस्थिरता

3023. **श्री के० माल्लना :**
श्री ए० के० गोपालन :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपारी के मूल्यों में अस्थिरता के कारण उत्पादकों को कम मूल्य मिल रहे हैं और वे दूसरी फसलें उगा रहे हैं;

(ख) मूल्यों में उतार चढ़ाव को कम करने तथा उत्पादकों को सुपारी के उचित मूल्य की गारन्टी देने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है; और

(ग) क्या टर्मिनल बाजार में सुपारी की मांग कम होने के परिणामस्वरूप बाजार में बड़ी मात्रा में परिष्कृत सुपारी आ जाने से फसल आमदन काल के दौरान सुपारी की सभी किस्मों के औसत मासिक थोक मूल्यों में प्रायः गिरावट आ जाती है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) मूल्यों में अस्थिरता होने के बावजूद भी सुपारी उत्पादकों द्वारा सुपारी की फसल को छोड़ कर दूसरी फसल उगाने का कोई मामला सामने नहीं आया है।

(ख) सुपारी उत्पादकों को उचित मूल्य की गारंटी देने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:—

केरल तथा कर्नाटक राज्यों ने (जो सुपारी का उत्पादन करने वाले दो प्रमुख राज्य हैं) वर्तमान विपणन की व्यवस्था में सुधार करने की दृष्टि से एक केन्द्रीय सुपारी विपणन तथा परिसंस्करण फेडरेशन की स्थापना की है, ताकि सुपारी उत्पादक अपने उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त कर सकें ।

(2) सुपारी की खपत बढ़ाने की दृष्टि से इसके उपयोग को व्यापक बनाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं ।

(3) सुगंधित सुपारी के निर्यात के लिये नई मंडियां तलाश करने के बारे में भी प्रयास किये जा रहे हैं ।

(4) सुपारी के उत्पादन के क्षेत्र के विस्तार को निरूत्साहित किया जा रहा है ।

(ग) जी हां ।

केरल में सुपारी बागानों के लिए उचित संरक्षण और सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था

3024. **श्री के० मालन्ना :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुपारी का उत्पादन करने वाले केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों के हित में सुपारी बागानों को नया जीवन देने और उचित संरक्षण तथा सिंचाई सुविधाओं को प्रदान करने तथा वर्तमान सुपारी बागानों का सुधार करने के लिए कौन सी शीघ्र और प्रभावकारी कार्यवाही करने का सरकार का विचार है; और

(ख) उत्पादकों को अधिकतम लाभ दिलाने में बाधा बने हुए सुपारी के व्यापार में लगे बिचौलियों को समाप्त करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) सुपारी के विकास के लिये विशेष उपाय करने के संबंध में भारत सरकार का कोई विचार नहीं है । तथापि, राज्य सरकारें इसकी सघन खेती के लिए अपने पैकेज विकास कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में सुपारी उत्पादकों को सुपारी की अच्छी किस्म की पौद, वनस्पति रक्षण रसायन तथा उपकरण और सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करने के लिए कदम उठा रही हैं ।

(ख) बिचौलियों को समाप्त करने की दृष्टि से राज्य सरकारें, सहकारी समितियों तथा नियंत्रित बाजारों के माध्यम से सुपारी का विपणन करने के लिए कदम उठा रही है । केरल तथा कर्नाटक राज्य सरकारों ने (जो दो प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य हैं) सुपारी की खरीद, उसके भंडारण तथा विक्रय और उत्पादकों के लाभ के लिए विपणन कार्य और सुदृढ़ बनाने के लिए संयुक्त रूप से केन्द्रीय सहकारी सुपारी विपणन एवं परिसंस्करण लिमिटेड नामक एक संस्था की स्थापना की है । इस संस्था का मुख्यालय मंगलौर में है ।

टैट्रा-पाक के निर्माण के लिए मशीनरी का आयात

3025. **श्री वसन्त साठे :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि समृद्धशाली देश, जो "ट्रेट्रा" पाक का प्रयोग कर रहे थे, फिर से अब शीशे की बोतलें बना रहे हैं क्योंकि ट्रेट्रा-पाक को स्वास्थ्य के लिए गम्भीर रूप से खतरनाक पाया गया है;

(ख) क्या सरकार ट्रेट्रा-पाक सिंगल सर्विस कंटेनर के निर्माण के लिये मशीनरी का आयात कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की मशीनरी के आयात के लिये अब तक कितनी पूंजी निवेश किया गया है और चालू वर्ष में इस पर कितना व्यय किया जायेगा; और

(घ) क्या मशीनरी के आयात करने सम्बन्धी निर्णय से ग्लास उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और इसको दूर करने के लिये क्या पूर्वोपाय किये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) यह कहना ठीक नहीं है कि ट्रेट्रा-पैक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है और इस वजह से समृद्धशाली देश फिर से ग्लास की बोतलों का प्रयोग शुरू कर रहे हैं । वास्तव में अनेक समृद्धशाली देशों, विशेषकर योरोपीय देशों में एक ही बार प्रयोग में आने वाले आधानों को अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है ।

(ख) और (ग) एक ही बार प्रयोग में आने वाले ट्रेटा-पैक के आधानों के निर्माण के सम्बन्ध में सरकार को अभी अंतिम निर्णय करना है । आयात किए जाने वाले कल-पुर्जों की कुल लागत लगभग 90 लाख रु० होने की संभावना है । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसी मशीनरी के आयात पर कोई व्यय होने की संभावना नहीं है ।

(घ) जब कभी भी ट्रैट्रा-पैक का प्रचलन होगा, उससे ग्लास उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है । भावी दुग्ध आपूर्ति की केवल मात्र थोड़ी-सी मात्रा ही इन आधानों में की जाएगी और बोतलों का भी अधिकाधिक संख्या में प्रयोग जारी रहेगा ।

Utilisation of Irrigation Potential of Gandak Scheme

3026. **Shri K.M. Madhukar :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the irrigation potential of the Gandak Scheme is not being fully utilised due to field channels lagging much behind and having not been made a part of the scheme itself and the authorities of the Gandak project not paying attention to it; and

(b) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) & (b) : The Gandak barrage was completed by 1970. The Main Western and Eastern Canals started creating partial potential since then. The canal systems are scheduled to be completed by 1977. The created potential and utilisation by March, 1972, were 0.6 lakh ha. and 0.29 lakh ha. in U.P. and 1.58 lakh ha. and 0.5 lakh ha in Bihar respectively.

Delay in the construction of Water courses and field channels is one of the several factors which has led to the under-utilisation of the irrigation potential.

Steps are proposed to be initiated during the Fifth Plan for taking up an integrated area development programme in the selected irrigation commands of which construction of water courses and field channels would constitute an important component.

फासफेटिक उर्वरक

3027. **श्री रानेन सेन :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फासफेटिक उर्वरकों की सप्लाई की तुलना में इनकी मांग प्रति वर्ष बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या और अधिक स्रोतों का पता लगाने का प्रयास किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं। गत तीन वर्षों के दौरान फासफेटिक उर्वरकों की मांग तथा खपत के आंकड़ों से पता चलता है कि सामान्यतः फासफेटिक उर्वरकों की खपत में फासफेटिक उर्वरकों की सप्लाई की तुलना में अपेक्षाकृत कम दर पर वृद्धि हुई है :–

(लाख मीटरी टनों में)

वर्ष	फासफेटिक उर्वरकों की सप्लाई	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	फासफेटिक उर्वरकों की खपत	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
1970-71	6.17	--	5.41	--
1971-72	7.40	19.9	5.58	3.1
1972-73	8.27	11.7	5.81	4.1

केवल इस वर्ष हम फासफेटिक उर्वरकों की सप्लाई में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गाय गोबर गैस-संयंत्र चालू करना

3028. **श्री मधु दण्डवते :**
श्री जी० वाई० कृष्णन् :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक की अपर्याप्त सप्लाई को ध्यान में रखते हुये सरकार गाय गोबर गैस संयंत्र को चालू करने तथा कृषि भूमि के लिये गन्दे पानी का यथासंभव अधिक प्रयोग करने के लिये कृषि वैज्ञानिकों द्वारा प्रारम्भ किये गये राष्ट्रव्यापी अभियान को और व्यापक बनाएगी; और

(ख) क्या गाय गोबर संयंत्रों से कुकिंग गैस प्राप्त करने तथा अवशिष्टों को खाद के रूप में प्रयोग में लाने के लिये सरकार समेकित योजना पर विचार कर रही है ?

कृषिमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) जी हां। पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान क्रियान्वयन के लिये स्थानीय खाद संबंधी संसाधनों के विकास का एक

व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है। इसमें जलमल गंदे पानी से सिंचाई और या गाय गोबर गैस संयंत्र लगाने का कार्यक्रम शामिल है। केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत कार्बनिक खादों के विकास के लिये 9 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकारों ने भी पांचवीं पंचवर्षीय योजना में राज्यों की योजनाओं के अन्तर्गत इस कार्य के लिये 9 करोड़ रुपये की व्यवस्था है की है।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग और राष्ट्रीयकृत बैंकों की सहायता से गाय गोबर गैस संयत्र लगाने के कार्यक्रम में तेजी लाई जा रही है।

मध्य प्रदेश के लिए सिंचाई परियोजना

3029. **श्री रणबहादुर सिंह:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के लिये रिर्जव बैंक ऑफ इण्डिया और कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा वित्तीय सहायता प्रदत्त 45 करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजना की स्वीकृति दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का कार्य कब से आरम्भ होगा तथा यह कब तक पूरी हो जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) तथा (ख) मध्य प्रदेश के लिये, ऐसी कोई योजना मंजूर नहीं की गई है जिसके लिये रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया तथा कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा संयुक्त रूप से वित्तीय सहायता दी जानी हो।

लघु सिंचाई की सुविधाओं के विकास के लिये मध्य प्रदेश में एक ऋण परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। यह परियोजना अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (विश्व बैंक से संबद्ध) की सहायात से क्रियान्वित हो रही है और इस पर 45.22 करोड़ रूपये की रकम व्यय होगी। इस उद्देश्य के लिये कृषकों को भूमि विकास बैंकों या वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से ऋण दिया जाता है, इन बैंकों को कृषि पुनर्वित्त निगम से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। 10 अक्तूबर 1973 से प्रारम्भ होने वाली इस परियोजना की अवधि तीन वर्ष है आशा है यह परियोजना दिसम्बर, 1976 के अन्त तक पूर्ण हो जायेगी।

उर्वरकों की चोर बाजारी के बारे में शिकायतें

3030. **श्री पीलू मोदी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसानों ने उर्वरकों में चोर बाजारी की शिकायतें की हैं;

(ख) क्या इन शिकायतों को सरकार के नोटिस में लाया गया है;

(ग) क्या सरकार ने इन शिकायतों की जांच की है और यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) किसानों को निर्धारित मूल्यों पर उर्वरक बेचने के लिये यदि कोई प्रयास किये गये हैं, तो वे क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) से (ग) उर्वरकों की चोर बाजारी के संबंध में कृषकों तथा अन्य व्यक्तियों से कुछ किकायतें प्राप्त हुई हैं। ये शिकायतें आवश्यक कार्यवाही के लिये शीघ्र ही संबंधित राज्य सरकारों के पास भेज दी गई थी क्योंकि उर्वरक नियंत्रण आदेश,

1957 के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिये वे ही उत्तरदायी हैं। राज्य सरकारों को अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत दुराचार करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त अधिकार दिये गये हैं। उर्वरकों की चोर बाजारी तथा अधिनियम के अन्तर्गत अन्य अपराधों के मामलों में की गई कार्यवाही के संबंध में भी राज्य सरकारों से समय-समय पर रिपोर्ट प्राप्त की जाती है।

(घ) तीन प्रमुख नाइट्रोजनीय उर्वरकों, अर्थात यूरिया, अमोनियम सल्फेट तथा कैलशियम अमोनियम नाइट्रेट के खुदरा मूल्य, उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1957 के अंतर्गत निर्धारित किये गये हैं। अतः इन तीनों उर्वरकों को कानूनी मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचना एक दण्डनीय अपराध है, जिसके लिये सख्त सजा की व्यवस्था की गई है। सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिये भी कदम उठाये हैं कि देश में तैयार हुए तथा आयातित उर्वरकों की अधिक-से-अधिक मात्रा की सप्लाई सहकारी संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक वितरण एजेन्सियों के माध्यम से की जाये, ताकि कृषकों को ये तीनों उर्वरक तथा अन्य उर्वरक निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध हो सकें।

किसानों द्वारा जिप्सम की मांग

3031. **श्री डी० डी० देसाई:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि की क्षारीयता को दूर करने के लिए किसानों द्वारा जिप्सम की भारी मांग की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय उर्वरक निगम ने जिप्सम की सप्लाई आरम्भ कर दी है; और

(ग) भारतीय उर्वरक निगम का जिप्सम का लागत मूल्य क्या है और इसका विक्रय मूल्य क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) भारतीय उर्वरक निगम की जिप्सम की अनुमानित लागत नीचे दी जा रही है :—

(i)	60 मेश का जिप्सम चूर्ण 50 किलो ग्राम (सूरतगढ़ स्टेशन से लदान होने पर) के पोलिथीन के पुराने थैलों में बन्द।	88 रुपये प्रति मीटरी टन
(ii)	60 मेश के जिप्सम चूर्ण 50 कि० ग्रा० (सूरतगढ़ स्टेशन से लदान होने पर) के पोलिथीन के नये टाट के बोरों में बन्द।	110 रुपये प्रति मीटरी टन

उपर्युक्त लागत में भाड़ा शामिल नहीं किया गया है, जो औसतन 35 रुपये प्रति मीटरी टन होता है।

प्रथम सेल—शीर्ष के लिये पंजाब तथा हरियाणा के जिप्सम के वर्तमान विक्रय मूल्य नीचे दिये जा रहे हैं :—

(i)	60 मेश का जिप्सम चूर्ण 50 कि० ग्रा० (सूरतगढ़ स्टेशन से लदान होने पर) के पोलिथीन के पुराने टाट के बोरों में बन्द	115 रुपये प्रति मीटरी टन

(ii) 60 मेश का जिप्सम चूर्ण 50 कि० ग्रा० (सूरतगढ़ स्टेशन से लदान होने पर) के पोलिथीन के नये टाट के बोरों में बन्द। 126 रुपये प्रति मीटरी टन

इसमें रेल–भाड़ा भी शामिल है ।

कंटाई, पश्चिम बंगाल में नलकूपों को बिजली देना

3032. **श्री समर गुह :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंटाई सब-डिवीजन के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के अन्य भागों में वैकल्पित फसलें सुनिश्चित करने हेतु नहर का जल लिफ्ट करने आदि के लिये नलकूपों शैलों, नलकूपों और पम्पों को बिजली देने के लिये कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार कन्टाई सब-डिवीजन के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों और मिदनापुर के अन्य भागों में वैकल्पिक फसलें उगाने हेतु ऐसे सिंचाई सम्बन्धी उपाय करेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) जी हां । कंटाई सब-डिवीजन और पश्चिम बंगाल में मिदनापुर के अन्य भागों के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में, जहां ऐसे विकास कार्य शुरू किए गए हैं गहरे नलकूपों, उथले नलकूपों और नदी उठाऊ योजनाओं में पम्प सैटों के लिये बिजली की व्यवस्था करने के लिये कदम उठाए गए हैं । मिदनापुर ज़िले में 152 गहरे नलकूप लगाए गए हैं जिनमें से 127 के लिये बिजली की व्यवस्था की जा चुकी है । कंटाई सब-डिवीजन में 12 गहरे नलकूप लगाए गए हैं जिनमें से 10 नलकूपों के लिये बिजली दी जा चुकी है और शेष दो के लिये बिजली देने के लिये कार्यवाही की जा रही है। मिदनापुर ज़िले में 187 उथले नलकूप लगाए गए हैं जिनमें से 12 नलकूप कंटाई सब-डिवीजन में स्थित हैं । इन सभी को बिजली दी जा चुकी है । नदी उठाऊ सिंचाई योजनाओं की संख्या 212 है जिनमें से 8 योजनाएं कंटाई सब-डिवीजन में स्थित हैं । ये सभी योजनाएं शुरू हो चुकी हैं, 5 बिजली से और शेष डीज़ल से चल रही हैं ।

(ग) कंटाई सब-डिवीजन और मिदनापुर ज़िले के अन्य भागों के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में जल की सम्भाव्यता का पता लगाने के लिये अन्वेषण किए जा रहे हैं और परिणाम प्राप्त होने के बाद भूमिगत जल के माध्यम से सिंचाई योजनाओं को शुरू करने के लिये आगे कार्यक्रम लागू किए जाएंगे । कंटाई क्षेत्र में नदी उठाऊ योजनाओं के लिये बहुत थोड़ी गुंजाइश है क्योंकि अधिकांश नदियां वर्ष भर की सूखी अवधि में क्षारीयता प्राप्त करती रहती हैं ।

स्वतंत्रता सेनानियों की परिचय पुस्तिका

3033. **श्री के० मालन्ना :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की परिचय पुस्तिका छापने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या मानदंड अपनाये हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) मंत्रालय ने "भारतीय शहीदों का परिचय" के तीन खण्ड पहले ही प्रकाशित कर दिये हैं, जिसमें लगभग 10,000 शहीदों का जीवन-चरित्र दिया गया है ।

चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा रिहायशी प्लाटों की नीलामी

3034. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर के तीसरे सप्ताह में चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा रिहायशी प्लाटों की नीलामी की गयी थी;

(ख) क्या यह नीलामी पिछले अवसरों पर "फ्रीहोल्ड" की बजाय "लीज होल्ड" आधार पर की गई थी;

(ग) इस प्रकार कितने प्लाटों की नीलामी की गयी थी और इस अवसर पर भूमि की दरों के सबसे अधिक होने के क्या कारण हैं; और

(घ) चंडीगढ़ में इस प्रकर से भूमि के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि को रोकने के लिए क्या कार्य-वाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) जी, हां ।

(ग) नीलामी के लिए दिये गये 95 भू-खण्डों में से 92 भू-खण्ड बेचे गये प्राप्त हुआ प्रीमियम मई, 1971 में हुई पिछली नीलामी की अपेक्षा कुछ कम था ।

(घ) नीलामी को थोड़े-थोड़े समय के बाद करते रहने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

गोआ उर्वरक संयंत्र से आर्सेनिक अम्ल को छोड़ने के कारण मछलियों का मरना

3035. **श्री सी० जनार्दन :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ उर्वरक संयंत्र से अरब सागर के जल में आर्सेनिक अम्ल को छोड़ने से मछलियां मर गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच कराई गई है ; और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) उर्वर कारखाने से निकले गन्दे पानी के गिरने के स्थान पर कुछ मछलियां मरने के बारे में पता चला है। मछलियों के मरने के सम्भावित कारणों में से एक कारण यह गन्दा पानी भी समझा जाता है ।

राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान द्वारा जांच की गई है । जांच के निष्कर्षों के विषय में जानकारी प्राप्त होनी है । प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

शीघ्र जल सप्लाई करने का कार्यक्रम

3036. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शीघ्र जल सप्लाई करने का केन्द्रीय कार्यक्रम, जो गत दो वर्षों से चालू है और जिसमें चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लगभग 1.52 लाख गांव शामिल होने हैं, लक्ष्य से पिछड़ गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) निर्धारित अवधि के अन्दर इस कार्यक्रम को शीघ्र करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) राज्य शासनों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा ग्रामीण जलपूर्ति योजनाओं के कार्यान्वियन की गति को तीव्र करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने चौथी योजना के अन्तिम दो वर्षों के लिए त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति का एक कार्यक्रम अगस्त, 1972 में आरम्भ किया । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 14,978 ग्राभों की 56.09 करोड़ रुपये की लागत की जलपूर्ति योजनाओं की स्वीकृति उनको भेजी गई थी । आशा है कि ये योजनाएं वर्ष 1973–74 के अन्त तक पूरी हो जायेंगी ।

राज्य शासनों/संघ राज्य क्षेत्रों को इन योजनाओं के व्यय की पूर्ति के लिए वर्ष 1972–73 में 19.10 करोड़ रूपये का एक सहायक अनुदान दिया गया था । वित्तीय कठिनाई के कारण वर्ष 1973–74 में इन कार्यक्रमों के लिए केवल 15 करोड़ रुपये दिये गये थे । राज्य शासनों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी जा चुकी है कि वे व्यय को इन घटी हुई नियतनों के भीतर ही सीमित रखें। इन अधिशेष योजनाओं का पांचवीं योजना के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरा होने की आशा है ।

नेत्रहीन छात्रों को हो रही कठिनाइयां

3038. **श्री मधु लिमये : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा अन्यत्र नेत्रहीन छात्रों को हो रही कठिनाइयों के बारे में कोई ज्ञापन प्रधान मंत्री को मिला है ;

(ख) क्या उसमें दिये गये किसी सुझाव को सरकार ने मान लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां। दिल्ली के कुछ नेत्रहीन छात्रों ने मई, 1973 में अपनी कठिनाइयों के संबंध में प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन पेश किया था ।

(ख) और (ग) जी, हां । जिन नेत्रहीन विद्यार्थियों ने उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की परीक्षा पास की थी, उन में से कुछ को दिल्ली में दो स्वयंसेवी संगठनों द्वारा आवास दिया गया है । अन्य को विभिन्न कालेजों से संलग्न छात्रावासों में दाखिल कर दिया गया है । निम्नलिखित अन्य भागों की दिल्ली प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है :—

(1) नौकरी करने वाले नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए दिल्ली में छात्रावास स्थापित किया जाए ।

(2) एक—अधिनियम पास किया जाए जिसमें प्रत्येक ऐसे कार्यालय के लिए जिस में 20 या अधिक व्यक्ति हों, एक नेत्रहीन कर्मचारी को रखना अनिवार्य किया जाए ।

(3) दिल्ली प्रशासन को नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए कुछ नौकरियां तैयार करनी चाहिए ।

(4) नेत्रहीनों के स्कूलों के लिए कुछ टाइप राइटर दिए जाएं ।

राज्यों के लिए चीनी का आवंटन और आवश्यकता

3039. **श्री था किरुतिनन :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में चीनी की कुल कितनी आवश्यकता है और प्रत्येक राज्य के लिए कितना आवंटन किया गया है ; और

(ख) चीनी की कमी को पूरा करने के लिए और मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) भारत सरकार चीनी कारखानों से उनकी वार्षिक पैदावार की 70 प्रतिशत चीनी लेवी के रूप में लेती है और इसे मुख्यतः उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से समान मूल्य जोकि देश भर में दिसम्बर, 1972 से 2.15 रु० प्रति किलोग्राम रहा है, पर वितरित करने हेतु इस्तेमाल करती है । 1971 की जनगणना के आंकड़ों और 1967-68 तथा 1968-69 के दौरान, जब लेवी चीनी और खुले बाजार की चीनी के मूल्यों में काफी अन्तर था, लेवी चीनी की खपत के औसत आंकड़ों को ध्यान में रखने के बाद राज्यों को युक्ति-युक्त आधार पर लेवी चीनी का आवंटन किया जाता है । प्रत्येक मास सारे देश के लिए लेवी चीनी की कुल नियुक्ति पर निर्भर करते हुए आवंटनों में मामूली परिवर्तन किए जाते हैं; एक विवरण संलग्न है जिसमें 1973 के दौरान विभिन्न राज्यों को आवंटित की गई लेवी चीनी का ब्यौरा दिया गया है । [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5890/73] आशा है कि शेष आवश्यकताओं को खुले बाजार से पूरा किया जाएगा ।

सरकार द्वारा इस समय अपनायी गई आंशिक नियंत्रण की नीति तथा अधिक पैदावार करने पर उत्पादन शुल्क में रिबेट देने की योजना से 1972-73 के दौरान चीनी की पैदावार में वृद्धि करने में मदद मिली है और आशा है कि चालू मौसम में भी ऐसा ही होगा । इसके अलावा, यथा-सम्भव नये लाइसेंसशुदा कारखानों को शीघ्र चालू करने तथा मात्रा और किस्म की दृष्टि से गन्ने का विकास करने की दिशा में प्रयत्न किए जा रहे हैं । ये सभी उपाय करने से चीनी की उपलब्धता में वृद्धि होनी चाहिए और मूल्यों पर काबू पा लिया जाना चाहिए ।

दिल्ली में महात्मा गांधी तथा अन्य राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियों को लगाना

3040. **श्री श्याम नन्दन मिश्र :**

श्री समर गुहा :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियों को लगाने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये चुने गये विभिन्न स्थान कौन-कौन से हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, नहीं ।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिहार में बेकार पम्प सेट खरीद कर करोड़ों की हानि

3041. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूखे की स्थिति दूर करने हेतु बिहार में बेकार पम्प सैट खरीद कर करोड़ों रुपये बेकार व्यय किए गए ; और

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) खरीफ मौसम के दौरान सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए 1972–73 में हाथ में लिए गए आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम हेतु बिहार सरकार को दीर्घकालीन ऋण के रुप में 17.73 करोड़ रूपए की धनराशि दी गई थी । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इस योजना को सही रूप में कार्यान्वियन करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी । खरीदे गये पम्प सेटों के बारे में सूचना राज्य सरकार से मांगी गई है ।

दिल्ली के राशन इंस्पैक्टरों के विरुद्ध शिकायतें

3042. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73 में दिल्ली संघ शासित क्षेत्र के कितने राशन इंस्पैक्टरों के विरूद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें की गई हैं और कितने इंस्पैक्टरों के विरूद्ध जांच अभी भी विचाराधीन है तथा कितने इंस्पैक्टरों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ;

(ख) कितने ऐसे इंस्पैक्टर हैं जिनके विरूद्ध 1 अप्रैल, 1973 से कार्यवाही की गई है ; और

(ग) दिल्ली प्रशासन के राशनिंग विभाग कुल कितने राशनिंग इंस्पैक्टर हैं और उनके सुपुर्द कितनी औसत राशन/उचित दर दुकानें हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि 1972–73 के दौरान 9 निरीक्षकों के विरूद्ध भ्रष्टाचार करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थीं 5 के विरूद्ध कार्यवाही की गई थी, 3 के विरूद्ध विभागीय जांच की जा रही है और एक का मामला न्यायालय में लम्बित पड़ा हुआ है ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) कुल 178 राशनिंग निरीक्षकों में से, 139 को उचित मूल्य की दुकानों की जांच करने के लिए सर्कल में नियुक्त किया जाता है, एक निरीक्षक के चार्ज में औसतन 19 उचित मूल्य की दुकानें आती हैं ।

भारत में रेगिस्तानी टिड्डियों के होने और आने के बारे में रिपोर्ट

3043. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1945–70 की अवधि के लिये भारत में रेगिस्तानी टिड्डियों के होने और आने के बारे में रिपोर्ट प्रकाशित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री। (श्री अणासाहिब पी० शिन्दे) : (क) वर्ष 1945 से 1970 तक की अवधि के लिये टिड्डियों के संबंध में कोई समेकित रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई है । वनस्पति-रक्षण, संगरोध तथा संचयन निदेशालय टिड्डियों की स्थिति के विषय में पाक्षिक बुलिटिन जारी करता है। इसके अतिरिक्त, निदेशालय के क्रिया-कलाप, संबंधी वार्षिक रिपोर्ट में मरुभूमि की टिड्डियों के आक्रमण प्रभाव और टिड्डियों के संबंध में क्षेत्र अन्वेषणों के बारे में जानकारी दी जाती है ;

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

करनाल के क्षारीय क्षेत्रों को कृषि योग्य बनाना

3044. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करनाल जिले में 1.25 लाख हेक्टेयर क्षारीय क्षेत्रों को कृषि योग्य बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्यायोजित परियोजना आरम्भ की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) हरियाणा के पश्चिमी यमुना नहर क्षेत्र में मृदा तथा जल व्यवस्था की एक मार्गदर्शी परियोजना 11.50 लाख रुपये की कुल लागत पर वर्ष 1972-73 में केन्द्रीय क्षत्र की योजना के रूप में स्वीकृत की गई है। यह परियोजना 4 वर्ष की अवधि के लिये जारी रहेगी। इस मार्गदर्शी परियोजना का उद्देश्य मृदा और जल प्रबंध संबंधी कुशल पद्धतियों का प्रदर्शन करना लवणीय तथा क्षारीय क्षेत्रों में भूमि के सुधार के लिये अनुसंधान संबंधी निष्कर्षों का परीक्षण और इस प्रकार की विधियों के आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक होने के संबंध में अध्ययन करना है। यदि इस योजना के परिणामों को आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक पाया गया, तो क्षारता तथा लवणता से प्रभावित बड़े क्षेत्रों के सुधार के लिये इनका उपयोग किया जाएगा।

दिल्ली क्लाथ मिल द्वारा रथ के एक किलोग्राम के डिब्बे को अधिक संख्या में बाजार में देने के कारण

3045. **श्री विद्याधर बाजपेयी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े डिब्बों की अपेक्षा रथ के एक किलोग्राम के डिब्बे पर दिल्ली क्लाथ मिल को अधिक लाभ प्राप्त होता है;

(ख) क्या वे अधिकांशत: एक किलोग्राम के डिब्बे की ही बिक्री कर रहे हैं, जबकि लोगों को कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस साल अप्रैल से सितम्बर की अवधि के दौरान बेचे गये एक किलोग्राम के डिब्बों की संख्या का माहवार ब्यौरा क्या है और पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान बेचे गये एक किलोग्राम के डिब्बों की संख्या का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) दिल्ली क्लाथ मिल के लाभ कमाने के ऐसे हथकण्डों को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं । वनस्पति के नियंत्रित मूल्यों में पूंजी पर अनुमेय लाभ सभी प्रकार के डिब्बों के लिए एक ही है ।

(ख) जी नहीं । इस वर्ष अप्रैल से सितम्बर के दौरान इस फैक्ट्री द्वारा एक किलो के डिब्बे में बेची गई मात्रा, उसके कुल प्रेषणों का केवल 8.4 प्रतिशत थी ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ; तथापि, आपेक्षिक ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

	(हजार डिब्बे)	
	1973	1972
अप्रैल	129	149
मई	253	169
जून	274	174
जुलाई	355	138
अगस्त	264	182
सितम्बर	211	214

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सड़क परिवहन पर लगाई गई पूंजी और इससे आय

3046. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :**

श्री एम० कतामुतु :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सड़क परिवहन क्षेत्र में कितनी पूंजी लगी हुई है और सड़क परिवहन का विकास करने के लिये प्राइवेट परिवहन मालिकों को सरकार ने कितनी राशि ऋण के रूप में दी है ;

(ख) क्या सरकार ने सड़क परिवहन से प्राप्त आय के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ग) यदि हां, तो कितनी है ; और

(घ) सड़क परिवहन मालिकों से सरकार कितनी राशि आयकर के रूप में वसूल करती है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) 31 मार्च, 1972 तक सरकारी सड़क परिवहन उपक्रमों में लगाई गई पूंजी लगभग 340 करोड़ रूपये थी । इस उद्योग के गैर-सरकारी क्षेत्र को इसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं है । सड़क तथा जल परिवहन परिचालकों को स्टेट बैंक आफ इंडिया; राष्ट्रीयकृत कार्मशियल बैंकों तथा अन्य अनुसूचित काम-कार्मशियल बैंकों द्वारा वर्ष 1973 के मार्च तथा जून मास के अन्तिम शुक्रवार को बकाया अग्रिम राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । सड़क परिवहन परिचालकों के अलग से दी गई

अग्रिम राशियों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु, इन परिचालकों को भारी मात्रा में अग्रिम राशि दी गई है।

(ख) और (ग) अभी हाल में सरकार को सड़क परिवहन से हुई आय का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। परन्तु, उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार को मोटर गाड़ियों, टायरों और ट्यूबों, मोटर ईंधन, के आयात एवं सीमा शुल्क से तथा फीस, मोटर ईंधन की बिक्री से और मोटर गाड़ियों में ढोये गये यात्रियों/माल पर करों से वर्ष 1971-72 में कुल कर राजस्व 803.12 करोड़ रुपए या (केन्द्रीय सरकार को 544.83 करोड़ रुपए तथा राज्य सरकार को 258.29 करोड़ रुपए)।

(घ) चूंकि आयकर विभाग, सड़क परिवहन परिचालकों द्वारा दिये गये आयकर संबंधी अलग रिकार्ड नहीं रखता, अतः यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण

वर्ष 1973* के मार्च मास के अन्तिम शुक्रवार को सड़क एवं जल परिवहन परिचालकों को अग्रिम बकाया राशियां।

(रू० लाखों में)

	यूनिटों की संख्या	स्वीकृत सीमित राशि	बकाया राशि
1. स्टेट बैंक आफ इंडिया .	5236	1245.08	682.27
2. 14 राष्ट्रीयकृत बैंक . .	33739	7193.63	5212.24
3. अन्य अनुसूचित कार्माशियल बैंक .	6116	2034.09	1605.38
कुल . .	45091	10472.80	7499.89

वर्ष 1973 के जून मास के अन्तिम शुक्रवार को सड़क एवं जल परिवहन परिचालकों को अग्रिम बकाया राशि।

(रु० लाखों में)

	यूनिटों की संख्या	बकाया राशि
1. स्टेट बक आफ इंडिया . .	6266	828.7
2. 14 राष्ट्रीयकृत बैंक . .	36515	5422.2
कुल	42781	6250.9

*अस्थायी।

केदार बाग कालोनी, दिल्ली-35.

3047. **श्री हरी सिंह : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केदार बाग (मदन पार्क और धुन्ना मल पार्क) दिल्ली–35 की नियमित कालोनी में नालियों और सड़कों की ठीक ढंग से व्यवस्था नहीं की जा रही है जिससे इस क्षेत्र के निवासियों और सामान्य जनता को भी भारी असुविधा होती है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का विचार इनकी ठीक ढंग से व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही करने का है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) इस कालोनी का नियमित किया प्लान दिल्ली नगर निगम द्वारा वर्ष 1970 में अनुमोदित किया गया था । इस कालोनी में भवन निर्माण की अनुमति नहीं दी जा रही है क्योंकि यह मामला दिल्ली प्रशासन तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाना है ।

उपर्युक्त कालोनी में सेवाओं की व्यवस्था प्लाट होल्डरों द्वारा जमा कराये जाने वाले विकास प्रभारों में से की जानी है । तथापि, कुछ गलियों में सड़कों तथा नालियों जैसी कुछ नागरिक सुविधाएं प्रदान की गयी हैं जिनकी व्यवस्था दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली नगर निगम को नियमित की गई अनधिकृत कालोनियों के विकास हेतु दिये गये ऋण में से की गई है । ऐसी सुविधाओं का अनुरक्षण दिल्ली नगर निगम द्वारा किया जा रहा है ।

दिल्ली नगर निगम के स्कूलों से दिल्ली प्रशासन के स्कूलों में स्थानान्तरित अध्यापकों को सैलेक्शन ग्रेड

3048. **श्री हरी सिंह : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम के स्कूलों से 1 जुलाई 1970 को दिल्ली प्रशासन के स्कूलों को स्थानान्तरित अध्यापकों के किसी वर्ग को सेलेक्शन ग्रेड दिया गया है ;

(ख) क्या दिल्ली के मिडिल स्कूलों के मुख्याध्यापकों को भी सेलेक्शन ग्रेड दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का ऐसा कब तक करने का विचार है ?

शिक्षा, और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) (क) प्रवरण ग्रेड, मिडिल स्कूलों के अध्यापकों के उन्हीं वर्गों को उसी प्रकार से प्रदान किये गये हैं, जिस प्रकार से राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के मामले में किया गया है ।

(ख) अभी नहीं ।

(ग) दिल्ली नगर निगम द्वारा उनकी वरीयता को अन्तिम रूप दिये जाने पर, प्रवरण ग्रेड उन्हें यथाशीघ्र दे दिया जायेगा ।

कृषि मूल्य आयोग का प्रतिवेदन

3049. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री के० लकप्पा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग ने 1974-75 की फसल के लिये गेहूं के लक्ष्यों का कोई पता नहीं लगाया है;

(ख) क्या नई दिल्ली में 17 सितम्बर, 1973 को राज्य के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में कृषि मूल्य आयोग की रिपोर्ट पर विचार किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो क्या कोई निर्णय किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) कृषि मूल्य आयोग ने 1974-75 मौसम के दौरान गेहूं की आधिप्राप्ति के लिये किसी लक्ष्य की सिफारिश नहीं की थी । मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में आयोग की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करने और अन्य संगत तथ्यों पर विचार करने के बाद सरकार ने 1974-75 के विपणन मौसम के लिये गेंहूं के गारंटी बद्ध साहाय्य मूल्यों की घोषणा करने और फसल की कटाई के समय अधिप्राप्ति मूल्यों के बारे में अन्तिम निर्णय लेने का निश्चय किया था ।

अन्न बचत अभियान सम्बन्धी द्रुत कार्यक्रम

3050. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री के० लकप्पा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने देश भर में अन्न बचत अभियान संबंधी द्रुत कार्यक्रम प्रारम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कार्यक्रम का लक्ष्य खाद्यान्नों के वैज्ञानिक भंडारण में किसानों को प्रशिक्षण देना है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी राशि खर्च की जानी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) जी हां। यह एक देशव्यापी कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य खाद्यान्नों का वैज्ञानिक ढंग से भंडारण करने के लिये किसानों, व्यापारियों, उपभोक्ताओं और सहकारी संगठनों और राज्य सरकारों आदि के कार्मिकों को शिक्षित करना है।

(ग) इस कार्यक्रम पर चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1.40 करोड़ रुपये का खर्च होने की संभावना है ।

पांचवीं योजना के दौरान उर्वरक की खपत में वृद्धि

3051. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री के० लकप्पा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना के दौरान उर्वरक की खपत में वृद्धि हो जायेगी; और

(ख) क्या उर्वरकों के उचित उपयोग के बारे में कृषि आयुक्तों, राज्यों के निदेशकों के साथ सितम्बर, 1973 में नई दिल्ली में कोई चर्चा की गई थी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां । पोषक तत्वों के रूप में देश में उर्वरकों की खपत वर्ष 1972-73 में 27.69 लाख मीटरी टन थी इस खपत को 1978-79 तक 80 लाख मीटरी टन तक बढ़ाने का विचार है ।

(ख) जी हां । सितम्बर, 1973 में सब राज्यों के कृषि उत्पादन आयुक्तों/कृषि सचिवों/कृषि निदेशकों की एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ उपलब्ध उर्वरकों का कारगर ढंग से प्रयोग करने के उपाय एवं साधनों के संबंध में विचार विमर्श किया गया था ।

बीजों के आरक्षित भण्डार की राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा देखरेख

052. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री के० लकप्पा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम ने बीजों का आरक्षित भंडार बनाने का भी प्रस्ताव किया है; और

(ख) क्या विभिन्न किस्मों के बीजों की राज्यवार मांग का अनुमान लगाने की किसी प्रणाली का राष्ट्रीय बीज निगम ने विकास किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) इस समय निगम केवल मूल बीजों का सीमित सुरक्षित भंडार रखता है । अखिल भारतीय महत्व के विभिन्न मूल तथा प्रमाणीकृत बीजों के उत्पादन तथा सुरक्षित भंडार रखने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) जी हाँ ।

भारत में कैंसर से पीड़ित व्यक्ति

3053. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कैंसर से पीड़ित व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) उनके इलाज के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) कैंसर कोई अधिसूच्य रोग नहीं है । अतः इस रोग से कुल कितने व्यक्ति पीड़ित हैं यह मालूम नहीं है । अलबत्ते 1971 में भारत के विभिन्न अस्पतालों में दाखिल कैंसर के रोगियों की संख्या 33,356 थी ।

(ख) देश में निम्नलिखित कैंसर संस्थानों ग्रौर कैंसर ग्रस्पतालों में कैंसर का इलाज किया जा रहा है:—

1. टाटा मेमोरियल ग्रस्पताल ग्रौर कैंसर रिसर्च इन्स्टीट्यूट, बम्बई ।
2. गुजरात कैंसर रिसर्च इन्स्टीट्यूट, ग्रहमदाबाद ।
3. सफदरजंग ग्रस्पताल कैंसर केन्द्र, नई दिल्ली ।
4. जे० के० इन्स्टीट्यूट ग्राफ़ रेडियोलोजी एण्ड कैंसर रिसर्च, कानपुर ।
5. चितरंजन कैंसर रिसर्च सेंटर एण्ड ग्रस्पताल, कलकत्ता ।
6. श्रीराम चन्द्र भंज मेडिकल कालेज ग्रौर ग्रस्पताल, कटक का कैंसर विंग ।
7. कैंसर इंस्टीट्यूट (डबल्यु० ग्राई० ए०) ग्रदयार, मद्रास ।
8. रेडियम इंस्टीट्यूट एण्ड मेडिकल कालेज, त्रिवेन्द्रम ।
9. इंटरनेशनल कैंसर सेंटर, नययूर ।

इसके ग्रलावा विभिन्न मेडिकल कालेजों के शल्य चिकित्सा ग्रौर रेडियों चिकित्सा विभागों में भी, जिनमें इसके लिये पूरा पूरा साज सामान मौजूद है, कैंसर का इलाज किया जा रहा है ।

देश में क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को खोलने के बारे में इस मंत्रालय ने 1972 में एक कैंसर निर्धारण समिति का गठन भी किया था । इस समिति ने ग्रपनी रिपोर्ट में जो जो सिफारिशें की थीं ; उन पर भारत सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

भारत सरकार कैंसर में ग्रनुसंधान कार्य के लिये भी सहायता ग्रनुदान दे रही है ।

दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की कीमत में वृद्धि का ग्राम जनता पर प्रभाव

3054. **श्रीमती सावित्री श्याम :**

श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली दुग्ध योजना के दूध, मक्खन ग्रौर घी की कीमत में वृद्धि का राजधानी के लोगों की ग्रार्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : दिल्ली दुग्ध योजना के दूध, मक्खन ग्रौर घी की कीमत में वृद्धि से दिल्ली के लोगों की ग्रार्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है इसका ग्रनुमान लगाने के लिए कोई ग्रौपचारिक ग्रध्ययन नहीं किया गया है। योजना की इन जिन्सों के मूल्य बढ़ाने पड़े ताकि दिल्ली दुग्ध योजना स्पर्धी रूप से ग्रधिक दूध प्राप्त कर सके ग्रौर "न लाभ न हानि" ग्राधार पर कार्य करती रहे । इन जिन्सों के बढ़े हुए क्रय मूल्य दिल्ली में बाजार के प्रचलित मूल्यों से कम हैं ।

डी० डी०! ० ग्रादि के बने बनाये मकानों के लिए ग्रावेदन करने वाले सरकारी कर्मचारियों को ऋण की ग्रदायगी होने तक ग्राह्यता प्रमाण पत्र जारी करना

3055. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या **निर्माण ग्रौर ग्रावास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन ग्रनेक सरकारी कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋण की ग्रदायगी स्थगित कर दिये

जाने से भारी परेशानी हो रही है, जिन्होंने नकद अदायगी के आधार पर बने बनाये मकानों के लिये डी० डी० ए० अथवा राज्य आवास बोर्डों अथवा इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों को आवेदन कर रखा था ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए उन्हें ऋण की अदायगी होने तक ग्राह्यता प्रमाण पत्र जारी करने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) आर्थिक स्थिरीकरण के लिए अल्पावधिक कार्रवाई के भाग के रूप में सरकारी व्यय में कटौती करने के एक उपाय के तौर पर, गृह निर्माण प्रयोजनों अथवा बने बनाये मकानों के लिए नये ऋणों की स्वीकृतियों पर चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पूरी रोक लगा दी गई है । अतः जब तक प्रतिबन्ध हटाया नहीं जाता तथा पर्याप्त निधियों की व्यवस्था नहीं होती तब तक यह प्रमाण-पत्र जारी करना सम्भव नहीं है कि गृह निर्माण ऋणों का अनुमोदन यथासमय कर दिया जायेगा ।

नारायणा कालोनी के लिए अधिक संख्या में दिल्ली परिवहन की बसें

3056. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी दिल्ली में नरायणा डी० डी० ए० की एक बड़ी और अच्छी तरह से बसी हुई कालोनी है, जिसकी आबादी लगभग एक लाख है ;

(ख) क्या उस कालोनी में बहुत कम संख्या में दिल्ली परिवहन की बसें जाती हैं जिससे वहां के निवासियों को अत्यधिक कठिनाई होती है ; और

(ग) उक्त कालोनी के लिये अधिक संख्या में बसें उपलब्ध करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी हां । कालोनी हाल ही में बनी है और अभी भी उसका विकास हो रहा है ।

(ख) जी नहीं । निगम नारायणा और केन्द्रीय सचिवालय के बीच मार्ग सं० 5-सी पर सीधी बस सेवा चला रहा है । मार्ग सं० 43 और 53ई पर सेवायें नारायणा से होकर और इसे ओखला, एन० आर० जनरल स्टोर्स, उत्तम नगर और आर्य समाज रोड से मिलाती हुई चलती हैं । इसके अलावा उक्त कालोनी और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच मिनी बस सेवा भी शुरू की गई है । इसके अतिरिक्त कालोनी के निवासियों की सुविधा के लिये कालोनी और दिल्ली नगर निगम के शादीपुर डिपो जो कि एक मुख्य आखिरी स्थान है और जहां से विभिन्न स्थानों के लिये बसें उपलब्ध होती है के बीच दिन भर नियमित शटल सेवाओं की भी व्यवस्था की गई है । इन प्रबंधों को उक्त कालोनी के निवासियों की मौजूदा परिवहन संबंधी मांग पूरी करने के लिये पर्याप्त समझा जाता है ।

(ग) निगम को नई बसों की प्राप्ति के बाद भी कालोनी के लिये या वहां से बस सेवाओं को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

चालकों द्वारा किराये मीटरों से छेड़छाड़

3057. **श्री वसन्त साठे :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टैक्सी और स्कूटर चालक किराया मीटरों को छेड़ते है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कदाचार को प्रभावनी ढंग से रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि उन्हें गाड़ियों में लगे हुये किराया मीटरो में गड़बड़ी करते हुये आटो-रिक्शा ड्राइवरों के कुछ एक मामलों का पता लगा है ।

(ख) आटो-रिक्शा ड्राइवरों के इस दुर्व्यवहार को रोकने के लिये यह आवश्यक है कि गाड़ियों में लगे मीटरों की पुनः जांच की जाये और उन पर मुहर लगाई जाये और दिल्ली बजन और माप (परावर्तन) नियमों यथाव्यवस्थित इनकी आवधिक जांच की जाये और इन पर मुहर लगाई जाये। मीटरों की आवधिक जांच और मुहर लगाने की कार्यवाही से गड़बड़ी वाले मीटर अपने आप हट जायेंगे जब उपरोक्त नियम, जो अभी तक चालू नहीं है के लागू हो जाने पर सड़क पर मीटरों की जांच करने में कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि जांच न किये गये और बिना मुहर के मीटरों का प्रयोग करना, राजस्थान बजन और माप (परावर्तन) अधिनियम, 1958, जिसका विस्तार दिल्ली तक किया गया है, के अन्तर्गत जुर्म है और अपराधी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है । सभी मीटरों की जांच करने तथा उन पर मुहर लगाने के बाद यातायात पुलिस तथा वजन और माप के निरीक्षकों द्वारा संयुक्त रूप से सड़क पर मीटरों की अचानक जांच की जा सकती है।

तब तक टैक्सी एवं आटोरिक्शा ड्राइवरों द्वारा अधिक किराया बसूल करने के कदाचरणों को रोकने के लिये दिल्ली पुलिस ने अपना कार्य और तेज कर दिया है । दो बड़े रेलवे स्टेशनों, अन्तर्राज्यीय बस अड्डे, पालम हवाई अड्डे और कनाटप्लेस में पहले से ही स्थापित शिकायत बथों की अतिरिक्त, सफदरजंग अस्पताल में एक और शिकायत बूथ की स्थापना की गई है। जनता ... ऐसे मामलों की पुलिस को रिपोर्ट करने के प्रचार आन्दोलन को भी तेज कर दिया गया है ।

3000 व्यक्तियों का भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा सहायता बंद करने के कारण बेकार होना

3058. **श्री बसन्त साठे :**
श्री इसहाक सम्भली :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा सहायता बन्द कर देने से 3000 व्यक्ति बेकार हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) अत्यधिक महत्व की अनुसंधान परियोजना में लगे हुये व्यक्तियों की बड़े पैमाने पर छटनी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) मौजूदा योजनाओं को जारी रख सकने तथा छटनी न होने देने के लिये भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को अतिरिक्त धन राशि देने के प्रश्न पर भारत सरकार विचार कर रही है।

मंत्री की विदेश यात्रा

3059. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1973 के द्वितीय सप्ताह में उन्होंने कुछ देशों की यात्रा की थी;

(ख) उन्होंने किन किन देशों की यात्रा की;

(ग) यात्रा का प्रयोजन क्या था; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप कितनी धनराशि खर्च हुई ?

कृषि मंत्री (फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां।

(ख) इटली।

(ग) खाद्य एवं कृषि संगठन सम्मेलन के 17वें अधिवेशन के लिये भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करने के लिये।

(घ) 14,961 रुपये 10 पैसे। इसमें 4,094 रुपये की विदेशी मुद्रा भी शामिल है।

आपात रबी उत्पादन कार्यक्रम (वर्ष 1972-73) पर व्यय

3060. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** :

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष के दौरान आपात रबी उत्पादन कार्यक्रम पर कुल कितना व्यय हुआ है; और

(ख) रबी उत्पादन कार्यक्रम के लक्ष्य को उक्त व्यय कहां तक प्राप्त कर सका है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम 1972-73 के अन्तर्गत किये गये नियतन में मुख्य रूप से लघु सिंचाई सुविधाओं के सृजन के लिये राज्य सरकारों को दिया जाने वाले दीर्घ कालीन ऋण और कृषि आदानों के लिये किसानों को दिये जाने के लिए बढ़े हुये अल्पकालीन ऋण शामिल थे। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को लघु सिंचाई योजनाओं के लिये कुल 148 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई थी। इसके अलावा किसानों को आदानों की सप्लाई के लिये राज्य सरकारों को दी गई अल्पकालीन ऋण की पहले से मौजूद 60 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था को उस वित्तीय वर्ष में बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया था।

(ख) ऋण के तौर पर राज्य सरकारों को दी गई धनराशि से नलकूपों/पंपसेटों को बिजली देने, नये नलकूप और खुदे कुयें लगाने, नदियों पर उठाऊ सिंचाई की सुविधायें प्रदान करने जलाशयों, बारहमासी नालों और नहरों, किसानों से पंपसेटों की सप्लाई, सिंचाई कमांडों में खेत की नालियों के निर्माण

आदि जैसी लघु सिंचाई की योजनायों का सृजन किया गया है । इस राशि के परिव्यय से सिंचाई के अतिरिक्त साधनों का विकास किया गया है । जहां तक उत्पादन का प्रश्न है शुरु में सूखे के कारण खरीफ मौसम के दौरान 150 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों की संभावित हानि की क्षतिपूर्ति करने की योजना थी । इस लक्ष्य की प्राप्ति कई तत्वों पर निर्भर करती थी जैसे मौसम के शेष भाग में उपयुक्त जलवायु, निर्मित सिंचाई सुविधाओं के परिचालन के लिये विद्युत शक्ति की उपलब्धि, सिंचाई के लिये नहरों और खेत की नालियों के जरिये निर्मुक्त करने के लिये जलभंडारों और जलाशयों में पानी की उपलब्धि, लगाये गये खुदाई के कुओं और नलकूपों में पर्याप्त मौमजलस्तर, यथासम्भव सिंचाई से अधिकतम लाभ उठाने के लिये उर्वरकों की उपलब्धि और कीटों तथा रोगों आदि से मुक्ति। ऐसे आपात उपायों द्वारा यथा सम्भव खड़ी खरीफ फसलों को बचाने और रबी फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिये अगस्त-सितम्बर, 1972 से ही जबकि यह योजना शुरु की गई थी, अधिकतम प्रयास किये गये थे । प्रारम्भ में 150 लाख मीटरी टन की क्षति होने की आशंका थी । इस की तुलना में खरीफ उत्पादन गत वर्ष से केवल लगभग 50 लाख मीटरी टन ही कम हुआ है । रबी मौमम के दौरान मौसम प्रतिकूल रहा। फरवरी-मार्च 1973 के दौरान उत्तरी भारत के कुछ भागों में गर्म हवायें चलने और रतुआ रोग लग जाने के कारण गेहूं के उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ा। उर्वरकों की कमी थी, जल भंडार और जलाशय सूख गये थे, लगातार अभूतपूर्व सूखे की स्थिति रहने के कारण खुदाई के कुओं और नलकूपों में जो मोमजलस्तर लगातार कम रहा और अंशतः पानी से विद्युत तैयार करने वाले केन्द्रों को पानी देने वाले जलाशयों के सूख जाने के कारण बिजली की कमी का सामना करना पड़ा । रबी के मौसम में ज्वार की बुवाई वाले क्षेत्रों में लगातार सूखे से यह फसल प्रायः बरबाद हो गई। इन सभी कारणों से 1972-73 में रबी का उत्पादन गत वर्ष की तुलना में कम रहा। किन्तु उसके बाद 1973 के परवर्ती फसल मौसमों के दौरान सिंचाई सुविधायें काफी लाभदायक सिद्ध हुई हैं।

विभिन्न भारतीय भाषाओं के साहित्य का अनुवाद

3061. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न भारतीय भाषाओं के साहित्य को अन्य भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में अनुवाद को बढ़ावा देने और इसमें सहायता करने की जो योजनायें सरकार के विचाराधीन हैं, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन योजनाओं का प्रत्येक भाषा में कहां तक प्रयोग किया गया है और अन्य भाषाओं से अनुवाद में प्रत्येक भाषा ने कितनी प्रगति की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) भारतीय भाषाओं की प्रोन्नति के लिये स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान देने की सरकार की एक योजना है, जिसके अन्तर्गत अन्य बातों के साथ साथ किसी भी भाषा से (विदेशी अथवा भारतीय) भारतीय भाषाओं में (अंग्रेजी समेत) अनुवाद कार्य के लिये, अनुमोदित विषयों के खर्चे के 50 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाओं को दी गई वित्तिय सहायता दर्शाने वाला विवरण अनुबन्ध I में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5891/73]

सरकार की हिन्दी की प्रोन्नति के लिये, स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने की भी एक योजना है, जिसके अन्तर्गत अन्य बातों के साथ साथ, प्रादेशिक भाषाओं की पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद

करने के लिये, अनुमोदित खर्चे के 75 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता हेतु कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

साहित्य अकादमी ने विभिन्न भारतीय भाषाओं के प्राचीन तथा आधुनिक उत्कृष्ट ग्रन्थों का अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने का एक व्यापक कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अकादमी ने 600 से अधिक अनुदित कृतियां प्रकाशित की हैं। इन कृतियों का भाषा वार ब्यौरा अनुवन्ध II में एक सूची में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी 5891/73]

भारतीय सांस्कृतिक सम्पर्क परिषद् प्राचीन तथा समकालीन दोनों प्रकार की, विभिन्न भारतीय कृतियों का, अंग्रेजी समेत विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी प्रकाशित करता है। परिषद् ने अभी तक ऐसी दो कृतियां अंग्रेजी में प्रकाशित की हैं।

संस्कृत के विकास के बारे में उप शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

3062. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन:** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल के पट्टाम्बी संस्कृत कालेज में केन्द्रीय उप शिक्षा मंत्री ने एक वक्तव्य में कहा था कि संस्कृत के पुनरोद्धार और उसके संबर्धन के लिये केन्द्र राज्य की बड़े पैमाने पर सहायता करेगा;

(ख) यदि हां, तो उक्त वक्तव्य की मुख्य बातें क्या हैं और क्या उसकी अधिक स्पष्ट शब्दों में व्याख्या की जा सकती है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार राज्यवार सरकार के अनुरोध के अनुसार केरल में संस्कृत विश्वविद्यालय अथवा उच्च अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के लिये सहमत होगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री श्री डी० पी० यादव ने, सितम्बर, 1973 में केरल के अपने दौरे के दौरान इस संबंध में एक वक्तव्य दिया था कि संस्कृत के प्रचार और विकास के लिये केरल की संस्थाओं को सभी सम्भव वित्तीय सहायता दी जायेगी, जैसे कि देश के अन्य राज्यों में दी जाती है।

एक विद्यापीठ (संस्कृत अध्यापन के उच्चत्तर केन्द्र) की स्थापना के संबंध में केरल राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव पर, राज्य सरकार के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

Admission Committee in Department of Foreign Languages, University of Delhi

3063. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the 'Admission Committee' has not been constituted in the Department of Foreign Languages of the University of Delhi and often students are not admitted in the Language Course of their choice;

(b) the number of students admitted in each language course during the last three years, year-wise; and

(c) the steps taken to remove the inconveniences faced by those learning languages not of their choice?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) and (c) The University of Delhi does not have a Department of Foreign Languages. However, there is an Admission Committee for dealing with admissions to the Department of Modern European Languages of the University. On account of paucity of teachers, limited seats can be offered in various languages. The University is hwever, making efforts to recruit qualified teachers for the teaching of languages for which the demand exceeds the supply.

(b) A statement is attached. [Placed in Library *See* No. L.T. 5892/73.]

Meeting of Seventh Asian Regional Medical Students Association Held at Delhi

3054. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether the meeting of the Seventh Asian Regional Medical Students Association held in Delhi during August last, have recommended that suitable changes should be effected in the curriculum of the Medical course with a view to providing better medical facilities in the rural areas; and

(b) the reaction of Government thereto and action taken by them thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku): (a) The Ministry of Health and Family Planning are not aware of any such recommendation.

(b) Does not arise.

Participants in Berlin Function

3055. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the names of persons from India who had gone to participate in the Berlin function held recently; and

(b) the criteria and basis on which each one of them was selected?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) and (b) The 10th World Youth Festival was held in Berlin from 28th July to 5th August, 1973. Invitations from two International Youth Organisations who organised this festival were received directly by two Non-Government Youth Organisations in India, who selected 204 Indian participants.

2. The 17th Berlin Festival of Theatre and Music was held in Berlin from 3rd to 21st October, 1973. Two well-known theatre experts who are also renowned Gujarati and Bengali artistes, *viz.* Shrimati Dina Pathak and Shrimati Tripti Mitra, participated in this festival under the Cultural Exchange Programme between India and the German Democratic Republic. These two artistes were selected on the basis of a panel submitted by the Sangeet Natak Akademi for theatre experts, directors, actors, actresses etc.

बिड़ला इंस्टीट्यूट आफ टैक्नोलोजी एण्ड साइन्सेज, पिलानी के मामले में हस्तक्षेप का अनुरोध

3066. **श्री मोहम्मद शरीफ :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिड़ला इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी एन्ड साइन्सेस, पिलानी किसी मामले में हाल में किसी हस्तक्षेप की मांग की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) बिड़ला प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान पिलानी के छात्रों ने कुछ मांगों को लेकर हड़ताल की और सरकार का हस्तक्षेप मांगा था। मंत्रालय के एक अधिकारी ने 7 नवम्बर, और फिर 14 से 18 तक पिलानी का दौरा किया तथा छात्रों और संस्था के प्रबन्धक के बीच चर्चा में सहायता की । किये गये समझौते को कार्यान्वित किया जा रहा है ।

आटो रिक्शा तथा टैक्सी ड्राइवरों द्वारा धोखाधड़ी

3067. **श्री मोहम्मद शरीफ :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये आदेशों की घोषणा के बाद भी राजधानी में आटो रिक्शा तथा टक्सी ड्राइवर अधिक किराया ले रहे हैं और लोगों को धोखा दे रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना): (क) आटो रिक्शा और टैक्सियों के चालकों द्वारा अधिक किराया लेने के कुछ मामले दिल्ली प्रशासन के ध्यान में आये हैं ।

(ख) प्रशासन ने निम्नलिखित कार्यवाही की है ।

(i) सभी टैक्सी और आटो, रिक्शा मालिकों को नई दरें और तदनुरूप पुरानी दरों को दिखाने वाली विशेष परिवर्तन सारणियां जारी की गई हैं। जब तक प्रत्येक टैक्सी/स्कूटर में नई दरों के अनुसार किराया मीटर नहीं लगाये जाते, तब तक उन्हें सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकारी, दिल्ली द्वारा प्रमाणित ऐसी परिवर्तन सारणी को स्पष्ट रूप से लगाना होगा । यात्रियों को संशोधित दरों के अनुसार किराया देने में सुविधा होगी ।

(ii) दिल्ली में पालम हवाई अड्डे से बड़े बड़े होटलों तक का लगभग टैक्सी किराया दिखाने वाले कार्ड छपवाये गये हैं । पालम हवाई अड्डे से टैक्सी किराये पर लेने वाले यात्री को ये कार्ड दिये जाते हैं, ताकि उससे अधिक किराया न लिया जा सके ।

(iii) पालम हवाई अड्डे के बाहर निकलने के द्वार के पास रात दिन काम करने वाली एक टैक्सी पड़ताल चौकी स्थापित की गई है। इस चौकी में रखे गये रजिस्टर में टैक्सी का नम्बर, चालक का नाम, यात्री का नाम और उसका गंतव्य स्थान तथा टैक्सी को किराये पर लेने का समय और तारीख लिखे होते हैं । यात्रियों के साथ दुर्व्यहार करने या अधिक किराया लेने जैसी बातों को रोकने में यह पद्धति बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है, क्योंकि पड़ताल चौकी के रिकार्ड से उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है ।

(iv) विभिन्न स्थानों पर यातायात पुलिस के आदमी शिकायत बूथों पर तैनात किये गये हैं। इन बथों पर तुरन्त ही सभी प्रकार की शिकायतें लिखी जाती हैं, जिनमें टैक्सी और आटो रिक्शा चालकों

के विरूद्ध उनके द्वारा अधिक किराया लिये जाने की शिकायतें भी शामिल हैं और दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाई की जाती है ।

(v) अधिक किराया लिये जाने के मामलों का पता लगाने के लिये टैक्सी/आटो रिक्शा चालकों के विरूद्ध परिवहन निदेशालय की यातायात पुलिस/प्रवर्तन स्टाफ द्वारा आम तौर पर विशेष छापों की व्यवस्था की जाती है ।

कृषि वैज्ञानिकों के लिए विशेष भर्ती बोर्ड

3069. **श्री प्रबोधचन्द्र :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक विशेष कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा निर्णय लेने के कारण तथा औचित्य क्या हैं :

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) इस बात को ध्यान में रखते हुये कि अनेक पदों के खाली रहने के कारण महत्वपूर्ण अनुसंधान परियोजनाओं के काम में बाधा न पड़े यह निर्णय किया गया है कि मंत्रिमंडल की स्वीकृति लेकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् एक सुप्रसिद्ध पूर्णकालिक वैज्ञानिक की अध्यक्षता में कृषि वैज्ञानिकों के एक बोर्ड की स्थापना करेगी । उस बोर्ड के माध्यम से आपाती आधार पर भर्ती करने के लिये एक प्रक्रिया तैयार की जायेगी । यह बोर्ड भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अधीन रिक्त पड़े 750--1250 रु० के वेतनमान के लगभग 1200 पदों के लिये भर्ती करेगा ।

इसके लिये कारण और औचित्य उस विवरण में दिये गये हैं जिस में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् जांच समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के पुनर्गठन संबंधी सरकारी निर्णयों के बारे में जिक्र किया गया है और जो 12-11-73 को कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा सभापटल पर रखी गई थी ।

Damage to Crops in Tikamgarh and other Districts of Madhya Pradesh Due to Drought

3070. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Kharif Crops consisting of paddy kodon, rali, kutki and Jawar have almost been destroyed due to drought in Tikamgarh, Chatarpur and Panna Districts of Bundelkhand region in Madhya Pradesh;

(b) whether the implementation of intensive programme for rabi crops in Tikamgarh and Chatarpur Districts has become impossible due to paucity of water in tanks and wells and other sources of irrigation;

(c) whether small farmers of Tikamgarh and Chatarpur have created a record in the matter of procurement in Madhya Pradesh by offering 3.5 lakh quintals of wheat; and

(d) if so, the action proposed to be taken to provide relief to the farmers of the area?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (d) Information has been called for from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha as soon as it is received.

Radical Changes in Education System in the Light of Recommendations of Kothari Commission

3071. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) the policy of Government in regard to the radical changes in the present education system in the light of recommendations of the Kothari Commission;

(b) the recommendations made by Kothari Commission which have been accepted by Government but not yet implemented; and

(c) the time by which they will be implemented?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) to (c) The major recommendations of the Education Commission (1964—66) have been incorporated in the Government Resolution on the National Policy on Education (1968) which was duly approved by the Parliament. Attempts are being made to implement these recommendations as suggested by the Commission itself, through successive Five Year Plans. In the Fourth Plan, the pace of implementation was slow on account of a number of factors, the most important of which was the lack of adequate financial resources.

In the Fifth Five Year Plan, Government propose to make an intensive and radical effort to reconstruct the educational system in the country. A draft plan was accordingly approved by the Standing Committee of the Central Advisory Board of Education in its meeting held on June 13, 1973, at New Delhi and is under the consideration of the Planning Commission.

गत तीन वर्षों के दौरान वनस्पति के मूल्यों में वृद्धि/कमी

3073. **श्री सतपाल कपूर :**
श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1973 को समाप्त होने वाले गत एक वर्ष के दौरान वनस्पति के मूल्य में कितनी बार वृद्धि हुई है तथा प्रत्येक बार कितना मूल्य बढ़ाया गया;

(ख) क्या उक्त अवधि में ऐसा कोई अवसर आया है जब देश में वनस्पति के मूल्यों में कमी की गई और यदि हां, तो ऐसा कब किया गया था तथा मूल्यों में कितनी कमी की गई थी; और

(ग) मूल्यों में वृद्धि होने के विशेष कारण क्या हैं और तीन वर्ष पूर्व अक्तूबर में तथा 1973 में प्रति किलोग्राम वनस्पति का मूल्य कितना-कितना था ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) :

(क) चार गुना . . .

तारीख	कितनी वृद्धि हुई (पैसे प्रति किलो)
9-11-1972	10
2-1-1973	40
1-6-1973	75
16-7-1973	75

(ख) जी नहीं ।

(ग) वनस्पति तैयार करने में इस्तेमाल किये जाने वाले कच्चे तेलों के मूल्यों में भारी वृद्धि होने से वनस्पति के मूल्य में वृद्धि करना जरुरी हो गया था जोकि उसी अवधि के दौरान 2.20 रु० से लेकर 2.65 रु० प्रति किलो तक थे ।

तारीख	मूल्य (पैसे प्रति किलो)
31-10-1970	5.74 से 5.89 तक
31-10-1973	7.54 से 7.84 तक

कपास उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पौधों को बोना करने की व्यवस्था

3074. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास उत्पादन में कमी आई है तथा पोधों को बौना करके इसका उत्पादन बढ़ाया जा सकता है जिसका कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान कर्ताओं ने विभिन्न राज्यों में प्रदर्शन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में कपास उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिये पोधों को बौना करने की व्यवस्था अपनाने का है; और

(ग) कपास के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) चौथी योजना के दौरान कपास उत्पादन के आंकड़े नीचे दिया गये हैं:—

वर्ष	उत्पादन (लाख गाठें-प्रत्येक गांठ 180 कि० ग्रा०)
1969-70 .	52.54
1970-71	44.99
1971-72	65.64
1972-73	54.89
1973-74	आंकड़ें अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

उपर्युक्त सारणी से पता चलता है कि उत्पादन घटता-बढ़ता रहा है और 1971-72 वर्ष में 65.64 लाख गांठों के रिकार्ड स्तर पर पहुंचने के उपरान्त वर्ष 1972-73 में उत्पादन घटकर 54.89 लाख गांठें हो गया। इसका मुख्य कारण गुजरात में निरन्तर सूखा पड़ना और मैसूर, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, तमिल नाडू और मध्य प्रदेश आदि राज्यों में प्रतिकूल मौसमी परिस्थितयों का मौजूद होना था।

उत्तरी राज्यों में कपास के पौधों की अधिकता के कारण प्रायः उपज कम होती है। ऐसी स्थिति में कपास की उपज बढ़ाने के लिये वृद्धि गतिरोधक "साइकोसेल" का प्रयोग उपयुक्त पाया गया है। साइकोसेल के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार द्वारा $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। परन्तु दक्षिणी और केन्द्रीय राज्यों में इस रासायन का कपास की फसल पर कोई अनुकूल प्रभाव नही पड़ा है।

(ग) देश में कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिये भारत सरकार सघन कपास जिला कार्यक्रम, कपास का अधिकतम उत्पादन, संकर 4 बीज का उत्पादन, बिनौला सम्वर्धन कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण और सी आइलैंड काटन का विकास आदि विशेष केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है।

उर्वरकों की प्रति किसान खपत

3075. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में उर्वरकों की प्रति किसान खपत कितनी है तथा चालू वर्ष में अब तक कितनी खपत हुई है;

(ख) क्या देश में उर्वरकों की प्रति व्यक्ति खपत कम हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) गत तीन वर्षों और खरीफ 1973 के दौरान किसानों की उर्वरकों की प्रति किसान खपत इस प्रकार है:--

वर्ष	प्रति किसान खपत		(किलो ग्रामों में)	
	एन	पी	के	एन+पी+के
1970-71	18.8	6.9	3.00	28.7
1971-72	22.8	7.1	3.8	33.7
1972-73	23.4	7.4	4.4	35.2
खरीफ, 1973	9.7	3.4	1.7	14.8

किसानों की कुल संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर स्थिर मानी गई है क्योंकि हमारे पास उसके बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ख) ऊपर (क) से यह स्पष्ट है कि किसानों की प्रति व्यक्ति उर्वरक की खपत में वृद्धि हो रही है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विश्व भारतीय विश्वविद्यालय को वित्तीय अनुदान

3076. **श्री ए० के० एम० इसहाक:** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र ने विश्व भारती विश्वविद्यालय को कितना वार्षिक वित्तीय अनुदान, वर्षवार दिया है;

(ख) क्या विश्वविद्यालय बंद कर दिया गया है और यदि हां, तो ऐसा किस आधार पर किया गया है;

(ग) क्या विश्व भारतीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने यह मांग की है कि विश्वविद्यालय के बंद होने के लिये उत्तरदायी सभी घटनाओं की जांच करने के लिये एक उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त जांच समिति नियुक्त की जानी चाहिये; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उक्त मांग पर कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुलहसन) (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, पिछले तीन वर्षों के दौरान, विश्व भारती को निम्नलिखित अनुदान दिये:—

1970-71	89,79,931
1971-72	88,75,383,
1972-73	85,28,308

(ख) जी, नहीं।

(ग) न तो सरकार को और न ही विश्वविद्यालय को इन प्रकार की कोई मांग प्राप्त हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जनजाति भाषाओं का विकास

3077. **श्री ए० के० एम० इसहाक: क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में जनजाति भाषाओं का विकास करने के लिये चालू वर्ष के दौरान किसी योजना पर गंभीरता से विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) पिछले वर्षों की भांति चालू वर्ष में भी, सरकार के लिये देश में जन-जातीय भाषाओं का विकास एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। सरकार द्वारा मैसूर में स्थापित भारतीय केन्द्रीय भाषा संस्थान, सम्बन्धित राज्य सरकारों के सहयोग से, जनजातीय भाषाओं का महत्वपूर्ण तरीके से विकास करने के लिये कार्य करता रहा है। वह संस्थान इन भाषाओं की व्याकरणों, शब्दकोशों, लोक-साहित्यों पर पुस्तकों, प्राइमरी प्रौढ़ों के लिये अनुदेशीय सामग्री तथा ध्वन्यात्मक पाठ्य-पुस्तकें तैयार करने की दृष्टि से इनका विश्लेषण करता रहा है। इनमें से कुछ तो प्रकाशित हो चुके हैं तथा कुछ की शीघ्र प्रकाशित होने की संभावना है।

पश्चिम बंगाल में जनजाति, मुस्लिम तथा ईसाई शिक्षण और समाज कल्याण संस्थाओं को वित्तीय सहायता

3078. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र पश्चिम बंगाल में किन जनजातीय मुस्लिम तथा ईसाई शिक्षण और समाज कल्याण संस्थाओं को वित्तीय सहायता दे रहा है; प्रत्येक संस्था को गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि की मंजूरी दी गई थी; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने अपनी पर्यवेक्षण एजेन्सियों को धनराशि का उचित उपयोग होने को सुनिश्चित करने के लिये कहा है और यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क) सरकार द्वारा, शैक्षिक और समाज कल्याण संस्थाओं को वित्तीय सहायता बिना किसी धार्मिक अथवा साम्प्रदायिक लिहाज के गुणावगुणों के आधार पर दी जाती है। इसलिये, इस प्रकार की संस्थाओं के अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) सरकारी अनुदानों के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त व्यवस्था मौजूद है।

सूर्यमुखी फूल उगाने के लिए पश्चिमी बंगाल को केन्द्रीय सहायता

3079. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में जल्दी उगने वाले सूर्यमुखी फूलों की खेती के लिये उक्त राज्य को कोई केन्द्रीय सहायता दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :(क) जी हां।

(ख) इस योजना का उद्देश्य समस्त पैकेज पद्धतियों को अपना कर सूर्यमुखी की विदेशी अल्पकालीन अधिक उत्पादनशील और अधिक तेल वाली किस्मों के साथ मिले जुले प्रदर्शन करना और विभिन्न प्रकार की मिट्टी और जलवायु सम्बन्धी परिस्थितियों में उनके परिणामों के बारे में मूल्यांकन करना और उपयुक्त फसल प्रतिमानों में वैज्ञानिक पद्धतियों से उनकी खेती को लोकप्रिय बनाना है ताकि राज्य में सूर्यमुखी की फसल के विकास के लिये एक क्रैश कार्यक्रम चलाने हेतु किसानों की तकनीकी क्षमता को बढ़ाया जा सके। इस योजना के अन्तर्गत आदानों की लागत को पूरा करने के लिये प्रति हैक्टार क्षेत्र के लिये 300 रुपये की राशि दी गई है। वर्ष 1972-73 के दौरान सूर्यमुखी के सम्बन्ध में प्रदर्शन करने के लिये केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल सरकार को 90,000 रुपये केन्द्रीय सहायता के रूप में दिये गये हैं। यह योजना वर्ष 1973-74 में भी चलाई जा रही है और इसके अन्तर्गत 60,000 रुपये की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार द्वारा किये गये वास्तविक खर्च के आधार पर यथा समय अनुदान निर्मुक्त किया जायेगा।

पश्चिमी बंगाल के सूखाग्रस्त जिले तथा विश्व बैंक की सहायता के लिए चुने गये जिले

3080. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे देश में 54 जिलों में से पश्चिम बंगाल के किसी जिले को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है;

(ख) क्या विश्व बैंक से सहायता के लिये छः जिलों को चुना गया है; और

(ग) यदि हां, तो उन जिलों के नाम क्या हैं और केवल इन छः जिलों को चुनने के लिये क्या कसौटी निर्धारित की गई थी क्योंकि सभी 54 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां। पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया जिले तथा बांकुरा एवं मिदनापुर जिलों के भागों की एक एकक की सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) ये 6 जिले महाराष्ट्र में अहमदनगर तथा शोलापुर, आंध्र प्रदेश में अनन्तपुर, कर्नाटक में बीजापुर और राजस्थान में जोधपुर तथा नागोर हैं। ये जिले निम्नलिखित आधार पर चुने गये हैं :—

(क) जहां कम वर्षा होती है;

(ख) जो जिले बारानी खेती की केन्द्रीय प्रायोजित समेकित मार्गदर्शी परियोजना के अन्तर्गत जाते हैं; और

(ग) जिन जिलों का अधिकांश क्षेत्र सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत आता है।

महाराष्ट्र में सहकारी समितियों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता

3081. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में सहकारी समितियों के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार ने ऋण के रूप में तथा राज्य की पूंजी में भाग लेने के रूप में कुल कितनी सहायता दी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : भारत सरकार और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने महाराष्ट्र में सहकारी सोसायटियों का विकास करने के लिये वर्ष 1970-71, 71-72 और 72-73 में कुल 12,69,45,355 रुपये की सहायता दी है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है।

	अनुदान	केन्द्रीय सरकार द्वारा महाराष्ट्र राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के ऋण-पत्रों में लगाया गया धन	राज्य सरकारों/राज्य सहकारी बैंकों को दिये गये ऋण	राज्य सरकारों को सहकारी सोसायटियों की अंशपूजी में हिस्सा लेने के लिये दिये गये ऋण
				(रुपयों में)
भारत सरकार .	1,00,33,000	5,50,40,055	1,71,000	5,41,000
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम	94,89,600	—	4,21,86,700	94,84,000
योग	1,95,22,600	5,50,40,055	4,23,57,700	1,00,25,000

इन आंकड़ों में भारतीय रिजर्व बैंक से दी गई सहायता शामिल नहीं है।

बागान श्रमिक आवास योजना

3082. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में बागान श्रमिक आवास योजना (लागू होने के बाद से) के अन्तर्गत कितने मकान बनाये जाने की योजना थी और अब तक वस्तुतः कितने मकानों का निर्माण किया गया है ;

(ख) अब तक (i) मंजूर की गई, (ii) आवंटित की गई और (iii) वस्तुतः खर्च की गई कुल राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या बागान श्रमिक आवास योजना की प्रगति बहुत मन्द और असमान रही है ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या पांचवीं योजना के लिए कोई योजना बनाई गई है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है ।

(ग) संबंधित राज्य सरकारों की अपने संपूर्ण प्लान सीमा में से पर्याप्त निधियां उपलब्ध करने में असमर्थता तथा बागान मालिकों की वित्तीय कठिनाइयों के कारण इस योजना की सराहनीय प्रगति नहीं हुई है । तथापि, प्रगति की गति तेज करने के लिये वर्ष 1970-71 से योजना, राज्य क्षेत्र से प्लान के केन्द्रीय क्षेत्र में हस्तान्तरित कर दी गई थी तथा उसके लिये निधियां राज्य प्लान सीमा से बाहर केन्द्रीय बजट में से दी गई हैं । केन्द्रीय क्षेत्र में हस्तान्तरित किये जाने के बाद योजना में अच्छी प्रगति हुई है क्योंकि 1 अप्रैल, 1970 से 8284 मकान बनाने की स्वीकृति दी जा चुकी है जबकि इसे केन्द्रीय क्षेत्र में हस्तान्तरित करने से पूर्व 2615 मकानों की स्वीकृति दी गई थी ।

(घ) उपर्युक्त योजना के पांचवीं पंचवर्षीय योजना में जारी रहने की सम्भावना है।

विवरण

(लाख रुपयों में)

राज्य	मकानों की संख्या		केन्द्रीय वित्तीय सहायता		
	स्वीकृत	पूर्ण हुए	नियत की गई	ली गई	उपयोग की गई
1. आसाम . .	6648	799	171.92	95.83	92.983
2. कर्नाटक . .	599	284	30.60	13.55	3.71(क)
3. केरल . .	176	176	16.58	3.44	3.44(ख)
4. तमिलनाडु . .	401	250	15.252	8.17	6.816
5. त्रिपुरा .	—	—	0.58	—	—(ग)
6. पश्चिम बंगाल .	3075	1344	63.58	46.54	40.42
जोड़ . . .	10899	2853	298.512	167.53	147.369

टिप्पणी :—(क) 1969-70 तक उपयोग में लाई गई राशि । 1-4-1970 से व्यय के आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुये हैं ।

(ख) 1969-70 तक उपयोग में लाई गई राशि । 1-4-70 से कोई आवास परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है ।

(ग) योजना अभी कार्यान्वित नहीं की गई है ।

शिक्षा मंत्रालय के उप-सचिव द्वारा रखा गया नकद धन

3083. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचार के अनुसार शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री के निजि सचिव श्री आई० डी० सिंह ने 30,000 रुपये नकदी रूप में अपने एक मित्र के पास रखे थे; और

(ख) यदि हां, तो उसका यह धन किस स्रोत से आया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मामले की जांच की जा रही है ।

ट्रैक्टरों की आवश्यकता और इनके उत्पादन के लिए समान पद्धति

3084. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले दो वर्षों में ट्रैक्टरों की कमी से फार्म उत्पादों की बेहतर उपज पर गंभीर प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अगले दो वर्षों के लिए ट्रैक्टरों की आवश्यकता तथा इसकी सप्लाई के बारे में कोई अनुमान लगाया है; और

(ग) क्या ट्रैक्टरों के विभिन्न डिजाइनों तथा उनके फालतू पूर्जों की अनुपलब्धता से किसानों की बड़ी कठिनाई हो रही है और यदि हां, तो क्या देश में इनके उत्पादन के लिए समान पद्धति निर्धारित करने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) राष्ट्रीय व्यावहारिक एवं अर्थ अनुसन्धान परिषद् ने हाल ही में आगामी कुछ वर्षों के लिये विभिन्न अश्वशक्ति के कृषि ट्रैक्टरों की मांग का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया था। परिषद् ने अनुमान लगाया है कि 1973-74 के लिये 38,000 और 1974-75 वर्ष के लिये लगभग 44,000 ट्रैक्टरों की आवश्यकता पड़ेगी । सरकार देशी ट्रैक्टरों का उत्पादन बढ़ाने के लिये भरसक प्रयत्न कर रही है और ट्रैक्टरों का आयात करने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है ।

(ग) देश में विभिन्न मेकों और डिजाइनों के ट्रैक्टर प्रयोग में लाये जा रहे हैं, फिर भी इन ट्रैक्टरों के अतिरिक्त पुर्जों की कमी के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं। ट्रैक्टरों के लिये अतिरिक्त पुर्जों की पर्याप्ति आपूर्ति को सुनिश्चित करने की दृष्टि से मंत्रालय ट्रैक्टरों के साथ 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक अतिरिक्त पुर्जे आयात करने की व्यवस्था करता रहा है। इसके अलावा राज्य कृषि उद्योग निगमों को अपने-अपने राज्यों के कृषकों में वितरण के लिये अतिरिक्त पुर्जे आयात करने की अनुमति दी गई है । वास्तविक उपभोक्ताओं को भी सीमित मात्रा में अतिरिक्त पुर्जे आयात करने की अनुमति दी गई है । समस्त कृषि उद्योग निगमों को भी अपने-अपने राज्यों में चल रहे सभी ट्रैक्टरों के अतिरिक्त पुर्जों का पर्याप्त भण्डार बनाने की सलाह दी गई है । देश की मांग को पूरा करने के लिये विभिन्न अश्वशक्ति के पर्याप्त ट्रैक्टरों के लिये स्वीकृति या लाइसेंस प्रदान किये गये हैं । देशी विनिर्माता और विक्रेताओं के पास भी अतिरिक्त पुर्जों का पर्याप्त भण्डार मौजूद है ।

अनुसंधान वेधशालाएं तथा खारी मिट्टी और गैर-खारी मिट्टी में धान की प्रति एकड़ उपज

3085. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खारी तथा गैर-खारी भूमि में धान की प्रति एकड़ उपज क्या हैं;

(ख) क्या खारी भूमि में धान की उपज बढ़ाने के तरीके के अध्ययन के लिये अब तक कोई अनुसन्धान वैधशाला स्थापित नहीं की गई है;

(ग) क्या उन क्षेत्रों में ऐसी वैधशालाओं की स्थापना के लिये अब कार्यवाही की जा रही है और यदि हां, तो उनको किस-किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा; और

(घ) क्या अगले वर्ष चावल उत्पादन में 20 प्रतिशत वृद्धि करने हेतु ए० आई० सी० आई० आई० पी० द्वारा हाल में आविष्कृत तकनीकी जानकारी इस समस्या पर लागू होती है, और यदि हां, तो क्या खारी भूमि वाले धान के किसानों को यह जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना बनाई गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : (क) खारी मिट्टी में धान की औसतन उपज 2 और 5 क्विंटल प्रति हैक्टार के बीच है जो किसी विशेष क्षेत्र में मिट्टी के खारीपन पर निर्भर करती है किन्तु गैर-खारी भूमि में धान की उपज औसतन 16 से 17 क्विंटल प्रति हैक्टार तक है।

(ख) तथा (ग) खारी भूमि में धान की उपज बढ़ाने के तरीकों का अध्ययन के लिये करनाल में भूमि क्षारीयता अनुसन्धान संस्थान मौजूद है और सुन्दरवन डेल्टा (पश्चिम बंगाल) में केनिंग पोर्ट में एक क्षारीय चावल अनुसन्धान केन्द्र कार्य कर रहा है।

(घ) जी नहीं।

जन्म-दर तथा मृत्यु-दर

3086. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971 की जनगणना को पूरा होने के 30 महीने बाद भी जन्म-दर तथा मृत्यु-दर के आंकड़े सरकारी तौर पर उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इस मामले का ब्यौरा क्या हैं;

(ग) जनगणना रिपोर्ट के अनुसार उन जिलों के नाम क्या हैं जिन्होंने परिवार नियोजन का लक्ष्य 60 प्रतिशत से अधिक प्राप्त कर लिया है तथा किन जिलों में लक्ष्य की प्राप्ति 25 प्रतिशत से भी कम है; और

(घ) क्या सरकार ने अधिकांश जिलों में लक्ष्य की प्राप्ति में धीमी प्रगति के कारणों को जानने का प्रयास किया है तथा अन्य जिलों में बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सहायक कौन सी बातें हैं और क्या बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिये नीति का पुनर्निर्धारण करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) जी हां।

(ख) प्रत्येक जनगणना के पश्चात् जीवनांकिक विवरणियां जिनके जरिये जन्म और मृत्यु-दरों का हिसाब लगाया जाता है, तैयार करने का कार्य तभी पूरा किया जाता है जब जनगणना के आंकड़ों को

पूर्ण रूप से संसाधित कर लिया जाता है और जनगणना सम्बन्धी आयु की विवरणियों का सांख्यिकीय दृष्टि से मिलान कर लिया जाता है। सामान्यतया इस कार्य में काफी समय लग जाता है और अनुमान है कि 1971 की जनगणना के अपेक्षित आंकड़े लगभग 1974 के मध्य तक तैयार हो पायेंगे। तथापि, महापंजीयक ने 1971 में प्रचलित जन्म और मृत्यु की दरें उपलब्ध करा दी हैं जिन्हें जन्म एवं मृत्यु सम्बन्धी नमूना पंजीयन की विशेष योजना के माध्यम से तैयार किया गया है।

(ग) जनगणना की रिपोर्ट से विभिन्न जिलों की वृद्धि दर का पता चलता है और इससे परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत जन्म-दर में कमी होने के लक्ष्यों को कितनी सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है यह अनुमान लगाना संभव नहीं है।

(घ) कार्यक्रम की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है जिससे इस बात का पता चला है कि मुख्यतया सामाजिक आर्थिक असमानताओं, पर्याप्त साधनों और संचार-सुविधाओं की कमी के कारण परिवार नियोजन का निष्पादन भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न प्रकार करा रहा है। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रयासों में तेजी लाने के लिये अनेक कदम उठाये गए हैं।

भारतीय बन्दरगाहों में खाद्यान्न उतारने के लिए मशीन

3087. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बन्दरगाहों में खाद्यान्न उतारने के लिये प्रयोग में लाई जा रही मशीनें पुरानी हो गई हैं तथा टूट-फूट गई हैं और कुछ वर्षों से उनकी पूरी क्षमता से कार्य न करने के बावजूद भी उन मशीनों को बदलने के लिये भी कोई प्रयास नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है; उनकी प्रति दिन की निर्धारित क्षमता कितनी है तथा गत दो वर्षों के दौरान उनका वास्तविक कार्य कितना रहा;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा बम्बई में लगाया गया वेक्यूटर अथवा बहलर एक दिन में आठ टन भार उतार सकता है जबकि लिसवर्ग और अन्तवर्ग में इसी प्रकार की मशीनों की क्षमता प्रति मशीन दिन चार सौ टन भार उतारने की है; और

(घ) यदि हां, तो इन मशीनों के स्थान पर अधिक क्षमता की मशीनें लगाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) वर्ष 1965-66 में किसी समय लगाई गई खाद्यान्न उतारने वाली अधिकांश मशीनें खराब हो गई हैं। आयातों में कमी होने से इन मशीनों को बदलने का कार्य नहीं शुरू किया गया था।

(ख) हमारी बन्दरगाहों पर स्विटजरलैंड की बुहलैर मशीनें और संयुक्त राज्य अमेरिका की ग्रेन-वेयरज और वेक्यूवेटरज मशीनें इस्तेमाल की जा रही हैं। इन मशीनों से कम से कम अभिहस्तान्तरण दूरी पर अधिक से अधिक प्रति घंटा 25–40 मीटरी टन अनाज उतारा जा सकता है। अनाज का स्तर नीचे जाने से तथा अभिहस्तान्तरण पाइपों के नाकान्तराल बड़े होने से जहाज से निकासी कम होती जाती है। पहले बहुत पुरानी मशीनों से प्रति घंटा औसतन निकासी 8–15 मीटरी टन के बीच होती थी और नई तथा ठीक की गई मशीनों से प्रति घंटा निकासी 15–25 मीटरी टन के बीच होती थी।

(ग) पहले खरीदी गई बुहलेरज और वेक्यूवेटरज मशीनें इस्तेमाल करने लायक नहीं रह गई हैं। उनसे प्रति घंटा 8–12 मीटरी टन की निकासी हो रही है। जब वे नई थीं, उस समय उनकी निकासी

इससे दुगुनी अथवा तिगुनी थी। बेलजियम और नीदरलैंड में नई न्यूमैटिक मशीनें कार्य कर रही हैं और उनसे इन्हीं परिस्थितियों में प्रति घंटा 25–35 मीटरी टन को निकासी होती है।

(घ) खाद्यान्नों की भारी आमद से निपटने के लिये, संयुक्त राज्य अमेरिका को 25 वेक्यूवेटरज, बैलजियम को 8 विगन्ज और स्विटजरलैंड को 6 बुहलेरज सप्लाई करने के आर्डर दिये गये थे। आशा है कि 10 वेक्यूवेटरज और 8 विगन्ज शीघ्र प्राप्त हो जायेंगे और बुहलेरज जनवरी, 1974 के प्रारम्भ में प्राप्त हो जायेंगे।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यालय चौकीदारों के कार्य घंटे

3088. **श्री एस० एस० बनर्जी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यालय चौकीदारों के कार्य के घंटे 102 घंटे प्रति सप्ताह हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या विभिन्न मंत्रालयों में चौकीदारों के कार्य के घंट कम हैं;

(ग) यदि हां, तो कार्य घंटों में ऐसी असमानता होने के क्या कारण हैं; और

(घ) मंत्रिमंडल सचिवालय (कार्मिक विभाग) द्वारा ओ० एम० नं० एफ० 14/11/71-एस्टस (सी०) दिनांक 31 दिसम्बर, 1971 द्वारा जारी आदेशों के अनुसार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के चौंकीदारों के कार्य के घंटे युक्तिसंगत आधार पर निश्चित न करने के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (घ) मंत्रिमण्डल सचिवालय (कार्मिक विभाग) के दिनांक 31 दिसम्बर, 1971 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ० 14/11/71-स्थापना (सी०) के अनुसार, एक सप्ताह में ड्यूटी के 48 घंटे केवल उन चौंकीदारों के लिये निर्धारित करने चाहिये जिनकी ड्यूटी में सतत मानसिक और/अथवा शारीरिक काम और/अथवा सतर्कता की आवश्यकता होती है। केन्द्रित भण्डारों का पहरा देने वाले केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के चौकीदार इस श्रेणी में आते हैं और 12 मार्च, 1963 से उनकी ड्यूटी के घंटे तदनुसार निर्धारित किये गये हैं। चूंकि कार्यालय के चौंकीदारों के काम में मानसिक/शारीरिक क्रिया और सतर्कता की आवश्यकता नहीं होती है अतः वे कार्यालय बन्द होने से लेकर कार्यालय के अगले दिन खुलने तक कार्य करते हैं, जिसमें एक साप्ताहिक/पाक्षिक अवकाश होता है।

(ख) तथा (ग) उपर्युक्त उल्लिखित सामान्य आदेशों को देखते हुये इस का प्रश्न ही नहीं उठता।

चालू मौसम में उत्तर प्रदेश और बिहार में गन्ने के मूल्य में वृद्धि

3089. **श्री एस० एम० बनर्जी**: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और बिहार में नवम्बर, 1973 के आरम्भ होने वाले पेराई मौसम के लिये गन्ने के मूल्य बढ़ा दिये गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या गन्ना उत्पादकों में असंतोष बढ़ रहा है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

45 LSS/73—7

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) 1973-74 के लिये गन्ने का अखिल भारतीय न्यूनतम मूल्य सांविधिक तौर से निर्धारित किया जा चुका है जोकि 8.5 प्रतिशत अथवा इससे कम उपलब्धि पर 8 रुपये प्रति क्विंटल है। उपलब्धि में 8.5 प्रतिशत से प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि पर मूल्य में 9.4 पैसे अधिक देने की व्यवस्था है। तथापि आंशिक नियंत्रण की नीति जारी रखने और उत्पादन शुल्क में छूट देने के फलस्वरूप सामान्यतः यह आशा की जाती है कि उद्योग पिछले मौसम की भांति गन्ने का अधिक मूल्य देंगे। यह पता चला है कि उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों ही सरकारों ने उद्योग से परामर्श पर गन्ने के दिये जाने वाले मूल्य की व्यवस्था की है जोकि लखनऊ से पश्चिम के क्षेत्र के लिए 13.25 रुपये प्रति क्विंटल है और पूर्वी लखनऊ और बिहार के लिये 12.25 रुपये प्रति क्विंटल है।

वेतन आयोग द्वारा विभिन्न सरकारी मुद्रणालयों में कार्य कर रहे कर्मचारियों का बेहतर वेतनमानों से वंचित रखा जाना

3090. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेतन आयोग ने विभिन्न सरकारी मुद्रणालयों में कार्य कर रहे प्रैस कर्मचारियों को बेहतर वेतनमान नहीं दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्मिक संघों को उचित रूप से वर्गीकृत करने के लिये कोई समिति नियुक्त की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) वेतन आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ, प्रैस कर्मचारियों के लिये संशोधित वेतनमानों का सुझाव दिया है। आयोग ने उन विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों पर कर्मशाला के कर्मचारियों के पुनर्वर्गीकरण की आवश्यकता की भी सिफारिश की है जिनका गठन सरकार द्वारा इन प्रयोजन के लिये किया जायेगा। तदनुसार भारत सरकार मुद्रणालयों के कर्मचारियों के वर्गीकरण के लिये मार्च, 1973 में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को 31-10-73 को प्रस्तुत कर दी है जो विचाराधीन है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की छंटनी

3091. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के 944 कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इतनी बड़ी संख्या में कमी करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उन्हें वैकल्पिक रोजगार दिया जा रहा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम के लगभग 800 अस्थाई कर्मचारियों की सेवायें समाप्त करनी पड़ी थी। ये कर्मचारी गेहूं की

अधिप्राप्ति अभियान के दौरान या तो तीन महीनों की अवधि के लिये भर्ती किये गये थे या इस शर्त पर रखे गये थे उनकी सेवायें अल्प-सूचना पर समाप्त की जा सकेगी। छंटनी इसलिये जरूरी हो गई क्योंकि यह देखा गया कि इन कर्मचारियों को खपाने के लिये सभी सम्भव समायोजन करने के बाद भी वे आवश्यकता से फालतू थे।

(ग) जी नहीं।

राजस्थान के रेगिस्तान को कृषि योग्य बनाने का कार्य आरम्भ न कर पाना

3092. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के रेगिस्तान को कृषि योग्य बनाने के आदर्श अवसर को इस वर्ष गंवा दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना संबंधित राज्य सरकारों से मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी

खाद्यान्न की खेती के लिये प्रयुक्त भूमि को तिलहनों की खेती के लिये प्रयोग करना

3093. **श्री डी० डी० देसाई :**

डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों और तिलहनों की कीमतों के बीच अन्तर इतना अधिक है कि खाद्यान्नों की खेती के प्रयोग में आ रही भूमि के तिलहनों की खेती के लिये प्रयोग किये जाने की प्रत्येक संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो भूमि के इस प्रकार के उपयोग को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) वर्ष 1972-73 के दौरान तिलहनों के उत्पादन में मुख्यतः अधिक कमी होने के कारण, गत वर्ष के सूचकांकों की तुलना में तिलहनों के थोक मूल्यों के अखिल भारतीय सूचकांकों में काफी वृद्धि हुई है। तथापि, मूल्यों में अंतर होने के अलावा, किसी विशष मौसम में किसी एक फसल के क्षेत्र में दूसरी फसल की खेती शुरू करना, कृषि-जलवायु संबंधी परिस्थितियों के स्वरूप, परम्परागत रूप अपनाए जाने वाले फसल प्रतिमानों, तकनौलोजी की गति, किस्मों की सफलता बहुफसली खेती की प्रगति, कृषकों की तत्संबंधी लाभ प्राप्त करने की आशा, आदि अन्य बातों पर भी निर्भर करती है। देश में अनाजों तथा तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं और इन वर्षों के दौरान इन दोनों वर्गों की फसलों के अंतर्गत क्षेत्र को बढ़ाया गया है। इसके अतिरिक्त, जहां तक अनाजों का संबंध है, इस वर्ष उनके न्यूनतम साहय्य/अधिप्राप्ति मूल्यों में वृद्धि करने से उनकी खेती को अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।

कुरनूल, आन्ध्र प्रदेश में कपास पैदा करने की सघन योजना के लिये धन की मंजूरी

3094. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले को कपास पैदा करने के सघन योजना के लिए कुल कितनी धनराशि की मंजूरी दी गई है ;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत वर्ष-वार, इस के लागू होने के समय से कितने वास्तविक क्षेत्र में कपास की बुआई की गई तथा कितनी मात्रा में की गई है ;

(ग) इस पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है तथा क्या योजना पर कार्य संतोषजनक ढंग से चल रहा है ; और

(घ) इस योजना के बारे में किसानों की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में 1971-72 से सघन कपास ज़िला कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष-वार स्वीकृत/निर्मुक्त की गई धनराशि नीचे दी जा रही है:—

वर्ष	धनराशि	
	स्वीकृत की गई	निर्मुक्त की गई
	(रुपये लाखों में)	
1971-72	22.50	11.50
1972-73	24.93	21.75
1973-74	13.26	—

(ख) योजना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में उत्पादित कपास की मात्रा के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, कुरनूल ज़िले में योजना के अंतर्गत आए क्षेत्र तथा योजना के प्रारंभ से कपास का अनुमानित अतिरिक्त उत्पादन के आंकड़े नीचे दिये जा रहे हैं:—

वर्ष	योजना के अंतर्गत लिया गया क्षेत्र	अनुमानित अतिरिक्त उत्पादन (गाठें)
1971-72	10,000	1802
1972-73	14,400	2266
1973-74	20,000	अभी मौसम समाप्त नहीं हुआ है।

(ग) तथा (घ) इस योजना को क्रियान्वित करने के लिये राज्य सरकार को दी गई धनराशि के संबंध में जानकारी प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में दी गई है। व्यय के वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

यह योजना संतोषजनक रूप से चल रही है और इस संबंध में कृषकों की प्रतिक्रिया अच्छी है।

परीक्षा में बड़े पैमाने पर नकल करने की प्रथा को रोकने तथा परीक्षाओं के परिणामों को शीघ्र प्रकाशित करना

3095. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य शिक्षा विभाग के परामर्श से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा में बड़े पैमाने पर नकल करने की प्रथा को रोकने तथा परीक्षा के परिणामों को शीघ्र प्रकाशित करने के लिये कोई प्रयास किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या है तथा इसकी उपलब्धियां क्या है?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) जी हाँ। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा नियुक्त की गई एक समिति ने बड़े पैमाने पर नकल करने को रोकने तथा परिणामों को शीघ्र घोषित करने के उपायों के संबंध में अन्य बातों के साथ-साथ कई सिफारिशें की हैं। समिति की रिपोर्ट की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी गयी है। अभी हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को परीक्षा सुधार के लिए "एक कार्रवाई योजना" भेज दी है।

भारतवर्ष में कई विश्वविद्यालय अपनी-अपनी परीक्षा प्रक्रियाओं को सरल तथा कारगर बनाने में यांत्रिकी साधनों तथा कम्प्यूटरों की सहायता ले रहे हैं। तथापि, विश्वविद्यालयीय परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर नकल करने तथा अनुचित तरीकों का प्रयोग करने की प्रवृत्ति के बारे में निश्चित निष्कर्ष निकालने के लिए, सूचना उपलब्ध नहीं है।

छोटे किसानों द्वारा कुओं का संयुक्त स्वामित्व

3096. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे किसानों द्वारा कुओं पर संयुक्त स्वामित्व का परीक्षण देश के कुछ भागों के कृषि उत्पादन क्षेत्र को विकास की नई दिशा देने में सफल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कुओं पर संयुक्त स्वामित्व के परिणामस्वरूप छोटे किसानों को किसी प्रकार का आर्थिक लाभ मिला है तथा कितना मिला है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) सरकार की नीति यह है कि छोटे किसानों को संयुक्त रूप से लघु सिंचाई के लिए-पूंजी लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जाये। विशेषकर छोटी तथा बिखरी हुई जोतों वाले क्षेत्रों में कुओं के संयुक्त स्वामित्व को प्रोत्साहन देने के विषय में राज्य सरकारों को मार्गदर्शी सिद्धांत भेजे गए हैं। ऐसे मामले में प्रोत्साहनात्मक आर्थिक सहायता देने के संबंध में भी राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया है। लघु कृषक विकास एजेंसियों/सीमांत कृषक तथा कृषि श्रमिक विकास एजेंसियों के परियोजना क्षेत्रों में 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता देकर सामुदायिक सिंचाई को प्रोत्साहन दिया जाता है, जबकि अब तक छोटे कृषकों को 25 प्रतिशत तथा सीमांत कृषकों को 331/3 प्रतिशत तक आर्थिक सहायता दी जाती रही है। इन एजेंसियों से प्राप्त हुई प्रगति रिपोर्टों से पता चलता है कि सितम्बर, 1973 के अंत तक परियोजना के क्षेत्रों में सिंचाई के 1,324 नये सामुदायिक कुएं बनाए जा चुके हैं जबकि मार्च, 1973 के अंत तक ऐसे कुओं की संख्या 630 थी। इससे पता चलता है कि सामुदायिक सिंचाई के कार्यों की योजना लोकप्रिय हो गई है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने भी 'लघु कृषक,

सीमांत कृषक तथा कृषि श्रमिकों की विकास योजनाओं के कार्यक्रमों का पुनर्नवीकरण' नामक अपनी अंतरिम रिपोर्ट में सामूहिक स्वामित्व के कुओं की प्रणाली की प्रशंसा की है।

नेत्रहीनों के कल्याण के लिये विश्व परिषद्

3097. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेत्रहीनों के कल्याण के लिए विश्व परिषद् ने नेत्रहीनों को सहायता देने के लिए उत्तरदायी सभी सरकारों और संगठनों से अनुरोध किया है कि नेत्रहीनता की 'न्यूनतम' परिभाषा स्वीकृत की जाए जैसा कि इसकी विश्व संस्था ने निर्णय किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या नेत्रहीनता की परिभाषा तैयार करने की अपील पर भारत सरकार ने कार्यवाही की है ;

(ग) इस परिभाषा के आधार पर देश में नेत्रहीन व्यक्तियों की संख्या कितनी है ; और

(घ) नेत्रहीन व्यक्तियों को और सुविधाएं देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) नेत्रहीनों के कल्याण के लिए विश्व परिषद् ने 1969 में नई दिल्ली में हुए अपने अधिवेशन में विश्व नेत्रहीनता निवारण समिति से नेत्रहीनता की अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत समान परिभाषा बनाने का अनुरोध किया था ।

(ख) समाज कल्याण विभाग ने नेत्रहीनता की अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत परिभाषा अपना ली है।

(ग) नेत्रहीनता की व्यापकता और आपात के संबंध में कोई राष्ट्रीय सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तो भी, अनुमान लगाया गया है कि इस देश में 40--50 लाख तक नेत्रहीन व्यक्ति होंगे।

(घ) भारत सरकार ने देहरादून में नेत्रहीनों के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की है, जिस में केन्द्रीय ब्रेल प्रेस, राष्ट्रीय ब्रेल पुस्तकालय तथा ब्रेल उपकरणों के निर्माण के किए वर्कशाप शामिल हैं। इसे पांचवी योजना के दौरान मुख्यतया अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान क रूप में विकसित करने का विचार है। चतुर्थ योजना काल में साधारण शिक्षा तथा तकनीकी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए 918 नेत्रहीन छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गई थीं। 11 विशेष रोजगार कार्यालयों ने नेत्रहीनों को उचित रोज़गार प्राप्त करने में सहायता भी दी है। नेत्रहीन व्यक्तियों को अनेक रियायतें भी दी गई हैं। नेत्रहीन व्यक्तियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान दिए जाते हैं।

बड़े शहरों में गैर-सरकारी क्षेत्रों में मकानों के निर्माण पर रोक लगाना

3098. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्धन व्यक्तियों के लिए सस्ते मकानों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार बड़े शहरों में गैर-सरकारी क्षेत्र में मकानों के निर्माण पर रोक लगायेगी तथा मकानों का निर्माण केवल सरकारी क्षेत्र तक ही सीमित रखेगी ; और

(ख) यदि हां, तो गृह निर्माण की इस नीति को लागू करने के लिए क्या ठोस कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) सरकार बड़े शहरों में गैर-सरकारी क्षेत्र में आवास निर्माण कार्य पर रोक लगाना आवश्यक नहीं समझती है क्योंकि ऐसा करना लोक हित में नहीं होगा।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मेडिकल कालेजों में दाखिले के लिये जनजाति आदिवासी तथा हरिजनों को छूट देना

3099. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनजाति आदिवासियों तथा हरिजन उम्मीदवारों के लिये अर्हक अंकों में ढील की है ताकि वे मेडिकल कालेजों में दाखिला ले सकें ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख) मेडिकल कालेजों में केन्द्रीय सरकार के लिये आरक्षित सीटों पर मनोनीत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को न्यूनतम अर्हक अंकों में 5 प्रतिशत की रियायत की जाती है। राज्य सरकारों और संघशासित क्षेत्रों के बारे में अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

सामान्य से कम वर्षा होने के कारण फसल की बरबादी को रोकने के लिये अनुसन्धान

3100. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य से कम वर्षा होने के समय के दौरान पूरी फसल की बरबादी को, जैसा कि वर्ष 1972-73 के भयंकर सूखा वर्ष में हुआ था, रोकना अब संभव हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अनुसंधान की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) यह उल्लेखनीय है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए 173.38 लाख रुपये के परिव्यय से केवल बारानी खेती के लिए एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना स्वीकृत की गई है। इस परियोजना के अनुसंधान कार्यक्रम में बारानी क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अल्पावधि में, सूखा प्रतिरोधी अथवा सूखे से बचने वाली किस्मों का विकास खेती करने की उपयुक्त पद्धति का विकास, बारानी खेती के लिए सश्य-विज्ञान की प्रणालियां, भूमि और जल प्रबन्ध की पद्धतियां आदि शामिल हैं। किसानों द्वारा अपनाए जाने के लिए इसके अंतर्गत बारानी खेती की उपयुक्त पैकेज पद्धतियों का भी प्रदर्शन किया जायेगा।

बारानी कृषि पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के अन्तर्गत, जो कि पहले से ही

क्रियान्वित की जा चुकी है, पांचवीं योजनावधि में सूखे का सामना करने के लिए कुछ नये-नये अनुसंधान कार्यक्रम भी शुरू करने का प्रस्ताव है नये अनुसंधान कार्यक्रम की मुख्य बातें ये हैं :—

(i) यथासंभव न्यूनतम सिंचाई से काम चलाना (ii) मानसून के विलंब से आने पर अल्प अवधि की तथा ऊष्मा से असंवेदनशील फसलों का चुनाव तथा (iii) सूखे के असर से बचाने के लिए फसलों की पेड़ी रखना।

हिमाचल प्रदेश में सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण

3101. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश के सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों का व्यापक सर्वेक्षण करने तथा केरल में अपनाई गई पद्धति के अनुरूप सिंचाई के लिये एक ऐसी वृहद योजना बनाए जाने का निर्णय किया है जिसमें नदियों की क्षमता, सिंचाई के लिये सम्भावित क्षेत्र तथा सुविधा सम्बन्धी खर्च का अनुपात का पता लगाया जाएगा ; और

(ख) यदि हां, तो यह सर्वेक्षण किस तिथि तक आरम्भ किया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं, भारत सरकार ने इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में भारत-डेनमार्क पशु-फार्म

3102. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशु विज्ञान कालेज के एक विभाग के रूप में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पालमपुर में एक भारत डेनमार्क पशु फार्म स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो किस तिथि तक इस फार्म की स्थापना किये जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कृषि विभाग के अंतर्गत पालमपुर में न तो पशु विज्ञान महाविद्यालय और न ही पालमपुर में भारत-डेनमार्क पशु फार्म स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है।

(ख) चूंकि फार्म खोलने का कोई प्रस्ताव ही नहीं है, अतः इसकी संभावित तारीख का प्रश्न ही नहीं उठता।

अपेक्षाकृत बड़े नगरों में गन्दी बस्ती सफाई योजनायें

3103. **श्री नवल किशोर सिन्हा :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 तथा पांचवीं योजना अवधि में अपेक्षाकृत बड़े नगरों में गंदी बस्ती सफाई योजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च किये जाने की संभावना है ; और

(ख) क्या देश के बड़े नगरों के किसी भी नगर निगम ने इस संबंध में केन्द्रीय सहायता मांगी है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) गंदी बस्ती उन्मूलन योजना 1 अप्रैल, 1969 से राज्य क्षेत्र में है जिस के लिए उक्त तारीख से सीधे केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती है। तथापि, राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं के लिए केन्द्र द्वारा दिए गये समेकित ऋणों तथा समेकित अनुदानों का प्रयोग अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार करने में स्वतन्त्र हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्ष 1973 के दौरान मिट्टी का तेल, वनस्पति, सरसों के तेल, चीनी तथा बाल-आहार के खुले बाजार के मूल्य

3104. **श्री नवल किशोर सिन्हा :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1973 तथा सितम्बर-अक्तूबर, 1973 में विभिन्न राज्यों की राजधानियों और दिल्ली में मिट्टी के तेल, वनस्पति, सरसों के तेल, चीनी तथा बाल-आहार के नियंत्रित तथा खुले बाजार के मूल्य क्या थे ;

(ख) क्या उनके ध्यान में यह बात लाई गई है कि इनमें से अधिकतर वस्तुएं काला-बाजार में बेची जा रही हैं ; और

(ग) इन अत्यावश्यक वस्तुओं की उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) सरकार के संबंधित विभागों से सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा शीघ्र सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

श्री प्रतापसिंह संग्रहालय श्रीनगर से चोरी गई मूर्तियां

3105. **श्री नवल किशोर सिन्हा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री प्रतापसिंह संग्रहालय श्रीनगर से 10 अगस्त, 1973 को 5 मूर्तियां चोरी हो गई थीं ;

(ख) क्या चोरों को अब तक पकड़ा है और मूर्तियां बरामद की गयी हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में क्या प्रयास किये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) राज्य पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है।

उपभोक्ता सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाना

3106. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन् :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में उपभोक्ता सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) यह बात स्वीकार की गई है कि उपभोक्ता सहकारी सोसाइटियों को मजबूत बनाने तथा उनका विकास करने की जरुरत है, जिससे कि वे अत्यावश्यक पदार्थों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रधान भूमिका अदा कर सकें। उपभोक्ता सहकारी सोसाइटियों के स्वस्थ्य विकास और उनके कुशल कार्यकरण के मार्ग-दर्शक सिद्धांतों और मानकों के बारे में अनेक मंचों पर चर्चा की गई है और वे राज्य सरकारों तथा उपभोक्ता सहकारी सोसाइटियों को अपनाने तथा कार्यान्वियन के लिए भेजे गये हैं। भारत सरकार ने केन्द्रीय सरकार गारंटी योजना को जारी रखने के अलावा विकास तथा रोजगार की संभाव्यता रखने वाली उपभोक्ता सहकारी सोसाइटियों के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना लागू की है। इस योजना के अंतर्गत सावधानी पूर्वक बनाई गई परियोजनाओं के आधार पर नये बहु विभागी भंडार तथा अन्य खुदरा निकास खोलने और वर्तमान भंडारों का विस्तार करने के लिये वित्तीय सहायता दी जाती है। राज्य उपभोक्ता सहकारी परिसंघों को भी वित्तीय सहायता दी जा रही है, ताकि वे उपभोक्ता सहकारी भंडारों की खरीदारी को बड़े पैमाने पर पूल तथा समन्वित करने का कार्य आरंभ कर सकें। पांचवीं योजना के लिए विस्तृत योजनायें तथा कार्यक्रम भी तैयार किए गए हैं, जिनमें वैज्ञानिक आधार पर नये बहु-विभागी भंडार और बड़े खुदरा निकास खोलने और साथ ही कमजोर भंडारों को फिर से जमाने, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर थोक क्षेत्र को मजबूत बनाकर खरीदारी को पूल करने तथा कारगर व सरल बनाने, प्रबंधकीय संवर्ग बनाने तथा परामर्शदायी सेवाओं का विस्तार करने, प्रशिक्षण कार्यक्रम तेज करने और राज्यों तथा केन्द्र द्वारा पर्याप्त वित्तीय तथा प्रशासनिक सहायता देने की परिकल्पना की गई है।

अनाज की फसल के लिये विश्व बीज बैंक

3107. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन्** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनाज की फसलों के लिये विश्व बीज बैंक बनाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो भारत में इसके कब तक बनाए जाने की संभावना है ;

(ग) क्या हैदराबाद केन्द्र में चार फसलों के लिये 'जर्म प्लाज्म' तैयार कर लिया गया है ; और

(घ) भारत में प्रस्तावित विश्व बीज बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) विश्व बीज बैंक कार्य या 'जर्म प्लाज्म बैंक' की स्थापना करने के प्रश्न पर खाद्य तथा कृषि संगठन विचार कर रहा है।

(ख) इस बात का अभी निर्णय नहीं किया गया है कि कितने बैंक, कब और कहां स्थापित किए जाएंगे। पूरी आशा है कि ऐसा एक बैंक भारत में भी स्थापित किया जाएगा।

(ग) अर्द्ध-मरू क्षेत्र संबंधी अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान द्वारा तैयार किए जा रहे अनुसंधान-कार्यक्रम के अन्तर्गत हैदराबाद में चरी, लाल चना (अरहर या तूर), बंगाल चना और मूंगफली की चारों फसलों का जर्म प्लाज्म एकत्र किया जाएगा।

(घ) बीज बैंक स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य मौजूदा फसलों की किस्मों का वर्गीकरण करना और उनका परिरक्षण करना है। विश्व भर में विभिन्न अनुसंधान केंद्रों को उनके बीज उपलब्ध करके फसल सुधार कार्यक्रमों के लिए विशेष किस्मों को उपयोग में लाने हेतु उनके गुणों का अध्ययन करना है।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन तथा इसका गेहूं के वितरण पर प्रभाव

3108. **श्री बक्शी नायक**: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों द्वारा किये गये आंदोलन के कारण सितम्बर के मध्य में संपूर्ण दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में गेहूं के वितरण पर गंभीरता से बुरा प्रभाव पड़ा था ; और

(ख) इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के आंदोलन के कारण पैदा हुई कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए दिल्ली प्रशासन ने भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधक से परामर्श करने के बाद विशेष वैकल्पिक प्रबंध किए हैं और गेहूं के वितरण के कार्य में बाधा नहीं आने दी गई ।

विभिन्न विश्वविद्यालयों से स्नातक बनने वाले विद्यार्थी

3109. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों से 1971 और 1972 में वर्ष-बार तथा विश्वविद्यालय-वार स्नातक बनने वाले एम०ए०, एम० एससी०, एम० काम०, एम०टी० अथवा अन्य सामान परीक्षाएं पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ;

(ख) उच्चतर तथा विश्वविद्यालयों की परिक्षाओं में सफल रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या के कम होने के क्या कारण हैं ।

(ग) क्या उच्च शिक्षा विशेषकर (1) मेडिकल, (2) इंजीनियरिंग और (3) टेक्नीकल, के विद्यार्थियों की संख्या निरंतर गिर रही है और ऐसी शिक्षा के लिए हमारे युवकों में गंभीर उदासीनता बढ़ रही है ; और

(घ) यदि हां, तो विद्यार्थियों और युवकों के बीच उत्साह उत्पन्न करने की दृष्टि से शिक्षा मंत्रालय क्या कार्यवाही कर रहा है ताकि वे राष्ट्रनिर्माण में प्रभावशाली भूमिका अदा कर सकें ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) उपलब्ध सूचना विवरण 1(क) और 1(ख) में दी गयी है। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 5893/73]

(ख) कुल मिलाकर विभिन्न डिग्री की परीक्षाओं में उत्तीर्ण-छात्रों की संख्या में जो ह्रास हुआ है, उसका पता नहीं चलता। फिर भी कुछ विश्वविद्यालयों ने चंद पाठ्यक्रमों में हुए ह्रास के कुछ कारण दिए हैं जो संलग्न विवरण II में दिए गए हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 5893/73]

(ग) चिकित्सा-शिक्षा के दाखिले में विशेष कोई ह्रास नहीं हुआ है। इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में कुछ ह्रास हुआ है। इससे युवकों में किसी प्रकार की उदासीनता प्रतिबिम्बित नहीं होती, क्योंकि वाणिज्य विषय के दाखिले में इनकी तदनुरुपता की अपेक्षा अधिक वृद्धि हुई है।

(घ) छात्रों में सामाजिक चेतना जागृत करने और रचनात्मक कार्य के लिए उनमें उत्साह उत्पन्न करने तथा शैक्षणिक प्रांगणों के इर्द-गिर्द काम के अवसर प्रदान करने के लिए और जो शिक्षा वे प्राप्त करते हैं उसका ठोस सामाजिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कई राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के विश्वविद्यालयों और कालेजों में राष्ट्रीय सेवा योजना को लागू कर दिया गया है।

Demand for Setting up of Vanaspati distribution centres in Delhi

3110. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether some leading Members of Delhi Metropolitan Council and the people of Delhi have strongly opposed the Vanaspati distribution scheme authorising the shopkeepers to distribute Vanaspati and have demanded that Vanaspati distribution centres to set up in every part of the city; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) and (b) Suggestions for broad basing the system of distribution of Vanaspati were received by the Delhi Administration from the Consumer Council of India and also from a few individuals but the supply position eased by the time and all restrictions on the distribution of vanaspati have been lifted from the 10th November, 1973. However, the Delhi Administration will be advised to keep these suggestions in view when formulating any new system of distribution, if and when the need for it arises.

Expansion and Development of Capital Region

3111. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether a comprehensive plan is being chalked out for the expansion and development of capital region which includes a provision for the construction of two bridges on the Yamuna river; and

(b) if so, the facts in this regard ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) & (b) A comprehensive Regional Plan has been prepared for the development of the National Capital Region. The Plan includes provision for construction of three bridges on the Yamuna river near Sonipat, Ballabhgarh and Palwal.

घोषित राष्ट्रीय नीतियों के अनुरूप पाठ्य-पुस्तकों का प्रकाशन

3112. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "क्रेश" कार्यक्रम के अन्तर्गत की गई 1387 पुस्तकों में से 375 पुस्तकों में राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से आपत्तिजनक पाठ्य सामग्री पाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने घोषित राष्ट्रीय नीतियों के अनुरूप पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशन के लिये क्या उपाय किये हैं ?

शिक्षा, और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संकृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से आपत्तिजनक घोषित की गई 375 पुस्तकों में से 25 पुस्तकों को स्कूलों से हटाने की सिफारिश की गई है तथा 350 पुस्तकें ऐसी हैं जिनमें पैराग्राफों, पंक्तियों अथवा शब्दों में संशोधन करने अथवा निकालने की सिफारिश की गई है। इस सिफारिश के संबंध में अधिकांश राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों ने कदम उठाए हैं।

(ख) पाठ्य पुस्तकों के लेखकों का मार्गदर्शन करने के लिये राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्राधिकारियों द्वारा उपयुक्त मानक निर्धारित किये गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने भी स्कूलीय पाठ्य-पुस्तकों के लिये मानक स्तरों की सिफारिश की है। स्कूलों के लिये, पुस्तकें निर्धारित किये जाने से पूर्व उनका पुनरीक्षण किया जाता है। रा० शि० अनु० तथा प्र० प० सुधरी हुई पाठ्यचर्या का विकास करती है तथा राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के प्राधिकारियों द्वारा अपनाए जाने के लिये आदर्श पाठ्य-पुस्तकें प्रकाशित करती है। राज्यों और संघ क्षेत्रों के प्राधिकारियों के निकट सहयोग से रा० शि० अनु० तथा प्र० प० द्वारा किये गए पुनरीक्षणों से अब इन कार्यवाइयों को और बल मिलेगा।

भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ द्वारा प्रयोजित परिवार नियोजन पर 1973 का राष्ट्रीय पुरस्कार

3113. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ द्वारा परिवार नियोजन के बारे में प्रायोजित 1972 का राष्ट्रीय पुरस्कार नीलगिरि ज़िले में वेंगोर्म टी एस्टेट ने जीता है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त टी एस्टेट की जनसंख्या कितनी है, कितने दम्पत्ति इसके पात्र हैं, कितने व्यक्तियों ने नसबन्दी कराई है तथा उक्त संगठन को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कोंडाजी वासप्पा) : (क) वेंगोर्म टी एस्टेट को परिवार नियोजन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिये 1972 में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ का पुरस्कार दिया गया।

(ख) अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है:—

(1) एस्टेट की जनसंख्या . . .	1162
(2) पात्र दम्पति	270
(3) नसबन्दियों की संख्या	73

(4) इस एस्टेट को परिवार नियोजन कार्य के लिये अन्य कोई राष्ट्रीय या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ का पुरस्कार नहीं मिला है।

भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान में मक्का, सोरगम, और मिलेट के उत्पादन के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम

3114. श्री राज देव सिंह : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्यारह मध्य एशियाई और अफ्रीकी देशों के कृषि वैज्ञानिकों ने नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में मक्का, सोरगम और मिलेट के उत्पादन और सुधार के बारे में 6 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किया है;

(ख) क्या इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का वित्त पोषण एफ० ए० ओ० के माध्यम से स्वीज अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा किया जाता है;

(ग) क्या इस प्रकार का यह पहला प्रशिक्षण हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। यह पाठ्यक्रम 18 जून, 1973 से प्रारम्भ किया गया था।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं। यह दूसरा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है। पहला प्रशिक्षण पाठ्यक्रम वर्ष 1971 में आयोजित किया गया था।

(घ) मक्का, चरी तथा मिलेट के सुधार के संबंध में प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जून-नवम्बर, 1971 में 6 महीने की अवधि के लिये आयोजित किया गया था, जिसमें घाना, केनिया, मालवी, सोमालिया, यमन, ईराक, सीरिया, मिश्र तथा नाइजेरिया से 18 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया था। यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। उनके नियमित भाषणों तथा प्रयोगों के अतिरिक्त, प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी ने एक विशेष अनुसंधान सम्बन्धी कार्य किया था, जिस पर पाठ्यक्रम के अन्त में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

वैस्ट कोस्ट राष्ट्रीय राजपथ संख्या 17 का सुधार

3115. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1973-74 एवं पांचवीं योजनावधि के दौरान राष्ट्रीय राजपथ संख्या 17 में क्या सुधार किये जाने हैं;

(ख) इस राजपथ पर इस समय क्या काम चल रहे हैं तथा कहां पर चल रहे हैं और उन पर कितने व्यय का अनुमान है; और

(ग) इस राजपथ को राष्ट्रीय राजपथ के स्तर तक कब तक लाया जायेगा और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान आवश्यक तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति के बाद अनुमोदन चालू करने के लिये अपेक्षित विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 17 के सुधार-कार्यों को दिखाने वाला एक विवरण (विवरण I) संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5894/73] । पांचवी पंचवर्षीय योजना में इस राष्ट्रीय राजमार्ग के सुधार कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है क्योंकि पांचवीं योजना अभी आरम्भिक चरण में है।

(ख) विभिन्न राज्यों में चालू कार्यों को दिखाने वाला विवरण (विवरण II) संलग्न कर्नाटक के बारे में सूचना राज्य सरकार से प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा । [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5894/73]

(ग) इस मार्ग के राष्ट्रीय राजमार्ग स्तर तक सुधार करने के लिये विवरण I में दिये गए कार्यों की सूचना जांच और परियोजना की तैयारी के लिये राज्यों को बता दी गई है और राज्यों से उनके प्राप्त होने पर उचित जांच के बाद उनकी स्वीकृति के लिये विचार किया जायेगा और इसके बाद कार्य शुरू किये जायेंगे और उनका पूरा होना धन की उपलब्धता सहित कई बातों पर निर्भर करेगा।

राष्ट्रीय पत्तन बोर्ड द्वारा मछली पकड़ने के लिये पत्तन

3116. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पत्तन बोर्ड ने गत बैठक में पश्चिमी तट पर मछली पकड़ने के लिये किन-किन पत्तनों का निर्माण आरम्भ किये जाने का निर्णय किया था;

(ख) क्या राष्ट्रीय पत्तन बोर्ड के निर्णय के परिणामस्वरूप कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड की पिछली बैठक में मछली पकड़ने वाले बन्दरगाहों का निमार्ण आरम्भ करने के बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ था। बैठक में कुछ सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि विशाखापटनम और कलकत्ता में मछली पकड़ने वाले बन्दरगाहों के प्रस्तावों में शीघ्रता लाई जानी चाहिये। पश्चिमी घाट के किसी विशेष बन्दरगाह के सम्बन्ध में इसी प्रकार का सुझाव दिये जाने का रिकार्ड में कोई उल्लेख नहीं है। तथापि महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार द्वारा किये गए प्रस्तावों का हवाला दिया था। आवश्यक कार्यवाही के लिये इस सुझाव को नोट कर लिया गया था।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र में मछली पकड़ने के बन्दरगाहों के लिये प्रस्तावों की जांच की जा रही है। स्वीकृति के लिये इन प्रस्तावों पर कार्यवाही करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार से कुछ अपेक्षित सूचना मांगी गई थी। यह सूचना प्राप्त हो गई है और इन प्रस्तावों पर आगे कार्यवाही की जा रही है।

खाद्य जोन

3117. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्न जोन कौन-कौन से हैं और उनकी क्षेत्रीय सीमा क्या है;

(ख) इन बनावटी जोनों के गठन का तर्क क्या है; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि इन जोनों के गठन के परिणामस्वरूप कालाबाजार को प्रोत्साहन मिलता है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है।

(ख) और (ग) खाद्यान्नों की अधिकतम अधिप्राप्ति करने और व्यापारियों द्वारा सट्टेबाजी के लिये खरीदारी को समाप्त करने हेतु बिकाऊ अधिशेष पर तथा मूल्यों और उपलब्धता पर प्रभावकारी ढंग से सरकारी नियंत्रण रखने की दृष्टि से खाद्यान्नों के अन्तर्राज्यीय संचलन पर प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक समझा गया है। अतः खाद्य-जोन काला बाजार गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। जिन सांविधिक आदेशों के अधीन क्षेत्रीय प्रतिबंध लगाए गये हैं। उनमें कदाचारों की रोकथाम करने के लिये पर्याप्त वैधानिक व्यवस्था है। इस संबंध में राज्य सरकारें उचित कदम उठा रही हैं।

विवरण

खाद्य क्षेत्र तथा खाद्यान्नों के संचलन पर लगे प्रतिबन्ध

(क) चावल जोन

(1) उत्तरी चावल जोन (जिसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़ और दिल्ली के संघ शासित प्रदेश शामिल हैं)। (2) आन्ध्र प्रदेश तथा संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी का यनम क्षेत्र (3) असम (4) बिहार (5) गुजरात (6) केरल और संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी का माहे क्षेत्र (7) मध्य प्रदेश (8) महाराष्ट्र (9) मणिपुर (10) मेघालय (11) कर्नाटक (12) उड़ीसा (13) राजस्थान (14) तमिल नाडु और संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी में स्थित पांडिचेरी और कारीकल के क्षेत्र (15) त्रिपुरा (16) उत्तर प्रदेश (17) पश्चिमी बंगाल (18) दादर एंव नागर हवेली (19) गोआ, दमन एवं दीव।

(ख) गेहूं जोन

(1) आन्ध्र प्रदेश राज्य और संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी का यनम क्षेत्र (2) असम (3) बिहार (4) गुजरात राज्य, दादर एवं नागर हवेली के संघ शासित प्रदेश और संघ शासित प्रदेश गोआ, दमन और दीव के दमन एवं दीव क्षेत्र (5) हरियाणा (6) हिमाचल प्रदेश (7) जम्मू एवं कश्मीर (8) केरल राज्य, लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीव द्वीप समूह के संघ शासित प्रदेश और संघ शासित प्रदेश के पांडिचेरी का माहे क्षेत्र (9) मध्य प्रदेश (10) महाराष्ट्र राज्य और संघ शासित प्रदेश गोआ, दमन और दीव का गोआ क्षेत्र (11) मणिपुर (12) मेघालय (12) कर्नाटक (14) नागालैंड (15) उड़ीसा (16) पंजाब राज्य और संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ (17) राजस्थान (18) तमिल नाडु राज्य और संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी के पांडिचेरी और करिकल क्षेत्र (19) त्रिपुरा (20) उत्तर प्रदेश (21) पश्चिमी बंगाल राज्य (उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां पश्चिमी बंगाल राशनिंग आदेश, 1964 लागू है) और संघ शासित प्रदेश अण्डेमान एवं निकोबार द्वीप समूह (22) संघ शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश (23) संघ शासित प्रदेश दिल्ली (24) संघ शासित प्रदेश मिजोरम।

(ग) मोटे अनाजों के निर्यात पर लगे प्रतिबन्ध

प्रमुख मोटे अनाजों के निर्यात पर लगे प्रतिबन्धों के बारे में स्थिति इस प्रकार है:—

क्रम सं०	अनाज	राज्य/संघ शासित प्रदेश जहां से निर्यात करने की मनाही है
1	2	3
(1)	बाजरा	आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिल नाडु, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, गोआ, दमन एवं दीव और पांडिचेरी।
(2)	ज्वार	आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक राजस्थान, तमिल नाडु, उत्तर प्रदेश, गोआ दमन एवं दीव पांडिचेरी।
(3)	मक्का	आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, तमिल नाडु, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, पांडिचेरी।
(4)	रागी	आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिल नाडु, दादर तथा नागर हवेली, पांडिचेरी।

भारत-रूस गेहूं ऋण करार पर अमरीकी कृषि मंत्री का वक्तव्य

3118. **श्री राम कंवर :**

श्री नरेन्द्र सिंह :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अमरीकी कृषि मंत्री मि० सुल्टजे के इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि अमरीका को रूस से एक आश्वासन प्राप्त हुआ है कि रूस किसी तीसरे देश को अमरीकी गेहूं नहीं देगा, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) जी हां। भारत सरकार इससे सम्बन्धित नहीं है क्योंकि यह मामला दो विदेशी सरकारों से सम्बन्धित है।

भाण्डागारों में अधिक उपज देने वाले बीजों का जमा होना

3119. **श्री राम कंवर :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीज निगम के भाण्डागारों में बीजों के जमा होने के क्या कारण हैं जबकि देश के विभिन्न भागों से अधिक उपज देने वाले बीजों की ज़ोरदार मांग हो रही है; और

(ख) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) राष्ट्रीय बीज निगम के भाण्डागारों में बीजों का संचय नहीं है। निगम अपने स्टाक में 5-6 महीनों के लिये प्रमाणीकृत बीजों को इतनी ही मात्रा में जमा रखता है जिनकी बुवाई के आगामी मौसम में आवश्यकता पड़ सकती है। प्रति वर्ष 31 मई को बचे हुये स्टाक का मूल्य प्रायः उत्पादित प्रमाणीकृत बीजों के कुल मूल्य का 17 प्रतिशत होती है।

चिन्ताजनक खाद्य स्थिति

3120. **श्री राम कंवर :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 लाख टन खाद्यान्नों के अतिरिक्त आयात के बावजूद अभी तक खाद्य समस्या चिंताजनक बनी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) 1971-72 और 1972-73 में खाद्यान्नों की पैदावार कम होने के कारण देश में खाद्य स्थिति पर पर्याप्त दबाव बना रहा। चालू वर्ष के दौरान देशभर में मौसम की स्थिति सामान्यतया अनुकूल रही है, इसमें न केवल खरीफ की फसलों की संभावनाओं में सुधार हुआ है बल्कि रबी की बुवाई को भी फायदा पहुंचा है। आपातिक खाद्यान्नों के स्टाक की भरपाई करने और बाजार में उपलब्धता में सुधार होने से खाद्य-स्थिति में सुधार होने की आशा है।

45 LSS/73—8.

DTC Buses for Rural Areas of Delhi

3121. **Shri Ishwar Chaudhry :**

Shri G.P. Yadav :

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to run Delhi Transport Undertakings Buses in rural areas of Delhi; and

(b) if so, the reasons for not starting bus service on those routes in the rural areas ?

The Minister of State in the Ministry of Shipping & Transport (Shri M. B. Rana) : (a) & (b) The Delhi Transport Corporation is already operating bus services on forty four routes connecting the rural areas of Delhi. The Corporation proposes to cover more such areas, when its fleet is augmented. The State Transport Authority, Delhi, has recently decided to allot 51 more bus-permits to this Corporation for operating bus services on the existing as also new routes in the rural areas. Buses on these routes will be operated after the necessary permits are actually granted to the Corporation.

Slackening procurement of Paddy in Punjab by Food Corporation of India

3122. **Shri Ishwar Chaudhry :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Officials of the Food Corporation of India have connived with the dealers in foodgrains of Punjab and the Corporation has slackened the operations of paddy procurement thus enabling the dealers to purchase paddy from the farmers at less than the minimum price; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Rise in D.T.C. Fare due to Hike in Petrol price

3123. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether, due to price hike in petrol, the Delhi Transport Corporation propose to enhance the fares of buses being operated by them in Delhi;

(b) if so, the extent thereof; and

(c) whether Government, while taking action in this regard will keep in view the fact that the mode of conveyance of poor and general masses is not made dearer ?

The Minister of State in the Ministry of Shipping & Transport (Shri M. B. Rana) : (a) to (c) The recent increase in the price of petrol has not affected the cost of operation of the buses of the D.T.C., which has a fleet of diesel engined vehicles. The question of raising the fare structure of the Corporation following the increase in the price of motor spirit does not, therefore, arise.

संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय विकास केन्द्र द्वारा 'केस स्टडी' के लिये मेरठ को चुना जाना

3124. **श्री राम भगत पासवान :**

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय विकास केन्द्र ने मेरठ को 'केस स्टडी' के लिये चुना है; और

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है तथा इस के द्वारा मेरठ को चुने जाने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय विकास केन्द्र द्वारा किया जाने वाला अध्ययन एशिया के विभिन्न देशों में "शीघ्र नगरीकरण के संदर्भ में वांच्छनीय जनसंख्या वितरण प्राप्त करने में मध्यम नगरों की भूमिका" पर एक बहु राष्ट्रीय तुलनात्मक अध्ययन का ही एक भाग है। इस अध्ययन का उद्देश्य, मध्यम आकार के नगरों में स्वतः वृद्धि लाने में सहायक कारणों के सूत्रों की खोज करना है।

इस अध्ययन के लिये, एक महानगर के समीप, एक मज़बूत आर्थिक आधार वाले नगर केन्द्र का चयन किया जाना था जो महानगर के समीप होते हुये भी इतनी दूरी पर हो कि उस के तत्काल एवं अत्यधिक प्रभाव से बचा रहे । मेरठ इस कसौटी पर पूरा उतरा, अतः अध्ययन हेतु उस का चयन किया गया।

Increase in Sale price of Wheat

3125. **Shri Ramavatar Shastri :**

Shri Sukhdeo Prasad Verma :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have increased the sale price of wheat;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether prices of other commodities will not increase as a result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c) With a view to maintaining inter-grain price parity consequent upon the upward revision of the procurement and issue prices of rice and coarse-grains, the Central issue price of wheat has been increased reducing thereby the subsidy burden and deficit financing. The increase in the issue prices of wheat is not likely to have any noticeable impact on prices in general.

Expansion of Modern Bakeries to make available cheap nutritive Loaves of Bread

3126. **Shri Ramavatár Shastri :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated a scheme to expand the Modern Bakeries to make available cheap and nutritive loaves of bread; and

(b) if so, the broad features thereof and the expenditure likely to be incurred on its implementation ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) and (b) Yes, Sir. The immediate programmes of expansion are :

(i) the expansion of the production capacity at Delhi, Bangalore, Hyderabad and Kanpur,

(ii) Setting up of units at Indore, Bhubaneswar, Chandigarh and Ranchi, and

(iii) Setting up of bun/roll plants at Calcutta and Bombay.

The programme of setting up of additional units during the Fifth Five Year Plan in other States is now under consideration. The anticipated expenditure on the immediate plans for expansion is of the order of Rs. 5.45 crores.

Labourers working in the Government press, Aligarh

3127. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the number of labourers working in the Government Press, Aligarh;

(b) whether they have submitted any charter of demands to the Government; and

(c) if so, the main features thereof and the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) Presumably the member is referring to industrial workers in the Government Press at Aligarh. They number 1046.

(b) & (c) Yes. The recognised Union of the Press *viz.* Rajkiya Press Mazdoor Sangh, Aligarh had submitted a Charter of Demands on 24-9-1973. The main demands are under examination. These relate to :—

(1) Rotation of staff between day and night shift.

(2) Obstruction in running of administration by some officers.

(3) Extension of Govt. of India Press, Aligarh.

(4) Revival of lapsed posts.

(5) Creation of posts of compounder and copy holder.

(6) Construction of a second phase of quarters.

(7) Construction of a dangerous building.

(8) Delegating more purchasing powers.

(9) Abnormal delay in payment of funds and other dues.

(10) Stopping of overtime.

(11) Readership examination.

दिल्ली में आठवीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा

3128. **श्री रामावतार शास्त्री :**
[श्री रण बहादुर सिंह :

क्या **शिक्षा,' समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने आठवीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा न लेने का निर्णय किया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों के शिक्षा स्तर को, दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों के बराबर लाने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा मिडिल स्कूल परीक्षा 1964 में शुरू की गई थी। चूंकि अब सभी मिडिल स्कूलों को शिक्षा निदेशालय, दिल्ली के सीधे नियंत्रण में लाया गया है अतः मिडिल स्कूल परीक्षा को जारी रखना आवश्यक नहीं समझा जाता और इसलिए इस परीक्षा को आयोजित न करने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा परीक्षा सुधार के बारे में की गई सिफारिश के अनुरूप भी है। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा परीक्षा सुधार के बारे में की गई सिफारिश के अनुसार स्कूलों को आन्तरिक मूल्यांकन प्रणाली के जरिए मूल्यांकन कार्य में निरन्तर तथा और अधिक रुचि लेनी चाहिए, दसवीं कक्षा के अन्त में ली जाने वाली परीक्षा के समेत सभी स्कूली परीक्षाएं अन्ततः स्कूलों द्वारा ही आयोजित की जानी चाहिए तथा प्रथम सार्वजनिक परीक्षा बारहवीं कक्षा के अन्त में होनी चाहिए।

भारतीय संस्कृति का समांगीकरण

3129. **श्री बी० वी० नायक :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में भारतीय संस्कृति में समांगीकरण की प्रवृत्तियां स्पष्ट थी ;

(ख) क्या इस प्रवृत्ति को राज्यों के भाषायी आधार का पुनर्गठन से धक्का लगा है ; और

(ग) क्या इन प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जाएगा ताकि भारतीय संस्कृति पद्धति में इन परिवर्तनों को एक निश्चित दिशा दी जा सके ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) संस्कृति जैसे मामलों पर सरकार के लिए कोई सरकारी परिकल्पना करना उपयुक्त नहीं होगा। तथापि, देश में सांस्कृतिक संश्लेषण की पद्धति में, विविधता को बनाए रखते हुए, बुनियादी रूप से एकता में आस्था रखने तथा पूर्ण सहनशीलता और व्यापक सहहृदयता की परम्परा रही है।

संविधान, नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी निजी पृथक भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को सुरक्षित रखने के अधिकार की गारंटी देता है। तदनुसार, भारतीय राष्ट्रवाद की एकता में बढ़ोत्तरी, जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के विकास के अनुरूप नहीं हुई है। अतः यह कहना सही नहीं होगा कि भाषायी सिद्धांतों के आधार पर राज्यों की क्षेत्रीय सीमाओं के पुनर्गठन के कारण, भारतीय राष्ट्रवाद की संकल्पना कमजोर हो गई है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बहुत से अध्ययन प्रकाशित किए गए हैं जिनसे एकता के बुनियादी तथ्य प्रकाश में आए हैं जिनमें देश में विद्यमान विभिन्न भाषायी संस्कृतियों की समृद्ध बीजेक भरे पड़े हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद भी, संविधान में सन्निहित राष्ट्रवाद के सिद्धांतों के प्रसार में मदद देती है।

शिपयार्डों के बारे में विशेषज्ञ समिति के निष्कर्ष

3130. **श्री बी० वी० नायक :**

श्री के० कोडण्डारामी रेड्डी :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शिपयार्डों के लिए विभिन्न स्थलों की जांच पड़ताल करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) चूंकि तकनीकी आर्थिक कार्य दल अब विभिन्न निर्माण स्थलों को देखने गया है और राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों से विचार विमर्श किया है उनकी रिपोर्ट के शीघ्र ही मिलने की संभावना है।

D.T.C. Buses damaged on 6th November, 1973

3131. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether many D.T.C. buses were considerably damaged on the day of 'Delhi bandh' on the 6th November ; and

(b) if so, the number of damaged buses and estimated loss suffered by the damage caused to the buses ?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M. B. Rana) : (a) Yes, Sir.

(b) 78 buses were damaged and the loss suffered by the Delhi Transport Corporation, on this account, is estimated to be about Rs. 22,230.

Report of Categorisation Committee of Employees in Presses

3132. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether a Categorisation Committee was set up in 1964 by the concerned Department to classify the categories of employees working in Government of India Presses and the Report of the Committee was made applicable in all the Presses from the 1st January, 1966 including the Government of India Press, Faridabad ; and

(b) whether no promotions have been made so far in the composing unit, Faridabad Press in accordance with the report and if so, the reasons, therefor?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) Yes. However, in case of certain supervisory categories the decisions were made applicable w.e.f. 18-7-1967.

(b) No. Actually promotions have been made as Compositors Grade-I in the case of 35 out of 48 posts.

Seniority List of the Employees of Government of India Press, Faridabad

3133. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the rules under which the Seniority List of the employees working in Government of India Press, Faridabad is prepared ;

(b) whether the Seniority List has not been published by this Press for the last many years and if so, the reasons therefor ;

(c) whether productivity in the Press has been considerably declining for the past some years on account of disputes over seniority ; and

(d) if so, the steps taken by Government to end the disputes?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) The Press management is working provisionally on the Seniority List as on the 1st January, 1966 based upon the length of service.

(b) The seniority list has not as yet been finalised due to claims and counterclaims of the employees.

(c) No.

(d) The matter is under consideration.

Increase in Price of Milk during last three years

3134. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state: 'the number of times the price of milk supplied by D.M.S. has been increased during the last three years and the price of milk per litre fixed by the Delhi Milk Scheme in the beginning ?'

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : There has been no increase in the selling prices of milk sold by the Delhi Milk Scheme during the last three years upto November, 1973. However, a marginal reduction in the fat content of standardized milk from 5% to 4.5% was effected in October, 1971. In the beginning (from 1959 to 1964) the Delhi Milk Scheme was marketing only bottled buffalow milk @ Rs. 0.62 Paise per litre. Since 5th November, 1973 it is selling special toned milk (3.5% fat) @ Rs. 1.30 per litre and double toned milk (1.6% fat) @ Rs. 0.70 paise per litre.

सुपर बाजार, दिल्ली में चीनी और दालों की बिक्री पर प्रतिबन्ध

3136. **श्री पीलू मोदी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित सुपर बाजार ने कुछ समय पूर्व यह प्रतिबन्ध लगाया था कि चीनी और दालें केवल उन्हीं व्यक्तियों को बेची जाएं जो 50 रुपए से 100 रु० के मूल्य की पंसारी और प्रसाधन की वस्तुएं खरीदें;

(ख) क्या इससे एकाधिकार तथा प्रतिबंधनात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के कतिपय उपबंधों का उल्लंघन हुआ है ;

(ग) क्या एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग ने सुपर बाजार के प्रबंधकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है ; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) सुपर बाजार, दिल्ली ने 29 अगस्त, 1973 को एक परिपत्र जारी किया था जिसके अनुसार एक ग्राहक एक समय पर अधिक से अधिक दो किलोग्राम दालें और दो किलोग्राम चीनी खरीद सकता था, लेकिन 50 रु० तथा 100 रु० तक की दूसरी किराने तथा प्रसाधन की वस्तुएं खरीदने वाले नियमित ग्राहक क्रमशः 5 किलोग्राम दालें व 5 किलोग्राम चीनी और 10 किलोग्राम दालें व 10 किलोग्राम चीनी खरीद सकते थे ।

(ख) और (ग) एकाधिकार तथा प्रतिबंधनात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग ने 5 सितम्बर, 1973 को सुपर बाजार के महाप्रबन्धक को एक पत्र भेजा था, जिसमें उनका ध्यान एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम, 1969 के विभिन्न उपबन्धों की ओर दिलाया गया था और अधिनियम के उन उपबंधों को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित अनुदेशों पर पुनर्विचार करने का सुझाव दिया गया था । सुपर बाजार ने सम्बन्धित परिपत्र वापिस ले लिया और आयोग को इस परिपत्र को जारी करने का कारण बताया कि स्टाक सीमित था और सुपर बाजार के भाव चालू बाजार भावों से बहुत कम थे, इसलिए यह सुनिश्चित करना था कि वास्तविक उपभोक्ताओं को वस्तुओं का उचित वितरण किया जा सके और जमाखोरी को रोका जा सके। इस पर एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग ने इस मामले पर आगे कार्यवाही न करने का निर्णय किया।

(घ) उपर्युक्त (ख) और (ग) में बताई गई स्थिति को देखते हुए सरकार द्वारा कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है ।

कृषि वैज्ञानिकों के वेतन सरकारी सेवा वैज्ञानिकों के समान करना

3137. **श्री वी० मायावन** :

श्री प्रभु दास पटेल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय किया है कि कृषि वैज्ञानिकों के वेतन अन्य सरकारी वैज्ञानिकों के वेतन के समान होंगे; और

(ख) कृषि वैज्ञानिकों को प्राप्त अन्य क्या लाभ दिये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पुनर्गठन के सम्बन्ध में सरकार के निर्णयों को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण, कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा दिनांक 12 नवम्बर, 1973 को सभा पटल पर रख दिया गया था। इस विवरण में अन्य बातों के अतिरिक्त कृषि वैज्ञानिकों के वेतनमान तथा कार्य सम्बन्धी अन्य सुविधाओं के संबंध में सरकारी निर्णय भी दिये गये हैं।

देश में अनाज परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना

3138. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार अनाज परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या ये सभी प्रयोगशालायें नवीनतम उपकरणों से पूरी तरह सुसज्जित हैं ; और

(ग) क्या इन प्रयोगशालाओं को नवीनतम उपकरण उपलब्ध कराने तथा प्रत्येक जिले में ऐसी प्रयोगशालाओं की स्थापना से तकनीशिनों को नौकरियां देने की सरकार ने कोई योजना बनाई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) सूचना का एक विवरण संलग्न है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रीय खाद्य प्रयोगशालाओं को यंत्र आदि देने तथा नई संयुक्त खाद्य और औषध प्रयोगशालाएं खोलने का विचार है। प्रत्येक जिले में प्रयोगशालाएं खोलने का कोई विचार नहीं है ।

विवरण

राज्य	प्रयोगशालाओं की कुल संख्या
1. आन्ध्र प्रदेश	2
2. असम	1
3. बिहार	2
4. गुजरात	5
5. हरियाणा	1
6. जम्मू व कश्मीर	2
7. हिमाचल प्रदेश	1
8. केरल	1
9. मध्य प्रदेश	12
10. तमिलनाडु	3
11. महाराष्ट्र	6
12. मैसूर	4
13. उड़ीसा	1
14. पंजाब	4
15. राजस्थान	14
16. उत्तर प्रदेश	1
17. पश्चिम बंगाल	8
18. दिल्ली	1
19. गोआ	1
20. पांडिचेरी	1
	71

आपात स्थिति के लिये खाद्यान्नों का बफर भण्डार

3139. **श्री जी० वाई० कृष्णन:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूखा और बाढ़ जैसी अनदेखी स्थितियों का सामना करने के लिए अनाज का बफर भण्डार बनाने तथा प्रजनक का वैज्ञानिक प्रजनन, फाउंडेशन तथा सर्टीफाइड सीड्स प्रोग्राम और नकली बीजों के व्यापार को खत्म करने के लिए बीज अधिनियम को लागू करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो इसका सारांश क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) (क) और (ख) : एक ही मौसम में और एक से दूसरे मौसम में खाद्यान्नों की पैदावार में घट-बढ़ से निपटने के लिए सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में 50 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का बफर स्टाक तैयार करने का निर्णय किया था। स्थिति की और समीक्षा करने से बफर स्टाक के स्तर को 50 लाख मीटरी टन से बढ़ाकर 70 लाख मीटरी टन कर दिया गया है।

फाउंडेशन तथा प्रमाणित बीजों की पैदावार, सप्लाई और वितरण की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों की होती है। तथापि अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए दीर्घकालीन उपाय के रूप में केन्द्रीय क्षेत्र में प्रमुख फसलों के फाउंडेशन तथा प्रमाणित बीजों का बफर स्टाक बनाने के लिए एक योजना तैयार की गई है ताकि असामान्य मौसम के कारण फसल के खराब हो जाने की दशा में बीज सुलभ किए जा सकें।

राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे बीज अधिनियम, 1966 के विभिन्न उपबंधों को लागू करें।

विद्यार्थियों द्वारा अक्तूबर, 1973 में अपहरण की गई दिल्ली परिवहन निगम की बसें

3140. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा:** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के स्कूलों तथा कालिजों के विद्यार्थियों ने अक्तूबर, 1973 में दिल्ली परिवहन निगम की कुल कितनी बसों का अपहरण किया; और

(ख) इसके परिणाम स्वरूप कुल कितना घाटा हुआ ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना): (क) 24

(ख) इस कारण दिल्ली परिवहन निगम के हुए राजस्व की हानि का अनुमान लगभग 606 रुपये है।

नई शिक्षा प्रणाली सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति

3141. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा:** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या गत वर्ष स्थापित की गई नई शिक्षा योजना संबंधी राष्ट्रीय समिति ने सभी राज्यों तथा संघ-राज्य क्षेत्रों में स्कूल और कालेज कक्षाओं के लिए 10+2+3 की समान पद्धति को लागू करने हेतु व्यावहारिक कार्यवाही किए जाने का पक्का सुझाव देने का अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन और राज्य सरकारों द्वारा इसकी क्रियान्वित संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) समिति की रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त होने की आशा है।

स्वतन्त्रता सेनानी अध्यापकों के सेवा-काल में वृद्धि करना

3142. श्री भान सिंह भौरा : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ शासित क्षेत्रों में उन अध्यापकों को, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं सेवा काल में पांच साल तक की वृद्धि की जाती है ;

(ख) यदि हां तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) : अरूणाचल प्रदेश, पांण्डिचेरी चंडीगढ़ और दादरा तथा नागर हवेली संघ शासित प्रदेशों के विचाराधीन इस प्रकार के कोई प्रस्ताव नहीं हैं। जहां तक संघ शासित प्रदेश दिल्ली का संबंध है यह मामला दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है। बाकी संघ शासित प्रदेशों के बारे में स्थिति मालूम की जा रही है।

मुख्य मंत्री सम्मेलन में बनाई गई चावल वसूली नीति का असफल होना

3143. श्री भान सिंह भौरा :

श्री रानेन सेन :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1973 में मुख्य मंत्री सम्मेलन में बनाई गई चावल वसूली सम्बन्धी विस्तृत नीति असफल रही है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) 17 सितम्बर, 1973 को हुए राज्य के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था कि प्रत्यक राज्य के लिए निर्धारित अधिप्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी राज्य सरकारें अधिक से अधिक प्रयास करेंगी। इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों को कोई भी अधिप्राप्ति प्रणाली जो कि उनके लिए सबसे अधिक उपयुक्त थी अपनाना था अर्थात् उत्पादकों पर क्रमिक लेवी मिल मालिकों/व्यापारियों पर लेवी अथवा दोनों ही प्रणाली, आदि ।

तदनुसार, चावल की अधिक से अधिक अधिप्राप्ति करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों ने उपयुक्त पग उठाए हैं और 30-11-73 तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, खरीफ मौसम 1973-74 के दौरान लगभग 8.58 लाख मोटरी टन चावल की मात्रा अधिप्राप्त की गई थी जबकि खरीफ मौसम 1972-73 की उसी अवधि के दौरान 4.58 लाख मीटरी टन चावल की अधिप्राप्ति की गई थी ।

Decision by Transport Development to Abandon Realisation of Octroi

3144. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether the Department of Transport has taken a decision to abandon realisation of Octroi from place to place in the country ; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Shipping & Transport (Shri M. B. Rana) : (a) & (b) The Transport Development Council has repeatedly urged the concerned State Governments and Union Administrations to abolish octroi and replace it by other suitable levies. However, as octroi is the main-stay for the local bodies, it will be difficult to abolish the levy unless alternative sources of revenue can be found to compensate them for the loss in revenue following the abolition of octroi. The Planning Commission have accordingly been requested to suggest acceptable alternatives to octroi.

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों की खरीद

3145. **श्री विक्रम महाजन : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निम्न आय वर्ग अथवा मध्य आय वर्ग योजनाओं के अन्तर्गत उसके पास पंजीकृत व्यक्तियों के लिए कुछ फ्लैट रिलीज किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है और इन फ्लैटों का क्या मूल्य नियत किया गया है ;

(ग) इनमें से कितने फ्लैट नकद एक-मुश्त भुगतान पर और कितने किस्तों पर बेचे जाने हैं ;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ पंजीकृत अधिकतर व्यक्ति सरकारी कर्मचारी हैं और वे इन फ्लैटों को नहीं खरीद सकेंगे क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को गृह-निर्माण ऋण मिलने पर इस समय पूरी रोक लगा दी गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) एक विवरण-पत्र नीचे रखा है।

(घ) पंजीकृत व्यक्तियों में कई सरकारी कर्मचारी हैं और गृह निर्माण अग्रिम पर प्रतिबंध के कारण फ्लैटों को खरीदने में उन्हें कुछ कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण प्रतिबंध में ढील देने के हक में है।

विवरण

योजना का नाम	बिक्री के लिए घोषित फ्लैटों की संख्या	मूल्य का रेंज	नकद भुगतान के लिये आरक्षित प्रतिशतता	किराया खरीद के लिए आरक्षित प्रतिशतता
1	2	3	4	5
जनता वर्ग				
1. मादीपुर (पश्चिम पुरी)	1212	9,500 रु० से 10,800 रु० तक	50 प्र०श०	50 प्र०श०

1	2	3	4	5
2. कालकाजी (फेज I)	600	9,700 रु० से 10,700 रु० तक	50 प्र०श०	50 प्र०श०
3. कालकाजी (फेज II)	700	9,700 रु० से 10,700 रु० तक	50 प्र०श०	50 प्र०श०
4. मदनगीर	357	अभी निर्धारित नहीं किया गया	50 प्र०श०	50 प्र०श०
निम्न आय वर्ग				
1. लारेन्स रोड (चितरंजन नगर	1917	13,000 रु० से 14,800 रु० तक	40 प्र०श०	60 प्र०श०
2. जनकपुरी (पंखा रोड)	1574	22,500 रु० से 25,900 रु० तक	40 प्र०श०	60 प्र०श
3. राजौरी गार्डन	364	अभी निर्धारित नहीं किया गया	अभी निर्णय नहीं किया गया	
4. वज़ीरपुर	402			
5. सनलाइट कालोनी	148			
मध्यम आय वर्ग				
1. जनकपुरी	1498	34,300 रु० से 37,400 रु० तक	40 प्र०श०	60 प्र०श०
2. मुनीरका	750	40,700 रु० से 46,000 रु० तक	50 प्र०श०	50 प्र०श०
3. मालवीय नगर	341	39,300 रु० से 55,200 रु० तक	50 प्र०श०	50 प्र०श०
4 वज़ीरपुर	65	31,000 रु० से 39,000 रु० तक	50 प्र०श०	50 प्र०श०
5. राजोरी गार्डन	31	37,500 रु० से 40,000 रु० तक	50 प्र०श०	50 प्र०श०

स्वायत्तशासी कालेजों सम्बन्धी नीति की प्रतिकूल आलोचना

3146. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "स्वायत्तशासी कालेजों" के गठन की नीति की बढ़ रही प्रतिकूल समीक्षा का पता है ; और

(ख) इस नीति को कार्यान्वित करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं और उसमें क्या सुधार किये जाने हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में सम्बद्ध कालेजों के लिए, स्वायत्तशासी स्तर के प्रश्न का पुनरीक्षण किया है और विश्वविद्यालयों को एक नोट परिचालित किया है, जिसमें स्वायत्तशासी कालेजों को सहायता देने के मापदण्ड, मार्गदर्शन और पद्धति दी गई है । न तो सरकार को और न ही आयोग को यह पता है कि आयोग द्वारा नोट में निर्धारित रूप रेखा नीति की आम प्रतिकूल आलोचना की गई है ।

रायल सीमा आन्ध्र प्रदेश में दुग्ध पाउडर की फैक्टरी

3147. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के रायलसीमा में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में दुग्ध उत्पाद फैक्टरी स्थापित करने के लिये सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को मंजूर न किये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार का पंचम पंचवर्षीय योजना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में रायलसीमा में एक दुग्ध उत्पाद फैक्टरी स्थापित करने का विचार है । राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में, अभी कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है ।

रायलसीमा के कुछ कूड्डपा नामक स्थान पर एक दुग्ध उत्पाद फैक्टरी स्थापित करने के लिये मैसर्स जगतजीत इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने एक औद्योगिक लाइसेंस के लिये अनुरोध किया है । इस प्रस्ताव में निम्नलिखित दुग्ध उत्पाद निर्माण करने का विचार है :—

1. दुग्ध चूर्ण	प्रतिवर्ष 2500 मीटरी टन
2. शिशु/विनिंग दुग्ध आहार .	प्रतिवर्ष 1500 मीटरी टन
3. माल्टेड दुग्ध आहार . .	प्रतिवर्ष 1500 मीटरी टन
4. मीठा संहनिश दुग्ध	प्रतिवर्ष 1200 मीटरी टन
5. परिष्कृत पनीर .	प्रतिवर्ष 500 मीटरी टन
6. मक्खन/घी .	

(ग) निरन्तर सूखा पड़ने और उसके बाद बाढ़ आ जाने के परिणामस्वरूप दुग्ध के उत्पादन में में काफी कमी हुई है । तरल दूध की इस कमी से सरकारी और सहकारी क्षेत्रों के दुग्ध संयंत्रों के लिये तरल दुग्ध वितरण के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना भी कठिन हो गया । इसके अतिरिक्त खाद्य तेलों की कमी होने से तरल दूध से ही और दुग्ध-चूर्ण आदि महंगे दूध उत्पाद बनाने की प्रवृत्ति भी उत्पन्न हुई है जिससे उपभोक्ताओं, और विशेषकर समाज के निर्धन वर्गों को तरल दूध सप्लाई करने के कार्य पर प्रभाव पड़ेगा । तरल दूध के मूल्य स्थिर करने के लिये भारत सरकार ने दुग्ध उत्पाद कारखानों, और विशेषकर गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों के सम्बन्ध में गहराई से विचार करना उपयुक्त समझा है । गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा निर्मित शिशु-आहार आदि दुग्ध उत्पादों का मूल्य नियंत्रित न होने के

कारण भी यह बहुत आवश्यक हो गया है। तरल दूध की खपत को पूरा करने के लिये दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु पशुपालन और डैरी उद्योग के विकास के लिये केन्द्रीय और राज्य सरकारें विपुल धनराशि व्यय कर रही हैं और यदि उपलब्ध दूध से महंगे दुग्ध उत्पाद बनाये जाये तो आपूर्ति तथा मांग के बीच असन्तुलन उत्पन्न हो जायेगा और इससे मूल्य भी बढ़ जायेगें। इसके अतिरिक्त गैर-सरकारी क्षेत्र न तो दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रमों में धन लगाते हैं और न ही कृषकों की सहकारी संस्थाओं के निर्माण में पूरी तरह से अपना योगदान प्रदान करते हैं, बल्कि राज्य द्वारा स्वयं शुरू किये गये विभिन्न विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत उत्पादित दूध को भी वे ले जाते हैं। सरकार की नीति गैर-सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा सरकारी/सहकारी क्षेत्रों में दुग्ध उत्पाद कारखाने स्थापित करने को प्रोत्साहन देने की है।

रायलसीमा में एक दुग्ध उत्पाद कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार का भी एक प्रस्ताव है जिसे गैर-सरकारी क्षेत्र की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

आन्ध्र प्रदेश में चीनी के नये कारखाने स्थापित करना

3148. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आन्ध्र प्रदेश में चीनी के नये कारखाने स्थापित करने के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : सामान्यतया फिलहाल एक नया चीनी कारखाना स्थापित करने में आशय पत्र देने की तारीख से लगभग इसे 4 वर्ष तक लगते हैं। एक विवरण संलग्न है जिसमें आन्ध्र प्रदेश में नये नये चीनी कारखाने स्थापित करने के लिए जारी किये गये आशय पत्रों/लाइसेंसों, जिनका अभी कार्यान्वियन किया जाना है, उनकी प्रगति, और उनके जिस मौसम में पैदावार शुरू करने की सम्भावना है, के ब्यौरे दिये गए हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 5895/73].**

सौन्दर्य प्रसाधनों और साबुन तेल आदि में "हैक्सा क्लोरोफीन" के उपयोग पर प्रतिबन्ध

3149. **श्री आर० के सिन्हा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सौन्दर्य प्रसाधनों और साबुन-तेल आदि में "हैक्सा क्लोरोफीन" के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय इस बीच कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख) जी नहीं। औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड ने इस विषय पर विचार किया है। सरकार बोर्ड की सिफारिशों का इन्तजार कर रही है।

खाद्य तेल तथा तिलहन निगम

3150. **श्री आर० के० सिन्हा :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारें केन्द्र सरकार द्वारा खाद्य तेल तथा तिलहन निगम की स्थापना किये जाने पर बल दे रहीं है ;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे निगम की स्थापना के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में लिए गए निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) भारत सरकार वनस्पति तेल तथा तिलहन निगम की स्थापना करने की बात से सिद्धान्त रूप से सहमत है । इसके ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं ।

परिवार नियोजन के लिये बजट व्यवस्था

3151. **श्री के० मालन्ना : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री दिनांक 19 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1117 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने 1973–74 वर्ष के लिये प्रत्येक राज्य में परिवार नियोजन हेतु कितनी धनराशि का आवंटन किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

1973–74 के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये राज्यों को धन का आवंटन ।

राज्य	आवंटन (रुपये लाखों में)
1. आंध्र प्रदेश	454.75
2. असम	69.66
3. बिहार	367.92
4. गुजरात	213.57
5. हरियाणा	106.35
6. हिमाचल प्रदेश	18.88
7. जम्मू व कश्मीर	47.70
8. कर्नाटक	292.65
9. केरल	246.88
10. मध्य प्रदेश	422.39
11. महाराष्ट्र	458.27
12. मणिपुर	4.29
13. मेघालय	4.62
14. उड़ीसा	209.66
15. पंजाब	147.11
16. राजस्थान	231.81
17. तमिलनाडु	389.69
18. त्रिपुरा	5.21
19. उत्तर प्रदेश	773.89
20. पश्चिम बंगाल	235.85

इसके अतिरिक्त राज्यों के लिए प्रचलित गर्भनिरोधकों और प्रसूति एवं शिशु स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत लोहे और फोलिक एसिड की टिकियों और विटानिम 'ए' के घोल की सप्लाई के खर्च को समायोजित करने के लिये 154.81 लाख रुपये अलग रख दिए गये हैं ।

राज्यों को यह अनुमति दी गई है कि सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबन्दी और गर्भाशयी गर्भरोधक (लूप) लगाने के लिए क्षतिपूर्ति के लिए की गई बजट व्यवस्था से यदि वास्तविक निष्पत्तियों के आधार पर अधिक खर्च करने की आवश्यकता हो तो वे ऐसा कर सकती है ।

दिल्ली आटा मिलों द्वारा आटे की सप्लाई

3152. **श्री शशि भूषण** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1973 को समाप्त होने वाले गत् छह महीनों के दौरान दिल्ली आटा मिलों द्वारा बम्बई तथा अन्य स्थानों को कितनी माला में आटा सप्लाई किया गया; और

(ख) क्या दिल्ली की आटे की मांग को पूरा करने के बाद दिल्ली आटा मिलों द्वारा अन्य राज्यों को भी आटा सप्लाई किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना अनुसार दिल्ली फ्लौर मिल्स से किंसी भी राज्य को होलमील आटा सप्लाई नहीं किया गया था । तथापि, राजस्थान सरकार को राज्य में अकाल ग्रस्त जनसंख्या और पिछड़े आदिम-जाति वाले क्षेत्रों की आपातिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिणामी आटे के 8100 बोरे प्राप्त करने के लिए परमिट दिए गए थे । उपयुक्त माला में से केवल 5600 बोरे ही लिए गए बताए जाते हैं ।

(ख) जी हां ।

गणेश फ्लोर मिल और मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर्ज को दी गई-आयातित तेल की माला

3153. **श्री शशि भूषण** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी० सी० एम० कैमिकल्स में अक्तूबर, 1973 में हुई हड़ताल के बाद दिल्ली में वनस्पति बनाने के लिए कुल कितना तेल आयात किया गया; और

(ख) इस तेल में से कितना तेल सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, गणेश फ्लोर मिल को दिया गया और कितना तेल मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर को दिया गया और गणेश फ्लोर मिल ने कितना तेल मांगां था ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) 7,048 मी० टन ।

(ख) गणेश फ्लोर मिल्स कं०, लि० दिल्ली तथा कानपुर	1439 मी० टन
हिन्दुस्तान लीवर लि० गाजियाबाद	826 मी० टन

गणेश फ्लोर मिल ने किसी भी माला की मांग नहीं की थी । यह प्रसंगत: सरकारी क्षेत्र का प्रतिष्ठान नहीं है बल्कि गैर-सरकारी क्षेत्र का एक रुग्ण यूनिट है और इस समय सरकारी प्रबंध के अन्दर है ।

45 LSS/73—9

मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर्स द्वारा बनस्पति का कृत्रिम अभाव पैदा किया जाना

3154. **श्री शशि भूषण :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि डालडा ब्रांड वनस्पति बनाने वाले मैसर्स हिन्दुस्तान लीवरज ने पिछले कुछ महीनों में कम उत्पादन करके वनस्पति घी का कृत्रिम अभाव पैदा किया और इस प्रकार सरकार को वनस्पति के मूल्यों में वृद्धि करने के लिए बाध्य किया; और

(ख) यदि हां, तो क्या मामले की जांच की गई है और यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा और मैसर्स हिन्दुस्तान लीवरज के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा किए जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड की चार फैक्ट्रियों में वनस्पति का उत्पादन कई कारणों खासकर देसी कच्चे तेलों की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण पिछले कुछ समय में उनकी लाइसेंसशुदा क्षमता से काफी कम हुआ है । यह बात समूचे उद्योग के लिये है । 31 अक्तूबर, 1973 को समाप्त छः महीनों के दौरान हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड की फैक्ट्रियों की क्षमता का औसत उपयोग स्तर 22.1 प्रतिशत था जबकि सारे उद्योग का उपयोग स्तर 31.7 प्रतिशत था।

सरकार द्वारा वनस्पति के नियन्त्रित मूल्यों में संशोधन उसके उत्पादन के स्तर के संदर्भ में नहीं किया जाता है बल्कि इसके निर्माण में प्रयुक्त होने वाले देशी कच्चे तेलों के मूल्यों के उतार चढ़ाव और उनकी उपलब्धता तथा आयातित तेलों की कीमत के संदर्भ में किया जाता है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

डी० सी० एम० कैमिकल्स की लाइसेंस प्राप्त क्षमता और वनस्पति घी का उत्पादन

3155. **श्री शशि भूषण:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी० सी० एम० कैमिकल्स दिल्ली की वनस्पति घी की कुल लाइसेंस प्राप्त क्षमता क्या है,

(ख) 31 अक्तूबर, 1973 को समाप्त हुई छःमाही के दौरान उनके द्वारा कितने घी का उत्पादन हुआ;

(ग) लाइसेंस प्राप्त क्षमता का यह कितना प्रतिशत था; और

(घ) डी० सी० एम० कैमिकल्स द्वारा इतने कम घी के उत्पादन के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) 4,500 मीटरी टन प्रति माह ।

(ख) 14,403 मीटरी टन।

(ग) 53.3 प्रतिशत।

(घ) कुल मिलाकर, वनस्पति उद्योग विभिन्न कारणों, विशेषकर देशी कच्चे तेलों की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण इस अवधि में अपनी क्षमता से कम उत्पादन करता रहा है। डी० सी० एम० कैमिकल वर्क्स, दिल्ली ने अपनी क्षमता का जो 53.3 प्रतिशत प्रयोग किया वह उत्तरी क्षेत्र के 32.5 प्रतिशत और समूचे उद्योग के 31.7 प्रतिशत के स्तर से काफी अधिक था। इसे देखते हुये उक्त फर्म के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों के अनुसार कारखानों को लेवी चीनी की बढ़ी हुई रूपान्तरण लागत (कनवर्जन कोस्ट)

3156. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

श्री प्रभु दास पटेल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशुल्क आयोग ने यह सिफारिश की है कि गन्ने के चालू पैराई मौसम में चीनी के कारखानों को उचित मूल्य वाली दुकानों पर बेची जाने (कनवर्जन कोस्ट) वाली लेवी चीनी के लिये रूपान्तरण लागत में वृद्धि की अनुमति दी जाये;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इसका अर्थ चीनी के मौजूदा खुदरा मूल्यों में वृद्धि करना होगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) टैरिफ आयोग की पूर्ण तथा अन्तिम रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है और वह विचाराधीन है।

'कैटल स्कीमज लान्च विदाउट प्रापर सर्वे' शीर्षक से प्रकाशित समाचार

3157. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उचित सर्वेक्षण किये बिना पशु पालन सम्बन्धी योजनाएं आरम्भ की गई थी;

(ख) यदि हां, तो यह कहां तक सच है;

(ग) इस धीमी प्रगति के क्या कारण हैं; और

(घ) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) जी नहीं। योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने सघन पशु विकास परियोजनाओं के सम्बन्ध में हाल ही में जो मूल्यांकन सम्बन्धी अध्ययन किया था उससे पता चला है कि कुछ परियोजनाओं के क्षेत्रों में आधारिक सर्वेक्षण उचित रूप से नहीं किये गए हैं।

(ग) कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने सघन पशु विकास कार्यक्रमों में धनराशि की कमी के फल स्वरूप आदर्श योजना/संगठनात्मक प्रतिमान/सांख्यिकीय सर्वेक्षण, आवश्यक आदानों के अवमिश्रण में सुधार करने के संबंध में कई सिफारिशें की हैं। विभिन्न महत्वपूर्ण बैठकों/सम्मेलनों में भी ऐसी सिफारिशें की जा चुकी हैं, जहां समय-समय पर सघन पशु विकास कार्यक्रमों का पुनरीक्षण किया गया है। यह सत्य है कि स्थानीय परिस्थितियों तथा पशु-पालन/पशु-चिकित्सा/डेरी विकास की वर्तमान परिस्थितियों (जिनका वास्तव में योजना की अवधि में क्रियान्वित करने का विचार था) के अनुसार राज्य सरकारों ने मॉडल योजना में कुछ संशोधन किये हैं। कुछ मामलों में धनराशि की कमी तथा कुछ राज्य सरकारों द्वारा पदों के सृजन/रिक्त पदों के भरने पर लगाई गई रोक के कारण, माडॅल योजना के अनुसार पर्याप्त संख्या में कर्मचारी (विशेषकर सांख्यिकीय कर्मचारी) नियुक्त नहीं किये गये हैं। यद्यपि सघन पशु विकास कार्यक्रम योजना ने प्राय: सब राज्यों में समान प्रगति नहीं की है, लेकिन योजना की समग्र प्रगति संतोषजनक रही है।

(घ) पिछली बैठकों/सम्मेलनों की ऐसी सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे इस महत्वपूर्ण योजना के लिये पर्याप्त धनराशि प्रदान करें, ताकि योजना के सफल क्रियान्वयन

के लिये सब आवश्यक आदानों की व्यवस्था हो सके। हाल ही में प्राप्त हुई कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की रिपोर्ट का अलग से अध्ययन किया जा रहा है और राज्य सरकारों को फिर से सलाह दी जायेगी कि वे इसमें दिये गए सुझावों पर आवश्यक कार्यवाही करे।

खाद्य पदार्थों और औषधियों में अपमिश्रण की प्रतिशतता का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण

3158. **श्री रानेन सेन:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य पदार्थों और औषधियों में अपमिश्रण की प्रतिशतता का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष क्या निकले हैं; और

(ग) पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में क्या निष्कर्ष निकले ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू): (क) से (ग) अपेक्षित सूचना राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

फिर भी दिल्ली में जनवरी, 1972 से पूर्व मसाले, गेहूं से तैयार की गई वस्तुओं, मिठाइयों, चाय तथा चीनी जैसे कुछ खाद्य पदार्थों के नमूने यादृच्छिक रूप से लिये गये थे और उनके परीक्षण परिणामों से यह पता चला है कि लगभग 38.5 प्रतिशत नमूने निर्धारित मानकों के अनुकूल नहीं थे।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों पर गन्तव्य स्थान इंगित करने वाले बोर्ड

3159. **श्री भोला मांझी:** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम की बसों में गन्तव्य स्थान इंगित करने वाले कोई बोर्ड नहीं लगे होते और यदि कोई बोर्ड होते भी हैं तो यात्री उन्हें रात के समय उन पर बिजली की व्यवस्था न होने के कारण पढ़ नहीं पाते;

(ख) क्या सभी बसों का निरीक्षण कराया जायेगा और उचित बोर्ड और बिजली लगाने के लिये निर्देश दिये जायेंगे; और

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना): (क) जी नहीं। यह सही तथ्य नहीं है।

(ख) और (ग) डिपो से बस के निकलने के पहले नियमित निरीक्षण किये जाते हैं और गन्तव्य स्थान पटलों और प्रकाश की व्यवस्था की जाती है। दिल्ली परिवहन निगम की जो बसें नियमित रूप से मार्गों पर चलती हैं उनमें गन्तव्य स्थान सूचक पटलों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था की गई है। व्यस्ततम समय के यातायात की पूर्ति के लिए सुबह तथा सांय दोनों ही समय बड़ी संख्या में विशेष फेरे लगाये जाते हैं, जहां अनुसूचित बस नहीं आती तो ड्यूटी वाला निरीक्षक उस विशेष फेरे को लगाने के लिए किसी दूसरे मार्ग की बस को मोड़ देता है। ऐसी आपत्तकालीन अवस्था में रंग से लिखे हुए गन्तव्य पटल कभी-कभी उपलब्ध नहीं होते। ऐसी अवस्था में ड्यूटी पर निरीक्षक खड़िया से लिखे हुए पटल को बस स्टाप पर व्यवस्था करता है। यह व्यवस्था तब भी की जाती है जब आपत्तकालीन अवस्था

में एक मार्ग की बस को दूसरे मार्ग की ओर मोड़ना पड़ता है। निगम के यातायात पर्यवेक्षकों को भी भी उचित प्रकार के गन्तव्य स्थान पटल और मार्ग संख्या के प्रदर्शन को सुनिश्चित करने की हिदायतें दी गई हैं।

बसों पर गन्तव्य स्थान पटल लगाने की मौजूदा पद्धति में और सुधार करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम बसों के आगे एक बड़ी गन्तव्य पेटी रखने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, इसके अलावा निगम को हिदायतें जारी की गई हैं कि बस के नीच बाएं ओर विंड स्क्रीन के नीचे शीर्ष पर काले रंग में रंगा जाए जिससे कि बस के रवाना होने से पहले संवाहक उस पर खड़िया से नम्बर लिख सके।

कृषि अनुसन्धान और शिक्षा विभाग के नाम से एक नये विभाग का गठन

3160. **श्री डी० बी० चन्द्र गौंडा :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन के मन्त्रालय में कृषि अनुसन्धान और शिक्षा विभाग के नाम से एक नया विभाग बनाने का निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस की आवश्यकता क्या है, एवं इस के कृत्य क्या होंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् को पुनर्गठित करने के सम्बन्ध में सरकार के निर्णयों के बारे में एक विवरण 12-11-73 को कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री द्वारा सभा पटल पर रख दिया गया था। अन्य बातों के अलावा इस विवरण में कृषि मन्त्रालय में कृषि अनुसन्धान तथा शिक्षा विभाग की स्थापना के सम्बन्ध में सरकारी निर्णय का भी ज़िक्र किया गया था। इस विभाग की स्थापना होने से भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् में केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की एजेन्सियों में तालमेल बढ़ सकेगा और कृषि अनुसन्धान तथा शिक्षा के विषय में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रसाशनिक पहलुओं पर कार्यवाही की जा सकेगी। विवरण में इस विभाग की आवश्यकता और इसके कार्यों के बारे में भी ब्यौरा दिया गया है।

बंगलौर में यूनानी कालेज खोलना

3161. **श्री डी० बी० चन्द्र गौंडा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौआरी में प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में हुए अखिल भारतीय यूनानी-तिब्बी सम्मेलन में मुख्य मंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि बंगलौर में यूनानी कालेज खोला जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) क्या सरकार को मेलघोटे आयोग का प्रतिवेदन भी प्राप्त हो गया है और यदि हां, तो उस की मुख्य बात क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) से (ग) सूचना प्राप्त की जा रही है और मिलने पर भेज दी जायेगी।

लारेंस रोड वैलफैयर फैडरेशन द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण से संबंधित मांगों के बारे में ज्ञापन

3162. **श्री झारखण्डे राय** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 सितम्बर, 1973 को लारेंस रोड वैलफेयर फेडरेशन द्वारा निर्माण और आवास मंत्री को दिल्ली विकास प्राधिकरण से संबंधित मांगों के बारे में एक ज्ञापन दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का सार क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) मुख्य मांगें संरचनात्मक परिवर्धनों, फ्लैटों की कीमत कम करने तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के कैश काउंटर तथा डाकघर के लिये स्थान जैसी सुविधाओं को व्यवस्था करने के बारे में हैं ।

सरंचनात्मक परिवर्धन तथा फ्लैटों की कीमत को कम करना संभव नहीं है । अन्य सुविधायें यथा-सम्भव उपलब्ध की जायेंगी ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लारेंस रोड आवासीय योजना के अन्तर्गत पाकेट सी०-7 और सी०-8 के औद्योगिक मकान

3163. **श्री झारखण्डे राय** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स सोमदत्त बिल्डरज (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण से मिले ठेके पर लारेंस रोड आवासीय योजना के अन्तर्गत पाकेट-सी-7 और सी-8 में सैंकड़ों औद्योगिक मकानों का निर्माण किया गया था ; और

(ख) प्रत्येक फ्लैट के निर्माण के लिये ठेकेदार को कितनी राशि दी गई और उनका विक्रय मूल्य कितना है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को आवंटन करने के लिये, मैसर्स सोम दत्त बिल्डर्ज प्राइवेट लिमिटेड ने लारेंस रोड रिहायशी योजना के अन्तर्गत 1340 फ्लैट बनाये हैं न कि औद्योगिक मकान ।

(ख) सभी 1340 फ्लैटों के बारे में किये गये निर्माण कार्य के लिये, अक्तूबर, 1973 तक ठेकेदार को 82,48,539 रुपये की राशि का भुगतान किया गया है ।

फ्लैटों का बिक्री मूल्य 12,500 रुपये से लेकर 13,000 रुपये तक है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लारेंस रोड आवासीय योजना के अन्तर्गत बनाये गये औद्योगिक मकान

3164. **श्री झारखंडे राय** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लारेंस रोड आवासीय योजना के अन्तर्गत औद्योगिक कर्मचारियों के लिये मकानों के निर्माण पर कुल कितना व्यय किया गया है ;

(ख) लारेंस रोड योजना के इन औद्योगिक मकानों को बेचने हेतु विज्ञापनों पर अब तक कुल कितना धन व्यय किया गया है ; और

(ग) प्रत्येक पाकेट में रिहायशी यूनिटों के निर्माण के लिये मैसर्स सोमदत्त बिल्डरज एण्ड कान्ट-रेक्टर्स और राष्ट्रीय भवन निर्माण विभाग को कितना धन दिया गया ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने लारेंस रोड आवासीय योजना के अन्तर्गत निम्न आय वर्ग के लिए फ्लैटों का निर्माण किया है न कि औद्योगिक मकानों का ।

अक्तूबर, 1973 तक 4602 फ्लैटों के सम्बन्ध में विभिन्न ठेकों पर 3.61 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं ।

(ख) लगभग 37,200 रुपये ।

(ग) अक्तूबर, 1973 तक भुगतान की गई राशियां इस प्रकार हैं :—

(i) **मैसर्ज राष्ट्रीय भुवन निर्माण निगम**

पाकेट ए–1, सी–1 . . .	88,65,704 रुपये
पाकेट सी–3 से सी–6 तक . .	1,07,17,796 रुपये

(ii) **मैसर्ज सोमदत्त बिल्डर्ज प्राईवेट लिमिटेड**

पाकेट सी–7 तथा सी–8 . . .	82,48,539 रुपये

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न आय वर्ग को लारेंस रोड के औद्योगिक मकानों का आबंटन

3165. **श्री झारखंडे राय :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने लारेंस रोड पर कई हजार औद्योगिक मकानों का निर्माण किया है ;

(ख) प्रत्येक पाकेट में निर्माण किये गए, निर्माणाधीन अथवा निर्मित किए जाने वाले मकानों की संख्या क्या है और कुल कितने मकानों का अब तक आवंटन किया जा चुका है ;

(ग) क्या इन मकानों का निर्माण औद्योगिक कर्मचारियों के लिये किया गया था पर अब वह निम्न आय वर्ग समूह को दिए जा रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने लारेंस रोड पर निम्न आय वर्ग के लिये 4602 फ्लैटों का निर्माण किया है, न कि औद्योगिक मकानों का ।

(ख) निर्मित फ्लैटों की कुल संख्या निम्नलिखित है :—

पाकिट नं०	फ्लैटों की संख्या
ए–1/सी–1	1342
सी–3	264
सी–4, सी–5, तथा सी–6	1656
सी–7 तथा सी–8	1340
कुल	4602

बनाये जाने वाले फ्लैटों की ठीक संख्या का निर्णय नहीं किया गया है । आवंटित किए जा चुके फ्लैटों की संख्या 4586 है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कलकत्ता का विकास

3167. **श्री समर गुह :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के विकास का कार्य कर रही सी० एम० डी० ए० और सी० आई० टी० जैसी सभी एजेन्सियों को एक केन्द्रीय संगठन के रूप में इकट्ठा करने की कोई योजना विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इसका उद्देश्य क्या है और इस बारे में कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) क्या विकास कार्यों में यदि कोई रुकावटें आएं तो उन्हें दूर करके काम को गति प्रदान करने के लिये एक 'सुपरवाइजरी सेल' बनाया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त उद्देश्य के लिये क्या अन्य वैकल्पिक उपाय किये गये हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

ट्राली बस सेवा लागू करना

3168. **श्री समर गुह :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम संकट को देखते हुए भारत के बड़े नगरों में विद्युत चालित ट्राली बस सेवा लागू की जायेगी ।

(ख) क्या परिवहन मंत्री भारत के विभिन्न बड़े नगरों में विद्युत चालित ट्राली बस प्रणाली लागू करने की संभावनाओं की जांच करने के लिए राज्य परिवहन मंत्रियों की एक बैठक बुलायेंगे; और

(ग) यदि हां, तो उस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) से (ग) चूंकि सड़क परिवहन की कार्यकारी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, अतः अपने क्षेत्र के बड़े-बड़े शहरों में ट्राली बस सेवाएं चालू करना मुख्य रूप से उनका काम है। आशा की जाती है कि यदि उन्हें किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में चलाई गई तो उनके परिचालनार्थ उचित दरों पर बिजली उपलब्ध की जाएगी। परन्तु चूंकि ट्राली बसों का निर्माण भारत में नहीं होता, अतः उनका आयात करना होगा। इससे देश के सीमित विदेशी मुद्रा साधनों पर काफी बोझ पड़ेगा। ट्राली बसों की मरम्मत और देख रेख के लिए फालतू पुर्जों का भी आयात करना पड़ेगा और इसमें भी विदेशी मुद्रा का खर्च होगा। बिजली से चलने वाली ट्राली बस पद्धति के लिए आमतौर पर काफी चौड़ी खुली सड़कों की जरूरत होती है और जोकि भारत के बहुत से महा नगरों में उपलब्ध नहीं है। ऐसी बसें आसानी से नहीं मोड़ी जा सकती और इन सेवाओं में किसी प्रकार की खराबी से काफी बड़े भाग में यातायात रुक जाएगा। इसलिए ट्राली बसें चलाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र से जब भी प्रस्ताव प्राप्त होंगे तो इन सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जायेगा। भारत के बड़े-बड़े शहरों में ट्राली बस सेवाओं के चालू करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए राज्य परिवहन मंत्रियों की बैठक बुलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय इतिहास, संस्कृति और सभ्यता में अनुसंधान कार्य

3169. **श्री समर गुह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ओर अफगानिस्तान, ईरान तथा मध्य एशिया जैसे देश और दूसरी ओर बर्मा, मलयेशिया, थाईलैण्ड, कम्बोडिया लाओस, दक्षिण वियतनाम (भूतपूर्व चम्पा देश), इण्डोनेशिया और दक्षिण फिलीपाइन जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देश भारतीय इतिहास, संस्कृति और सभ्यता के अज्ञात तथ्यों के खजानों के रूप में विख्यात हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की भारतीय इतिहास के अज्ञात तथ्यों और प्राचीन भारत के साथ इन देशों के सम्बन्धों का पता लगाने हेतु अनुसंधान कार्य करने के लिये उपरोक्त देशों में विद्वान भेजने की कोई योजना है;

(ग) क्या सरकार की (1) मध्य पूर्व एशियाई देशों, (2) मध्य एशिया के देशों के साथ भारतीय ऐतिहासिक सम्बन्धों के अध्ययन के लिए केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) ऐसे प्रमाण, जो भारतीय इतिहास तथा संस्कृति पर प्रकाश डाल सकते हैं, बहुत से एशियाई देशों में उपलब्ध हैं।

(ख) भारत सरकार ने इन देशों के इतिहास में अनुसंधान को और आगे बढ़ाने के लिए सदा ही प्रोत्साहन दिया है और उसको ऐसा करने की योजनाएं भी हैं। जिससे कि भारतीय इतिहास का हमारा ज्ञान बढ़ सके।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, कुछ चुने हुए विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय अध्ययनों के विकास के एक कार्यक्रम का 1963 से समर्थन कर रहा है। अभी तक उन्होंने निम्नलिखित आठ विश्वविद्यालयों में इस प्रकार के केन्द्र स्थापित करने में मदद दी है :

(1) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (पश्चिम एशियाई अध्ययन)

(2) बम्बई विश्वविद्यालय (पूर्वी अफ्रीकी तथा सोवियत अध्ययन)

(3) दिल्ली विश्वविद्यालय (पाकिस्तानी अध्ययन, चीनी अध्ययन, जापानी अध्ययन, अफ्रीकी अध्ययन)।

(4) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एशिया, अमेरिका (लेटिन अमरिका सहित) यूरोप तथा राष्ट्रमण्डल—(अफ्रीका सहित) अध्ययन।

(5) यादवपुर विश्वविद्यालय (पाकिस्तान/बंगला देश अध्ययन, दक्षिण-पूर्व एशिया)।

(6) मद्रास विश्वविद्यालय (दक्षिण एशियाई अध्ययन)।

(7) राजस्थान विश्वविद्यालय (दक्षिण एशियाई अध्ययन)।

(8) श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय (इंडोनेशिया कम्बोडिया, लाओस, दक्षिण वियतनाम तथा उत्तर वियतनाम से सम्बन्धित अध्ययन)।

आयोग का विचार पांचवीं योजना में कार्यक्रम के क्षेत्र को विस्तृत तथा गहन बनाने का और क्षेत्रों के अध्ययनों को विकसित करने का है जो जिन्हें अभी तक कार्यक्रम में पर्याप्त रूप से स्थान नहीं मिल सका है, जैसे:—हिमालयाई सीमा वाले राज्य, जापान तथा सोवियत रूस। कुछ भारतीय विश्वविद्यालयों में विभिन्न क्षेत्रों के पुरातत्व सम्बन्धी अध्ययन को प्रोत्साहित करने की भी एक योजना भारत सरकार के विचाराधीन है।

प्रधान मंत्री का बिना पूर्व सूचना दिये विलिंग्डन अस्पताल नई दिल्ली में जाना

3170. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 अक्तूबर, 1973 को बिना पूर्व सूचना दिये प्रधान मंत्री विलिंगडन अस्पताल नई दिल्ली गई थीं;

(ख) क्या वहां के कुछ रोगियों ने उनसे कुछ शिकायतें की थीं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार अस्पतालों में रोगियों के लिये चिकित्सा की उचित व्यवस्था करने हेतु क्या कार्यवाही कर रही हैं?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी हां। तत्कालीन स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री श्री र० के० खाडिलकर उनके साथ गए थे।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता। फिर भी इस अस्पताल में रोगियों का समुचित इलाज किया जा रहा है।

दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों में तकनीकी सहायकों के पदों का बनाया जाना

3171. **श्री छत्रपति अम्बेश: क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** दिल्ली में वरिष्ठ/कनिष्ठ तकनीकी अध्यापकों के पदों के बढ़ाये जाने के बारे में 1 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4587 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध उन कालेजों में जहां कि बी० एस-सी० (आनर्स) पाठ्यक्रम है तकनीकी सहायकों के पदों को बनाने हेतु विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय तथा इसके कालेजों में प्रयोगशाला सहायकों (गैस मैकेनिक और वर्कशाप मैकेनिक) के वेतनमानों में अन्तर के क्या कारण हैं जबकि विश्वविद्यालय और कालेजों के अन्य संवर्गों में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है; और

(ग) कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में काम कर रहे प्रयोगशाला सहायकों को दिल्ली और नई दिल्ली के हायर सेकण्डरी स्कूलों में काम कर रहे प्रयोगशाला सहायकों की अपेक्षा कम वेतन दिए जाने के क्या कारण हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन): (क) यह मामला अभी विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विचाराधीन है।

(ख) विश्वविद्यालय तथा कालिजों के प्रयोगशाला सहायकों के वेतनमानों में कोई फर्क नहीं है। तथापि विश्वविद्यालय और कालिजों में गैस मैकेनिकों और कर्मशाला मेकैनिकों के वेतनमान एक समान नहीं हैं। विश्वविद्यालय विभागों में गैस मैकेनिकों और कर्मशाला मेकैनिकों के वेतनमान 1 अप्रैल, 1968 से पूर्व क्रमश: रु० 130–300 और 150–300 थे। कालिजों में दोनों पदों का वेतनमान रु० 110–180 था। (वही जो वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायकों का) 1 अप्रैल 1968 से विश्वविद्यालय विभागों में गैस मेकैनिकों और कर्मशाला मेकैनिकों के वेतनमानों को परिशोधित करके, रु० 200–380 कर दिया गया था। जबकि कालिजों में ऐसे ही पदों के वेतनमानों को परिशोधित करके रु० 130–280 कर दिया गया। चूंकि कालिजों में गैस-मेकैनिकों और कर्मशाला मेकैनिकों के वेतनमान वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायकों के वेतनमान के बराबर ही थे इसलिये आयोग ने उनके वेतनमान विश्वविद्यालय विभागों में निर्धारित वेतनमान के बराबर करने की विश्वविद्यालय की सिफारिश स्वीकार नहीं की। वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायकों का वेतनमान रु० 130–280 से लेकर 150–300 परिशोधित किये जाने के परिणामस्वरूप कालिजों में गैस मेकैनिकों तथा कर्मशाला मेकेनिकों का वेतनमान भी परिशोधित करके रु० 150–300 कर दिया गया था। विश्वविद्यालय विभागों में गैस-मेकैनिकों तथा कर्मशाला मेकैनिकों के वेतनमान और आगे परिशोधित नहीं किए गए थे। तथापि दिल्ली विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को फिर से अभ्यावेदन दिया है तथा यह मामला अब उनके विचाराधीन है।

(ग) विश्वविद्यालय तथा कालिजों में प्रयोगशाला सहायकों के दो वर्ग हैं अर्थात् वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक रु० 150–300 के वेतनमान में तथा कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक रु० 110–200 के वेतनमान में ये वेतनमान राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में इसी तरह के पदों के लिये प्रचालित वेतनमानों पर आधारित हैं। दिल्ली के उच्च माध्यमिक स्कूलों में प्रयोगशाला सहायकों का केवल एक ही वर्ग है जिसका वेतनमान रु० 125–300 है।

अनाज की प्रमुख फसलों के प्राकृतिक जनन संसाधनों का संकलन

3172. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व की अनाज की चार प्रमुख फसलों के प्राकृतिक जनन संसाधनों का संकलन भारत में तैयार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वह कब तक तैयार कर लिया जायेगा; और

(ग) इस से भारत को कितना लाभ होगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) खाद्य एवं कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम त ा विश्व बैंक द्वारा ायोजित अन्तर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान विधेयक सलाहकार दल ने हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) में अर्ध शुष्क क्षेत्रों के समन्वय में एक अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान की स्थापना की थी जिसने ज्वार, बाजरा, अरहर तथा चने के सन्तति श्रोतों के बारे में जानकारी इकट्ठी करती थी। इन फसलों में पौध सन्तति संसाधनों के विश्व संकलन इस संस्थान में तैयार किए जाते हैं इन फसलों को अधिक उत्पादनशील तथा बढ़िया किस्मों को विकसित करने के लिए पौध जनन कार्य में प्रयुक्त होने वाली मूल सामग्री विश्व के अर्द्ध रुक्ष क्षेत्रों के लिए उपयुक्त सिद्ध होती है।

(ख) अभी यह कहना सम्भव नहीं है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान कितनी सक्रियता से और कितने पैमाने पर अपने कार्यक्रम का विकास और जर्मप्लाज़्मों का संकलन कर सकेगी।

(ग) इस संकलन से भारतीय कृषि वैज्ञानिकों को प्रजनन कार्यक्रमों के लिए अपनी रुचि के अनुसार सामग्री चुनने का मौका मिलेगा। इस संकलन में वे किस्में भी शामिल होंगी जिनमें किसी विशेष रोग या हानिकारक कीटों के लिए प्रतिरोध की शक्ति या अच्छे अनाज के अनुपम गुण मौजूद हों।

गेहूं की एच० डी० 2009 किस्म किसानों की पहली पसन्द (एच० डी० 2009 व्हीट वेराइटी टाप फेवरिट ऑफ फार्मर्स)

3173. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं की एच० डी० 2009 किस्म किसानों की पहली पसन्द है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) इस प्रश्न का उत्तर देना अभी सम्भव नहीं है।

एच० डी० 2009 गेहूं की एक नई किस्म है जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित की गई है। यह किस्म रतुआ रोग के लिए काफी हद तक प्रतिरोधी सिद्ध हुई है। इस किस्म के बीज आम बुवाई के लिए किसानों में अभी तक वितरित नहीं किए गए हैं। समन्वित गेहूं अनुसंधान परीक्षणों से सिद्ध हुआ है कि एच० डी० 2009 एक अच्छी उपज देने वाली किस्म है। सितम्बर, 1973 में आयोजित बारहवीं अखिल भारतीय गेहूं कामिकों के सम्मेलन ने इसकी लोकप्रियता का मूल्यांकन करने के लिए रबी 1973-74 में प्रयोग में लाने के उद्देश्य से किसानों के खेतों में निर्मुक्त पूर्व बीज संवर्द्धन तथा मिनी किट/जिला परीक्षणों के लिए इस किस्म की सिफारिश की है।

(ख) देश में इस किस्म के बीजों का बड़े पैमाने पर वर्धन किया जा रहा है ताकि यदि आगामी वर्ष यह किस्म निर्मुक्ति के लिए स्वीकृत की जाती है तो किसानों की मांग को पूरा करने के लिए सरकार के पास ये बीज काफी मात्रा में उपलब्ध हो सकें।

राष्ट्रीय सेवा योजना

3174. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश भर में कालेजों और विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यकरण का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना पर इसके प्रारम्भ होने के बाद से अब तक कुल कितना धन व्यय किया गया है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा अक्तूबर, 1971 में गठित विशेषज्ञों के कार्यदल द्वारा विश्वविद्यालयों और कालेजों में राष्ट्रीय सेवा योजना का एक मध्यकालीन मूल्यांकन किया गया था।

2. रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया था कि प्रारंभिक प्रशासनिक कठिनाइयों के बावजूद राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। कार्यदल ने यह सुझाव दिया था कि अध्ययन के विभिन्न विषयों के पाठ्य विवरणों में संशोधन करके समाज सेवाओं के कुछ पहलुओं को शामिल किया जाए ताकि छात्र, व्यक्ति के जीवन से यथार्थ सम्पर्क विकसित कर सकें और अपनी समस्याओं से अवगत हो सकें। दल ने, विकास कार्यक्रमों और कल्याण कार्यकलापों में विद्यार्थियों और अध्यापकों के अंशकालिक स्वैच्छिक कार्यकलाप के रूप में राष्ट्रीय सेवा योजना को विकसित करने के लिए कुछ उपाय भी सुझाए। एक अन्य महत्वपूर्ण सुझाव यह था कि उन व्यक्तियों के लिए, जो रोज़गार में जाना चाहते हैं अथवा उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, स्नातक डिग्री के बाद एक वर्ष की अवधि की राष्ट्रीय सेवा अनिवार्य कर देनी चाहिए।

3. योजना की वित्तीय पद्धति के अन्तर्गत केन्द्रीय और राज्य सरकारों को 2 : 1 के अनुपात से खर्चे का हिस्सा वहन करना होगा। राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत से इस पर हुए कुल खर्च के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है।

सावजनिक वितरण व्यवस्था के माध्यम से बेचे जाने वाले गेहूं और चावल के निर्गम मूल्यों (इश्यू प्राइसेज) में वृद्धि की प्रतिशतता

3175. **श्री मधु लिमये** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के माध्यम से बेचे जाने वाले गेहूं और चावल के निर्गम मूल्यों में हाल ही में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो प्रति किलोग्राम कितने पैसे की वृद्धि की गई है और कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है; और

(ग) श्रम जीवी वर्ग जीवन निर्वाह मूल्य सूचकांक पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) जी हां, नवम्बर, 1973 से। चावल के लिए यह वृद्धि 25 से 26 प्रतिशत अथवा 25 से 32 पैसे प्रति किलो के लगभग हुई है और गेहूं के मामले में यह वृद्धि 14.3 से 15.4 प्रतिशत अथवा 12 पैसे प्रति किलो हुई है।

नवम्बर का सूचकांक दिसम्बर में किसी समय संकलित किया जाएगा। तथापि, मोटे तौर पर यह अनुमान है कि संयुक्त सूचकांक पर निर्गम मूल्यों में वृद्धि का प्रभाव लगभग 2 प्रतिशत होगा।

पश्चिमी तट (वेस्टर्न कोस्ट) के लिए परिवहन नीति

3176. **श्री मधु लिमये** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंगलौर गोआ-बम्बई के बीच पश्चिमी तट (वेस्टर्न कोस्ट) के लिए एक व्यापक परिवहन नीति बनाने के विषय में विचार किया है;

(ख) क्या इस क्षेत्र में रेलवे संचार व्यवस्था के अभाव को देखते हुए, इस कोंकन क्षेत्र की जनता के लिए सस्ती यात्री नौवहन सेवा की व्यवस्था करने की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो वर्त्तमान नौवहन उपक्रमों को अपने नियंत्रण में लेने सहित, उक्त योजना का ब्यौरा क्या है?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) वर्त्तमान कोन्कन तटीय यात्री नौवहन सेवा बम्बई और पानाजी के बीच चल रही है। यह सेव। 7-11-1973 को चौगुले स्टीम-शिप्स लिमिटेड से ले ली गई है और अब मुगल ल।इन को सरक.री क्षेत्र की शिपिंग कम्पनी है द्वारा बिना लाभ हानि के आधार पर चल।ई जा रही है।

आसाम में चावलों के थोक व्यापार के सरकारीकरण की योजना

3177. **श्री मधु लिमये** : क्या **कृषि** मंत्री चावल का थोक व्यापार अपने हाथ में लेने के इच्छुक राज्य से सम्बन्धित 12 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 150 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि चावलों के थोक व्यापार से सरकारीकरण के लिये आसाम में अपनाई गई योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : योजना की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(1) किसी भी पंचांग दिन लाइसेंस शुदा व्यापारियों द्वारा खरीद या परचून में बिक्री की मात्रा की सीमा घटाकर 2.5 क्विन्टल चावल या 4 क्विन्टल धान करना,

(2) 28 फरवरी, 1964 तक परमिट के अधीन धान की कुटाई की सीमा घटाकर 2.5 क्विन्टल करना,

(3) तीन मास की अवधि के लिए या विशिष्ट क्षेत्रों से बिना परमिट से भेजी जानी या ढुलाई की जाने वाली मात्रा घटाकर 2.5 क्विन्टल चावल या 4 क्विन्टल धान करना।

(4) भारतीय खाद्य निगम और असम सहकारी शीर्ष विपणन सोसायटी लिमिटेड को राज्य सरकार की ओर से अधिप्राप्ति करने का कार्य सौंपा गया है और उन्हें अधिप्राप्ति के क्षेत्र बताए गए हैं।

(5) ये दोनों एजेंसियां अपने कार्य क्षेत्रों में सहकारी समितियों की सहायता से धान और चावल की अधिप्राप्ति करेंगी।

(6) अधिप्राप्ति और वितरण प्रबन्धों में स्थानीय समितियों को मिलाना।

तकनीकी शिक्षा सम्बन्धी भारतीय सोसाइटी के सम्मेलन में की गई सिफारिशों की जांच

3178. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, बम्बई में मार्च, 1973 को तकनीकी शिक्षा संबंधी भारतीय सोसाइटी द्वारा आयोजित सम्मेलन में की गई सिफारिशों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) सोसाइटी ने सरकार को जांच के लिए कोई सिफारिश नहीं भेजी है। तथापि, बम्बई में मार्च, 1973 को हुई भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसाइटी के महा निकाय की वार्षिक बैठक में पारित किये गए संकल्प की एक प्रतिलिपि जानकारी के लिये सोसाइटी के अध्यक्ष से प्राप्त हुई है। संकल्प निम्नलिखित है :—

"बड़े हर्ष के साथ यह नोट किया गया कि रुड़की विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर डिप्लोमा और डिग्रियों के अध्ययन के लिए उन छात्रों को दाखिल करते हैं जिन्होंने परीक्षा द्वारा ए०एम०आई०ई० (भारत) की परीक्षा पास की है। भा०त०शि० सो० को इस बात को देखने के लिए अपनी सेवाएं पेश करनी चाहिए कि स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करने वाले लगभग सभी विश्वविद्यालय और संस्थाएं स्नातकोत्तर योग्यताएं प्राप्त करने वाली यह सुविधा उन छात्रों को प्रदान करें जो मान्यता प्राप्त व्यावसायिक संस्थाओं की व्यावसायिक योग्यताएं हासिल करते हैं।"

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन नेशनल साइंस अकादमी द्वारा राजस्थान में सूखा जोन के पहलू के बारे में अध्ययन

3179. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंडियन नेशनल साइंस अकादमी द्वारा राजस्थान में सूखा जोन के कुछ पहलुओं के स्थल पर अध्ययन के लिये गठित अध्ययन दल का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन दल द्वारा निकाले गये निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) इन सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

विवरण

दल के मुख्य निष्कर्षों को 3 वर्गों, अर्थात् (1) सिंचाई की सुविधाओं या सिंचाई की संभाव्य क्षमता वाले पश्चिमी रुक्ष क्षेत्र, (2) सतही सिंचाई के अन्तर्गत न आने वाले क्षेत्र और (3) सामान्य निष्कर्ष, के अन्तर्गत आते हैं। प्रथम वर्ष के अन्तर्गत सतही सिंचाई का विकास, रक्षा-पैरियों की स्थापना तथा वायुरोधकों की सिफारिशें की गई हैं। दूसरे वर्ग के अन्तर्गत भूमिगत जल के अन्वेषण को बढ़ाना, बालू के टिब्बों का स्थिरीकरण, चरागाह विकास, नियंत्रित चराई, बारानी खेती के तकनीकों तथा पशु-पालन में सुधार करने, सेवा सम्बन्धी सहकारी संस्थाओं, फसल तथा पशु बीमा संगठन आदि कई कदमों के सम्बन्ध में सुझाव दिये गये हैं। सामान्य निष्कर्षों के अन्तर्गत दिये गये सुझावों में रुक्ष क्षेत्र की मिट्टियों का अध्ययन करना, भूमि उपयोग की व्यवस्था करना, मौसम विज्ञान सम्बन्धी अध्ययनों में सुधार करना, बालू के टिब्बों के अध्ययन के लिये सूक्ष्म तकनीकों का अध्ययन करना, जल संतुलन विषयक विशेष अन्वेषण, कीट नियंत्रण, मरू भूमि की परिस्थितिक प्रणाली के सम्बन्ध में मरु भूमि की खेती के अध्ययनों की अर्थ-व्यवस्था, सूर्य तथा वायु शक्ति का उपयोग, रासायनिक उद्योगों पर आधारित खनिज पदार्थों का क्षेत्र, लवणीय जल का रूपांतरण, अन्तरवर्ती क्षेत्र अनुसंधान तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, मरु विकास सम्बन्धी तकनीकों में प्रशिक्षण तथा शिक्षण संगणक सम्बन्धी अध्ययन और वातावरण सम्बन्धी अनुसंधान के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में प्रणाली का विश्लेषण, मरु विकास, सुधार से सम्बन्धित अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा विस्तार कार्यक्रमों के लिये उत्तरदायी एक स्थायी सांविधिक निकाय के रूप में एक उच्च अधिकार प्राप्त मरु विकास प्राधिकरण की स्थापना करना शामिल है।

भूमि सुधार क्रियान्वयन कार्यक्रम सम्बन्धी पूर्व क्षेत्रीय संगोष्ठी

3181. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि·

(क) क्या सरकार ने भूमि सुधार क्रियान्वयन कार्यक्रम सम्बन्धी पूर्व क्षेत्रीय संगोष्ठी की सिफारिशों का अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या निर्णय किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) इस संगोष्ठी की सिफारिशें भूमि अभिलेख तैयार करने, काश्तकारी सुधार के क्रियान्वयन, भूमि की अधिकतम सीमा के क्रियान्वयन और इस प्रक्रिया में फालतू भूमि के लाभानुभोगियों को भागीदार बनाने, आदिवासी क्षेत्रों में भूमिसुधार की विशेष व्यवस्था करने और भूमि सुधार की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशासनिक ढांचे को मज़बूत बनाने के बारे में है। ये सिफारिशें मोटे तौर पर भारत सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के दस्तावेजों में निर्धारित नीति, कृषि जोतों की अधिकतम सीमा सम्बन्धी राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धांतों और योजना आयोग द्वारा इस वर्ष जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप हैं। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे अपने भूमि सुधार कानूनों को राष्ट्रीय नीति के अनुरूप बनाने के लिये सभी संभव उपाय करें और उनके क्रियान्वयन के लिये कदम उठायें।

नये विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय केन्द्र स्थापित करने हेतु सिद्धांत निर्धारित करने के लिये कार्यकारी दल का प्रतिवेदन

3182. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में नये विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालयों के केन्द्र स्थापित करने के लिये सिद्धांत निर्धारित करने हेतु गठित कार्यकारी दल का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन): (क) और (ख) जी नहीं, दल का गठन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया गया था और इसकी सिफारिशों की जांच आयोग द्वारा की जा रही है।

विदेशी विश्वविद्यालयों में भारतीय अध्यापक

3183. **श्री पी० एन्थनी रेड्डी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी विश्वविद्यालयों में भारतीय अध्यापकों की संख्या क्या है; और

(ख) उनका देशवार ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन): (क) और (ख) सूचना उपलब्ध नहीं है और न ही इसे एकत्रित करना संभव है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में विदेशी अध्यापक

3184. **श्री पी० एन्थनी रेड्डी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में विदेशी अध्यापकों की संख्या क्या है?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) :
एक अतिथि प्रोफेसर सहित 22

विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा होना

3185. **श्री पी० एन्थनी रेड्डी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है जिन में शिक्षा का माध्यम केवल कोई भारतीय भाषा है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : उपलब्ध सूचना के अनुसार केवल निम्नलिखित चार विश्वविद्यालयों में सभी पाठ्यक्रमों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा (भाषाएं) हैं :--

(1) के० एस० दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा .	. संस्कृत और हिन्दी
(2) वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी	. संस्कृत तथा हिन्दी
(3) गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद .	. गुजराती और हिन्दी
(4) काशी विद्यापीठ वाराणसी .	हिन्दी

54 LSS/73—10.

दिल्ली परिवहन निगम की बसों में भीड़-भाड़

3186. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री महोदय का ध्यान दिल्ली परिवहन निगम की बसों में भीड़-भाड़ होने के कारण लोगों को हो रही भारी असुविधा की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समस्या का संतोषजनक हल न निकालने के क्या कारण हैं;

(ग) राजधानी में परिवहन सेवाओं में सुधार करने की क्या सम्भावनाएं हैं; और

(घ) लोगों को और कितने समय तक लम्बी लाइनों में खड़े होकर अपना समय बरबाद करना पड़ेगा और बसों में भारी भीड़-भाड़ का सामना करते रहना पड़ेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) से (घ) 3-11-1971 जब से दिल्ली परिवहन निगम बना, बस सेवाओं में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है। उक्त दिन को बसों की कुल संख्या 1,366 थी, जिसमें से 481 बसें पुरानी थी, शेष चलने योग्य बसें केवल 885 थीं। केवल 6 डिपो थे जो पूर्णरूप से सुसज्जित नहीं थे और गाड़ियों का रख-रखाव संतोषप्रद नहीं था। उस समय से, 474 नई बसें प्राप्त की गई हैं। रखरखाव कार्य में सुधार लाने के लिए बड़ा प्रयास किया जा रहा है, तीन नये डिपो निर्माणाधीन हैं और 6 नये डिपुओं का निर्माण कार्य शुरू किये जाने का विचार है।

दिल्ली की मुख्य विशेषता यह है कि अधिकतर सरकारी कार्यालय तथा वाणिज्यिक संस्थाओं का खुलने और बंद होने का लगभग एक ही समय है और वे शहर के एक ही स्थान पर केन्द्रित हैं। इन कारणों से बसों की बारम्वरता के कई मार्गों पर बनाये रखना संभव नहीं, तथा किसी विशेष समय पर विशेष मार्गों की जनता की आवश्यकताओं को पूरा कर सकना जिससे भीड़-भाड़ हो जाती है। उनका रुकने का समय भी बढ़ जाता है। दिल्ली परिवहन निगम की सेवा में सुधार करने के लिए भीड़-भाड़ को कम करने तथा यात्रियों की प्रतीक्षा के समय को घटाने के लिए निगम के बेड़े में और बसें बढ़ाई जा रही हैं। 425 और बसों के लिए आदेश दिये गये हैं। इनमें से 175 पहले ही बेड़े में आ चुकी हैं तथा बाकी बची हुयी बसों की मौजूदा वित्तीय वर्ष में चालू किये जाने की संभावना है। पांचवी योजना अवधि में प्रतिवर्ष कुल 23 करोड़ रुपये की लागत से 400 बसें निगम के बेड़े में जोड़ने, अतिरिक्त डिपो बनाने, बस अड्डे बनाने, अन्तिम स्थान, यात्री ओट स्थान, ढांचा निर्माण कर्मशालाएं तथा केन्द्रीय कर्मशाला का विस्तार करने का प्रस्ताव है। निगम का आवश्यकतानुसार और प्राइवेट बसों को किराये पर लेने का प्रस्ताव है।

पिछले कुछ महीनों में अधिक परिचालनात्मक कुशलता लाने के लिए निगम द्वारा किये गये संगठित प्रयासों के बावजूद, इन में कुछ ऐसी रुकावटें आईं जो निगम के नियंत्रणतीत थीं। राज्य सरकारों द्वारा बिजली की सप्लाई कम कर देने तथा उनके संगठनों में श्रम विवादों के कारण संबंधित विनिर्माताओं द्वारा टायरों तथा अन्य आवश्यक पुर्जों की सप्लाई न कर सकने के कारण पिछले कुछ महीनों में निगम की कई बसों को चलाया नही जा सका। निगम की कई बसों को समाजविरोधी तत्वों ने भी क्षति पहुंचाई। परन्तु आपातिक आधार पर आवश्यक फालतू पुर्जों और टायरों की प्राप्ति के लिए प्रबल प्रयास किये गये हैं।

उपरोक्त बड़े बड़े उपायों के परिणामस्वरूप दिल्ली में बस सेवाओं में पहले ही सुधार हुआ है। नये डिपुओं के चालू होने तथा निगम के बेड़े की वृद्धि के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने पर स्थिति में और सुधार होने की संभावना है।

दूसरे देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय जहाज निर्माताओं की क्षमता

3187. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के सरकारी अथवा गैर-सरकारी जहाज निर्माता, भारतीय जहाज मंगाने के इच्छुक देशों की आवश्यकता कहां तक पूरी कर सकते हैं;

(ख) क्या हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के अतिरिक्त अन्य देशों को जहाज सप्लाई करने की क्षमता है; और

(ग) क्या किसी देश अथवा देशों ने भारतीय जहाज खरीदने के लिए आर्डर दिये हैं, और यदि हां तो वे देश कौन-कौन से हैं, तथा उनके आर्डरों का ब्यौरा क्या है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

गेहूं के थोक व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेने पर लाभ/हानि तथा आवर्तक व्यय

3188. **श्री एम० सी० सामन्त :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गेहूं के थोक व्यापार को नियंत्रण में लेने पर कितना शुद्ध लाभ अथवा हानि हुई;

(ख) इस पर कुल कितना धन लगाया गया है और इस प्रक्रिया पर तथा उक्त व्यापार को चालू रखने में आवर्तक तथा अनावर्तक तरीके से कितनी राशि व्यय की जा रही है;

(ग) राज्य सरकारों का इस व्यापार में यदि कोई अंशदान है, तो कितना; और

(घ) आगामी मौसम में उक्त व्यापार की क्या सम्भावनाएं हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) गेहूं का थोक व्यापार लेकर गेहूं की बिक्री करने में संरचनात्मक सुधार किया गया है और राज्यों, भारतीय खाद्य निगम तथा सहकारी समितियों आदि जैसी अन्य सरकारी एजेन्सियों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे निजी थोक व्यापारियों की भूमिका को समाप्त कर बिकाऊ अधिशेष की अधिप्राप्ति करें। नई प्रणाली के अधीन, इन सरकारी एजेन्सियों विशेषतया राज्य सरकारों को इस योजना में सक्रिय रूप से कार्य करने के लिए लगाया गया था और उन्होने विभिन्न स्तरों पर संगठनात्मक तथा वित्तीय सहायता पेश कर सरकार द्वारा घोषित किये गये मूल्यों पर गेहूं की अधिप्राप्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। राज्य सरकारों को लाभकारी लागत से कम मूल्यों पर आयातित तथा देशी गेहूं देने की नीति को जारी रखा गया है। गेहूं के वितरण में राजसहायता का अंश शामिल है। अधिप्राप्ति कार्य चालनों पर कुल परिव्यय लगभग 575 करोड़ रुपये आया था जो कि मुख्यतः बैंकिंग क्षेत्र से प्राप्त किये गए थे। आगामी मौसम में अधिप्राप्ति की संभावनाएं फसल आदि की परिस्थितियों पर निर्भर करेंगी और इसलिए इस समय इस संबंध में कोई अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

Barren Land in Bundelkhand Region

3189. **Dr. Govind Dass Richhariya :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the acreage of barren land in the Bundelkhand region;

(b) the acreage of barren land brought under cultivation during the Fourth Five Year Plan uptil now; and

(c) the acreage of barren land targetted for bringing under cultivation during the Fifth Five Year Plan and the amount allocated in the Fifth Plan for land reforms, land conservation and for bringing the land under cultivation?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) to (c) Information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha, as soon as possible.

इन्दिरा गोदी की सीमित क्षमता

3191. **श्री वसंत साठे :** क्या **नौवहन** और **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई स्थित इन्दिरा गोदी की सीमित क्षमता से जमाव हो जाता है और मुद्रा की हानि होती है, और

(ख) यदि हां तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) और (ख) बम्बई पत्तन पर चालू वर्ष में खाद्यान्न की भारी मात्रा में आयात, एक ही समय जहाजों का इकट्ठा हो जाने तथा श्रमिकों में व्याप्त असंतोष के कारण न कि गोदी की सीमित क्षमता के कारण, कुछ माल जमा हो गया है। जहाजों के रुकने के कारण विलम्ब शुल्क लगा। खाद्यान्न को उतारने की गति में सुधार लाने के लिए उतार मशीन के संस्थापनों द्वारा माल की जमा धीरे-धीरे कम की जा रही है और जहां संभव है कुछ जहाजों को अन्य पत्तनों की ओर मोड़ा जा रहा है। अखिल भारतीय पत्तन तथा गोदी कर्मचारी संघ बम्बई पत्तन में तीसरी पारी का कार्य पुनः शुरू करने के लिए भी सहमत हो गया है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : मैं स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम, 1952 की धारा 17 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० आ० 3062 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 27 अक्तूबर, 1973 में प्रकाशित हुई थी, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5874/73]।

नाविक भविष्य निधि (संशोधन) योजना 1973 तथा वाणिज्य पोत परिवहन (समुद्री जहाजों के इंजन चालकों की परीक्षा) नियम, 1973

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं : (1) नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 की धारा 24 के अन्तर्गत नाविक भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 13 अक्तूबर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1133 में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिये संख्या एल०टी० 5875/73]।

(2) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत वाणिज्य पोत परिवहन (समुद्री जहाजों के इंजन चालकों की परीक्षा) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 27 अक्तूबर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 1175 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5876/73]**

उर्वरकों के मूल्य निर्धारण के बारे में अधिसूचना तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :

(1) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 के अन्तर्गत जारी किये गये उर्वरक का मूल्य निर्धारित करने के बारे में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 473(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 अक्तूबर, 1973 में प्रकाशित हुई थी। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5877/73]**

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 453(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर, 1973 में प्रकाशित हुई थी। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5873क/73]**

पुरावशेष तथा कलाकृति नियम 1973 तथा सा०सां० नि० 405(ङ) दिनांक 31-8-73 का शुद्धिपत्र

शिक्षा और समाज-कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :

(1) **पुरावशेष** तथा कलाकृति अधिनियम, 1972 की धारा 31 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(1) पुरावशेष तथा कलाकृति नियम, 1973 जो भारत, के राजपत्र दिनांक 31 अगस्त, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 405(ङ) में प्रकाशित हुये थे।

[ग्रंथालय मे रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5878/73]

(2) सा० सां० नि० 500(ङ) के जो भारत के राजपत्र दिनांक 15 नवम्बर, 1973 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 405(ङ), दिनांक 31अगस्त, 1973 का शुद्धि-पत्र दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5879/73]।

राज्य सभा से सन्देश
Messages from Rajya Sabha

महासचिव : मैं राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देता हूं :—

(1) कि राज्य सभा ने 29 नवम्बर, 1973 की अपनी बैठक में लोक वक्फ (सीमा विस्तारण) (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 1973 पास कर दिया है।

(2) कि राज्य सभा ने 29 नवम्बर, 1973 की अपनी बैठक में भारतीय रक्षा विनिमाण (संशोधन) विध्येयक, 1973 पास कर दिया है।

राज्य सभा द्वारा पारित किये गये विधेयक
Bills as passed by Rajya Sabha

महासचिव : मैं निम्नलिखित विधेयक ,राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में,सभा पटल पर रखता हूं।

(1) लोक वक्फ (सीमा विस्तारण) (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 1973

(2) भारतीय रक्षा विनिमाण (संशोधन) विधेयक, 1973

नये खरीदे गये जहाजों की मरम्मत पर खर्च के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 90 के उत्तर में शुद्धि
Correction of Answer to S.Q. No. 90 re-expenditure on Repairs of newly purchased ships

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : मैं (एक) नौवहन निगम द्वारा खरीदे गये नये जहाजों की मरम्मत पर खर्च के बारे में सर्वश्री कृष्णचन्द्र हाल्दर तथा एच० एम० पटेल० के तारांकित प्रश्न संख्या 90 के 26 फरवरी, 1973 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने और (2) उत्तर को शुद्ध करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

वक्तव्य

सर्वश्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर और एच० एम० पटेल द्वारा 26-2-73 को पूछे गये प्रश्न के उत्तर में लोक सभा में जो विवरण सभा-पटल पर रखा गया था उसमें अष्ठ पोतों की मरम्मत और रख-रखाव

पर हुये खर्च का अनुपात उनके कुल मूल्य की तुलना में 3.11 प्रतिशत बनाया तथापि यह अनुपात 3.11 प्रतिशत के बजाय 3.198 प्रतिशत है।

संदर्भाधीन उत्तर में 3.11 के स्थान पर 3.198 रखा जाये।

इस विवरण के पहिले न दिये जाने का कारण यह है कि आरम्भ में यह सोचा गया था कि यह गलती बहुत बड़ी गलती नहीं है। तथापि पुर्नविचार करने पर ऐसा वक्तव्य देने का निर्णय किया गया।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (ग्रौसग्राम) : मेरे तथा श्री एच० एम० पटेल के प्रश्न के उत्तर में तत्का- लीन नौवहन तथा परिवहन मंत्री ने 26 फरवरी को एक वक्तव्य दिया था। उनके उत्तर से संतुष्ट न होकर मैंने इस बारे में 27 अप्रैल को आधे घंटे की चर्चा उठाई थी जिसमें श्री राजबहादुर ने मेरे आरोपों का खंडन किया था। मेरा कहना यह है कि 26 फरवरी से 27 अप्रैल के बीच की अवधि उत्तर को शुद्ध करने के लिए पर्याप्त थी परन्तु ऐसा किन कारणों से नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए एक प्रक्रिया निर्धारित है और उसके अनुसार मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य दिये जाने के पश्चात् उस पर प्रश्नों की अनुमति नहीं दी जाती। यदि कोई गलत वक्तव्य हो तो उसके लिए निदेश 115 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : यह प्रश्न तर्क संगत है कि एक मंत्री अपने वक्तव्य में शुद्धि करने में कितना समय ले सकता है? इस पर आप का मार्गदर्शन और सहायता अपेक्षित है।

श्री एस० एम० बनर्जी : (कानपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है। मूल प्रश्न 26 फरवरी 1973 को उठाया गया था और उसके उत्तर को दिसम्बर में शुद्ध किया जा रहा है। यह गम्भीर मामला है और उसके लिए मंत्री महोदय को खींचा जाना चाहिए।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Sir, in case of incorrect statement made by the Minister, there are two alternatives before the Members. The matter about the same can be raised in the shape of half-an-hour discussion or under Direction 115. In this case half-an-hour discussion was raised and the Minister did not correct his statement at that time also. The correcting statement should have been issued within one or two days of the date of half-an-hour discussion. You should give some direction in this regard. Sir, we are halpless and we seek your protection in such cases.

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : 26 फरवरी को दिये गये उत्तर में मंत्री महोदय ने 27 अप्रैल को भी शुद्धि नहीं की जबकि इस बारे में आधे घंटे की चर्चा उठाई गई थी। इसलिए श्री राजबहादुर ने न केवल गलतबयानी की बल्कि सभा को गुमराह भी किया।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को मामला स्पष्ट करने दिया जाय।

Shri Kamlapati Tripathi : Sir, the complaint of hon. Members is right that it has been delayed. But as soon as it came to our knowledge, we thought that the matter should be clarified. If it is still pinching hon. Members, I am sorry for that.

श्री सेझियान (कुम्बकोतम) : मैं विलम्ब के कारण जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आधे घंटे की चर्चा मूल प्रश्न के उत्तर की तिथि से दो महीने बाद उठाई गई और उस समय गल्ती को दूर किया जा सकता था। तथापि, वक्तव्य में अब शुद्धि कर दी गयी है और इसके लिए मंत्री महोदय ने क्षमा भी मांग ली है। शुद्धि भी मामूली थी—3.11 प्रतिशत के स्थान पर 3.198 प्रतिशत होना था। अतः इसे हम स्वीकार करते हैं।

श्री समर गुह : (कन्टाई) : मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में तथ्यात्मक जानकारी पूछी थी और मैं उसकी गत आठ महीनों से प्रतीक्षा कर रहा हूं। इस सम्बन्ध में कई बार आपको भी लिख चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर ध्यान दूंगा और सम्बद्ध मंत्री का इस ओर ध्यान आकर्षित करूंगा। साथ ही निवेदन है कि माननीय सदस्य बिना अनुमति के न बोलें।

समितियों के लिए निर्वाचन
Election to Committees

(एक) राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4 की उपधारा (2)(क) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड के सदस्यों के रूप में अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4 की उपधारा (2) (क) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड के सदस्यों के रूप में अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

(दो) केन्द्रीय रेशम बोर्ड

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में, श्री इन्द्र जे० मल्होत्रा के स्थान पर, जिन्हें बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में, श्री इन्द्र जे० मल्होत्रा के स्थान पर, जिन्हें बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक (दूसरा संशोधन) विधेयक
Central Excises and Salt (Second Amendment) Bill

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम 1944 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम 1944 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमन्, पेट्रोल के मूल्य में 1.07 रुपये की वृद्धि की घोषणा की गई है जिसमें अशोधित तेल के मूल्य में वृद्धि की मात्रा 7 पैसे है और एक रुपया उत्पाद-शुल्क है। अतः इस वृद्धि के लिए यह कारण बनाना तर्कसंगत नहीं है कि अशोधित तेल के मूल्यों में वृद्धि हो गई है। मैं उपरोक्त प्रस्ताव का विरोध इस आधार पर करता हूं कि यह अध्यादेश उस समय जारी किया गया जब कि संसद् का अधिवेशन शुरू होने वाला था। उत्पाद-शुल्क लगाने से पूर्व सरकार को उस पर संसद् की अनुमति लेनी चाहिए थी।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Sir, I want to put three aspects of it—the Constitutional, the moral and the economic—before you. As regards Constitutional aspect, the ordinance was issued in contravention of Article No. 123 of the Constitution. Parliament was going to meet shortly and there was no urgency of doing it so hastily. As regards moral aspect of this question it should have not been done unless efficiency is increased and honesty is put into practice in order to minimise the loss taking place in our refineries at present. As regards economic aspect, the increase should have been 7 paise instead of Rs. 1.07 and there was no necessity of doubling the excise duty.

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : क्या यह समाजवाद है कि 7 पैसे की अपेक्षित वृद्धि के स्थान पर 1.07 रुपये की वृद्धि की जाये और इस प्रकार उत्पाद-शुल्क को दुगना करके जनता को लूटा जाये। सरकार की यह नीति भी गलत है कि संसद अधिवेशन के शुरू होने से कुछ दिन पूर्व अध्यादेश शुरू किये जायें। सरकार को यह नीति त्याग देनी चाहिए।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्यों ने जो आपत्तियां उठाई हैं वे आपत्तियां नहीं हैं। जहां इस कार्यवाही के औचित्य का संबंध है, पेट्रोलियम की स्थिति पूरे विश्व में विकट होती जा रही है। इसी दृष्टि से हम पेट्रोल की खपत कम करना चाहते हैं। आर्थिक दृष्टि से भी यह आवश्यक था। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह कार्यवाही तत्काल की है, जो उचित है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम 1944 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 111 Ayes 111

विपक्ष में 34 Noes 34

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक (दूसरा संशोधन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: CENTRAL EXCISE AND SALT (SECOND AMENDMENT) ORDINANCE

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1973 द्वारा तुरन्त विधान बताने वाला एक व्याख्यात्मक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं; जैसा कि लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71(1) के अन्तर्गत अपेक्षित है।

नियम 377 के अन्तर्गत मामले
Matters under Rule 377

(एक) संसद् सदस्यों के वेतन और भत्तों के सम्बन्ध में समाचार

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगु सराय) : मैं कर्तव्यपरायणता की भावना से प्रेरित होकर संसद् सदस्यों के वेतन, भत्तों तथा असुविधाओं के बारे में एक समाचार एजेंसी द्वारा प्रसारित किये गए एक समाचार की ओर निर्देश कर रहा हूं। इस समाचार में बहुत बढ़ा-चढ़ा कर वास्तविक स्थिति बताई गई है।

समाचारपत्र में समाचार के अनुसार एक संसद् सदस्य का वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाएं मिलाकर प्रतिमास लगभग 5000/- रुपये बैठती हैं। यह बिल्कुल गलत है। यह कहा जा सकता है कि भारत में संसद् सदस्यों को सबसे कम वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाएं मिलती हैं और यदि हाल ही में हुई 22-23 प्रतिशत मूल्य वृद्धि को भी देखा जाये तो उनकी आर्थिक अवस्था बहुत ही चिन्तनीय है।

एक सदस्य को वेतन के रूप में प्रतिमास 500 रु० मिलते हैं। समाचार में यह दावा किया गया है कि हमें ब्रिटिश संसद् के सदस्य के समान 3200 पाउन्ड के समतुल्य राशि प्राप्त होती है। यह तुलना बिल्कुल गलत है। संसद् सदस्य को वर्ष भर में मिलने वाले दैनिक भत्ते को मिलाकर उसका कुल वेतन 1000-1200 रु० से अधिक नहीं बैठता। भारत सरकार में इतना वेतन तो एक अनुभाग अधिकारी को भी मिलता है। ......

यदि संसद् सदस्य द्वारा सरकारी एवं सामाजिक दायित्वों को निभाने के लिए परिवहन पर, टेलीफोन बिलों आदि पर किये जा रहे व्यय को देखें तो प्रतीत होगा कि उसकी आर्थिक अवस्था बहुत ही दयनीय है। और इस कारण उसके कारगर ढंग से कार्य करने में बाधक है।

मेरा विचार था कि सभा के नेता द्वारा स्थिति को स्पष्ट किया जायेगा और सरकारी पक्ष की ओर से किसी न किसी के द्वारा हमारे हितों की रक्षा की जायेगी। अभी भी समय है कि संसदीय कार्य मंत्री अथवा प्रधान मंत्री इस बारे में वक्तव्य दें।

यह समझ नहीं आता कि समाचार एजेंसी ने किस प्रकार से यह समाचार प्रकाशित किया है और इस प्रकार की बात उन्हें कहां से प्राप्त हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि संसद् सदस्यों के वेतन, भत्तों आदि में कोई वृद्धि की गई हो। अन्यथा इस प्रकार के समाचार को प्रकाशित करने का कोई कारण नजर नहीं आता।

यद्यपि समाचार एजेंसी का ऐसा इरादा न भी रहा हो तो भी ऐसा प्रतीत होना है कि यह प्रयास संसद् सदस्यों का अपमान करने के लिए किया गया है। हम आप का संरक्षण चाहते हैं। हम सभी संसद् सदस्यों का यह एकमत है कि हमें सहानुभूति की आवश्यकता है न कि इस प्रकार के मज़ाक की।

श्री समर गुह (कन्टाई) : इस समाचार की कुछ बातें गलत और बेतुकी हैं। हमने कभी अतिरिक्त सुविधाओं की मांग नहीं की। हमारे साथ सरकारी अस्पतालों में विशेष बर्ताव नहीं होता। उसके लिए हम अदायगी करते हैं। परन्तु इस सब के बावजूद समाचारपत्रों द्वारा देश में इस धारणा को फैलाया जा रहा है कि संसद् सदस्यों का वर्ग विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है। इसको समाप्त होना चाहिए। हम जनता के प्रतिनिधि हैं इस प्रकार के समाचारों से हमारा दर्जा और हमारी उत्तरदायित्व की भावना कम होती है। हमारे वेतन तथा अन्य सुविधाओं के बारे में एक स्पष्ट वक्तव्य दिया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : हम इस बारे में सारी जानकारी एकत्र करेंगे और उसे सभा के नेता को भी भेजा जायेगा।

हमें कई वर्षों से प्रतिमास 500 रुपये का वेतन मिल रहा है। संसद की बैठकों की अवधि में हमें 51 रुपये का भत्ता मिलता है। यह सारी राशि 1400-1500 रुपये बैठती है। मैंने विदेशों में भी देखा है अतः मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि हमें सब से कम वेतन प्राप्त होता है। ब्रिटिश संसद् सदस्यों को लगभग 12,000 रु० प्रतिमास प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं।

ऐसा लगता है कि समाचार ऐजन्सी को पता नहीं कि हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं प्रेस वालों के साथ बैठकर उन्हें सभी आवश्यक जानकारी देने और उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराने को तत्पर हूं।

(दो) सिएट टायर फैक्टरी बम्बई में हड़ताल

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : सिएट टायर फैक्टरी, बम्बई के 1300 कर्मचारियों ने अधिक काम के विरोध में और परिलब्धियों में वृद्धि की मांग को लेकर 13 नवम्बर से हड़ताल कर रखी है। श्रम मंत्रालय श्रमिकों के हितों की रक्षा करने में असफल रहा है। सरकार की इस असफलता के कारण देश में टायर, ट्यूबों की कमी बढ़ गई है। सरकार को हस्तक्षेप करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हड़ताल समाप्त हो और उत्पादन पर कोई कुप्रभाव न पड़े।

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : मुझे इस हड़ताल के बारे में कोई सूचना नहीं है। मैं स्थिति का पता लगाने का प्रयत्न करूंगा और आवश्यक कार्यवाही करने का प्रयत्न करूंगा।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : इंडियन एयरलाइन्स की हड़ताल के बारे में मंत्री महोदय को कोई वक्तव्य देना चाहिए।

प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक
MATERNITY BENEFIT (AMENDMENT) BILL

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये ।"

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 औद्योगिक महिला श्रमिकों को प्रसूति प्रसुविधा के भुगतान में समानता लाने के लिये विनियमित किया गया था। प्रसुति प्रसुविधा के बारे में इस के उपबंध कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के उपबन्धों के अनुरूप हैं। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 से सभी क्षेत्रों तथा प्रतिष्ठानों पर लागू करने में काफी समय लगेगा। इस बीच कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत न आने वाले कर्मचारियों को प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत लाभ पहुंचाया जायेगा।

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 की धारा 2(झ) प्रत्येक फैक्टरी, खान अथवा बागान पर लागू होती है। अधिनियम को खानों में लागू करने के लिये केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी है और फैक्टरियों, बागानों अन्य प्रतिष्ठानों में इसे लागू करने के लिये राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं।

प्रसूति प्रसुविधा अधीनियम, 1961 के सर्कस उद्योग के प्रतिष्ठानों पर लागू करने में कठिनाई उत्पन्न हो गई है। इंडियन सर्कस फेडरेशन और अखिल भारतीय सर्कस कर्मचारी संघ ने श्रम कानूनों को सर्कस उद्योगों में लागू करने के बारे में एक ज्ञापन दिया और श्रम ब्यूरों ने इस बारे में एक सवक्षण किया। उससे प्रकट हुआ कि उद्योग की विशेष प्रकृति के कारण यह किसी विशेष श्रम कानून के अन्तर्गत नहीं आता अपितु कामगर क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923, ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 आदि जैसे कुछ सामान्य श्रम नियम लागू होते हैं। यह भी पाया गया कि सभी सर्कस कम्पनियों में पर्याप्त संख्या में महिलायें काम करती हैं। सर्वेक्षण के अनुसार सर्कस उद्योग में 12 प्रतिशत महिलायें काम करती हैं और उनमें से 8 प्रतिशत महिलायें विवाहित हैं। इसके बावजूद 20 कम्पनियों में से किसी भी कम्पनी ने प्रसुति प्रसुविधा की अदायगी का महत्वपूर्ण उपबन्ध नहीं कर रखा है।

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 की धारा 3(क) के अनुसार राज्य सरकारें जो "उपयुक्त सरकारें" हैं सर्कस उद्योग में अधिनियम के प्रशासन के लिये उत्तरदायी होंगी। तथापि सर्कस एक से दूसरे राज्य में घूमती रहती है इस कारण राज्यों द्वारा प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 को लागू करना व्यवहारिक नहीं होगा। अतः धारा 3(क) का संशोधन प्रस्तावित है जिससे सर्कस उद्योग में काम करने वाली महिलाओं को प्रसूति प्रसुविधा का लाभ देने के लिये केन्द्रीय सरकार को "उपयुक्त सरकार" बनाया जा सके और आवश्यक समझे जाने वाले अन्य संशोधन किये जा सकें। सभी राज्य सरकारें इससे सहमत हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म०प० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बज कर पांच मिनट म०प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after Lunch at five minutes past Fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक–जारी

Maternity Benefit (Amendment) Bill—*contd.*

Shri Hukum Chand Kachhwai (Ujjain) : There is a strike in Synthetic Mill in Ujjain for the last one and a half month. Workers are being beaten and State Government is not taking any action. Labour Minister should give a statement in this regard.

***श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** (नवद्वीप) : इस विधेयक का उद्देश्य बहुत ही सीमित है । इसके द्वारा 1961 के मूल अधिनियम के उपबन्धों को सर्कस उद्योग के श्रमिकों पर लागू किया जायेगा । इस विधेयक का उद्देश्य सभी काम करने वाली महिलाओं को प्रसूति प्रसुविधा प्रदान करने का है चाहे वह किसी भी व्यवसाय में काम करती हों । किन्तु हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में काम करने वाली महिलाओं को इस विधेयक के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है ।

यह सरकार समाजवाद और कल्याणकारी राज्य की बातें बहुत करती है परन्तु सरकार गरीबों की ओर ध्यान देने में पूरी तरह से असफल रही है। सरकार के पास भारत में काम करने वाली सभी महिलाओं का ब्यौरा नहीं है । बहुत सी महिलायें कृषि श्रमिक के रूप में कार्य कर रही हैं । इनकी संख्या 4 करोड़ के लगभग हैं परन्तु इन्हें इस विधेयक के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है । इन महिलाओं को भी अन्य स्थानों पर काम करने वाली महिलाओं के समान प्रसूति प्रसुविधा सुविधाएं प्रदान की जानी चाहियें । इन महिलाओं में से अधिकतर महिलाएं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की हैं । अतः सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये ।

बड़ी संख्या में महिलाएं बीड़ी उद्योग, हाथकरघा उद्योग और काजू उद्योग में कार्य कर रही हैं । उन पर न तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू होता है और न ही प्रसूति प्रसुविधा। सरकार का उन लाखों महिलाओं के लिये क्या करने का विचार है ।

इसी प्रकार अनेक छोटे–छोटे उद्योगों में और असंगठित उद्योगों में अनेक महिलाएं काम कर रही हैं । सरकार को इन सब का ब्यौरा रखना चाहिये और उन पर भी प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम लागू किया जाना चाहिये । सरकार को इस दिशा में तत्काल कदम उठाना चाहिये ।

जहां पर ये नियम लागू हैं, वहां पर भी सरकार की उदासीनता के कारण काम करने वाली महिलाओं को वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं होते । पटसन और कपड़ा मिलों जैसे संगठित क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं की संख्या में निरन्तर कमी की जा रही है । जिससे कि इन प्रसुविधाओं की आवश्यकता ही न रहे । काम करने वाली महिलाओं के लिये मातृत्व एक खतरा बन गया है ।

शिशु कल्याण का प्रसूति प्रसुविधा से निकटतम संबंध है । रानीगंज, आसनसोल और अन्य स्थानों पर शिशु सदन हैं परन्तु उनका प्रबंध इतना अव्यवस्थित है कि बच्चों को वहां पर छोड़ना खतरनाक है । मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये । उन्हें एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये व ऐसे संशोधन करने चाहियें जिनसे विवाहित अथवा अविवाहित, संगठित अथवा असंगठित क्षेत्र की सभी महिलाओं को प्रसूति प्रसुविधाएं प्राप्त हो सकें ।

---

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर): मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जूट मिल मालिक, कपड़ा मिल मालिक व चाय बागान मालिक प्रसूति प्रसुविधाओं के कारण महिलाओं की छटनी कर रहे हैं। यदि सरकार के ध्यान में यह बात नहीं लाई गई तो कैसे पता चलेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक का उद्देश्य सर्कस उद्योग में काम करने वाली महिलाओं पर प्रसूति अधिनियम लागू करना है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): पूर्व वक्ता ने सदन के सामने विभिन्न उद्योगों में श्रम करने वाली महिलाओं की दुर्दान्त स्थिति का वर्णन किया है। इस प्रकार का अवसर केवल विचार करने की अवस्था पर ही मिलता है। अतः क्या हम यह मांग नहीं कर सकते कि जिस प्रकार इसे सर्कस उद्योग पर लागू किया जा रहा है उसी तरह अन्य उद्योगों पर भी इसे लागू किया जाये ?

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद): इस प्रकार के अवसरों पर ही हम मांग कर सकते हैं कि इसे अन्य क्षेत्रों में अथवा उद्योगों में भी लागू किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तो इसके सीमित उद्देश्य की ओर संकेत कर रहा हूं। इस तरह इस का विस्तार किया गया, तो यह एक मुख्य चर्चा बन जायेगी।

Shri Ram Singh Bhai (Indore): Circus is such an Industry which remains moving from one State to another. Hence it becomes difficult for the "appropriate State Government", to enforce Maternity Act on Circus Industry. In order to overcome this difficulty, this amendment is proposed.

When Joint Select Committee was formed in 1960-61 to consider the Materinty Benefit Act many members had requested to include many industries in it. The Hon. Minister had then assured that this provision is being made in the original Act and State Governments are being empowered for the purpose. But after the lapse of 13 years the State Government have not brought such Industries under this Act where 90% women are employed. I am unable to understand the anxiety of the Government to extend this Act to a recreation Industry like Circus and leave other Industries which are engaged in production. In Delhi itself a number of women are engaged in construction work. They are required to work hard. Similarly quite a number of women are employed in Sugar Mills, Oil Mills, 'Bidi' Industry. But this Act has not been extended on them. Government should consider this aspect.

There is another difficulty with regard to this Act. It provides that these benefits would be eligible to those women who attend the work in 160 days in a year. Employers do not allow the women workers to work for 160 days in a year so that this benefit could be avoided. Hence this provision should be abolished. Minimum wage for 6 weeks of pre-natal period and 6 weeks of post-natal period should be increased.

Pay for 6 weeks is paid on the basis of average pay for previous three months. This basis should be changed. Women should be allowed 3 months of post-natal maternity leave instead of 6 weeks as at present and they should be given pay for this period. Even doctors are of the opinion that women should not be required to work for three months after delivery. Therefore, this improvement should also be made in the original Act.

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक के उपबन्धों से प्रतीत होता है कि सरकार ने इसे सर्कस उद्योग में काम करने वाली महिलाओं की प्रसूति प्रसुविधाओं के देने तक ही सीमित नहीं रखा अतः सदस्य अन्य उद्योगों के बारे में भी हवाला दे सकते हैं। मैं विधेयक के उद्देश्यों संबंधी अपने पहले के विचारों को बदल रहा हूं।

***श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** (अडूर): इस विधेयक के द्वारा सर्कस उद्योग में कार्य करने वाली महिलाओं को लाभ होगा। परन्तु हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिये कि किसी विधेयक के उद्देश्य कितने भी प्रशंसनीय न हों जब तक उसके बारे में सामाजिक जागृति उत्पन्न न हो तब तक अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते। संविधान में अनेक ऐसे उपबन्ध हैं जिनके अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अल्प संख्यकों को संरक्षण प्राप्त है। परन्तु वास्तविकता इससे भिन्न है। उन पर अत्याचार हो रहे हैं। अतः केवल कानून बनाना ही नहीं उन्हें समुचित ढंग से कार्यान्वित करना भी सुनिश्चित करना चाहिये।

सर्कस उद्योग में काम करने वाली महिलाओं को तब तक प्रसूति प्रसुविधा का कोई लाभ नहीं होगा जब तक उनकी नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है। केरल में काजू उद्योग एक परम्परागत उद्योग है। इसमें काम करने वालों में 95 प्रतिशत महिलायें हैं। एक सौ से अधिक काजू कारखानों में से केवल 25 प्रतिशत को काजू विकास निगम ने अपने नियन्त्रण में लिया है। अन्य फैक्टरी वाले 6 महीने के बाद अपनी फैक्टरी बन्द करके दूसरे राज्य में चले जाते हैं। वहां पर कम मजूरी पर लोगों को काम पर लगाया जाता है। और अन्धा धुन्ध लाभ कमाया जाता है। इन मुनाफाखोरों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये जिससे कि प्रसूति महिलाओं को लाभ मिल सके।

मूल्य इतने अधिक बढ़ गये हैं कि प्रसव-पूर्व और प्रसवोत्तर सावधानी के लिय 25 रुपये की इस राशि से कुछ भी नहीं खरीदा जा सकता। इस राशि को बढ़ा कर 100 रुपये किया जाना चाहिये। ऐसे प्रत्येक कारखाने में एक डाक्टर, एक नर्स और एक असिस्टेंट नियुक्त किये जाने चाहियें जहां सौ महिलायें काम करती हैं ताकि उनकी प्रसव-पूर्व और प्रसवोत्तर चिकित्सा की जा सके। सरकार को चाहिये कि वह नियोक्ताओं को उचित निदेश दे कि वे छह महीने या एक वर्ष में कम से कम एक बार समय पर प्रसूति संबंधी लाभ दें।

अधिकांश महिला कर्मचारियों को इस संशोधन विधेयक और मूल अधिनियम के क्षेत्राधिकार से निकाल दिया गया है। अतः उन्हें इस विधेयक के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये। इस समय यह प्रथा है कि बहुत सी महिला कर्मचारियों की छंटनी कर दी जाती है ताकि प्रसूति संबंधी लाभ देने से बचाया जा सके। इस प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिये और इस कार्य के लिये हमें भारत रक्षा नियम लागू करना होगा।

बागानों और अन्य उद्योगों में यह प्रथा है कि जब किसी महिला का विवाह हो जाता है या वह गर्भवती हो जाती है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

*मलयालम में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Malayalam.

Shri Damodar Pandey (Hazaribagh) : I welcome this Bill but this Bill should have been brought forward in an amended form. There are still a large number of women who are contract labour. Though the mines have been nationalised, the public sector undertakings have not taken any responsibility in this regard.

This Bill does not provide this benefit to the women workers engaged on construction work. The Government should direct the public sector undertakings to take the responsibility of providing maternity benefit. If it cannot be done through straight directions, the Bill should be amended.

Shri Hukam Chand Kachhwai (Morena): It would have been better if this Bill would have been brought forward in a comprehensive form. There are a large number of women workers in various industries who have not been brought within the purview of this Bill.

Although this Bill covers the plantations, a miserable conditions prevails there.

When this law was enacted, the goods were much more cheaper. The amount provided is not commensurate with the present price like. They should be given more amount. One month's leave for pre-natal period and three month's rest for post-natal period should be provided. Such provision should be made in this Bill.

Contract-Labour should also be covered by this Bill.

Shri Rudra Pratap Singh (Barabanki) : Woman has been neglected in this country for ages.

The leader of the Congress party, Shrimati Indira Gandhi always tries to see that justice is done to women as is done to Harijans, backward people etc. Whatever efforts made in this regard are commendable. Still much more efforts remain to be made.

I would like to draw the attention of the Government that there are 75 per cent of women who are farm labour. Attention should be paid to them.

It is not enough to provide benefits to women workers by law. We should ensure as to whether they (women) are practically being benefited by these laws. The Government should see that the maternity benefits are actually provided to the women workers. Only then the benefit of passage of this Bill will go to them.

The women workers, wherever they are employed, are exploited even to-day. We hope that it will be ensured that they are not exploited and they get equal status in the society as well as economic justice is done to them.

With these words I support this Bill.

***श्री जे० माता गौडर** (नीलगीरि): इस विधेयक का स्वागत है क्योंकि 25 वर्ष में पहली बार सर्कस उद्योग में काम करने वाली महिलाओं को प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत लाया जा रहा है।

*तमिल में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

वर्ष 1968 में श्रम ब्यूरो ने सर्कस उद्योग में काम करने वाली महिलाओं के रहन-सहन की दशाओं का सर्वेक्षण किया और उसने पाया कि उन्हें प्रसूति प्रसुविधा नहीं मिल रही है। सरकार ने 5 खण्ड वाले इस संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने में 5 वर्ष का यह असामान्य विलम्ब क्यों किया ?

मैं जानता हूं कि इसके उत्तर में यही कहा जाएगा कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से परामर्श करना पड़ा था। मैं आपको सूचित करता हूं कि सर्कस उद्योग का घर अकेला केरल राज्य है और सभी 29 सर्कस कम्पनियां केरल में पंजीकृत हैं। इस बारे में केरल राज्य सरकार की राय लेना ही पर्याप्त था। 29 सर्कस कम्पनियों में तो लगभग 1000 श्रमिक महिलाएं काम कर रही हैं। तो देश की करोड़ों श्रमिक महिलाओं के लिये कानून बनाने में तो सरकार को एक शताब्दी लग सकती है।

देश के बीड़ी उद्योग, काजू उद्योग, दियासलाई उद्योग और कृषि में करोड़ों महिलाएं श्रमिक के रूप में काम कर रही हैं। सरकार को एक व्यापक विधेयक लाना चाहिये था। जिससे देश की सभी श्रमजीवी महिलाओं को प्रसूति प्रसुविधा दी जा सके।

सरकार के लिये यह अवश्यक है कि वह इन उपबन्धों को और सरल बनाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की अनभिज्ञ श्रमजीवी महिलाएं इसका लाभ उठा सकें। कानून में यह बात स्पष्ट होनी चाहिये कि प्रसूति प्रसुविधा के रूप में तीन-चार महीने के लिये इतनी राशि दी जाएगी। इतना ही पर्याप्त नहीं है कि केवल कानून में यह लिख दिया जाए कि कुछ लाभ मिलेगा अपितु श्रमजीवी महिलाओं के लिये यह सम्भव हो कि वे ये लाभ प्राप्त कर सकें।

मैं अपना भाष्ण समाप्त करते हुए यह कहना चाहता हूं कि केरल में काजू उद्योग में उद्योगपति महिलाओं से उनके घर पर ही काम करवाते हैं। वे कानून के उपर्बन्धों से बचने में बड़े चतुर होते हैं। मैं विवशतापूर्वक यह कहता हूं कि ऐसा लगता है कि सरकार उद्योगपतियों को ऐसी अनुचित प्रथा में लगे रहने के लिये प्रोत्साहन देती है। यदि सरकार देश की करोड़ों श्रमजीवी महिलाओं का कल्याण चाहती तो व्यापक विधेयक लाती।

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 का व्यापक रूप से संशोधन किया जाए ताकि बीड़ी उद्योग, काजू उद्योग, दियासलाई उद्योग और अन्य उद्योगों में जो महिलाएं काम करती हैं और जिन्हें उद्योग-पतियों द्वारा अपने घरों में काम करने के लिये विवश किया जाता है, उन्हें प्रसूति प्रसुविधा मिले।

Shrimati Sahodrabai Rai (Sagar) : Only the women workers of the Circus Industry have been brought within the purview of this Bill. Its benefit may go to a few women workers but attention should be paid to other women workers also.

The Hon. Minister should have brought forward a comprehensive Bill. The rest of at least two months for post-natal period should be there. They should get their salary for this period. There is a difficulty regarding the condition of 160 days because when a women gives birth during this period, she cannot attend to her work. Consequently she does not get the benefit which she should get. Therefore, the Hon. Miinster should consider this position and see that women workers get actual benefits.

श्री वसंत साठे (अकोला) : प्रसूति प्रसुविधा के अतिरिक्त पहले बच्चे के भरण-पोषण के लिये भी कुछ दिया जा सकता है। दो या तीन बच्चों के पश्चात् किसी प्रकार की प्रसूति प्रसुविधा नहीं दी जानी चाहिये इससे परिवार नियोजन में भी सहायता मिलेगी।

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : I have listened to the debate very carefully and I am grateful to all the hon. Members who have participated in the debate. I do not know how the hon. Members have observed again and again that all the women workers have not been brought within the purview of this Bill. If they look into the sections 1, 3 (b) and proviso to section 2 they would find that all the women workers have been covered. In certain cases the central Government is responsible whereas in others the State Governments are responsible. So far as the mines are concerned, the Central Government has undertaken the responsibility and in remaining fields the State Government is responsible.

Some hon. Members have expressed their views that no attention has been paid to the women working in cashew-nut industry, handloom industry and agriculture. I am making it clear that the State Governments may enforce this Act in whatever industry they like, they may do so after seeking permission from the Central Government. There is no restriction.

Shri Kachwai and Shri Pandey raised a point regarding extension of this Act to construction work. We do not want to see the State Governments weak. We want that they are strong. They should provide protection to the women workers irrespective of the industry in which they work.

Construction work goes on for a shortwhile. After sometime that company goes to some other place. The State Governments can look after it properly.

Shri Vasant Sathe: Here the hon. Minister is slightly erring because the contractors take the labour to the remote places so that labour can be treated as slaves, how can it be left to the State Governments?

Shri Balgovind Verma: No such case is in our knowledge where injustice is being done to women.

So far as the circus industry is concerned, let me state that there are two Labour Organisations. They were consulted as to why they could not take effective action in this regard. They informed that they go from one state to another and cannot enforce it properly. Therefore, we have brought forward this amending Bill so that women workers do not suffer.

Shri Damodar Pandey : May I know whether the hon. Minister would like to collect information regarding the number of women workers who work on contract basis and the amount of benefit given to them during the last 20 years and the number of beneficiaries ?

Shri Balgovind Verma : The hon. Member may look into the section 3 (o) in this regard.

Shri Damodar Pandey : If it is not extended to mines, please instruct the officers to extend it.

Shri Balgovind Verma : The hon. Member may bring to our notice in case he finds any such thing anywhere. We shall enquire into it.

Shri Ram Singh Bhai has raised certain points. He has said that the women are not able to work for 160 days and consequently they are not eligible. In this connection. I have to state that if we make a provision that any woman who has worked for two or three days should be granted this benefit then no employer will provide them employment.

Shrimati Bhargavi Tankappan wanted the extension of this facility to the plantation workers. It is state Government's responsibility.

An hon. Member expressed his view over the inordinate delay in bringing forward this measure. The responsibility of enforcing this Act lies with the State Governments. We were under this impression that there benefits might have been available to the circus industry workers. But when the Labour organisation of Kerala brought it to our notice that they do not get these benefits, we have brought forward this Bill immediately after that.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब खण्डवार विचार किया जाएगा।

खण्ड 2

Dr. Laxminarayan Pandeya (Mandsam) : Sir, I move my amendment No. 5.

The hon. Minister has admitted that state governments have been unable to carry out their duties and obligation in this respect. I, therefore, suggest that the provisions of this amendment Bill should also be applicable to the workers engaged by the contractors for construction of roads and buildings etc.

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : माननीय सदस्य को ज्ञात है कि राज्य सरकार इस अधिनियम को उन उद्योगों पर लागू कर सकती हैं जिनका उन्होंने अपने संशोधन में उल्लेख किया है। अतः केन्द्रीय सरकार को उक्त शक्ति दिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

Dr. Laxminarayan Pandeya: State Governments were authorised to exercise this power but they did not do it. This is the main purpose of my amendment.

उपाध्यक्ष महोदय : केन्द्रीय सरकार के अधीन निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के बारे में क्या स्थिति हैं ?

श्री बाल गोविन्द वर्मा : केन्द्रीय सरकार अपने दायित्व को भलीभांति समझती है। इस विधेयक से इन कार्यों में लगी महिलाओं को सुविधा मिल सकेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार ने स्वयं इस विधेयक के क्षेत्र में विस्तार कर दिया है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 5 मतदान के लिये रखा गया

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha Divided.

पक्ष में 16 विपक्ष में 59।

Ayes 16 No. 59

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The Motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : मैं अपने संशोधन संख्या 6 और 7 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 6 और 7 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The Amendment Nos. 6 and 7 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 3 was added to the Bill.

खण्ड 4

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : मैं अपने संशोधन संख्या 8 और 9 प्रस्तुत करता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं अपना संशोधन संस्कार 13 प्रस्तुत करता हूं।

Sir, my amendment is quite simple and genuine, It seeks to cover the workshops also under the provisions of this Bill. If it is not accepted the women workers engaged in various workshops under central as well as the State Governments would not get any benefit.

श्री बालगोविन्द वर्मा : प्रसूति सुविधा अधिनियम, 1961 में "फैक्ट्री" की जो परिभाषा दी गई उसको देखते हुए इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 8, 9 और 13 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The Amendment Nos. 8, 9, and 13 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause was added to the Bill.

खण्ड 5

श्री हुकम चन्द कछवाय (मोरेना) : मैं संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत करता हूं।

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : मैं संशोधन संख्या 11 प्रस्तुत करता हूं।

Shri Hukam Chand Kachwai: Sir, my amendment seeks the reduction of period from 30 days to one week. It is a genuine demand and the hon. Minister should accept it.

Dr. Laxminarayn Pandeya: Sir, the period of time of 30 days sought to be taken by the Central Government is undesirably more. When the rules have been made and circulated, Government should not take so much time. I, therefore, suggest that this period should be reduced to one weak.

श्री बालगोविन्द वर्मा : महोदय ! प्रस्तावित व्यवस्था संसद के दोनों सदनों की अधीनस्थ विधान समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर की गई है। अतः मैं उसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं समझता।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 10 और 11 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये

The Amendment Nos. 10 and 11 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 5 was added the Bill

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, "कि विधेयक को पारित किया जाय।"

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : While supporting this Bill I would like to appeal the Government and the hon. Minister to ensure proper and immediate implementation of this Bill.

I would also like to invite the attention of the hon. Minister to the deplorable condition of the thousands of women workers engaged by the owners of brick kilns. These poor women-workers are not covered by any legislation. No kind of facilities is available to them. (*Interruption*)

I, therefore, suggest that Central Government should issue directions to the state Governments in this respect so that these poor workers could be provided with this facility.

Shri Bal Govind Verma : This matter relates to the State Governments. State Governments can make this legislation applicable to these workers if they so desire.

Shri Ramavatar Shastri: We tried to persuade the State Government of Bihar but all in vain.

Shri Bal Govind Verma: Kindly, write the State Governments and endorse a copy of that to us.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक
Industries (Development and Regulation) Amendment Bill

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : महोदय ! मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

Shri Madhu Limaye (Banka) : Sir, I wrote two letters to the Prime Minister regarding this important Bill. We wanted to discuss with the hon. Minister also on the amendment we had tabled. But due to certain reasons we could not get that opportunity.

उपाध्यक्ष महोदय : इन बातों का उल्लेख अभी नहीं किया जाना चाहिये।

Shri Madhu Limaye: I suggested that this Bill should be postponed for sometime. I seek to move an adjournment motion under section 109.

उपाध्यक्ष महोदय : आप स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत कैसे कर सकते हैं। यह विधेयक अभी विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। हमें प्रक्रिया के अनुरूप चलना होगा। यदि सभा इसकी अनुमति देती है तो विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को स्थगित किया जा सकता है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : माननीय सदस्य यदि चाहते तो मुझसे कभी भी विचार-विमर्श कर सकते थे। किन्तु संभवतः वह प्रधान मंत्री से ही विचार-विमर्श करना चाहते थे।

इस छोटे से विधेयक का उद्देश्य उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची में लिनोलियम उद्योग को सम्मिलित किया जाना है। माननीय सदस्य को ज्ञात है कि उद्योगों के विकास तथा उनकी प्रगति के लिये सरकार को औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली संबंधी व्यवस्था ही उपलब्ध है। इसी के आधार पर देश के विभिन्न भागों में विभिन्न उपक्रमों की उत्पादन क्षमता को विनियमित किया जाता है। उक्त अधिनियम बनने के पश्चात देश में विद्यमान विभिन्न उपक्रमों को पहली अनुसूची में सम्मिलित किया गया तथा उसके पश्चात भी प्रत्येक नए उपक्रम का उसमें हवाला दिया गया किन्तु इन उपक्रमों के पंजीकरण प्रमाण पत्र में इनके एककों की क्षमता आदि का उल्लेख नहीं किया गया।

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए**
SHRI K.N. TIWARY in the Chair]

इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ उपक्रमों ने अपनी पंजीकृत क्षमता से बहुत अधिक उत्पादन करना आरंभ कर दिया। जिससे छोटे और मध्यम स्तर के उपक्रमों पर बुरा प्रभाव पड़ा।

इस विधेयक का उद्देश्य इसी त्रुटि को दूर करना है। सरकार औद्योगिक उपक्रमों के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में उनकी क्षमता तथा अन्य आवश्यक बातों का उल्लेख करना चाहती है। सरकार केवल उन्हीं उपक्रमों की क्षमता निर्धारित करना चाहती है जिनके मामले में ऐसा करना लोकहित में समझा जाए।

इस समय धारा 10(5) को इस प्रकार बनाया गया है जिसके अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में उत्पादन क्षमता को न्यायसंगत बनाया जाएगा। केवल रजिस्ट्रेशन के समय ही उत्पादन के स्तर पर विचार नहीं किया जाएगा वरन संशोधन के पश्चात तीन वर्ष की अवधि में भी विचार किया जाएगा। जो उपक्रम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं करेंगे उनको दण्ड दिया जाएगा।

अधिनियम की प्रथम अनुसूची में फैल्ट और पटसन पर आधारित लिनोलियम उद्योग को सम्मिलित किया जा रहा है। इसीलिये इस महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक को लाया गया है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाए।"

Shri Madhu Limaye: The hon. Minister has misunderstood me. I wanted to meet the hon. Minister also. Now I suggest that before taking this Bill for consideration we should be permitted to have talks with Prime Minister and the hon. Minister also in this respect.

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : विदेशी मुद्रा विधेयक को सभा में विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने के समय भी ऐसी ही स्थिति आई थी तथा तब सरकार ने विपक्षी दलों के साथ विचार-विमर्श किया था

और उनके सुझावों को विधेयक में सम्मिलित कर लिया गया था। अतः मेरा अनुरोध है कि इस बार भी हमारा सुझाव स्वीकार किया जाए।

सभापति महोदय : वास्तव में नियम के अनुरूप कोई प्रस्ताव नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : मंत्री महोदय ने अपने भाषण में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि इस विधेयक उद्देश्य पंजीकृत उद्योगों की उत्पादन क्षमता को विनियमित करना है तथा देश में एकाधिकार को बढ़ने से रोकना है। किन्तु हम जानते हैं कि पूंजीवादी शक्तियां सरकार के सभी कानूनों से बलवती है। सरकार एकाधिकार को पनपने से नहीं रोक सकती क्योंकि वह स्वयं उसको प्रोत्साहन देती है। मंत्री महोदय ने विधेयक के कारण और उद्देश्यों में कही इस बात का उल्लेख नहीं किया गया कि छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों पर क्या बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका है।

विद्यमान अधिनियम की धारा 18(जी) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकार के आधार पर भी सरकार मूल्यों का नियंत्रण कर सकती थी तथा ऐसे निदेश जारी कर सकती थी जिससे छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों को संरक्षण देने के उद्देश्य की प्राप्ति कर सकती थी । देश में प्रत्येक वस्तु का अभाव है तथा उत्पादन का स्तर भी बहुत निम्न है। ऐसी स्थिति में उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाये जाने की क्या आवश्यकना है ? वास्तव में इस कानून के माध्यम से सरकार कुछ उद्योगों के साथ पक्षपात कर सकती है।

उद्योगों के विस्तार की बहुत आवश्यकता है। किन्तु सरकार विदेशी कम्पनियों को बिना मुआवजे दिये अपने अधिकार में लेकर इस आवश्यकता को पूरा कर सकती है किन्तु वह करेगी नहीं। सरकार की लाइसेंस नीति एकाधिकार समर्थक रहीं है तथा बिड़ला और टाटा इसका ज्वलंत उदाहरण है। ये दोनों उद्योगपतियों के हाथ में देश की कम से कम 50 प्रतिशत पूंजी है। इस कानून के बाद भी इन्हीं उद्योगपतियों को लाभ होगा।

अनेक कांग्रेसी सदस्यों ने अपनी सरकार की लाइसेंस नीति के विरुद्ध संसदीय पार्टी की बैठकों में आलोचना की है, मैं उन कांग्रेसी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी आवाज सदन में भी उठायें।

अभी हाल में सरकार ने जो औद्योगिक लाइसेंस नीति बनाई है, उसके अनुसार एक करोड़ रुपये की पूंजी तक का कारखाना लगाने के लिए किसी भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। यह एक खतरनाक नीति है, क्योंकि बड़े उद्योग-गृह नये नाम से कारखाने लगाकर सहायक उद्योगों के विकास में बाधा उपस्थित करेंगे।

सरकार ने अनेक बार घोषणा की है कि वह पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता देंगे। इसके बावजूद क्षेत्रीय असन्तुलन बना हुआ है। पूर्वी क्षेत्र, विशेष रूप से आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर आदि में नये उद्योगों की स्थापना नहीं की जा रही है। सरकार को इस बारे में स्वयं पहल करनी चाहिए, अन्यथा देश में इस प्रकार का असन्तुलन समाप्त नहीं किया जा सकता।

वास्तविक नीति-निर्माता तो पूंजीपति, जमाखोर, चोरबाजारिये, जमीदार आदि हैं और मंत्री तो उनके हाथ के खिलौने मात्र हैं।

यह घोषणा की गई थी कि औद्योगिक पुनर्वित्त निगम आर्थिक-संकटग्रस्त उद्योगों के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेगा, उनका संचालन करेगा और पुनः उत्पादन की क्षमता प्राप्त करने पर मालिकों को

वापस कर दिये जायेंगी। औद्योगिक पुनर्वित्त निगम का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण कार्य यह है कि उत्पादन की उचित जांच नहीं की जाती, लाभ की राशि नहीं दिखाई जाती और मजदूर संघ अधिनियम के अधीन कर्मचारियों को जो सुविधायें प्राप्त हैं, उनसे उन्हें वंचित कर दिया जाता है। जो भी अधिनियम या विनियम यहां पास किया जाता है, वह कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए क्रियान्वित नहीं किया जाता। मुझे इस बात की आशंका है कि इस विनियम से बड़े एकाधिकारी गृहों को पूर्ण अधिकार दिया जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश के नहान जिले में जमुना पन बिजली परियोजना की पटेल इंजीनियरिंग कम्पनी के प्रबन्धकों ने सितम्बर, 1973 में 53 कर्मचारियों की छंटनी कर दी है। 13000 कर्मचारियों ने इसके विरोध में प्रदर्शन भी किया। पुलिस ने कर्मचारियों को उनके शेडों से ही नहीं निकाला, बल्कि आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कर्मचारियों के वकीलों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनकी पिटाई की और जेलों के अन्दर उन्हें चिकित्सा सहायता भी उपलब्ध नहीं की गई। क्या यही लोकतन्त्र है ?

इस विधेयक से बड़े उद्योग-गृहों को छोटे और मध्यम उद्योगों की कीमत पर देश की सम्पदा को बराबर करने के अधिक अवसर मिलते हैं।

Mr. Chairman : Shri Madhu Limaye has sent a motion which say that the debate on this Bill be adjourned.

Shri Madhu Limaye (Banka) : There are three reasons for bringing forward this motion :—

(1) This Bill has not been referred to the Select Committee and hence, both the houses have not got the opportunity to consider all the aspects.

(2) The hon' ble Minister accepted an amendment in Rajya Sabha, which shows that it is incomplete.

(3) The Government has also circulated an amendment to the bill as passed by Rajya Sabha.

I would, therefore, request that we should be allowed some time so that we may discuss our amendment with the Prime Minister.

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक और विदेशी मुद्रा विनियम (संशोधन) विधेयक पर बहस को भी स्थगित कर दिया गया था।

मेरा विनम्र निवेदन यह है कि अगर प्रधान मंत्री तथा मन्त्री महोदय के साथ विचार विमर्श होने के पश्चात् अगर यह विधेयक सदन में पेश किया जाता है तो सदन के दोनों पक्षों के विचारों को अधिक प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। मैं इस प्रक्रिया का इसलिए सुझाव दे रहा हूं क्योंकि यह विधेयक प्रवर समिति को विचारार्थ नहीं सौंपा गया था।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं श्री मधु लिमये द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का पूरी तरह समर्थन करता हूं।

दूसरे सदन की कार्यवाही का अध्ययन करने पर मुझे यह पता चला कि उस सदन में प्रत्येक व्यक्ति इस बात से सहमत था कि कुछ संशोधन अपेक्षित हैं। प्रवर समिति के पास पहले इसे भेजा नहीं गया था और इस स्थिति में अब भेजा भी नहीं जा सकता। दूसरे सदन में एक संशोधन स्वीकार कर लिया गया था। इस सदन में भी सरकार की ओर से एक संशोधन पेश करने का विचार है। आधे घंटे की चर्चा के समय मंत्री महोदय ने यह कहा था कि लाइसेंन्स नीति में मौलिक परिवर्तन सम्बन्धी प्रश्नों पर विधेयक पेश करते समय विचार किया जायगा। अगर इस विधेयक को दो दिन के लिए स्थगित कर दिया जाता है, तो हम मंत्री महोदय से आपसी विचार विमर्श करके कुछ संशोधन मंजूर करा सकते हैं।

हम चाहते हैं कि यह विधेयक त्रुटिहीन बन सके ताकि इस विधेयक के माध्यम से राष्ट्र को क्षति पहुंचा कर एकाधिकार गृह शोषण न कर सके।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक का नोटिस पिछले स्तर में दिया गया था और तीन-चार महीने तक यह सदन के समक्ष रह चुका है। पिछले सप्ताह से यह कार्य सूची पर है, परन्तु किसी भी सदस्य ने इस विधेयक के परिणामों अथवा इससे सम्बन्धित कठिनाईयों की मुझसे चर्चा नहीं की है। अगर कोई सदस्य मुझसे विचार विमर्श करना चाहता, है तो उनके लिए मैं सदैव उपलब्ध हूं और हम कल सुबह इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। मुझे खेद है कि बिना कोई नोटिस दिये इस पर चर्चा स्थगित करने का औचित्य नहीं है।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : मैं और मेरे माननीय मित्र श्री वयालार रवि मन्त्री महोदय से मिलना चाहते थे, परन्तु सम्भवतः श्री ब्रेजनेव की भारत यात्रा के कारण उनसे भेंट न हो सकी।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं की है।

डा० कैलाश (बम्बई दक्षिण) : मैं भी मन्त्री महोदय से इस विधेयक के बारे में भेंट करना चाहता था।

Shri Madhu Limaye : There has certainly been some misunderstanding about it. We do not want a Congress versus opposition feeling about this Bill. A consensus should emerge and a meeting should be arranged for that purpose.

Mr. Chairman : We may leave this motion as it is and you may fix up time after consulting the hon'ble Minister.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : संसद भवन के मेरे कमरे में आप कल सुबह 9 बजे भेंट कर सकते हैं।

श्री बसन्त साठे : सभापति महोदय, यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है यद्यपि प्रथम दृष्टया यह एक साधारण विधेयक प्रतीत होता है। विधेयक को पेश करते समय मंत्री महोदय ने विधेयक के दूरगामी प्रभावों का स्वयं उल्लेख किया था। कुछ उद्योगपतियों ने विधेयक के उद्देश्य से बचने के लिये इसके उपबन्धों का अपने स्वार्थों के लिये उपयोग किया।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत पंजीकृत उपक्रमों को मासिक अधिष्ठापित क्षमता, पालियों की संख्या प्रति माह कार्य-दिवसो की संख्या और पिछले तीन सालों के उत्पादन आदि से सम्बन्धित जानकारी देनी होती है। जब कोई कारखाना पंजीकरण के लिये आवेदन करता है, तो यह उपयुक्त जानकारी देता है और अधिष्ठापित क्षमता ही कारखाने की उत्पादन क्षमता मानी जानी चाहिये। मासिक उत्पादन क्षमता का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि उत्पादन

क्षमता अधिष्ठापित क्षमता से अधिक हो ही नहीं सकती। उत्पादन क्षमता का पंजीकरण प्रमाणपत्र में उल्लेख न होने अथवा उसकी व्याख्या न करने का कारखाने के मालिकों ने लाभ उठाया और अपनी उत्पादन क्षमता में बढ़ोत्तरी की इस प्रकार बिना कोई लाइसेन्स लिए अथवा पंजीकरण किये बिना ही उत्पादन में विस्तार किया गया। बड़े उद्योगों ने सहायक उद्योगों की भी स्थापना करके गड़बड़ी पैदा की।

उद्देश्यों और कारणों को दर्शाने वाले विवरण-पत्र में यह कहा गया है कि सरकार को इस बात का पता चला है कि कुछ पंजीकृत उपक्रमों ने रजिस्ट्रेशन के समय जितनी उत्पादन क्षमता बताई थी उससे अधिक अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि कर ली है। इस प्रकार की बढ़ोत्तरी से छोटे और मध्यम एककों के हितों को नुक्सान पहुंचने की सम्भावना है।

उद्योग विकास और विनियम अधिनियम की अनुसूची में दर्शाये गये उद्योगों पर उक्त अधिनियम स्वतः लागू होता है। इसके लिए अलग से अधिसूचना जारी करने की क्या आवश्यकता है?

अधिसूचना में निर्धारित अवधि के अन्दर पंजीकरण प्रमाणपत्र उत्पादन-क्षमता का उल्लेख किया जाना चाहिये। अगर पंजीकरण की तारीख को औद्योगिक उपक्रम की उत्पादन-क्षमता जितनी थी, उसका उल्लेख किया जाता तो; समस्या का समाधान हो जाता। अगर उत्पादन-क्षमता में फिर भी वृद्धि होती है, तो उस क्षमता का उपयोग निर्यात के लिये किया जाना चाहिए।

विधेयक में यह कहा गया है कि उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1973 के लागू होने के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान उच्चतम वार्षिक उत्पादन को विनियमित किया जायेगा। क्या छिपाकर विस्तृत की गई क्षमता को विनियमित करने अथवा कानूनी रूप हम देने जा रहे हैं।

मैंने और मेरे मित्रों ने इस बारे में संशोधन दिये हैं कि विदेशी कम्पनियों पर प्रतिबन्ध लगाये जायें। इस विधेयक में मूल त्रुटी यह है कि अब उपक्रम यह कहेंगे कि पिछले तीन वर्षों में हमने यह अतिरिक्त क्षमता प्राप्त कर ली है और उसे प्रमाण-पत्र में लिख लिया जाये। इससे छोटे उद्योगों को बड़े और एकाधिकारी उद्योगों की स्पर्द्धा से बचाने का हमारा उद्देश्य ही विफल हो जायेगा।

मैं यह सुझाव भी देना चाहता हूं कि जिन उद्योगों ने अपनी उत्पादन-क्षमता में विस्तार कर लिया है, उनसे पिछड़े क्षेत्रों अथवा अविकसित क्षेत्रों में अपने कारखाने स्थापित करने के लिये कहा जाना चाहिए। इन पिछड़े क्षेत्रों में सरकार को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करनी चाहिए। अगर यह नहीं किया जाता, तो विधेयक के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकेगी।

Shri Madhu Limaye : Sir, I rise on a point of order. Shri V. P. Sathe has very ably stated that according to the present law, information regarding monthly capacity and number of shifts has to be furnished in the application.

The Honourable Minister has stated in the Statement of Objects and Reasons that if such a state of affairs is allowed to continue, the production level of such undertakings will remain indeterminate and cannot be brought to a specified level as distinct from the undertakings licensed after the commencement of the Act for which the specific productive capacities are mentioned in the licence. This means that they have categorised the undertakings as licensed and registered. They can check the licensed undertakings, whereas they do not have any power to restrict the registered undertakings. I want to know whether the Ministry of Law or the Attorney General has been consulted in the matter, if so, what are their opinions ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : हमने विधेयक पेश करने से पहले महा न्यायवादी की राय ले ली थी।

Shri Madhu Limaye : The Attorney General should be called here to give his opinion.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : बहस के बाद मैं उत्तर दूंगा। अगर तब भी शंका-समाधान न हो, तो उस वक्त इस बारे में विचार किया जा सकता है।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय ने महा न्यायवादी से परामर्श किया था अथवा उनकी कानूनी सलाह ली थी ? क्या उस कानूनी सलाह को सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

प्रो० मधु दण्डवते : एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के बारे में जब विवाद उठ खड़ा हुआ तब महा न्यायवादी की सलाह ली गई थी। वह सलाह सदन के समक्ष रखी गई थी। इसी प्रकार अगर इस मामले में महा न्यायवादी की कानूनी सलाह हमें उपलब्ध की जाती है, तो इससे बहस में मदद मिलेगी।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : प्रश्न यह है कि यह विधेयक आवश्यक है अथवा नहीं। मैं सदन को यह आश्वस्त करने का प्रयास करूंगा कि यह विधेयक आवश्यक है। अगर मेरे उत्तर देने के बाद भी कोई शंका रह जाती है तब माननीय सदस्य महान्यायवादी की सलाह लेने के लिए कह सकते हैं।

Shri Madhu Limaye : Then we should know the facts.

Mr. Chairman : He has felt the necessity and, therefore, he has introduced the Bill.

Shri Madhu Limaye : Sir, it is not a matter concerning security of state that you are not going your ruling in this matter.

श्री निम्बालकर (कोल्हापुर) : यदि श्री लिमये की बात ठीक है तो यह बहस निरर्थक हो जाती है। इसलिये आपका विनिर्णय आवश्यक है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : माननीय सदस्य को सरकार को इस बात का श्रेय देना चाहिए कि सम्पूर्ण मामले की पूरी जांच करने के बाद हमने आवश्यक समझा है तभी हम इस विधेयक को लाये हैं। वे इसे आवश्यक बता सकते हैं और फिर उनको हम बताएंगे कि यह क्यों आवश्यक है और फिर वे सहमत हो जायेंगे ?

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : माननीय सदस्य व्यापक कानून चाहते हैं।

Mr. Chairman : He has explained that he has arrived at this conclusion only after taking the opinion of the Attorney General and therefore he has brought forth this Bill. You can prove its futility and he will reply. If necessary, opinion of Attorney General will be taken.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : यह बड़ी हैरानगी की बात है कि 22 वर्ष के बाद अचानक यह महसूस होने लगा है कि कुछ कमी है, एकाधिकार-गृहों के विस्तार रोकने के लिये इस विधेयक में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। एकाधिकार आयोग की स्थिति यह है कि उसके लिये कोई उपर्युक्त चेयरमैन ही नहीं मिलता। सरकार आयोग ने भी अभी तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है, इस आयोग निर्देश पद बहुत विस्तृत हैं। वे बड़े व्यापार गृहों में विभिन्न कदाचारों की जांच कर रहे हैं। ऐसे

समय में यह विधेयक लाया गया है। क्या मंत्री महोदय आयोग द्वारा विधेयक प्रस्तुत किये जाने के बाद एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करेंगे ? एकाधिकार गृहों ने 22 वर्षों में अपने एकाधिकार में वृद्धि की है। विदेशी कम्पनियों ने अपने देशों को लाभ की इतनी अधिक राशि भेजी है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते।

फिलिप्स कम्पनी अपनी ट्यूबें छोटी फर्मों द्वारा बनवा कर अपनी मोहर लगा देती है। अगले दिन मंत्री महोदय ने कहा था कि उनकी नीति से एकाधिकार पर रोक लगेगी अगर यदि किसी ने सरकार की अनुमति के बिना अपनी क्षमता का गैर-कानूनी ढंग से विस्तार किया तो उसकी उपयुक्त जांच की जाएगी। बैरल उद्योग की क्षमता गैर-कानूनी ढंग से बढ़ाई गई है परन्तु अन्ततोगत्वा उनकी क्षमता को विनियमित कर दिया गया। इसी प्रकार नायलोन, रेयन आदि अन्य उद्योगों की क्षमता में भी वृद्धि की गई है। कुछ राजनीतिज्ञों और एकाधिकार गृहों के बीच सांठगांठ है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बात को स्पष्ट करें कि गत 25 वर्षों में एकाधिकार का किस प्रकार बेरोक टोक और आशातीत विकास हुआ है।

देश में कर अपवचन में भी वृद्धि हुई है। वांचू समिति के अनुसार वर्ष 1970 में 7,000 करोड़ रुपये का काला धन मौजूद है। अब यह 10,000 या 12,000 अथवा 15,000 करोड़ रुपये हो गया होगा। काले धन का पता लगाने के विचार से कराधान विधियों में कमियों को दूर करने के लिये एक प्रवर समिति बनाई गई है। क्या हमारे लिये ऐसा करना सम्भव होगा ? यदि मंत्री महोदय एकाधिकार गृहों पर नियंत्रण नही करते तो किसी भी प्रवर समिति के लिये अपवंचन दूर करने या काले धन का पता लगाने के लिये कठोर उपायों का सुझाव देना सम्भव नही होगा।

इस विधेयक को लागू करने के सम्बन्ध में कहा गया है कि सरकार इस विधेयक को उस तिथि से लागू करेगी जो सरकारी गजट में अधिसूचित की जाएगी। यदि इसको तुरन्त लागू नहीं किया जाना तो इसे पास करने का क्या लाभ होगा ? इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजना चाहिये। वे कुछ लोगों को बुलाते और उनके विचारों को शान्तिपूर्वक सुनते और फिर निर्णय करते कि 22 वर्ष के बाद इसकी आवश्यकता है या नहीं। फिर वे इस बात का भी पता लगते कि इस देश में कितना एकाधिकार बढ़ा है; गरीब और गरीब हो गया है और धनवान अधिक धनवान बना गया है।

श्री सी० सुब्रह्यमन : किसी सदस्य ने इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव नहीं रखा। अब कहते हैं कि इसे प्रवर समति के पास भेजा जाना चाहिये।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरे विचार में इस विधेयक को प्रवर समति को सौपना चाहिए। राज्य सभा ने जो कुछ किया है, मैं उसके लिये जिम्मेदार नहीं हूं। वांचू समिति ने भी व्यापाक कानून बनाने का सुझाव दिया था। मेरे विचार में इस विधेयक से व्यापार गृहों के गैर-कानूनी कार्यों को कानूनी ठहराया जायेगा। मंत्री महोदय को पहले स्पष्ट करना चाहिए था कि वह एकाधिकार को कैसे रोकेंगें।

श्री सेझियान पीठासीन हुए।

[Shri Sezhiyan in the Chair.]

इस विधेयक को लागू करने की कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार इस विधेयक को पास करवाने के बाद उत्तर प्रदेश के चुनवों से पहले एकाधिकार गृहों के कुछ गैर-कानूनी कार्य को विनियमित करना चाहती है। इसी लिये मैंने कहा था कि इसे प्रवर समिति को सौपना चाहिए। यदि मंत्री महोदय इस पर सहमत नहीं है, तो उन्हें इस पर पांच या छः दिन के लिये

चर्चा स्थगित कर देनी चाहिये ताकि हम सोच विचार करके इन कमियों को दूर करने के बारे में उपयुक्त सुझाव दे सकें ।

रक्षा के क्षेत्र में सयुक्त उपक्रम लगाने की बातें सुनी जा रही हैं। रक्षा के लिये कानपुर में एक विशेष मिश्रित इस्पात संयंत्र स्थापित करने की स्वीकृति दी गई थी। अब पता चला है कि योजना आयोग ने उस प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया । वे कहते हैं कि वह इस बात पर विचार करेंगे कि उस संयंत्र को रक्षा के अन्तर्गत लगाया जा सकता है या नहीं। सरकार को इस प्रकार के निर्णय गम्भीरता-पूर्वक करने चाहिएं परन्तु ऐसा नहीं किया जाता ।

हम चाहते हैं कि सरकार मारुति सहित समस्त मोटर-गाड़ी उद्योग को अपने नियंत्रण में ले ले। सरकार केवल संकटग्रस्त मिलों को अपने नियंत्रण में ले रही है, मानो वह उनके कष्ट निवारण के लिये कोई संस्था है । उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के बारे में सरकार की नीति निश्चय ही बदली है। संयुक्त क्षेत्र के नाम पर अथवा टाटा द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन के बाद राष्ट्रीयकरण को सख्त धक्का पहुंचा है। मंत्री महोदय को हमारी शंकाएं दूर करनी चाहिएं ।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। जहां तक देश में काले धन का प्रश्न है, श्री एस० एम० बनर्जी ने उसे 7,000 करोड़ रुपये बताया है और उनके विचार में अब वह बढ़कर 10,000 करोड़ रुपये हो गया होगा। परन्तु वांचू समिति ने हिसाब लगाया था कि देश में काला धन लगभग 1,400 करोड़ रुपये है । अतः इन आकड़ो को इतना अधिक बढ़ा चढ़ा कर बताना आम जनता को चिन्ता में डालना होगा। एक प्रश्न के उत्तर के अनुसार इस देश में 6,558 करोड़ रुपये के नोट परिचालित हैं । अतः एक भाग पूरी राशि से अधिक नहीं हो सकता । हमें देश की आर्थिक स्थिति के बारे में आम जनता में भय संचार नहीं करना चाहिये।

हम एक ओर प्रगति की बात कहते हैं और दूसरी ओर उत्पादन क्षमता पर रोक लगाना चाहते हैं। यदि हम कहते हैं कि अमुक कारखाने का उत्पादन 100 टन से अधिक न हो और यह भी चाहें कि देश की प्रगित 6 प्रतिशत होनी चाहिये, तो इस लक्ष्य को उत्पादन की उत्तरोत्तर वृद्धि किये बिना कैसे प्राप्त किया जा सकता है ?

एकाधिकार की स्थिति यह है कि वर्ष 1971 में प्रकाशित सूची के अनुसार दो व्यापार गृह अर्थात् मैसर्स टाटास और मैसर्स बिडलास के 1500 करोड़ रुपये की आस्तियां हैं जबकि कुल मिलाकर 13 एकाधिकार-वादियों की कुल आस्तियां 3200 करोड़ रुपये की हैं । इसका अर्थ यह है कि इन दो गृहों का नियंत्रण 50 प्रतिशत आस्तियों पर है जबकि शेष गृहों का नियंत्रण शेष 50 प्रतिशत आस्तियों पर है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी व्यक्ति की सम्पत्ति या औद्योगिक सम्पति की कोई सीमा निर्धारित करनी है, तो इस उद्देश्य को उत्पादन कम करके प्राप्त नहीं किया जा सकता । उत्पादन बढ़ाने से ही गरीबों को सस्ते मूल्य पर वस्तुएं मिल पायेगीं । अतः एकाधिकार प्रसार को रोकने के लिये इन लोगों की व्यक्तिगत सम्पति की अधिकतम सीमा निर्धारित करनी चाहिये, उत्पादन की अधिकतम सीमा नहीं।

आज समस्या उत्पादन बढ़ाने या घटाने की नहीं बल्कि इनमें कुछ व्यापार गृहों द्वारा अस्वाभाविक रियायतें प्राप्त करने की है, चाहे सरकार से या अन्य स्थानीय प्राधिकारियों से। मैंने मैसूर में एक एकाधिकार गृह द्वारा एक कारखाना स्थापित किये जाने का मामला अनेक बार सभा में उठाया है, जहां उन्होंने रियायतें प्राप्त की हैं । यह प्रश्न केवल उत्पादन का नहीं बल्कि यह प्रश्न अस्वाभाविक रियायतें प्राप्त करने का है--चाहे वह भूमि के रूप में हो, बिजली के रूप में या पानी के सप्लाई के रूप में हो ।

आज भारतीय उद्योगपतियों को कुछ ऐसी रियायतें मिली हुई हैं जो विश्व के किसी भी भाग में नहीं दी जाती । इस देश में उद्योगों को आवश्यकता से अधिक संरक्षण प्रदान किया गया है। ऐसी स्थिति में हर क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिये । उत्पादन के सम्बन्ध में नाकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना उचित नहीं होगा । समाजवाद की कागजी कार्यवाही का परित्याग करना होगा। आज जनता किसी वाद के सैद्धान्तिक पक्ष पर चर्चा सुनने के लिये तैयार नहीं, उसे तो किसी भी साधन से उचित मूल्यों पर अपेक्षित वस्तुऐं मिलनी चाहियें। वे पर्याप्त मात्रा में वस्तुएं चाहते हैं। इन परिस्थितियों में उत्पादन को बढ़ाने के सिवाय इस समस्या का कोई और समाधान नहीं है।

सभापति महोदय : वह अपने भाषण को कल जारी रख सकते हैं। अब आधे घण्टे की चर्चा होगी।

***स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन के लिये पात्रता

Eligibility for pensions to freedom fighters

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (नेल्लीचेरी) : भारत के स्वतंत्रता संग्राम से विभिन्न राजनीतिक विचार-धाराओं के लोगों ने चाहे वे किसी भी धर्म या जाति के हों, भाग लिया था । मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने के लिये पात्रता के बारे में निर्णय करने में किसी राजनीतिक दल का पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। पिछले सत्र में केरल में मोपला विद्रोह में भाग लेने वाले व्यक्तियों की पात्रता का प्रश्न उठाया गया था परन्तु सरकार ने उसे अस्वीकार कर दिया था । इस सत्र में एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि उन्होंने तत्कालीन सरकार अर्थात् ब्रिटिश सरकार के अभिलेख की जांच की है और राजनीतिक सम्मेलनों तथा उनके संकल्पों और आर० सी० मजुमदार के इतिहास को भी पढ़ा है । अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उस मामले को अभी समाप्त न करे। उस उत्तर में सरकार ने स्पष्ट किया है कि केरल सरकार ने विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद जिन पर मंत्रालय ने भी विचार किया था मोपला विद्रोह में भाग लेने वालों को पेंशन देने का निर्णय किया था। अतः मैं चाहता हूं कि सरकार इस विषय पर पुनः विचार करे। यदि सरकार ब्रिटिश अभिलेख देखना चाहती है तो ठीक है परन्तु उसे भी परस्पर विरोध है । सरकार को श्री आर० सी० मजुमदार के इतिहास के अतिरिक्त डा० ताराचन्द के इतिहास का भी अध्ययन करना चाहिये। उन्हें केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन सचिव द्वारा लिखित मोपला विद्रोह का इतिहास भी पढ़ना चाहिये। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह अपने निर्णय पर पुनः विचार करे।

मैं सरकार का ध्यान दो अन्य महत्वपूर्ण आन्दोलनों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। एक वर्ष 1946 का तेलंगाना विद्रोह है और दूसरा वर्ष 1946 का पुनापरा बयालार संघर्ष। ये दोनों संघर्ष राजाओं के शासन के विरुद्ध थे। एक हैदराबाद में हुआ और दूसरा ट्रावनकोर राज्य में हुआ था । ट्रावनकोर का राजा और उसका दीवान ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के साथ सांटगांठ करके ट्रावनकोर का पृथक राज्य बनाना चाहते थे। वहां के श्रमिक वर्ग और गरीब किसानों ने साम्यवादी दल के नेतृत्व में एक आन्दोलन किया । यह आन्दोलन स्वतंत्रता संग्राम का अंग था । केरल सरकार ने पुनापरा बयालार आन्दोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों को पेंशन दी है । केन्द्रीय सरकार को ऐसे मामलों पर विचार करना चाहिये और शीघ्र निर्णय करना चाहियें।

***आधे घंटे की चर्चा ।

***Half an hour discussion.

तेलंगाना संघर्ष निज़ाम के शासन के विरूद्ध था जोकि आज़ाद हैदराबाद की स्थापना करना चाहता था। इस संघर्ष में साम्यावादी नेतृत्व में किसान आन्दोलन चलाया गया । 4000 लोगों ने इसमें भाग लिया और देश की खातिर अपना जीवन बलिदान किया था । सरकार को ऐसे लोगों को स्वतंत्रता सेनानी घोषित करना चहिये और उन्हें पेंशन देनी चाहिये।

जिन लोगों ने तेलंगाना अभियान में 13 सितम्बर, 1948 तक भाग लिया था उनके बारे में यह समझा जाना चाहिये कि उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया था । उनकी पेंशन स्वीकृत की जानी चाहिये।

पेंशन कार्यालय में बहुत धीमी गति से काम हो रहा है । पेंशन प्राप्तकर्त्ता बूढ़े लोग हैं और वे अनिश्चित काल तक औपचारिकताओं के लिये प्रतीक्षा नहीं कर सकते । बहुत से व्यक्ति मर गये हैं और बहुत से व्यक्ति मर जायेंगे । उक्त विभाग सुदृढ़ बनाया जाना चाहिये और यदि आवश्यक हो तो इभ विभाग के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये। जिससे आवेदनपत्रों को शीघ्र निपटाया जा सके।

आवेदन पत्रों की राज्यों में महीनों जांच की जाती है और उसके बाद और जांच के लिये उन्हें केन्द्रीय सरकार के पास भेज दिया जाता है । जहां जांच कार्य में महीनों लगते हैं । इस विलम्ब को रोकने के लिये मेरा विचार है कि राज्य सरकार को ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तियों की एक समिति स्थापित करनी चाहिये जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो । इससे शीघ्रता से मामले निपटाने में सहायता मिलेगी।

सरकार को केवल कुछ तकनीकी आधारों पर मामलों को अस्वीकार नहीं कर देना चाहिये। जब ऐसे लोगों को पेंशन दी गई है जिनका स्वतंत्रता संग्राम से कोई भी सम्बन्ध नहीं रहा है तो वास्तविक मामलों को केवल कुछ तकनीकी आधारों पर अस्वीकृत करना अनुचित होगा।

गोआ मुक्ति समिति ने 15 अगस्त, 1955 को गोआ की सीमाओं पर आन्दोलन किया था जिससे समस्त देश के हजारों लोगों ने भाग लिया था । लेकिन उनमें से अनेक व्यक्तियों को पेंशन देने से इंकार कर दिया जाता है । मेरा अनुरोध है कि उनके आवेदनपत्रों पर उदारता से विचार किया जाना चाहिये।

एक विद्यार्थी को जिसने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया था और जो श्री जयप्रकाश नारायण के साथ जेल में रहा था, जेल से छूटने के बाद कालेज से निकाल दिया गया । यदि अब उससे जेल में रहने का सर्टीफिकेट देने को कहा जाये तो उसके लिये ऐसा करना बहुत कठिन है । उसने महाराष्ट्र सरकार से उक्त रिकार्ड देने का अनुरोध किया था लेकिन उसे बताया गया कि रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। श्री सी० एम० कुन्हू रमन नायर प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हैं लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से उन्हें पेंशन देने से इंकार कर दिया गया है ।

सरकार का यह कहना है कि आजाद हिन्द फौज और रायल इंडियन नैवी के मामले में निर्णय ले लिया गया है। लेकिन अनेक व्यक्तियों ने शिकायत की है कि उनके मामलों में शीघ्रता से निर्णय नहीं लिया जा रहा है ।

सरकार को स्वतंत्रता सेनानियों के मामलों में उदार रुख अपनाना चाहिये। उन्हें यह महसूस नहीं होना चाहिये कि पेंशन के लिये आवेदनपत्र देने के बाद उनके आवेदनपत्र अस्वीकार कर दिये गये हैं। उन्हें ऐसे अधिकारियों के चक्कर लगाने पर मजबूर नहीं किया जाना चाहिये जिन्हें स्वतन्त्रता आन्दोलन

के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्हें यह अनुभव नहीं होना चाहिये कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। आशा है सरकार इन मामलों पर विचार करेगी और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनायेगी।

Shri Jagannath Mishra (Madhubani) : The Government has done a praise worthy work by implementing a scheme to pay pension to the freedom fighters. There are some defects in the scheme which should be removed. There is a rule that a freedom fighter will get the pension only in case he produces a certificate from the jail authority or from an Ex-MLA or M.P. stating that he had been in jail for six months. It is very difficult to produce such a certificate because there are no records available. The Government should pay pension to a freedom fighter if he produces a certificate from an Ex-MLA or M.P. certifying on the basis of his information and knowledge that a particular person had been in jail for six months.

The Minister of Home Affairs (Shri Uma Shanker Dikshit) : There are three categories of freedom fighters. Firstly, those who have lost their properties, Secondly, those who had remained underground and thirdly, those who have been in jail for six months.

Shri Jagannath Mishra : There are certain persons who had not remained in a jail for six months but who had remained underground and whose properties had been forfeited. In my opinion these persons are also freedom fighters. I want to know when these types of cases would be considered for pension.

Takgin into consideration the rise in the prices of essential goods, a sum of rupees two hundred as pension is not enough. I want to know whether the Government will consider to increase the amount of pension ?

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : I want to know the number of persons getting pensions from the State as well as Central Governments.

There are 13 or 14 persons who have been awarded 'Tamra Patra' though their names were not in the list of those persons who were to receive. 'Tamra Patra' I want to know the names of the persons who had recommended their names.

There has been a feeling amongst the people that the pension is being paid to people to make them full time worker of the congress.

It is unfortunate that Government have included the names of such person in the list of pensioners who had been the murderers. I want to know the number of the Congressmen out of these pensioners.

श्री समर गुह (कन्टाई) : देश ने स्वतन्त्रता सेनानियों के बारे में सरकार द्वारा अपनाई गई नीति की प्रशंसा की है। आशा है उक्त नीति का उदारता से पालन किया जायेगा।

आजाद हिन्द फौज के लोगों के बारे में श्री शाहनवाज़ खां की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की गई थी। यदि उक्त समिति में श्री सुरेन्द्र मोहन घोष, जो एक बड़े क्रान्तिकारी हुए हैं, का नाम भी शामिल कर लिया जाये तो इस सम्बन्ध में बहुत सहायता मिलेगी।

सरकार पेंशन देने के मामले में क्या कसौटी अपना रही है? आई० एन० ए० से सरकार को कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए उनमें से कितने आवेदन पत्र स्वीकार किये गये तथा कितने आवेदन पत्र विचाराधीन हैं।

रायल इंडियन नैवी के बारे में कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि उसमें से स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने वाले लोगों के नाम सामान्यतया सरकार के पास होते हैं।

अनेक राज्य सरकारों जैसे पश्चिम बंगाल सरकार ने ऐसे कर्मचारियों का जो बाद में सरकारी सेवा में आ गये थे, सेवावधि बढ़ाने तथा उनके लिये आवश्यक अर्हता में कमी करने जैसे सुविधाएं प्रदान की हैं। केन्द्रीय सरकार को भी अपने ऐसे कर्मचारियों को यही सुविधाएं देनी चाहियें।

सरकार ने पेंशन सम्बन्धी-आवेदन पत्रों पर निर्णय लेने के लिये अनेक राज्य समितियां स्थापित की हैं। क्या इस कार्य के लिये सरकार ने कोई समय सीमा निर्धारित की है जिससे पेंशन निर्धारण करने सम्बन्धी मामलों में विलम्ब न हो?

सरकार ने कितने आवेदन पत्र स्वीकार किये हैं तथा कितने मामलों में पेंशन दी गई है? कितने आवेदन पत्र विचाराधीन हैं तथा कितने आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये गये हैं?

श्री उमाशंकर दीक्षित : यह कहा गया है कि स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने सम्बन्धी नियमों पर उदारता से अमल किया जाना चाहिये। प्रधान मंत्री ने इस सम्बन्ध में जांच करवाई थी और इस बारे में नियम 'ब' इस बात को ध्यान में रखकर बनाये गये थे कि किसी मामले में बहुत अधिक तकनीकी दृष्टिकोण न अपनाया जाये।

हमने स्वतन्त्रता सेनानियों के वास्तविक रूप से 6 महीने के लिये कारावास में रहने पर बल नहीं दिया है।

सक्षम अधिकारी के आदेशाधीन नजरबन्दी को कारावास के समान माना जाता है। इसमें मुकदमा चलते रहने की वह अवधि भी शामिल है जिसके बाद जेल में रहना पड़ा हो। इसमें थोड़े-थोड़े समय का कारावास भी शामिल किया गया है। इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जो छः महीने से अधिक समय तक भूमिगत रहा हो बशर्ते उसे उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया गया हो या जिसकी गिरफ्तारी के लिये इनाम घोषित किया गया हो या जिसके बारे में निरोध आदेश जारी किये गये हों पर उनकी तामील न हुई हो। यह उस व्यक्ति पर भी लागू होता है जिसे उसके घर में नजरबन्द किया गया हो या जिले से निष्कासित किया गया हो परन्तु ऐसे दण्ड की अवधि 6 महीने या इससे अधिक होनी चाहिये। इसमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जिनकी सम्पत्ति स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने के कारण जब्त, कुर्क कर ली गई हो या बेच दी गई हो। इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जो गोली अथवा लाठी चलाने के कारण स्थायी रूप से असमर्थ हो गये हैं। इसमें आजाद हिन्द फौज तथा रायल इंडियन नैवी के नौसैनिक भी शामिल हैं जिन्होंने 1946 के उपद्रव में भाग लिया, लेकिन उन्हें पात्रता की अन्य शर्तें पूरी करनी होंगी।

पेंशन सम्बन्धी समिति श्री शाहनवाज खां की अध्यक्षता में प्रशंसनीय कार्य कर रही है।

हमने अनेक श्रेणियों को शामिल किया है फिर भी गलतियां हो जाती हैं। कभी-कभी स्वाभाविक रूप से उस समय गलती हो जाती है जबकि किसी व्यक्ति की निष्कपटता स्वीकृत की जाती है।

हमारे अधिकारी जान बूझकर कोई गलती नहीं करते । सदस्यों को ऐसा अन्धकारमय और त्रुटि-पूर्ण दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिये ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Pensions have been granted only to those persons who have been supported by Congressmen.

श्री उमाशंकर दीक्षित : माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि 1923, 1930 में जब यह आन्दोलन आरम्भ हुआ तो उनके दल का नाम ही नहीं था । श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी कांग्रेस से जनसंघ में गये हैं । अतः उनका सन्देह निराधार है । यदि वो कोई ऐसे मामले की सूचना देंगे जिसमें किसी अयोग्य व्यक्ति को पेंशन दी गई हो, तो हम माननीय सदस्य को प्रमाण-पत्र देकर संतुष्ट कर देंगे।

मैंने 1930, 1932 और 1940 के आन्दोलनों में भाग लिया है । मेरे पास कुछ ऐसे लोग आये जिन्होंने किसी आन्दोलन में भाग नहीं लिया लेकिन वे मेरे से प्रमाणपत्र चाहते थे । मैंने ऐसा करने से इंकार कर दिया । इस बारे में आपके ऊपर और हम सबके ऊपर बहुत अनुचित दबाब डाला जाता है । यदि कोई ऐसे मामले सामने आते हैं, तो उन्हें अपवाद समझना चाहिए उसके लिये हम श्रेणियों में परिवर्तन नहीं कर सकते ।

जिनकी सम्पत्ति नष्ट हो गई है उनको हमने पहले ही शामिल कर लिया है । छः महीने या इससे अधिक अवधि तक भूमिगत रहने वाले व्यक्तियों का नाप भी इसमें शामिल किया गया है।

Shri Hukam Chand Kachwai : Some people get pension from the State Governments as well as from the Central Government.

श्री उमाशंकर दीक्षित : राज्य सरकारों के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं और अब फिर स्पष्ट करता हूं कि जो हम देते हैं उसमें से राज्य सरकारों से जो मिलता है, उसको काट देते हैं । हम सब मिलाकर 200 रुपये देते हैं । लेकिन जहां पर उन्होंने 10-15 साल की सजा काटी हो, तो तीन सौ और चार सौ भी देते हैं । पांच साल की सजा पर हम पचास रुपये देते हैं । ऐसा एक फार्मूला हमने बना रखा है ।

हम राज्य सरकारों के निर्णयों की उपेक्षा नहीं करते । जैसा कि सरकार का कर्त्तव्य है कि वह इस बात की ओर ध्यान दें कि कोई उपयुक्त व्यक्ति पेंशन लेने से वंचित न रह जाये इसी प्रकार सरकार का यह भी कर्तव्य है कि वह गलत व्यक्तियों को पेंशन प्राप्त करने से रोके।

यदि कोई ऐसा प्रमाण मिले कि मोपला विद्रोह देश की स्वतन्त्रता के लिये था, तो मैं इस बारे में फिर से विचार करूंगा । तेलंगाना विद्रोह के सम्बन्ध में हमने 'नहीं' नहीं कहा है । हम इस बारे में पुन्नापरा वयालार के मामले पर विचार कर रहे हैं । इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा।

राज्य सरकारों को 50,000 मामले भेजे गये हैं । राज्य सरकारों को समितियां नियुक्त करने का सुझाव दिया गया है । कुछ राज्य सरकारों ने समितियां नियुक्त की हुई हैं तथा कुछ ने नहीं की हुई हैं। जिन राज्य सरकारों ने समितियां नियुक्त नहीं की हैं हम उनसे समितियां नियुक्त करने तथा समितियों से शीघ्र मामले निपटाने का अनुरोध करेंगे।

अब हमें अधिकांश भूमिगत रहने वाले व्यक्तियों से आवेदन-पत्र प्राप्त हो रहे हैं । इन मामलों में हमें जिम्मेदारी का रुख अपनाना पड़ता है । उसका केवल वित्तीय पहलु नहीं है। (**अंतर्बाधाएं**) गोआ आन्दोलन में भाग लेने वालों को पेंशन की सूची में शामिल किया गया है ।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 4 दिसम्बर, 1973/13 अग्रहायण, 1895 (शक) के ग्यारह बजे म० पू0 तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, December 4, 1973/ Agrahayana 13, 1895 (Saka).

MGIPRRND—45 LSS/73—IV N.S.—24-3-74—490.